लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[छठा सत्र / Sixth Session]

[खंड 23 में अंक 21 से 31 तक हैं / Vol.XXIII contains Nos. 21 to 31]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 19, गुरुवार, 5 दिसम्बर, 1968/14 अग्रहायण, 1890 (शक)
No. 19, Thursday, December 5, 1968/Agrahayana 14, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
541.	जम्मू तथा काश्मीर में दाखिल की गई चुनाव याचिकाएं	Election Petitions filed in Jammu and Kashmir ..	1363—1366
544.	महापात्र आयोग	Mahapatra Commission ..	1366—1367
547.	राजस्थान में नलकूपों पर व्यय	Expenditure on Tubewells in Rajasthan..	1367—1371
548.	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम	Hindu Succession Act ..	1371—1373
549.	इमारती लकड़ी का पाकिस्तान को बह कर चला जाना	Washing Away of Timber Wood to Pakistan ..	1373—1375
550.	बिहार में पशुपालन कार्यक्रम	Animal Husbandry Programme in Bihar..	1375—1376
551.	उड़ीसा में भूमि संरक्षण के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Soil Conservation in Orissa ..	1376—1378
552.	त्रिपक्षीय भारतीय श्रम सम्मेलन का पुनर्गठन	Reconstitution of Tripartite Indian Labour Conference ..	1378—1380
554.	खाद्यान्नों के भण्डार की क्षमता	Storage Capacity for Foodgrains ..	1380—1382

अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.			
9.	टायरों तथा ट्यूबों के मूल्य	Prices of Tyres and Tubes ..	1382—1387

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
542.	उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सूखा	Drought in Azamgarh, Uttar Pradesh ..	1388

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
543. किसानों को उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilizers to Farmers ..	1388
545. देशी उर्वरकों की अधिक कीमतें	High Prices of Indigenous Fertilizers ..	1389
546. स्वचालित मशीनों का लगाया जाना तथा उसका रोजगार व्यवस्था पर प्रभाव	Automation and its effects on Employment ..	1389—1390
553. धान के वसूली मूल्य	Procurement Prices of Paddy ..	1390
555. अनाज और तिलहन की उत्पादन लागत	Production Cost of Cereals and Oilseeds ..	1390
556. हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड के कर्मचारियों को बोनस	Bonus to Workers of Hindustan Motors Ltd. ..	1390—1391
557. उज्जैन (म० प्र०) में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone Connections in Ujjain (M.P.)	1391
558. माडर्न बेकरीज (इंडिया) लिमिटेड	Modern Bakeries (India) Ltd. ..	1391—1392
559. राजस्थान में मोटे अनाज के मूल्य	Prices of Coarse Grains in Rajasthan ..	1392
560. रेलवे से विवाद के संबंध में श्रम अधिकारी द्वारा कर्मचारियों की सहायता करने से इन्कार	Labour Officer's refusal to Help the Workers in Dispute with Railways ..	1392—1393
561. बिहार में निम्न आय वर्ग वाले लोगों के पास कृषि योग्य भूमि	Agricultural Land with the Low Income Group in Bihar ..	1393—1394
562. सहकारी समितियों को उर्वरकों की बिक्री	Sale of Fertilizers to Co-operative Societies ..	1394
563. नाइट्रोजन का उत्पादन, खपत तथा आयात	Production, Consumption and Import of Nitrogen ..	1394—1395
564. कार्मिक संघों से बाहरी व्यक्ति के संबंध पर प्रतिबन्ध	Banning Outsiders' Association with Trade Unions ..	1395
565. अम्बाला टेलीफोन केन्द्र के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार	Manhandling of Employees of Ambala Telephone Exchange ..	1395
566. पंचायतों द्वारा भूमिहीन लोगों को भूमि देना	Land to Landless People by Panchayats ..	1396

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
567. केरल के मार्क्सवादियों की केन्द्र के विरुद्ध बैटल (लड़ाई)	Kerala Marxists' Battle Against Centre ..	1396
568. अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में संशोधन	Amendment of Untouchability (Offences) Act, 1955 ..	1396—1397
569. कोयला खानों में श्रम विधियों का उल्लंघन	Violation of Labour Laws in Collieries ..	1397
570. एल० एल० बी० पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए 'बार कौंसिल' की परीक्षा	Bar Council Examination for LL.B. Course Students ..	1397—1398
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3296. पश्चिम बंगाल में खण्ड बीज फार्म	Block Seed Farms in West Bengal ..	1398
3297. भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खरीद	Procurement of Wheat by Food Corporation of India ..	1399
3298. शुष्क क्षेत्रों में खेती करना	Cultivation of Dry Farming Areas ..	1399—1400
3299. कृषि उपज	Agricultural Production	1400
3300. मैसूर में देवदासी तथा बसारी प्रथाएं	Devadasi and Basari Systems in Mysore ..	1401
3301. अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिये छात्रावास	Hostels for Scheduled Caste Girls ..	1401
3302. उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में बाबेरू तहसील में सूखा	Drought in Baberu Tehsil in District Banda, U. P. ..	1401—1402
3303. आस्ट्रेलियन गेहूं का उपहार	Gift of Australian Wheat ..	1402
3304. राजस्थान में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र	Automatic Telephone Exchanges in Rajasthan ..	1402—1403
3305. जयपुर के लालसोट नगर में टेलीफोन लगाना	Telephone Connections in Lalsot Town, Jaipur ..	1403
3306. गोरखपुर में कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural University at Gorakhpur ..	1403
3307. मध्य प्रदेश के कृषकों को दीर्घकालीन ऋण	Long-term Loans to Agriculturists in Madhya Pradesh ..	1404

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3308.	मध्य प्रदेश में बाढ़ों तथा सूखे के कारण क्षति	Damage due to Floods and Drought in Madhya Pradesh ..	1404—1405
3309.	अधिक उपज देने वाले खाद्यान्नों के बीजों की काश्त	Cultivation of High-yield Varieties of Seeds of Foodgrains ..	1405—1406
3310.	विदेशी चीनी की तस्करी	Smuggling of Foreign Sugar ..	1406—1407
3311.	मध्य प्रदेश में नलकूप लगाना	Sinking of Tube-Wells in Madhya Pradesh ..	1407—1408
3312.	मध्य प्रदेश में भू-बन्धक बैंक	Land Mortgage Banks in Madhya Pradesh	1408
3313.	मध्य प्रदेश में रोजगार दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध व्यक्तियों के नाम	Persons Registered with the Employment Exchanges in Madhya Pradesh ..	1408
3314.	मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में वनों पर आधारित उद्योग	Forest-based Industries in Baster area of Madhya Pradesh ..	1408—1409
3315.	त्रिपुरा में रोजगार के अवसर	Employment in Tripura ..	1409
3316.	त्रिपुरा में रोजगार दिलाऊ दफ्तर	Employment Exchanges in Tripura ..	4410
3317.	गुजरात में एक कृषि विश्व-विद्यालय की स्थापना	Establishment of an Agricultural University in Gujarat ..	1410—1411
3318.	पुरी जिला (उड़ीसा) में पिचकुली गांव में उप-डाक-घर खोलना	Opening of Sub-Post Office at Pichkuli in Puri District (Orissa) ..	1411
3319.	केन्द्रीय राजकीय प्रक्षेत्र	Central State Farms ..	1411—1413
3320.	राज्यों में आरक्षित स्थानों के लिए गैर-आदिम जातीय सदस्यों का चुनाव	Election of non-Tribal Origin Members for Reserved Seats in States ..	1414
3321.	चंडीगढ़ में श्रमिक बस्तियां	Labour Colonies at Chandigarh ..	1414
3322.	चण्डीगढ़ के लिए हरिजन कल्याण निधि	Harijan Kalyan Fund for Chandigarh ..	1415
3323.	पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को कालकाजी कालोनी, दिल्ली में प्लाटों का दिया जाना	Allotment of Plots to East Pakistan Refugees in Kalkaji Colony, Delhi ..	1415
3324.	पम्पिंग सेट लगाना	Installation of Pumping Sets ..	1416

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
3325. अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के होस्टलों में कार्य-पत्रक	Schedules in the Hostels of Scheduled Castes/Tribes	1416—1417
3326. राजधानी में अवैध शराब की बिक्री	Sale of Illicit Liquor in the Capital	1417
3327. गुजरात में सरकारी उर्वरक कारखाना	Cooperative Fertilizer Factory in Gujarat	1417
3328. संचार मंत्रालय के कर्मचारियों के बारे में सर्वेक्षण	Survey of Staff Position in the Communications Ministry ..	1418
3329. शुद्ध घी के उत्पादन में कमी	Decline in the Production of Pure Ghee ..	1418
3330. फालतू पुर्जों के अभाव में बेकार पड़े ट्रैक्टर	Tractors Lying Unused for want of Spare Parts ..	1419
3331. उड़ीसा में सूखा	Drought in Orissa ..	1419—1420
3332. गुजरात राज्य में कृषि अनुसंधान परियोजनाएं	Agricultural Research Projects in Gujarat State ..	1420
3333. गुजरात भण्डागार	Warehouses in Gujarat ..	1420—1421
3334. विधि मंत्रालय द्वारा दिया गया परामर्श	Advice Tendered by the Law Ministry ..	1421
3335. आयातित खाद्यान्नों को क्षति	Damage of Imported Foodgrains ..	1421—1422
3336. उत्तर प्रदेश में रोजगार	Employment in U. P.	1422
3337. उत्तर प्रदेश में टेलीफोन फैक्टरी	Telephone Factory in Uttar Pradesh	1422—1423
3338. बिहार में खरीफ तथा रबी की फसलें	Kharif and Rabi Crops in Bihar	1423
3339. हिन्दुस्तान मोटर्ज में स्वचालित मशीनें लगाना	Automation in Hindustan Motors	1423
3340. हिन्दुस्तान मोटर्ज के कारखाने में डाकघर	Post Office in Hindustan Motors Factory ..	1424
3341. मध्य प्रदेश को चीनी की सप्लाई	Sugar Supply to Madhya Pradesh ..	1424
3342. मध्य प्रदेश को गेहूं की सप्लाई	Wheat Supply to Madhya Pradesh ..	1424—1425

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
3343.	इन्दौर में डाक्टरों के लिये टेलीफोन — Telephone Connections for Doctors in Indore	.. 1425—1426
3344.	राष्ट्रीय बीज निगम, लिमिटेड — National Seeds Corporation Ltd.	.. 1426
3345.	केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम, लिमिटेड — Central Fisheries Corporation, Ltd.	.. 1426—1427
3346.	विधि मंत्रालय के कर्मचारी — Staff Employed in the Ministry of Law	.. 1428
3347.	स्वामी श्रद्धानन्द के सम्मान में स्मृति डाक टिकट — Commemorative Stamp in Honour of Swami Shardhanand	.. 1428—1429
3348.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पतालों को औषधियों का सम्भरण — Supply of Medicines to Employees State Insurance Corporation Hospitals	.. 1429
3349.	ग्रामों के लिये चीनी के कोटे का नियतन — Allotment of Sugar Quota for Villages	.. 1429
3350.	श्रमिक कल्याण समिति — Committee on Labour Welfare	.. 1430
3351.	डबल रोटी का उत्पादन — Manufacture of Bread	.. 1430
3352.	अनाज की वसूली तथा वितरण — Procurement and Distribution of Foodgrains	.. 1430—1431
3353.	आटे में खली की मिलावट — Mixing Oil Cake with Flour	.. 1431
3354.	बम्बई के मुख्य (जनरल) डाकघर में हड़ताल — Strike in General Post Office, Bombay	.. 1431—1432
3355.	उल्हास नगर में भूभागों की बिक्री — Sale of Plots in Ulhasnagar	.. 1432
3356.	गांधी शताब्दी पर स्मृति डाक टिकट — Commemorative Stamp on Gandhi Centenary	.. 1432
3357.	दिल्ली और बुलन्दशहर के बीच टेलोफोन लाइन — Telephone Line Between Delhi and Bulandshahr	.. 1433
3358.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा स्टैंडर्ड दूध की बजाय टोंड दूध की सप्लाई — Supply of Toned Milk Instead of Standard Milk by Delhi Milk Scheme	.. 1433—1434
3359.	भारत में सूखे के लिये खाद्य तथा कृषि संगठन को विश्व बैंक की सहायता — World Bank Assistance to Food and Agriculture Organisation for Drought in India	.. 1434

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3360.	राजस्थान को मोटे अनाज की सप्लाई	Supply of Coarse Grains to Rajasthan ..	1434
3361.	नलकूपों से भूमि में सिंचाई	Irrigation of Land by Tubewells ..	1435
3362.	मेसर्स आर्मी एन्ड पुलिस इक्विपमेंट सप्लाई कम्पनी, कानपुर द्वारा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित न किया जाना	Non-implementation of the Recommendations of the Wage Board by M/s. Army and Police Equipment Supply Company, Kanpur ..	1435
3363.	सहकारी क्षेत्र में चीनी के कारखाने	Sugar Factories in Cooperative Sector ..	1435—1436
3364.	लघु सिंचाई कार्य	Minor Irrigation Works ..	1436—1437
3365.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज की वसूली तथा वितरण	Procurement and Distribution of Foodgrains by Food Corporation of India ..	1438
3366.	अस्पृष्यता सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन	Report of Committee on Untouchability ..	1438
3367.	गंगा नगर में निजी तौर पर अधिक अनाज उपजाऊ योजना के अन्तर्गत नलकूप लगाना	Sinking of Tubewells Under Private Grow More Food Scheme in Ganga Nagar ..	1439
3368.	सहकारी प्रक्षेत्र	Cooperative Farms ..	1439
3369.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के पाउडर की खरीद	Purchase of Milk Powder by Delhi Milk Scheme ..	1439—1440
3370.	राजस्थान में चारे की कमी की स्थिति	Fodder Scarcity Condition in Rajasthan ..	1440—1442
3371.	उत्तर प्रदेश में पन्त नगर में बीज प्रक्षेत्र	Seed Farm in Pant Nagar, U. P. ..	1442
3372.	अधिक उपज देने बाले बीज	High-Yielding Varieties of Seeds ..	1442—1443
3373.	दिल्ली में नये टेलीफोन लगाने में विलम्ब	Delay in Installation of New Telephone Connections in Delhi ..	1443
3374.	अन्नपूर्णा कैफेटीरिया, नई दिल्ली	Annapoorna Cafeteria, New Delhi ..	1444
3375.	बिहार में चीनी मिलें	Sugar Mills in Bihar ..	1444

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
3376. जम्मू तथा काश्मीर को भेड़ों और बकरियों की नसल सुधारने के लिये सहायता	Assistance to Jammu and Kashmir for improving Breeds of Goats and Sheep	1445
3377. लद्दाख में लघु सिंचाई कार्य	Minor Irrigation in Ladakh ..	1445
3378. लद्दाख में डाक और तार घर	P. and T. Offices in Ladakh ..	1445
3379. भारत में अंधों की सहायता	Help for the Blinds in India ..	1445—1446
3380. खनिकों के लिये पुनर्वास केन्द्र	Rehabilitation Centres for Miners ..	1446
3381. वनस्पति के मूल्य	Prices of Vanaspati ..	1447
3382. उर्वरक बाजार में विरोधाभासी स्थिति	Paradoxical Situation in Fertilizer Market	1447—1448
3383. राज्यों को खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of Foodgrains to States ..	1448
3384. किसानों को उर्वरक की सप्लाई	Supply of Fertilizers to Farmers ..	1448—1449
3385. पश्चिमी बंगाल को खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of Foodgrains to West Bengal ..	1449—1450
3386. पश्चिम बंगाल में नलकूपों का लगाया जाना	Sinking of Tube-wells in West Bengal ..	1450—1451
3387. पश्चिम बंगाल में सिंचाई के लिये उथले नलकूप लगाया जाना	Sinking of Shallow Tube-wells for Irrigation in West Bengal ..	1451—1453
3388. केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन चरागाहें	Pastures Under Central Government	1453
3389. पश्चिम बंगाल में हड़तालें, तालाबंदी तथा मिलों का बंद होना	Strikes, Lock-outs and Closures in West Bengal	1453
3390. कृषि विकास खण्ड	Agricultural Development Blocks ..	1453—1454
3391. डाक विभाग में सार्टिंग मशीनों का लगाया जाना	Introduction of Sorting Machines in Postal Department ..	1454
3392. ग्रामीण क्षेत्रों के डाकघरों में घाटा	Loss in Post Offices in Rural Areas ..	1454—1455

3393. तीसरी पंचवर्षीय योजना में डाक व तार के व्यय में वृद्धि	Increase in Expenditure on P & T during Third Plan Period ..	1455—1456
3394. डाक टिकट संकलन विज्ञान	Science of Philately	1456
3396. अच्छालदा (इटावा) के निकट अशोकपुरी सहकारी फार्म	Ashokpuri Cooperative Farm Near Achchalda (Etawah) ..	1456—1457
3397. फसल का पुर्वानुमान लगाने के लिये विशेषज्ञों की नियुक्ति	Appointment of Experts for Estimating the Crop Prospects ..	1457
3398. उपग्रह संचार के केन्द्र	Satellite Communication ..	1457—1458
3399. पटसन उद्योग का राष्ट्रीय-करण	Nationalisation of Jute Industry	1458
3400. मद्रास के निकट अलमादी में मुर्री भैंस फार्म	Murrah Buffalo Farm at Alamadi near Madras ..	1458—1459
3401. शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये उड़ीसा में फुलबनी जिले का सर्वेक्षण	Survey of Phulbani District in Orissa for Rehabilitation of Refugees ..	1459
3402. पश्चिमी बंगाल में धान की बहुत अच्छी फसल	Bumper Aman Paddy Crop in West Bengal ..	1459—1460
3403. प्रोटीन वाला खाद्य तैयार करना	Manufacture of Protein Food ..	1460
3404. खांडसारी का उत्पादन	Production of Khandsari ..	1461
3405. राज्यों में अनाज की खरीद के लिये बोनस	Bonus for Food Furchases in States ..	1461
3406. जगदलपुर (मध्य प्रदेश) में आदिम जाति सम्मेलन में विचार-विमर्श	Deliberations of Tribal Conference at Jagdalpur (Madhya Pradesh) ..	1461
3407. मध्य प्रदेश में आदिम जातियों का कल्याण	Welfare of Tribals in Madhya Pradesh ..	1462
3408. चीनी का निर्यात	Export of Sugar ..	1462—1463
3409. स्मृति में डाक टिकट	Commemorative Stamps ..	1463
3410. मूंगफली के तेल का आयात	Import of Groundnut Oil ..	1463—1464

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
3411. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता	House Rent to the Staff of Employees Provident Fund Organisation ..	1464
3412. गन्ने का विकास	Development of Sugarcane ..	1464—1465
3413. यूनाइटेड बिस्कुट कम्पनी के लिये मैदा का कोटा	Quota of Maida for United Biscuit Company ..	1465
3414. पश्चिम बंगाल में मजदूरों को दिया गया बोनस	Bonus Paid to Workers in West Bengal ..	1465—1466
3415. बीड़ी कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Beedi Workers ..	1466—1467
3416. पटसन मिलों में बदली कर्मचारी प्रणाली	Badli Workers System in Jute Mills	1467
3417. सोयाबीन से प्रोटीन उत्पादन के लिये प्लांट	Plant for Production of Protein for Soya-Bean ..	1467—1468
3418. आसनसोल और रानीगंज की कोयला खानों में कर्मचारियों की छंटनी	Workers Retrenched in Asansol and Raniganj Area Collieries ..	1468
3419. बिहार काटन मिल्स द्वारा बोनस का न दिया जाना	Non-Payment of Bonus by Bihar Cotton Mills Ltd. ..	1468—1469
3420. कारखानों के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान	Payment of Bonus to Employees of Factories ..	1469—1470
3421. पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों में कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Workers in Jute Mills in West Bengal ..	1470—1471
3422. भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी	Minimum Wage for Landless Agricultural Workers ..	1471
3423. केरल को चावल की सप्लाई	Rice Supply to Kerala ..	1471—1472
3424. मैसर्स सिंग्स, दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल	Strike by the Workers of Messrs Sings, Delhi ..	1472—1473
3425. सहवास न करने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार	Right to Seek Divorce on the Ground of Non-Cohabitation ..	1473—1474
3426. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र	Training Centres to Coach Scheduled Castes and Scheduled Tribes ..	1474

3427.	अनुसूचित जातियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के बारे में यार्डी समिति की सिफारिशें	Yardi Committee's Recommendations on Education and Training of Scheduled Castes ..	1474
3428.	अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में ज्ञापन	Memorandum Concerning Scheduled Tribes ..	1474—1475
3429.	दिल्ली की कालोनियों में वैश्यालय	Brothels in Delhi Colonies	1475
3430.	नाइट्रोजन $P^2 O^5$ का उत्पादन	Production of Nitrogen P2 O5 ..	1475—1476
3431.	बाढ़ में इमारती लकड़ी और अन्य माल का बह कर पाकिस्तान चले जाना	Washing Away of Timber and Other Goods to Pakistan in Floods ..	1476
3432.	अन्डमान द्वीप समूह के आदिम जातीय लोग	Tribal People of Andaman Islands ..	1476—1477
3433.	राजस्थान में लघु सिंचाई परियोजना	Minor Irrigation Projects in Rajasthan ..	1477—1478
3434.	राजस्थान में जिला सवाई माधोपुर में लघु सिंचाई परियोजनाएं	Minor Irrigation Projects in Sawai Madhopur, Rajasthan ..	1478
3435.	राजस्थान में नलकूप लगाना	Sinking of Tubewells in Rajasthan ..	1479
3436.	सहायक सेटेलमेंट अफसरों का तबादला	Transfer of Assistant Settlement Officers..	1479
3437.	मैसर्स चटर्जी एण्ड पोल्क सिविल इंजीनियरिंग कंसलटैन्ट्स, कलकत्ता द्वारा कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Employees by M/s. Chatterji Polk Civil Engineering Consultants, Calcutta ..	1479—1480
3438.	रासायनिक उर्वरकों के वितरण की दरें	Rates for the Distribution of Chemical Fertilizers ..	1480
3439.	कीनिया और अन्य देशों से विस्थापित भारतीयों को काश्मीर में बसाना	Settlement of Repatriates from Kenya and Other Countries in Kashmir ..	1480—1481
3440.	दंडकारण्य परियोजना	Dandakaranya Project ..	1481

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
3441. रूस सरकार द्वारा ट्रैक्टरों की सप्लाई से इन्कार	Refusal of USSR Government to Supply Tractors ..	1481
3442. राष्ट्रीय ट्रंक डायलिंग व्यवस्था	National Trunk Dialling Link ..	1481—1482
3443. बेरोजगार व्यक्तियों का एक पुंज बनाने का प्रस्ताव	Proposal to Create a Pool of Unemployed Persons ..	1483—1484
3445. गूलरभोज गोसदन, नैनीताल	Gularbhoj Gosadan, Naini Tal ..	1484
3446. कालकाजी कालोनी, दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकानों का निर्माण	Construction of Houses for Displaced Persons in Kalkaji Colony, Delhi ..	1484—1485
3447. दिल्ली में शरणार्थियों के लिये आबंटित प्लाटों के भूमि का किराया	Ground Rent on Plots Allotted to Refugees in Delhi ..	1485
3448. दिल्ली की कालकाजी कालोनी में पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों को आवंटित की गई भूमि की कीमत	Price of Land Allotted to East Pak. Refugees in Kalkaji Colony, Delhi ..	1486
3449. कुमायूं क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) के भूमिहीन लोगों के लिये योजना	Scheme for Landless People in Kumaon Regions (U. P.) ..	1486—1487
3450. कुमायूं क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) में भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि का पंजीयन और आबंटन	Registration and allotment of Land to Landless People in Kumaon Region (U. P.) ..	1487
3451. चीनी की कीमत	Sugar Price ..	1487—1489
3452. टायर कारखानों में हड़ताल	Strike in Tyre Factories	1489
3453. वनस्पतियों का हाइड्रोफोनिक तरीके से उगाना	Growing of Vegetables through Hydrophonic Methods ..	1489—1490
3454. मनीपुर में धान की वसूली	Procurement of Paddy in Manipur ..	1490
3455. मध्य प्रदेश में मत्स्य का विकास	Fisheries Development Scheme in Madhya Pradesh ..	1490—1491
3456. मध्य प्रदेश में छोटी सिंचाई योजनाएं	Minor Irrigation Schemes for Madhya Pradesh ..	1491—1492
3457. मध्य प्रदेश में 1967 के आम चुनावों पर व्यय की गई राशि	Amount spent on 1967 General Elections in Madhya Pradesh ..	1492

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

3458.	टेलीफोन कनेक्शनों के लिये प्रतीक्षा सूची में आवेदन देने वाले	Applicants on Waiting List for Telephone Connections ..	1492
3459.	संचार विभाग में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in the Department of Communications ..	1493
3460.	विधि मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in the Ministry of Law ..	1493—1495
3461.	संसद्-कार्य विभाग में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in the Department of Parliamentary Affairs ..	1495
3462.	मंत्रालय के काम में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi Work in the Ministry ..	1495—1496
3463.	मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in the Ministry ..	1496—1497
3464.	गन्ने का मूल्य	Sugarcane Prices ..	1497
3465.	श्रम प्रशासन के बारे में केन्द्रीय कार्यकारी दल	Central Working Group on Labour Administration ..	1497—1498
3466.	नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिये बांड	Bonds for New Telephone Connections ..	1498
3467.	ट्रैक्टरों तथा विद्युत चालित हलों का आयात	Import of Tractors and Power Tillers ..	1498—1499
3468.	चौथी योजना के चीनी के उत्पादन का लक्ष्य	Target of Sugar Production for the Fourth Plan ..	1499
3469.	विदेशी तेल समवायों के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Workers of Foreign Oil Cos. ..	1499—1500
3470.	ट्रैक्टरों की चोर-बाजारी	Black-marketing of Tractors ..	1500—1501
3471.	कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural Universities ..	1501—1502
3472.	चावल का आयात	Import of Rice	1503
3474.	राजस्थान में भुखमरी के कारण बच्चों की मृत्यु	Death of children due to starvation in Rajasthan ..	1503
3475.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये डाक जीवन बीमा	Postal Life Insurance for Public Sector Undertakings Employees ..	1504

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/ Pages
3476. खाद्य विभाग में फालतू कर्मचारी	Surplus Staff in Food Department ..	1504
3477. आन्ध्र प्रदेश में नलकूप लगाना	Sinking of Tube-wells in Andhra Pradesh..	1505
3478. महाराष्ट्र में कृषि विश्वविद्यालय	Farming Universities in Maharashtra ..	1505—1506
3479. दिल्ली में दूध का मूल्य	Price of Milk in Delhi	1506
3480. ग्वालियर के लिये डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की योजना	Subscriber Trunk Dialling Scheme for Gwalior ..	1506—1507
3481. एर्णाकुलम में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज	Automatic Telephone Exchange at Ernaculam ..	1507
3482. एर्णाकुलम, त्रिचूर तथा कोट्टयम में कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Staff Quarters at Ernakulam, Trichur and Kottayam ..	1507
3483. पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को भूमि का आबंटन	Allotment of Land to Refugees From West Pakistan ..	1508
3484. पंजाब में हरिजनों को भूमि का आबंटन	Allotment of Land to Harijans in Punjab ..	1508
3485. कीटनाशी औषधियों सम्बन्धी विशेष समिति की सिफारिशें	Special Committee's Recommendations on Pesticide Combinations ..	1509
3487. अखिल भारतीय मिट्टी तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन	All India Soil and Land Use Survey Organisation ..	1509—1510
3488. सुन्दरवन क्षेत्र का विकास	Development of Sundarban Area ..	1510
3489. गायों की नस्ल सुधारने की योजना	Scheme to Improve the Bread of Cows ..	1510
3490. 1967 में पकड़ी गई मछली	Fish Hauled in 1967 ..	1511
3491. कृषि-वित्त सम्बन्धी गोष्ठी की सिफारिशें	Recommendations of Seminar on Agricultural Finance ..	1511—1512
3492. तराई एकीकृत कृषि विकास परियोजना	Terai Integrated Agricultural Development Project ..	1512—1513

विषय	Subject	पृष्ठ/Page
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
उत्तर प्रदेश में स्कूलों के अध्यापकों की मांगों से उत्पन्न स्थिति	Situation arising out of demands of School Teachers in U. P.	.. 1513—1517
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	.. 1517—1520
सदस्य द्वारा वक्तव्य और उस पर मंत्री का उत्तर	Statement by Member and Minister's Reply Thereto	.. 1520—1521
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	.. 1520—1521
श्री ब० सू० मूर्ति	Shri B. S. Murthy	.. 1521
अत्यावश्यक सेवायें बनाये रखने का विधेयक	Essential Services Maintenance Bill	.. 1522—1537
पुरः स्थापित करने का प्रस्ताव	Motion to Introduce	.. 1522
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	.. 1522
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	.. 1522
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	.. 1522—1524
श्री वी० कृष्णामूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi	.. 1524—1525
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	.. 1526—1527
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	.. 1528
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goyal	.. 1528—1529
श्री विक्रम चन्द महाज़न	Shri Vikram Chand Mahajan	.. 1529
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	.. 1530
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	.. 1531
श्री स० कुण्डू	Shri S. Kundu	.. 1531—1532
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	.. 1532—1533
श्री जार्ज फरनेन्डीज	Shri George Fernandes	.. 1533
श्री एस० एम० जोशी	Shri S. M. Joshi	.. 1534
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	.. 1534—1536
अत्यावश्यक सेवायें बनाये रखने का अध्यादेश, 1968 के बारे में विवरण	Statement re. Essential Services Maintenance Ordinance, 1968	.. 1537

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	..	1537
बीमा संशोधन विधेयक	Insurance (Amendment) Bill	..	1537
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as reported by Joint Committee	..	1537
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedbrata Barua	..	1538
चीनी सम्बन्धी नीति पर चर्चा	Discussion re. Sugar Policy	..	1538—1549
श्री काशी नाथ पाण्डेय	Shri K. N. Pandey	..	1538—1541
श्री रंगा	Shri Ranga	..	1541—1543
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu	..	1543—1544
श्री वी० कृष्णमूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi	..	1544—1545
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	..	1545
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	..	1545—1546
श्री शिवाजीराव शं० देशमुख	Shri Shivaji Rao S. Deshmukh	..	1546—1548
श्री एम० नारायण रेड्डी	Shri M. N. Reddy	..	1548—1549
श्री द्वा० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	..	1549
कार्यमंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—		
छबीसवां प्रतिवेदन	Twenty-sixth Report	..	1546

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 5 दिसम्बर, 1968/14 अग्रहायण, 1890 (शक)
Thursday, December 5, 1968/Agrahayana 14, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

जम्मू-कश्मीर में फाइल की गई निर्वाचन अर्जियां

*541. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 के साधारण निर्वाचनों के पश्चात् जम्मू-कश्मीर में विजयी उम्मीदवारों के विरुद्ध फाइल की गई निर्वाचन अर्जियों की कुल संख्या क्या है;

(ख) इन निर्वाचन अर्जियों का परिणाम क्या हुआ;

(ग) क्या नेशनल कान्फ्रेंस ने कश्मीर में तुरन्त स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस मांग के प्रति सरकार का क्या रुख है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) 1967 में हुये जम्मू-कश्मीर विधान सभा के निर्वाचनों के बारे में 57 निर्वाचन अर्जियां फाइल की गयी थीं।

(ख) उनमें से 38 निपटाई जा चुकी हैं, जिनमें से :—

(1) 8 मंजूर कर दी गयी हैं,

(2) 29 खारिज कर दी गयी हैं; और

(3) 1 वापिस ले ली गयी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri George Fernandes : The election in Jammu and Kashmir has been a mockery. Out of 75 seats elections were not held on 22 seats since nomination papers of the candidates belonging to opposition parties were rejected. It has also been alleged that a number of candidates were kidnapped, Returning Officers remained absent, Affidavits were removed from the files and nomination papers were rejected. Nine leading citizens of Delhi including Shri Frank Moraes of "Indian Express" and Sarvashri Mulgaohar, Balraj Puri and S. L. Popli of "Hindustan Times", issued a statement in which it was stated :

"Rejection of 118 nomination papers in 39 of 75 constituencies of the Kashmir Assembly, including 22 unopposed returns, raises grave doubts about the fairness of the elections in Kashmir."

They further said that a high-powered authority should probe into this and—

"Till the results of the probe we urge postponement of the elections in Kashmir."

I would like to know from the Hon. Minister whether he had ordered any enquiry in this matter. What were the findings of the enquiry conducted by the Chief Election Commissioner ?

विधि तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : यदि कोई नाम निर्देशन पत्र अस्वीकार किया जाता है तो विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया यह है कि चुनाव याचिका दायर कराई जाय । 57 चुनाव याचिकाओं में से 47 में नाम निर्देशन पत्र अनुचित रूप से अस्वीकार करने अथवा स्वीकार करने का आरोप लगाया गया है । 12 याचिकाएं अभी विधाराधीन हैं । शेष 35 में से उच्च न्यायालय ने 8 याचिकाएं मन्जूर कर ली हैं, 26 अस्वीकार कर दी गई हैं और 1 याचिका वापिस ले ली गई थी । मैं यह कहना चाहता हूं कि 47 निर्वाचन याचिकाओं में अनुचित तरीके से नामनिर्देशन पत्र रद्द करने का आरोप उच्च न्यायालय के निर्णय में ठीक नहीं माना गया है ।

Shri George Fernandes : My question has not been replied. I had asked about the report of Shri Sundram.

श्री गोविन्द मेनन : श्री सुन्दरम का निष्कर्ष यह है कि चुनाव ठीक तरीके से हुये हैं ।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : क्या आप संतुष्ट हैं ?

श्री गोविन्द मेनन : उच्चतम न्यायालय का कहना है कि नामनिर्देशन की तिथि से कोई भी कार्यवाही चुनाव का भाग होगी और संविधान कहता है कि किसी चुनाव पर चुनौती केवल चुनाव याचिका द्वारा की जा सकती है । सरकार द्वारा कोई भी जांच गलत होगी ।

Shri George Fernandes : Shri Sundram enquired into this question and submitted a report, which was published in the 'Hindustan Times' dated 2-2-1967. I would like to quote a portion of the report :

"I have not found it possible to make anything more than a cursory glance of the records and hearing the complaints made in person by the party representatives. I am, however, satisfied that, by and large, the orders passed by the Returning Officers are justified from the records."

My question is about what Shri Sundram has said :

"I am only, by and large, satisfied; I have had only a cursory glance at the records and the meeting with various party representatives."

I hope the Minister will accept my suggestion of immediate dissolution of Jammu and Kashmir Assembly, the impartial enquiry into the happenings in the State and re-election in the State ?

श्री गोविन्द मेनन : जब तक चुनाव याचिकाएं न निपटाई जाएं, इस मामले में जांच कराना संविधान की भावना के विरुद्ध होगा ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय किये जा चुके आठ मामलों के अतिरिक्त क्या कोई ऐसी याचिकाएं भी हैं जिनमें चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले अधिकारियों पर दुर्भावना का भी आरोप लगाया गया है और यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या प्रशासनिक कार्यवाही की गई है ?

श्री गोविन्द मेनन: 2 मामलों में उच्च न्यायालय ने निर्वाचन अधिकारी तथा उप निर्वाचन अधिकारी के विरुद्ध मुकदमें चलाने का आदेश दिया था । दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 476 के अन्तर्गत यदि किसी मुकदमें में उच्च न्यायालय को किन्हीं अपराधों का पता लगता है तो मुकदमा चलाया जा सकता है । 2 मामलों में आयोग ने उच्च न्यायालय की उपपत्तियों के आधार पर निर्वाचन अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। अन्य 3 मामलों में अधिकारियों के विरुद्ध कोई बात नहीं कही गई है ।

श्री प० गोपालन: जम्मू तथा काश्मीर में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव की मांग की जा रही है । वहां मूल लोकतन्त्रात्मक अधिकार ही नहीं हैं । दीवारों पर इश्तिहार लगाने पर सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है । क्या सरकार जम्मू तथा काश्मीर में लोगों के लोकतन्त्रात्मक अधिकारों के दबाने की जांच करने के लिये एक संसदीय समिति नियुक्त करेगी ।

श्री गोविन्द मेनन : मैं यह नहीं मानता कि जम्मू तथा काश्मीर में मूल लोकतन्त्रात्मक अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं । जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उन्हें चुनाव में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है और वे चुनाव के बारे में इश्तिहार आदि नहीं लगा सकते हैं । सरकारी कर्मचारी आचरण संहिता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत यह अपराध है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Ever since the elections began in the State of Jammu and Kashmir, complaints of improprieties in elections have been reported. Those improprieties were there in Sheikh Abdullah's regime and they still continue. However, after the extension of jurisdiction of India's Election Commission to the State of Jammu and Kashmir, these things should be explained to the satisfaction of everyone since the honour of Election Commission is at stake. I would like to know whether the Hon. Minister is aware of the fact that in a recent by-election 31 ballot boxes were kept but at the time of counting 38 boxes were found. Whether

it is a fact that the election petitions are not being decided since the number of judges is less and they are not in a position to dispose of the election petitions. Will the Minister advise the State Government to increase the number of judges in order to decide the petitions expeditiously ?

श्री गोविन्द मेनन : चुनाव के मामले में न्याय करने के लिये यह नियम जम्मू तथा कश्मीर में भी लागू किया गया है कि चुनाव याचिकाओं का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाये ।

माननीय सदस्य ने जिस घटना का उल्लेख किया है उसके सम्बन्ध में उन्होंने स्वयं कहा है कि इस मामले में चुनाव याचिका दायर है । यदि सरकार इन मामलों में हस्तक्षेप करने लगे, तो अधिक कठिनाइयां तथा अनियमितताएं होंगी ।

अध्यक्ष महोदय : चुनाव याचिकाओं का शीघ्र निर्णय करने के लिये उच्च न्यायालय के अधिक न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रश्न का आपने उत्तर नहीं दिया है ।

श्री गोविन्द मेनन : मैं गृह-कार्य मंत्रालय को इस सम्बन्ध में बता दूंगा ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I had asked that the number of ballot boxes at the time of counting were 38 when actually they were 31.

श्री गोविन्द मेनन : इस मामले में चुनाव याचिका विचाराधीन है ।

Mahapatra Commission

*544. **Shri Bibhuti Misra** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Bihar had appointed Mahapatra Commission ;

(b) if so, whether the report of the said Commission has been submitted to the Adviser to Bihar Government ; and

(c) if so, the main features thereof ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) सम्बन्धित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Shri Bibhuti Mishra : I would like to know the information which has been received and which is yet to be collected, the reasons for delay and the time by which the information will be collected.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हमने विहार सरकार से सूचना मांगी थी । उन्होंने पूरी सूचना नहीं दी । मैं सभा को गलत या अधूरी सूचना नहीं देना चाहता ।

अध्यक्ष महोदय : महापात्र आयोग क्या है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : उसका इस मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस बारे में हमारे मंत्रालय को कोई सूचना नहीं है । इसका सम्बन्ध निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्रालय से है ।

Shri Bibhuti Mishra : The Minister personally knows about this Commission. I would like him to give the information in this connection.

The Minister of Food and Agriculture (Shri Jagjiwan Ram) : The land under dispute was given for housing purposes. It relates to the Housing Ministry. We had asked for information from Bihar Government. The matter was also raised in Bihar Assembly. That is why S. V. D. Government of Bihar had appointed this Commission. Further information may be asked for from Ministry of Works, Housing and Supply.

Expenditure on Tubewells in Rajasthan

+

*547. **Shri Himatsingka :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri S. K. Tapuriah :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased so state :

(a) whether it is a fact that crores of rupees have been spent on tubewells and other works by Government in Rajasthan to make the desert lands productive after the formation of that State ;

(b) if so, the amount spent so far, the number of tube-wells sunk, number of those functioning and the number of wells for which electricity was made available ;

(c) the details of works on which this amount was spent ; and

(d) the extent of progress made in making the areas of Rajasthan productive ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (d). A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) The information regarding the expenditure incurred by the State Government on tubewells and other Minor Irrigation works since the formation of the State is not available. However, a total expenditure of Rs. 2,413 lakhs is reported to have been incurred in the Plan sector on Minor Irrigation Schemes since the beginning of the First Five Year Plan upto 1967-68. The State Government has budgeted an amount of Rs. 199 lakhs in the Plan Sector during 1968-69 and the expenditure is expected to be of the same order.

(b) and (c). The progress achieved in respect of main Minor Irrigation Schemes at the end of Third Plan since the formation of the State and that anticipated by the end of 1968-69 is indicated below :

Progress of Minor Irrigation Works in Rajasthan

Schemes	At the end of Third Plan	At the end of 1968-69 (anticipated)
1. Dugwells	5,90,732	6,31,021
2. Boring in wells	199	527
3. Deepening of wells	54,763	90,918
4. Private tubewells	141	447
5. State tubewells	12	52
6. Diesel pumpsets	7,252	15,974
7. Electrical pumpsets	6,962*	16,465

*Actually energised.

(d) An area of about 33·94 lakh acres (gross) was benefited by the Minor Irrigation Schemes upto the end of the Third Plan. It is estimated that an additional area of about 2.50 lakhs acres (gross) would be benefited during 1966-69 by the Minor Irrigation Schemes.

श्री हिम्मतसिंहका : यद्यपि मैं वक्तव्य को पढ़ नहीं पाया फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राजस्थान में अधिक नलकूप लगाने के प्रश्न पर ध्यान देगी, और यह भी प्रयास करेगी कि जो नलकूप लगाये जायें, उनकी देखभाल भी ठीक प्रकार से होती रहे ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, उसके द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता राजस्थान में नलकूप लगाने के मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं कर रही है। हमने उसे 65 लाख रुपये की राशि दे दी है और राजस्थान सरकार से यह भी कहा है कि यदि वे जून तक 40 अधिक नलकूप लगायेगी तो उसे अधिक सहायता दी जायेगी। स्वयं राजस्थान सरकार 500 नलकूप लगाने की योजना तैयार कर रही है। जब वह योजना केन्द्रीय सरकार के पास पहुंचेगी तो उस पर हम यथोचित ध्यान देंगे। जहां तक नलकूप लगाने का सम्बन्ध है, यह विषय राज्य सरकार का है।

श्री हिम्मतसिंहका : कृषि विकास तथा खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की महत्ता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ऐसे राज्यों को सिंचाई के साधनों या नलकूप लगाने के लिए अधिक सहायता देगी ?

श्री रंगा : आप अपनी राजस्थान सरकार को इसके लिये उत्साहित कीजिये।

श्री सु० कु० तापड़िया : मंत्री महोदय ने बताया है कि केन्द्रीय सरकार की सहायता नलकूप लगाने में बाधक नहीं है। राजस्थान सरकार, इतने अधिक मंत्रियों के होते हुए भी नलकूप आदि लगाने का लक्ष्य पूरा नहीं कर सकी है। सीमावर्ती सड़क संगठन के कोष का भी वह ठीक प्रकार से उपयोग नहीं कर पायी थी। इन बातों पर ध्यान देते हुए और राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जलोर आदि अन्य स्थानों पर सूखे की स्थिति को न भुलाते हुए क्या केन्द्रीय सरकार राजस्थान में नलकूप लगाने का काम अपने हाथ में लेगी ? क्या सरकार इस उद्देश्य के लिये कोई संगठन स्थापित करेगी जो यह देखे कि केन्द्रीय सहायता का सदुपयोग किया जाये और लक्ष्य को पूरा किया जाये।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : माननीय सदस्य को यह नहीं मानना चाहिये कि राजस्थान सरकार सुविधा देने के लिये इच्छुक नहीं है।

श्री सु० कु० तापड़िया : किसी कार्य के बारे में चिन्ता करना और उस काम को समाप्त करना दो अलग-अलग बातें हैं।

श्री जगजीवन राम : कार्य करने की योग्यता का अनुमान भी योग्य लोगों द्वारा ही लगाया जा सकता है।

श्री सु० कु० तापड़िया : उसका अनुमान तो कार्य के परिणाम द्वारा लगाया जा सकता है ।

श्री जगजीवन राम : मैं यह कहना चाहता था कि राजस्थान में रेतीली भूमि है ।

श्री रंगा : इसीलिये तो वे 400 नलकूपों की मांग कर रहे हैं ।

श्री जगजीवन राम : वे 400 नलकूप चाहते हैं, यह ठीक है । इसके लिये न केवल धन की बल्कि तकनीकी विशेषज्ञों की भी आवश्यकता है । चूंकि इस समय तकनीकी कर्मचारियों का अभाव है । इसलिये इस समस्या का समाधान शीघ्रता से न राज्य सरकार कर सकती है और न केन्द्रीय सरकार ही ।

श्री सु० कु० तापड़िया : अनेक इंजीनियर बेरोजगार घूम रहे हैं ।

श्री जगजीवन राम : रेतीली भूमि में नलकूपों के लिये छिद्रण कार्य करना भी कठिन होता है । इसलिये वहां पर छिद्रण कार्य पर अधिक समय लगता है । वहां पर कई प्रकार की और जटिलताएं भी सामने आती हैं । कई क्षेत्रों में नलकूप लगाये गये हैं परन्तु उन्हें विशेष प्रकार के पम्पों की आवश्यकता है । जैसलमेर में बिजली भी उपलब्ध नहीं है । उस क्षेत्र में बिजली को ले जाना भी आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं है । अतः वहां पर उन्हें डीजल पम्पों द्वारा चलाया जाता है ।

श्री रंगा : राजस्थान सरकार की ओर से यह क्षमा क्यों मांगी जा रही है ?

श्री जगजीवन राम : यह क्षमा मांगने का प्रश्न नहीं है । मैं स्थिति का यथावत् उल्लेख कर रहा हूं । जब मैंने उस क्षेत्र का दौरा किया था तो वहां पर कुछ नलकूप.... **(अन्तर्बाधाएं)**

श्री रंगा : मंत्री महोदय एक लम्बा गीत गाते चले जा रहे हैं, जिसे हम सुनना नहीं चाहते ।

श्री जगजीवन राम : इस प्रकार बीच-बीच में अपनी-अपनी तुरही बजाने से ही क्या लाभ है ? यदि माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वे खड़े होकर अपना प्रश्न पूछें । इस प्रकार से टोकाटाकी क्यों की जा रही है ?

श्री रंगा : हम इस प्रकार के स्पष्टीकरण सुनना नहीं चाहते । ये तकनीकी किस्म के हैं और उनके अधिकारीगण द्वारा बताये जा रहे हैं ।

श्री जगजीवन राम : राजस्थान सरकार पर इस प्रकार का आक्षेप करने से पूर्व वहां के सारे पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

Shri Bhola Nath Master : The services of Central Government's Underground Water Board were transferred to Rajasthan Government for carrying work in Rajasthan area. But the Board has not got the boring rigs and other equipments required for the purpose. If Central Government do not release the foreign exchange for purchasing the required equipments the objective of the Rajasthan Government or the Central Government will not be fulfilled. I suggest that a separate organization carrying the work of test-boring should be employed in Rajasthan to see that the difficulties being faced there, are removed.

Shri Jagjivan Ram : I may tell from the information of the Hon. Member that there is no lack of boring rigs in Rajasthan. The Hon. Member should take trouble to go there and see whether all the Tubewells so far sunk are being utilized.

श्री नन्दकुमार सोमानी : जब भी राज्य सरकारों पर इस प्रकार की कोई दैवी विपत्ति आती है जैसी कि बिहार राज्य में आयी और अब राजस्थान पर आ रही है, तब सम्पूर्ण मशीनरी वहां जोर शोर से काम करने लगती है । अब चौथी पंचवर्षीय योजना को तैयार करते समय क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं हो जाता है कि राजस्थान में नलकूपों के लगाने के सम्बन्ध में जोरदार कार्यक्रम तैयार किये जायें जिससे राजस्थान को भविष्य में ऐसी विपत्ति का सामना न करना पड़े ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस सम्बन्ध में मैं पहले की स्थिति स्पष्ट कर चुका हूं ।

श्री अमृत नाहाटा : वर्षों के बाद राजस्थान सरकार को यह समझ आई है कि पश्चिमी राजस्थान में नलकूप लगाये जायें । अब वह उस क्षेत्र में 500 नलकूप लगाना चाहती है । क्या केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार को इस कार्य के लिये शत-प्रतिशत सहायता देगी ताकि राज्य सरकार पम्प आदि के निर्माताओं को क्रयादेश दे सके, और वे नियत समय में उन्हें बना सकें ।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : राज्य सरकार से सम्बन्धित योजना के प्राप्त होने पर ही इन सब बातों पर विचार किया जा सकता है । जहां तक सूखे से राहत देने और नलकूप लगाने का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को उदार सहायता दे रही है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : राजस्थान में पड़े सूखे की पृष्ठभूमि में मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों में राजस्थान सरकार ने कुल कितने नलकूप लगाये हैं और उनमें से कितने नलकूपों को बिजली के कनेक्शन दिये जा चुके हैं और शेष नलकूपों को कब तक बिजली दी जायेगी ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में वहां 141 नलकूप थे । वर्ष 1968-69 के अन्त तक उनकी संख्या 447 तक पहुंच जायेगी । तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राज्यकीय नलकूपों की संख्या 12 थी और अब उनकी संख्या 52 हो गई है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मैंने तो यह पूछा था कि कुल कितने नलकूप लगाये गये, उनमें से कितनों को बिजली दी गयी और शेष को कब तक बिजली दी जायेगी । इस सम्बन्ध में राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के पास क्या योजना है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वैल्स आर्गेनाइजेशन ने राजस्थान में लगभग 281 नलकूप लगाये हैं जिनमें से 170 सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं तथा उनमें से पेय जल के नलकूपों सहित लगभग 99 नलकूपों को बिजली से चलाया जा रहा है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : शेष के बारे में क्या स्थिति है ? केवल 60 प्रतिशत नलकूपों

को काम में लाया जा रहा है जबकि 40 प्रतिशत बेकार पड़े हुए हैं। उनके बारे में सरकार क्या करने जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम

*548. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय राज्य सरकारों ने पिता की सम्पत्ति में अंश प्राप्त करने से पुत्री को विवर्जित करने के उद्देश्य से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में उपयुक्त संशोधनों के लिये केन्द्र से सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और अधिनियम के संशोधन के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी हां। हरयाणा की राज्य सरकार ने ऐसी प्रस्थापना की है।

(ख) भारत सरकार का इस प्रयोजन के लिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में, कोई संशोधन करने का विचार नहीं है।

Shri Yajna Datt Sharma : Great bitterness has spread in a family which is an important unit of society on account of this Act. This Act is working against consolidation of holdings and has given rise to litigation. The dispute is not about the whole property. In the matter of immovable property daughter should be given share in the property of her father-in-law and not in the property of her father. The State Governments have been asking for such an amendment in the Act since a long time. The Punjab Government had sent a unanimous resolution to this effect. Do Government propose to examine it ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : बहुत-सी राज्य सरकारों ने यह मांग नहीं की है। पंजाब विधान सभा में इस बारे में एक प्रस्ताव पास किया गया था परन्तु एक सप्ताह बाद तत्कालीन मुख्य मंत्री ने उस प्रस्ताव को समाप्त करने वाला प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। हरयाणा सरकार ने प्रस्ताव भेजा है। अन्य किसी राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में एक उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत अचल सम्पत्ति को अन्य साझेदारों को मुआवजा देकर विभाजन से बचाया जा सकता है। यदि चार-पांच पुत्र हों तो भी जोत के टुकड़े तो होंगे ही।

Shri Yajna Datt Sharma : Do Government propose to set up a committee to find out the rise in litigation and bitterness in family as a result of this measure ?

श्री गोविन्द मेनन : जैसा कि माननीय सदस्यों को पता ही है हिन्दू संहिता अधिनियम

वर्षों के विचार-विमर्श के बाद 1955 में पास हुआ था। क्योंकि इसमें पहली बार पुत्री को पुत्र के बराबर अधिकार दिये गये हैं. इसलिये देश के कुछ भागों में मुकदमेबाजी तथा कटुता फैल सकती है। इस विधेयक को पास हुए 10-12 वर्ष हो गये हैं इसलिये मैं इस मामले की जांच के लिये कोई समिति नियुक्त करने के लिए तैयार नहीं हूं।

Shri Randhir Singh: Some time back you, Sir, were kind enough to allow one hour discussion. The Hon. Minister had himself admitted that if a State Government sent some proposal, they would accept that. The farmers of Haryana and Punjab, may, of the whole country have been demanding that the Government should not interfere in their personal affairs. When some suggestion in this connection is received from any State Government, they should not have any objection in accepting that. There should be no objection to forming a parliamentary committee for evolving a uniform code for the whole country.

श्री गोविन्द मेनन : केवल हरयाणा में ही किसान नहीं हैं। वे तो सारे देश में हैं। पहली मर्तबा मैंने कहा था कि हिन्दू विवाह अधिनियम ऐसे विषय से सम्बन्ध रखता है जो समवर्ती सूची में है। यदि किसी राज्य का विधान मण्डल यह महसूस करता है कि किसी विषय सम्बन्धी केन्द्रीय विधान में किसी संशोधन की आवश्यकता है तो अवश्य ही भारत सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मैंने उस बार यही कहा था। एक ओर तो सभा यह मांग करती है कि विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार आदि के बारे में एक मिली-जुली संहिता होनी चाहिये। दूसरी ओर जबकि एक मिली-जुली संहिता बना दी गई है तो उसमें परिवर्तन करने की मांग की जाती है। यह स्थिति है। यदि कृषि भूमि को टुकड़ों में बंटने से बचाना है तो उसके लिए हिन्दू विवाह कानून में उपबन्ध है।

श्री तेन्नटि विश्वनाथम : इस बात को देखते हुए कि प्रत्येक लड़की का पिता तो होना जरूरी है परन्तु श्वसुर होना जरूरी नहीं है, क्या मंत्री महोदय वर्तमान कानून में परिवर्तन करने से बाज आएंगे ?

श्री गोविन्द मेनन : माननीय सदस्य के समर्थन के लिये मैं उनका आभारी हूं।

Shrimati Lakshmikanthamma: Under the Hindu Succession Act daughter has not been given full rights. For bringing daughter and son on equal footing do Government propose to bring forward a comprehensive Bill ?

श्री गोविन्द मेनन : मनु भारत का एक महान कानून दाता था परन्तु महिलाओं के बारे में उनके बहुत से कथन आधुनिक युग में सुसंगत नहीं समझे जा सकते।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : 1955 में हिन्दू उत्तराधिकार कानून के पास हो जाने के बाद भी लड़कियों को उतना हिस्सा नहीं मिल रहा है जिससे कि उनकी अच्छी जगह शादी हो सके। यही कारण है कि 30, 35 वर्ष की आयु की बहुत सी लड़कियां अविवाहित देखी जा सकती हैं। क्या माननीय मंत्री हिन्दू उत्तराधिकार कानून में संशोधन का प्रस्ताव लाएंगे ताकि पुत्री और पुत्रों को बराबर हिस्सा मिल सके।

श्री गोविन्द मेनन : वर्तमान कानून इसीलिये तो बना है ।

श्री वी० कृष्णमूर्ति : वर्तमान कानून के अन्तर्गत पुत्र अपने पिता के साथ सम्पत्ति बांट लेता है और जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो पिता की सम्पत्ति पुत्र और पुत्रियों में बंट जाती है । इसलिये परिवार की सांझी सम्पत्ति में लड़की को बहुत-ही थोड़ा हिस्सा मिलता है ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो कानूनी नुक्ता है । इस पर बाद में बहस की जा सकती है ।

श्री कार्तिक उरांव : यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए हमारे देश में कहीं तो हिन्दू उत्तराधिकार कानून है और कहीं मुस्लिम उत्तराधिकार कानून आदि हैं । देश के कुछ भागों में मातृ प्रधान पद्धति है और कुछ अन्य भागों में पितृ प्रधान पद्धति है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह समझती है कि अब समय आ गया है जबकि भारतीय उत्तराधिकार कानून जैसा कोई विधान लाया जाये ?

श्री गोविन्द मेनन : इस समय तो मुझसे हिन्दू उत्तराधिकार कानून में संशोधन करने के लिये कहा जा रहा है । उनका प्रश्न है कि भारत में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों के लिये एक उत्तराधिकार कानून बनाया जाना चाहिये । संविधान में इसकी व्यवस्था है ।

श्री हेम बरुआ : मनु मानव-निर्मित समाज के कानूनदाता थे । उनके कुछ विचार आज के समाज के संदर्भ में बेहूदा हैं । पुत्र तथा पुत्री एक ही पिता की संतान होते हुए पुत्रियों के साथ केवल इसीलिये भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि राज्य सरकारें पुत्री के साथ भेदभाव करना चाहती हैं । क्या सरकार पुत्री के साथ भेदभाव न करने की अपनी नीति पर दृढ़ रहेगी ?

श्री गोविन्द मेनन : मेरी राय में मैं काफी दृढ़ हूं ।

Washing Away of Timber Wood to Pakistan

+

*549. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the annual value in crores of rupees of the timber and other useful wood washed away by the Indian rivers to Pakistan during the last five years ; and

(b) the steps so far taken to check their flowing to Pakistan ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख) : जानकारी सम्बन्धित सूत्रों से इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Whether any discussion on this matter has taken place with Pakistan that the woods, which washed away to that direction, may be returned or the fact is that the woods, which washed away, have not been returned nor its cost has been paid.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इस मामले को उठाने का प्रश्न सूचनाएं एकत्रित करने के बाद ही हो सकता है। ऐसी खबरें कई बार आई हैं कि पहले भी इस प्रकार के मामले उठाये गए थे। हमने सम्बन्धित राज्य सरकारों जैसे जम्मू तथा काश्मीर, आसाम, पश्चिमी बंगाल और हिमाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा के संघीय राज्य क्षेत्र की सरकारों को कहा है। जहां तक पंजाब और त्रिपुरा का सम्बन्ध है, उन्होंने यह पहले ही सूचित किया है कि ऐसी कोई लकड़ी भारतीय सीमा से बहकर पाकिस्तान नहीं गई है, परन्तु अन्य राज्य सरकारों ने कहा है कि सूचना एकत्रित करने के लिए उन्हें कुछ समय चाहिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee: Whether the Hon. Minister can state the value of wood washed away from here on the basis of information which have been collected.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जब तक हमें सूचना प्राप्त नहीं हो जाती तब तक हम मूल्य का ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगा सकते।

श्री वि० ना० शास्त्री : भारत से पाकिस्तान को नदियों द्वारा प्रतिवर्ष इमारती लकड़ी के बहने के अलावा आसाम में 1950 के पिछले भूकम्प में करोड़ों रुपयों की इमारती लकड़ी बहकर चली गयी और यही बातें तीस्ता नदी में हुए हाल के बाढ़ में हुई। मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या सरकार धन की इस राष्ट्रीय हानि को रोकने के लिये कदम उठायेगी अथवा उठाने का विचार रखती है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक हिमाचल प्रदेश सरकार का सम्बन्ध है, उन्होंने शाहपुर खांडी के निकट रावी नदी पर रोक-बल्ली को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाये हैं। जम्मू और काश्मीर राज्य में इमारती लकड़ी के बह जाने को रोकने के लिए चेनाब नदी पर एक रोक बल्ली का निर्माण हो रहा है।

श्री बलराज मधोक : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि अनुमानित आकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मैं जानता हूं कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य से लगभग प्रत्येक वर्ष पाकिस्तान को काफी मात्रा में इमारती लकड़ी बहकर चली जाती है और राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से पत्र-व्यवहार कर रही है और यह दबाव डाल रही है कि इसको वापिस लेने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि हमारे पास अनुमानित आकड़े नहीं हैं। प्रति वर्ष करोड़ों रुपये की इमारती लकड़ी बहकर चली जाती है। यह सही नहीं है। सरकार के पास राज्य सरकार के आकड़े होने चाहिए—प्रश्न यह है कि इसको कैसे रोका जाये, आप पाकिस्तान से कुछ भी वापिस नहीं ले सकते। यह आपके समझ-बूझ और शक्ति के बाहर की बात है, परन्तु प्रश्न यह है कि क्या आप निरोधक उपाय नहीं उठा सकते। आपने अब कहा है कि कुछ बांध बनाए जा रहे हैं। परन्तु यह बहुत बार कहा गया है। आप अखनूर के समीप चेनाब नदी पर पुल का निर्माण क्यों नहीं करते ताकि यह लकड़ी बहकर पाकिस्तान न चली जाये और बाढ़ के समाप्त होने के बाद इसको वापिस लाया जा सके ? इसके लिए क्या कदम उठाये गए हैं और इन नदियों पर इस प्रकार के बांध बनाने में कितना समय लगेगा।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैंने पहले ही कहा है कि रोक-बल्ली का निर्माण हो रहा है, मैं माननीय सदस्य की परेशानी को समझ सकता हूं कि जब तक सही रोक-बल्ली वहां नहीं होगी तब तक भारत से पाकिस्तान को बहकर जाने वाली इमारती लकड़ी को पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है। इसके लिए सही कदम उठाये जा रहे हैं।

बिहार में पशु पालन कार्यक्रम

*550. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य ने कृषि राजस्व कारपोरेशन तथा वाणिज्यिक बैंकों से 1 जुलाई से 1 अक्तूबर, 1968 तक प्राप्त हुई वित्तीय सहायता का लाभ उठाते हुये पशु पालन का एक समेकित कार्यक्रम आरम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या खगरिया और वसुसरिया सब-डिवीजनों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसके बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं। राज्य सरकार एक योजना तैयार कर रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) सघन पशु विकास खण्ड, बरोनी—बेगूसराय के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाला समस्त बेगूसराय उप-प्रभाग और खगरिया उप-प्रभाग का कुछ भाग इस प्रस्ताव में शामिल होगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता।

Shri Kameshwar Singh : The rural creamery of Public sector situated in Barauni which is in Begusarai sub-division and near to refinery is not functioning on account of shortage of milk. I want to know how much Government have spent on the development of Animal Husbandry in Begusarai and Khagaria Sub-Division where all facilities are available.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : पिछले पांच वर्षों के दौरान सघन पशु विकास खण्ड पर किया गया कुल व्यय करीब 80 लाख रुपये है और यह पांच वर्षों में हुआ है। मुझे अभी राज्य सरकार से यह सूचना एकत्रित करनी है कि उन्होंने अब तक कितना व्यय किया है।

Shri Kameshwar Singh : Whether you are thinking of opening new unit at Khagaria like rural creamery opened at Barauni ? If not, then what are the reasons ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मैंने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है कि पशु विकास खण्ड का अभी विस्तार कहां किया जायेगा, उसके अलावा अभी ऐसी कोई शीघ्र योजना नहीं है ।

Shri Kameshwar Singh: Mr. Speaker, he has not followed my point. My question is whether there is any consideration to open another unit at Khagaria like the rural creamery at Begusarai in Public Sector because that area is very backward and much development can take place by opening such units.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : साधारणतया सघन पशु विकास कार्यक्रम का सम्बन्ध डेरियों और क्रीमटी के विकास से है । यह कार्यरूप देने के लिये अच्छा सुझाव है और हम इसकी जांच करेंगे ।

Shri Yamuna Prasad Mandal : Mr. Speaker, it would have been better if this intensive programme is extended to Koshi area and Ganga-Diaria area. I want to know whether the Koshi area and Ganga-Diaria area are not suitable ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम साधारणतया राज्य सरकारों से सलाह-मशविरा लेते हैं । राज्य सरकारों के मूल्यांकन के आधार पर इन खण्डों पर विकास कार्य किया जाता है ।

श्री फ० गो० सेन : इस तथ्य को देखते हुये, कि काफी संख्या में पशु और लोग बाढ़ से बह जाते हैं जैसा कि उत्तरी बंगाल और बिहार में अभी हाल में हुआ है और काफी मौतें भी हुई हैं, मैं जान सकता हूं कि उत्तरी बंगाल और बिहार से दोगले पशु, गाय और भैंस आदि के लिये कोई मांग आई है और यदि हां, तो किस प्रकार इस मांग को पूरा किया जा रहा है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : इन सब सघन पशु विकास खण्डों में पशुओं की नस्लों के सुधारने की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है ।

उड़ीसा में भूमि संरक्षण के लिए केन्द्रीय सहायता

*551. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के लिए 1966-67 और 1968-69 के दौरान भूमि संरक्षण के लिए कितनी राशि नियत की गई;

(ख) उक्त अवधि में वहां वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई; और

(ग) क्या यह राशि उस उद्देश्य के लिये प्रयोग में लाई गई जिसके लिये यह मंजूर की गई थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). उड़ीसा में भूमि संरक्षण कार्यक्रम दो श्रेणियों में आते हैं : हीरा कुंड और मच कुंड प्रायोजनों के जल विभाजक क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के लिये केन्द्रीय प्रायोजित योजना और राज्य का क्षेत्र । इन कार्यक्रमों में से प्रत्येक के लिये 1966-67 और 1968-69 में नियत और

वास्तव में व्यय की गई राशि इस प्रकार है :

वर्ष	राज्य क्षेत्र		केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र	
	योजना में नियत राशि	व्यय	योजना में नियत राशि	व्यय
		रुपये लाखों में		
1966-67	20.71	19.01	31.24	25.73
1968-69	15.00	12.00 (संशोधित)	25.00 (पूर्वानुमानित)	25.00

राज्य क्षेत्र में कमी का मुख्य कारण बजट का कम समर्थन है ।

(ग) राज्य सरकार द्वारा प्राप्त उन्नति रिपोर्ट से पता चलता है कि इन प्रबन्धों का साधारणतः उचित प्रयोग किया गया है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मंत्री महोदय के उत्तर से यह साफ जाहिर हो जाता है कि 1966-67 और 1967-68 में नियत धन और व्यय किए हुए धन में कमी आई है । बाढ़ों को रोकने के लिए भूमि संरक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई है और हमें भूमि संरक्षण कार्रवाई की ओर हर संभव प्रयत्न करने चाहिए । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सरकार इसके लिए क्या विशेष कदम उठा रही है कि राज्य सरकार को विशिष्ट कार्यक्रम के लिए जो धन नियत किया गया है वह समय पर व्यय करे । अगर उनको लागू नहीं किया गया है तो मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ऐसे विशेष कदम उठाने की सोच रही है जिससे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में कोई कमी न हो जैसा कि इस समय है और साथ में यह भी देखे कि राज्य की योजनाओं में भी धन की कमी न हो और सब धन को व्यय किया गया है । इसके लिए क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : ऐसे योजनाओं को लागू करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार पर आती है, हम राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलायेंगे ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : राज्य सरकार का ओवरड्राफ्ट 12 करोड़ रुपये है । आप उड़ीसा की वर्तमान स्थिति को जानते हैं । अगर केन्द्र द्वारा भूमि संरक्षण, तूफान, बाढ़ और सूखा राहत के लिए दिये गये धन का भली-भांति प्रयोग नहीं होता तो सभा में कौन इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जायगा ?

अध्यक्ष महोदय : तर्क-वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है । आपका प्रश्न क्या है ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : इस प्रश्न पर पिछले एक महीने से निर्णय नहीं हुआ है । राज्य सरकार का ध्यान और किस प्रश्न पर दिलाया जा सकता है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : कृषि के विकास से सम्बन्धित कई योजनाएं राज्य सरकार के अन्तर्गत हैं। इन कार्यक्रमों को लागू करना उनका कार्य है। अगर इसमें कोई कमी है तो मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : जहां तक हीराकुंड बहुउद्देश्यीय बांध परियोजना के अन्तर्गत भूमि संरक्षण का सम्बन्ध है, उसकी योजना के लिए कितना आवंटन रखा गया है। मैं जान सकता हूं कि क्या यह अनुमान लगाया गया है कि पूर्व व्यय से भूमि संरक्षण को रोकना कितना सम्भव हुआ है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सुरक्षात्मक वन-रोपण और बागान योजना के लिए *अनुमानतः* 150 लाख रुपयों की आवश्यकता होगी और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित हीराकुंड और मचकंद योजना के लिए प्रयोगात्मक 150 लाख रुपये का आवंटन रखा गया है। परन्तु यह इस पर निर्भर रहेगा कि चतुर्थ योजना को अन्तिम रूप कैसे दिया जा रहा है।

त्रिपक्षीय भारतीय श्रम सम्मेलन का पुनर्गठन

+

*552. **श्री वेणीशंकर शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा स्थापित एक अध्ययन दल ने त्रिपक्षीय भारतीय श्रम सम्मेलन और स्थायी श्रम समिति के पुनर्गठन का सुझाव दिया है ताकि इनको अधिक व्यापक बनाया जा सके और इनसे सम्बन्धित विभिन्न दलों के वर्तमान प्रतिनिधित्व को और अधिक बढ़ाया जा सके;

(ख) क्या इस सुझाव पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जयसुखलाल हाथी) : (क) सरकार को मालूम हुआ है कि औद्योगिक सम्बन्धों के सामाजिक पहलुओं के अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट में, जो कि उसने राष्ट्रीय श्रम आयोग को भेजी है, इस प्रकार का सुझाव दिया है।

(ख) और (ग). इस समय सरकार इस मामले में कार्यवाही नहीं कर रही है और राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है।

Shri Beni Shankar Sharma : During these twenty years of our Independence, this Government has formulated many sorts of laws, and, side by side, the trade union movement has also got enough pace ; but still the condition of labourers has not improved ; they do not have

adequate dwelling place nor do they have any source of amusement. By face itself you would recognise that he is a labourer. I, therefore, want to know from the Hon. Minister what amendments is he going to make in the present Constitution of the Tripartite Indian Labour Conference and what improvement is expected as a result thereof?

श्री हाथी : जैसा कि मैंने कहा है, अध्ययन दल ने अपनी ने अपनी सिफारिशें दी हैं जो कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के सामने रखी गई हैं। हमें इस बारे में राष्ट्रीय श्रम आयोग से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर सरकार उन सुझावों पर निश्चय ही विचार करेगी।

Shri Beni Shankar Sharma: I want to know how much time would the Government take to consider and implement those recommendations? Today, the professional politicians in the trade union movement are exploiting the labourers. I, therefore, want to know how does the Hon. Minister propose to protect the labourers from these professional politicians under the present Constitution?

श्री हाथी : इस समय विधान यह है कि त्रिपक्षीय निकाय में केन्द्रीय संस्थाओं तथा कार्मिक संघों का प्रतिनिधित्व है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि कितना समय लगेगा। आयोग अपनी रिपोर्ट मार्च के अन्त अथवा अप्रैल के आरम्भ तक देगा। उसके तुरन्त बाद ही हम इस मामले पर विचार करेंगे ?

Shri Deven Sen: Will the Hon. Minister state whether a meeting of the Indian Labour Conference or the Standing Labour Committee will be convened to consider the Essential Services Maintenance Bill which he proposes to bring in here? It is convention that if a Bill which might curb the rights of the labourers is brought in here, it is first put before the Indian Labour Conference or the Standing Labour Committee.

श्री हाथी : मुझे सन्देह है कि यह प्रश्न त्रिपक्षीय निकाय के पुर्नगठन हेतु बने अध्ययन-दल की सिफारिश से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य का प्रश्न इस प्रश्न में से नहीं उठता।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग के तथा इस सदन के भी एक माननीय सदस्य श्री एस० ए० डांगे ने आयोग की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया है ? एक विशिष्ट पत्र आयोग के अध्यक्ष पर थोपा जा रहा था तथा उन्होंने एक पत्र पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें कहा गया था कि आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम मजूरी का प्रश्न आयोग के विचाराधीन है। मैं जानना चाहूंगा कि उनके त्याग-पत्र देने के क्या कारण थे, तथा क्या यह प्रश्न वास्तव में आयोग को विचारार्थ सौंपा गया था, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हाथी : जहां तक आयोग के एक सदस्य द्वारा त्याग-पत्र दिए जाने का सम्बन्ध है, सो उन्होंने त्याग-पत्र दिया है।

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री स० मो० बनर्जी : क्यों ?

श्री हाथी : मैं आपको बताऊंगा।

एक पत्र भी प्रकाशित हुआ था। यदि मुझे वास्तव में ही कारण बताने हैं तो मैं पत्र देखकर ही सदन में उत्तर दूंगा ; ऐसे ही एकदम उत्तर नहीं दूंगा। क्योंकि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है तथा मेरे पास वह पत्र भी नहीं है, तो मैं जल्दबाजी में ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जो उस पत्र में हो अथवा न हो।

श्री स० मो० बनर्जी : वह इस बात का उत्तर दें कि क्या आयोग के अध्यक्ष श्री गजेन्द्र गडकर को एक पत्र लिखा गया था।

श्री हाथी : उत्तर देने से पूर्व मेरे पास तथ्य होने चाहिए। मैं केवल स्मरण-शक्ति के आधार पर बता सकता हूं परन्तु मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी में कोई गलतबयानी कर जाऊं।

खाद्यान्नों के भण्डार की क्षमता

+

*554. **श्री रा० की० अमीन :**

श्री ईश्वर रेड्डी :

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में खाद्यान्नों के भण्डार की इस समय कुल कितनी क्षमता है ;

(ख) सरकारी क्षेत्र में 1971-72 तक यह क्षमता कितनी हो जायेगी ;

(ग) 1971-72 तक भारत को खाद्यान्न के भाण्डागार के लिए कितनी क्षमता की आवश्यकता है ; और

(घ) इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और इस बारे में अब तक कितना व्यय हुआ है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध भण्डारण-क्षमता सम्बन्धी एक विवरण संलग्न है। प्राइवेट क्षेत्र के गोदामों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों पर अभी भी विचार हो रहा है।

(घ) सरकार ने 9.65 लाख मीटरी टन की भण्डारण-क्षमता के अतिरिक्त गोदाम बनाने की स्वीकृति दे दी है जोकि चालू वर्ष और अगले बर्ष तक पूरा हो जाएगा। इसकी अनुमानित लागत 15.36 करोड़ रुपये होगी।

विवरण

भारत में सरकारी क्षेत्र में भण्डारण-क्षमता

(1,000 टनों में)

	निजी	किराये पर	कुल	टिप्पणी
* खाद्य-विभाग तथा भारत उर्वरक निगम	2367.2	2855.3	5222.5	बफर स्टाक के भण्डारण हेतु
* राज्य सरकारें	1429.5	1497.7	2927.2	मुख्यतः राज्य सरकारों के एकत्रण तथा वितरण के लिए।
* सी० डबल्यू० सी०	413.3	653.0	1006.3	मुख्यतः कृषकों तथा व्यापारियों द्वारा भण्डारण हेतु, परन्तु इसका एक भाग खाद्यान्नों के
@ एस० डबल्यू० सी०	236.4	711.9	948.3	भण्डारण के लिए भी उपलब्ध है।
सहकारिताएं	2500.0	उपलब्ध नहीं है	—	यह मुख्यतः आमद आदि के भण्डारण के लिए है। तथापि यह "वितरण का भण्डारण" के लिए भी उपलब्ध है।

* स्थिति दिनांक 1-10-1968 को

@ स्थिति दिनांक 1-7-1968 को

श्री रा० को० अमीन : इस विपत्ति का सामना करने में खाद्य के भण्डारण को अत्यन्त महत्वपूर्ण समझते हुए क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है कि खाद्य का भण्डार वर्ष में किसी भी समय उपलब्ध हो जाये तथा वह भण्डार कहां है तथा उसके उपलब्ध हो जाने के बाद, जब भी लोगों को इसकी आवश्यकता होगी तो इसका किस प्रकार उपयोग किया जायेगा ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सरकार के अपने भण्डार के अतिरिक्त, गैर-सरकारी क्षेत्र में भी जो भी क्षमता उपलब्ध होती है, हम उसका उपयोग करते रहे हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के भण्डारों के स्थान तथा उपलब्धि के बारे में हमें काफी जानकारी है।

श्री रा० को० अमीन : मुझे उत्तर से मालूम पड़ता है कि जहां तक वेयरहाउसिंग निगमों का सम्बन्ध है, यद्यपि ग्रामीय ऋण सर्वे ने बहुत समय पूर्व सिफारिश की थी परन्तु फिर भी इन निगमों की भण्डारण-क्षमता अत्यन्त कम है। क्या सरकार के पास इस क्षमता को काफी बढ़ाने की कोई योजना है ताकि भविष्य में बिक्री में **विघटन** के समय कृषक लोग इस भण्डार का खाद्य बैंक के रूप में लाभ उठा सकें ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : कृषकों के लिये भण्डारण हेतु राज्य वेयरहाउसिंग निगम तथा केन्द्रीय वेयरहाउसिंग निगम हैं। इसके अतिरिक्त मैंने यह भी कहा है कि सहकारी क्षेत्र में 25 लाख टन की क्षमता भी विद्यमान है तथा देश की सभी मंडियों, प्रारम्भिक बाजार संस्थाओं तथा विभिन्न केन्द्रों की बाजार संस्थाओं में फैली हुई है। कृषकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये हमने सहकारी संस्थाओं के माध्यम से अतिरिक्त भण्डारण-क्षमता स्थापित करने की भी योजना बनाई है।

Shri Kanwar Lal Gupta : Is it a fact that the condition of warehouses, where food grains are stored, is very poor and a lot of foodgrains get destroyed there ; and there are no adequate arrangement for necessary insecticides etc. If so, would the Hon. Minister state how much foodgrains are destroyed every year and whether he has made some arrangements to improve the condition there ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य की जानकारी ठीक नहीं है। सरकार के अपने भण्डार बड़े वैज्ञानिक ढंग के तथा आधुनिक हैं। टूट-फूट से होने वाली हानि नगण्य है। यदि सूचना दें तो मैं आंकड़े भी दे सकता हूं। यह हानि नहीं के बराबर है। परन्तु कुछ स्थानों पर गैर-सरकारी भण्डारों में स्थिति संतोषजनक नहीं है।

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

Price of Tyres and Tubes

S.N.Q. No. 9. **Shri Hardayal Devgun :** +
Shri Mahant Digivijai Nath :
Shri Nawal Kishore Sharma :
Shri Vasudevan Nair :
Shri George Fernandes :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the tyre and tube manufacturers have increased the prices

of tyres and tubes of motor vehicles and cycles ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether the manufacturers had obtained Government's permission before doing so ; and

(d) the impact of this increase ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) The reason reported by the tyre industry for increasing the tyre prices is the recent rise in the price of indigenous natural rubber as a consequence of removal of the maximum prices earlier notified by Government for the various grades of rubber.

(c) No, Sir.

(d) The enhanced tyre prices may lead to the rise in the cost of vehicles, higher costs to the goods and passenger carriers and other consumers.

Shri Hardayal Devgun : The Hon. Minister has agreed that the prices of tyres and tubes of motors and cycles will increase as a result of an increase in prices of natural rubber and that will effect the prices of these commodities. May I know whether Government are aware of the fact that the manufacturers of tyres and tubes have increased the prices thereof on the pretext that the prices of indigenous rubber have increased recently while the fact is that black marketing in cycle and other tyres and tubes was going on even before that and the same were being sold at double and treble prices in the country. The rates in black marketing in Delhi were also very high but some how or the other the Delhi Administration get a hold over the situation. But even now the situation out of Delhi and in States where Congress Government is in power is that the tyres and tubes are being sold at double and treble prices. Now my submission is that the pretext of tyre manufacturers to increase the prices is not a good cause to increase the prices. Because black marketing is already going on therefore instead of checking it they have increase their prices. May I know whether Government will ask the licensed manufacturers to reduce the prices and will try to maintain status in respect of already announced prices of rubbers ?

Shri F. A. Ahmed : The question of black marketing does not arise at all here ....

Shri Hardayal Devgun : Why does not the question arise where black marketing is actually going on ?

Shri F. A. Ahmed : As I have said while answering the main question the reason reported by the tyre manufacturers for increasing the tyre prices was the recent rise in the prices of indigenous natural rubber. An agreement was signed with them on the basis of a report submitted by the Tariff Commission previously that they will consult the Government at the time of increasing the prices of their goods. That agreement had ended in 1963 but even after that they had consulted the Government and whenever they increased the prices of tyres and tubes without our knowledge and we came to know of it then we called the manufacturers immediately and told them that it was not good on their part to increase the prices without our knowledge. We should first of all make them understand the effect of rise in prices of rubber. The tyre manufacturers had demanded a time upto 4th December and they had told us that they will give reply in this connection upto 4th December. On the receipt of that reply we will see what action could be taken in this connection.

Shri Hardayal Devgun: The Government has made declaration to give licence to import rubber to the tune of 7½ thousand tons. For that Government is going to give import licences. May I know whether Government will put a condition on the manufacturers that they should withdraw their decision to increase the prices of tyres and tubes and only then a licence would be given to them ?

Secondly, I would like to know whether Government will consider to give new licences in order to remove the scarcity of tyres and tubes in the country ?

Shri F. A. Ahmed : I would like to tell the Hon. Member that looking at the requirement of 1969 and the production done so far in 1968 we feel that there is scarcity of tractor tyres, motor vehicle and cycle tyres and tubes and for earth movers and that is why that we have increased the licences of companies. Other companies have also been given licences for it. We have also said to the commerce Minister that till we get indigenous rubber according to our requirement he should import rubber for the manufacturers so that they may increase the production thereof. Therefore action has been taken even for this also.

Shri Mahant Digvijai Nath : The Hon. Minister has said just now that there is scarcity of tyres and tubes of tractors, motors, scooters and cycles. We used to say every day that we should increase their production. We are not getting tractors because these are not coming from abroad and tyres are not available because their prices have increased. Under these circumstances how can we who want to increase production step up production because how can we apply tractors without tyres ? May I know whether Government also propose to see that tyres are available to the people easily and at reasonable prices ?

Shri F. A. Ahmed : We are considering how to supply those things, which can step up production, may be tractors or the tyres there of according to the requirements of the farmers. All these things are being considered. We are also trying to see how to import such things as are not available indigenously and increase their production in the country.

Shri Nawal Kishore Sharma : One of the important reason to increase the price of tyres and tubes, as enunciated by him, is that there is scarcity of indigenous rubber. So in this connection I would like to know from him whether he would try to see that the stock of rubber is always maintained in the country so that in case of its scarcity even the same is supplied to the rubber factories continuously.

May I also know whether Government would include cycle tyres and tubes under the Essential Commodities Act in case the prices thereof increase, these being not in scarcity in the country ?

Shri F. A. Ahmed : As far as the first question is concerned we had made a calculation in the beginning of the year as to how much scarcity of rubber is there in the country due to which the production of tyres and tubes may fall short and for that we have asked the Ministry of Commerce to import the same. Some rubber has already been imported and some is likely to come in near future and we hope that the scarcity will be removed very soon.

As far as the second question is concerned we have declared many things under the Essential Commodities Act and if we feel that the price of such and such a thing is increasing we will give right to the State Governments to extend the Act on those commodities also.

श्री वासुदेवन नायर : क्योंकि मैं रबड़ बोर्ड का सदस्य हूं और मेरा रबड़ के उत्पादन के स्थान से गहरा सम्बन्ध है इसलिये मैं सदन को कुछ जानकारी देना चाहूंगा क्योंकि मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि निर्माता लोग इस देश को और इस सरकार को यह कहकर गुमराह करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि टायर में लगभग 50 प्रतिशत रबड़ होता है। यह बात बिल्कुल गलत है। टायर में केवल 15 से 18 प्रतिशत तक रबड़ होता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात ठीक है अथवा नहीं। इसके अलावा सरकार ने अधिक से अधिक 416 रुपये और कम से कम 415 रुपये के मूल्य की सीमा को समाप्त करने का निश्चय किया था। तब बाद में वह अधिक बुद्धिमान हो गये और उन्होंने अधिकतम सीमा को समाप्त करने का निश्चय किया तथा कमी अनुभव होने पर रबड़ का आयात करने का निश्चय किया। इसके परिणामस्वरूप कीमतें कम हो गई हैं। निर्माता यह कहते हैं कि कीमतें बढ़कर प्रति टन 6,000 रुपये हो गई हैं। परन्तु इस समय इसका मूल्य लगभग 5,200 रुपये है। टायरों के मूल्य बढ़ने के पश्चात् प्राकृतिक रबड़ के मूल्य कम होकर 25,000 रुपये प्रति टन हो गये हैं। अतः देसी प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों में हुई इस कमी के आधार पर तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस देश में नकली रबड़ का लगभग 6,000 टन का स्टाक जमा हो गया है, जो उपलब्ध तो है परन्तु उसे निर्माता खरीद नहीं रहे हैं क्योंकि उसका मूल्य प्राकृतिक रबड़ के लिये निर्धारित मूल्य से कुछ अधिक है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसके लिये तुरन्त कार्यवाही करेगी कि मूल्यों में वृद्धि को रोका जाये ताकि निर्माताओं की कार्यवाही से लोगों को ठेस न पहुंचे।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मेरा निवेदन यह है कि इन आंकड़ों को देखना हमारे लिये अच्छा होगा इसलिये नहीं कि कुछ तर्क अथवा राय व्यक्त की गई है बल्कि उस जानकारी के लिये जो रबड़ बोर्ड एवं व्यापार तथा विकास के महानिदेशक दोनों ने हमारे सामने रखी है। अब रबड़ बोर्ड ने प्राकृतिक और नकली रबड़ की मांग का अनुमान लगाने के पश्चात् यह मत व्यक्त किया था कि इस वर्ष हमें एक लाख बारह हजार टन रबड़ की आवश्यकता होगी। परन्तु हमारा अनुमान था कि एक लाख पन्द्रह हजार टन रबड़ की आवश्यकता होगी। अतः प्राकृतिक और नकली रबड़ की खपत के बारे में केवल तीन हजार टन का अन्तर था। इसलिये यह प्रश्न प्रतिशतता आदि का नहीं है। दो निकायों के बीच बातचीत हो चुकी है और हम यह पता लगाना चाहते हैं कि यह अन्तर क्यों हुआ है तथा इसे दूर क्यों न किया जाये। इसके लिये जैसा कि मैंने पहले कहा है हमने सभी नेताओं का सम्मेलन बुलाया था तथा वे हमारे सचिव को केवल एक सप्ताह पूर्व ही मिले थे तथा उन्होंने सभी आंकड़े 4 दिसम्बर तक प्रस्तुत करने का वचन दिया था। तब इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा तथा यदि हम यह महसूस करते हैं कि वृद्धि अनुचित है तो हम निस्सन्देह आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री वासुदेवन नायर : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस बात का पता है कि टायर में केवल 15 से 18 प्रतिशत रबड़ होता है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें

इस बात का भी पता है कि रबड़ आयात करने तथा अधिकतम मूल्य की सीमा समाप्त करने के सरकार के निर्णय के पश्चात् देशी रबड़ का मूल्य गिरा है।

श्री फख्रुद्दीन अली अहमद : मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि तोल में 50 प्रतिशत रबड़ होता है परन्तु मूल्य में वह केवल 30 प्रतिशत है।

Shri George Fernandes : Tyres and tubes are being sold in black marketing and their prices are increasing. Three parties are responsible for it and fourth is the Government. The three parties are rubber producers, manufacturers and dealers. May I know from the Hon. Minister whether it is a fact that raw rubber was being sold by the planters at more price than even the controlled price of rubber and this news was broadcast by Tribandrum *Radio* Station every day that the price of rubber is so and so at present which used to be one and a half time or two times more than the controlled price and Government was giving support to this illegal work. Apart from it I would like to know the present installed and licenced capacity of rubber and what is the actual production of rubber and the balance thereof.

The Hon. Minister has also said just now that there is no scarcity of rubber for anything barring for tractors and some other things. May I therefore know the requirements of tyres and tubes for tractors and cycles etc. and what would be the requirement thereof during the next three years and for that what steps are being taken by Government so that black marketing may be checked in that ?

श्री फख्रुद्दीन अली अहमद : यदि आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको वे आंकड़े बताना चाहता हूं जिससे यह पता लग सके कि देश में टायरों और ट्यूबों का उत्पादन कैसे बढ़ा है तथा भविष्य में उनका उत्पादन बढ़ाने के लिये हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं। जहां तक ट्रकों और बसों के टायरों का सम्बन्ध है, इस वर्ष में हमारी आवश्यकता 18,30,000 टायरों की है तथा 19,56,000 टायर बनने की आशा है तथा पहले ही सितम्बर तक 13,20,278 टायर बन चुके हैं। इसके लिये हमें आशा है कि हमारा निर्धारित लक्ष्य पूरा हो जायेगा। जहां तक कारों का सम्बन्ध है, हमारी आवश्यकता 7,40,000 की है तथा 7,70,000 का उत्पादन होने की हमें आशा है तथा सितम्बर के अन्त तक हम पहले ही 5,99,848 का उत्पादन कर चुके हैं।

जहां तक ट्रैक्टरों का सम्बन्ध है, हमारी आवश्यकता 1,24,800 टायरों की है तथा 1,19,000 टायर बनने की हमें आशा है तथा हम अब तक 1,04,288 टायर पहले ही बना चुके हैं।

मोटर सायकिलों के लिये हमें 1,17,000 टायर चाहिए तथा 95,000 टायर बनने के अनुमान हैं तथा हम पहले ही 87,000 टायर बना चुके हैं। अत: जैसे मैं पहले कह चुका हूं मोटर-सायकलों के टायरों की कमी रहेगी।

जहां तक स्कूटरों और रिक्शा टायरों का सम्बन्ध है, उनके लिये 3,15,000 टायर चाहिये जिनमें से 2,52,000 टायर बनने की आशा है तथा हम 2,15,000 टायर पहले बना चुके हैं।

इनके बारे में भी हम कह चुके हैं कि कमी अनुभव होगी। अर्थमूवरों के लिये हमें 12,600 टायर चाहिए तथा 38,500 टायर बनने का अनुमान है तथा हमें आशा है लगभग 6,932 टायरों का आयात किया जायेगा।

Shri George Fernandes : Sir, my question has not been answered. I wanted to know as to how much is the installed capacity and how much is the licensed capacity and what is the actual production and how much is the shortage and the extent to which it will increase during the next three years and what steps will be taken by Government in that regard ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैं अपना उत्तर पूरा करना चाहता हूं। जिन कारखानों में पूरी क्षमता से काम हो रहा है उनमें हमने विस्तार कार्यक्रम बढ़ा दिया है तथा पांच कारखानों को उत्पादन कार्यक्रम बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है.....

Shri George Fernandes : To what extent ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इन पांच कारखानों में 14,50,000 टायरों का उत्पादन बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि बम्बई के एक कारखाने में लगभग दस महीने तक तथा दूसरे कारखाने में दो अथवा तीन महीनों तक हड़ताल न होती तो स्थिति इतनी खराब न होती। माननीय सदस्य ने केवल एक कारण बताया था परन्तु वह यह नहीं बताना चाहते हैं कि जिन लोगों पर उनका नियंत्रण है वे भी इस कमी के लिये उत्तरदायी थे क्योंकि यह कमी भी उस हड़ताल के कारण हुई है।

Shri K. N. Tiwary : The Hon. Minister has admitted that there is scarcity of tractor tyres and it will take some time to manufacture the same. But tractors are lying idle. May I, therefore, know whether the tractor tyres will be imported so that the land may be tilled ?

Shri F. A. Ahmed : When we considered the question of expansion then we had laid stress on this point that we should remove the scarcity of tractor tyres.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : किस समय प्रशुल्क आयोग टायरों की कीमतों पर नियंत्रण रखता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि टायरों की कम्पनियों ने विवादास्पद आधार पर कीमतें बढ़ा दी हैं, मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह यह देखें कि क्या वह इस मामले के बारे में प्रशुल्क आयोग अथवा किसी अन्य सरकारी निकाय से फैसला करवा सकते हैं जो उद्योग के समूचे लागत ढांचे पर विचार कर सके कि लोगों और उद्योग के हित को ध्यान में रखते हुए टायरों का उचित मूल्य क्या होना चाहिए।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्य द्वारा दिये गये सुझाव से हमें दो अथवा तीन और वर्ष लग जायेंगे। चूंकि हमें तुरन्त कार्यवाही करनी है इसलिये हमें तुरन्त कुछ कार्यवाही करनी होगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Drought in Azamgarh, Uttar Pradesh

*542. **Shri T. P. Shah :**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Lalganj Tehsil of Azamgarh has been severely affected by drought ;

(b) if so, the number of villages and the population of the said Tehsil affected by the drought ; and

(c) the steps in regard to opening of cheap grain shops, giving taccavi and exempting payment of land revenue in the said villages being taken at present ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). All the 860 villages in Lalganj Tehsil of Azamgarh district have been affected by drought at present. The population affected is estimated to be 4,12,000.

(c) A sum of Rs. 33,000 has been placed at the disposal of Tehsildar, Lalganj, by the Collector of the district for distribution as distress taccavi. Realisation of land revenue has been stayed. No need has been felt so far by the State Government for opening fair price shops. These will be opened when the need arises.

Supply of Fertilisers to Farmers

*543. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the fact that while, on the one hand, stocks of fertilisers remain accumulated in fertiliser factories, on the other hand, these are not made available to the farmers in time and in requisite quantity ; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to ensure timely availability of fertilisers to farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Government have not received any complaint that fertilisers have not been made available to the farmers in time and in requisite quantity.

There has been no accumulation of stocks with those manufacturers who have organised their promotional and marketing efforts efficiently. It is often the lack of marketing sense and an anxiety to make the most profit out of the deal which has resulted in some factories accumulating stocks.

(b) Does not arise.

देशी उर्वरकों की अधिक कीमतें

*545. **डा० सुशीला नैयर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयातित उर्वरकों की तुलना में देशी उर्वरकों की कीमतें बहुत अधिक हैं ;

(ख) यदि हां, तो कीमतों में कितना अन्तर है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) देशी उर्वरकों की कीमतों को नीचे लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कुछ कारखानों ने प्रतिवेदन किया है कि आजकल कारखाने में उत्पादित उर्वरकों की कीमत उसी किस्म के आयातित उर्वरकों के लिए नियत कीमत से अधिक है ।

(ख) कारखानों में विभिन्न प्रकार की आरम्भिक कठिनाइयां हैं, जिनके कारण उत्पादन वांछित उत्पादन क्षमता से काफी कम रहता है, और फलस्वरूप उत्पादन लागत बढ़ जाती है । यह अनुमान लगाया गया था कि एक सामान्य रूप से कार्य करने वाला कारखाना पूल की कीमतों से कम कीमत पर उर्वरकों का उत्पादन करने में समर्थ होना चाहिए ।

(ग) उत्पादन की उच्चतर क्षमता से देशी उर्वरकों की कीमतें नीचे लाई जाएंगी ।

स्वचालित मशीनों का लगाया जाना तथा उसका रोजगार व्यवस्था पर प्रभाव

*546. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने स्वचालित मशीनें लगाने के सामान्य प्रश्न तथा रोजगार की स्थिति पर इसके प्रभाव के बारे में विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं तथा इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) इस मामले पर समय-समय पर विचार किया गया और 18 जुलाई, 1968 को हुए स्थायी श्रम समिति के 28वें अधिवेशन में भी इस पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया ।

(ख) कुछ परिस्थितियों के अधीन कुछ कारखानों में स्वचालित मशीनों के लगाने से रोजगार कम हो सकता है, लेकिन दूसरी ओर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इनका उपयोग करने से अथवा ऐसे कामों के लिए इनका उपयोग करने से जो मानवीय श्रम द्वारा नहीं किये जा सकते, इनमें रोजगार भी बढ़ सकता है । व्यापक पहलू को ध्यान में रखते हुए स्वचालित मशीनों द्वारा सम्भव बनाये गये निर्माणी कार्य और वाणिज्य से रोजगार बढ़ जाता है । सरकार की नीति यह है कि स्वचालित मशीनों को चयनात्मक आधार पर सामाजिक हित को ध्यान में रख कर लगाया

जाना चाहिए और यह कि इनके लगाये जाने से कोई छंटनी अथवा वर्तमान कर्मचारियों की आय में कोई कमी नहीं आनी चाहिए ।

धान के वसूली मूल्य

*553. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक राज्य में धान के वसूली मूल्यों में काफी अन्तर है ; और

(ख) यदि हां, तो धान के वसूली मूल्यों के बारे में राज्यों में विद्यमान अन्तर को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राज्यों के लिए निर्धारित मूल्यों में कुछ अन्तर है । कमी वाले राज्यों के लिए निर्धारित मूल्य सामान्यत: अधिशेष राज्यों के लिए निर्धारित मूल्यों से अधिक होते हैं ।

(ख) सरकार अधिप्राप्ति मूल्यों में अन्तर्राज्यीय असमानताओं को कम करने की आवश्यकता से जागरूक है । अधिप्राप्ति मूल्य सम्बन्धित राज्यों के परामर्श से निर्धारित किये जाते हैं । राज्यों को इस बात के लिए राजी करने की प्रत्येक कोशिश की जाती है जिससे कि ऐसे मूल्यों में राज्यों के बीच असमानता कम हो जाए ।

अनाज और तिलहन की उत्पादन लागत

*555. **श्री हेमराज :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थायी तकनीकी समिति ने अनाज तथा तिलहन की उत्पादन लागत का पता लगाने का कोई तरीका निकाला है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मंत्रालय द्वारा स्थापित की हुई स्थायी तकनीकी समिति ने प्रमुख फसलों की खेती करने के व्यय का अध्ययन करने के लिए एक वृहत योजना का सुझाव दिया है । परन्तु अपनी पहली रिपोर्ट में इसने लागत निकालने की विधियों के विषय में विस्तारपूर्वक नहीं लिखा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

Bonus to Workers of Hindustan Motors Ltd.

*556. **Shri Madhu Limaye :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Management of the Hindustan Motors have not paid bonus to the workers of the Company for the year 1961-62 uptil now ;

(b) whether it is also a fact that the Supreme Court delivered judgement on the 21st November, 1967 that the employees be paid bonus for 1961-62 at the rate of 20 per cent ; and

(c) if so, whether Government would compel the company to get implemented the aforesaid decision of the Supreme Court and would ensure payment of the bonus at the prescribed rate in accordance with the decision ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) to (c). In an appeal against the award of a Tribunal in West Bengal the Supreme Court held that the Company shall pay to the workmen a total amount of Rs. 9.60 lakhs as bonus representing 20% of the annual wages of the workmen. The management contend that the aforesaid total amount represents 20% of the basic wages of the workmen and they offered to pay bonus in terms of basic wages alone. The workmen accepted payment under protest and demanded calculation in terms of wages inclusive of dearness allowance. On the Union's demand, a Labour Court was specified by a State Government order of October 8 last for computing the dues of 1542 workmen in terms of the award in question as modified by the Supreme Court. As the matter is before the Labour Court, the question of taking any action against the management does not arise at this stage.

Telephone Connections in Ujjain (M. P.)

*557. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of applications received from the residents of Ujjain, Madhya Pradesh for telephone connections since January, 1967 till now ;

(b) the number of telephones provided to private individuals and Government circles by Government during this period ; and

(c) the number of applications pending with Government at persent ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) 301.

(b)

Private	**Government**
145	15

(c) 176

माडर्न बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड

*558. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माडर्न बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड, की स्थापना के समय और 31 मार्च, 1968 को उसकी अधिकृत और चुकता पूंजी कितनी-कितनी थी ;

(ख) 31 मार्च, 1968 को उस कम्पनी ने केन्द्रीय सरकार, बैंकों तथा अन्य पक्षों का पृथक-पृथक कितना-कितना ऋण देना था;

(ग) पिछले तीन वर्षों में इस कम्पनी ने ब्याज के रूप में कितनी राशि दी ; और

(घ) इसके पिछले तीन वर्षों में कार्य के क्या परिणाम निकले, इसे कितना लाभ/हानि हुई, यदि हानि हुई, तो उसके कारण क्या थे और वर्ष 1968-69 के बारे में क्या अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कम्पनी की अधिकृत पूंजी उसकी स्थापना के समय और 31-3-1968 को 1 करोड़ रुपये थी। उसकी स्थापना के समय उसकी चुकता पूंजी कुछ नहीं थी और 31-3-1968 को 80 लाख रुपये थी।

(ख) कम्पनी ने 31-3-1968 को केन्द्रीय सरकार के 65 लाख रुपये देने थे। अन्य स्रोतों से कोई ऋण नहीं लिया गया था।

(ग) 1,93,873/-रुपये।

(घ) इसके पिछले तीन वर्षों के कार्यचालन के परिणामों से यह पता चला है कि कम्पनी को 31-3-1968 तक 9.36 लाख रुपये की हानि हुई है। 1968-69 में लगभग 2 लाख रुपये की हानि होने का अनुमान है। जब तक कम्पनी के अन्य यूनिट उत्पादन कार्य आरम्भ नहीं करते हैं तब तक पूर्व परिचालन खर्चों के कारण ही हानि हो रही है।

Prices of Coarse Grains in Rajasthan

*559. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the prices of coarse grains such as millets and maize etc. have gone very high in Rajasthan due to severe drought conditions there ; and

(b) if so, the steps being taken by Government to prevent it ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Although there was a rise in the prices upto September, 1968 the prices have recorded a downward trend since October.

(b) Movement of jowar, bajra and maize from Rajasthan has been banned since September, 1968. Allotment of foodgrains from Central pool to Rajasthan has also been stepped up. The State Government have introduced public distribution system in scarcity affected areas.

Labour Officer Refused to Help the Workers in Dispute with Railways

*560. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have received any memorandum from the Government Employees' Organisations to the effect that Labour Officers refuse to help the employees in the event of a dispute with the Railways ;

(b) if so, whether the Ministry sent any such orders to the Labour Officers ; and

(c) if so, the reason therefor and if not whether any action has been taken against those officers who have refused to accept applications of the employees in defiance of the law, in disputes between employees and the Railways ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) A representation was recently received in this connection from an unrecognised union of Railway employees.

(b) and (c). There is a Permanent Negotiating Machinery in the Railways for dealing with disputes. As such it is not always necessary for the Central Industrial Relations Machinery Officers to intervene in disputes in the Railways unless the parties to a dispute have explored and exhausted all avenues of settlement through the departmental machinery, or unless, as in the case of a strike notice, it is obligatory for them to intervene under the Industrial Disputes Act, 1947. The Officers of the Central Industrial Relations Machinery, however, bring to the notice of the Railway Administration concerned lapses, if any, in observing the requirements of labour laws.

Agricultural Land with the Low Income Group in Bihar

*561. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the percentage of cultivable agricultural land with the low-income group of society in Bihar ;

(b) the number of (i) landless persons ; (ii) the persons having land up to one acre ; (iii) persons having land from one acre up to five acre ; (iv) persons having land from five acres up to ten acres ; (v) persons having land from ten acres upto twenty-five acres ; and (vi) those having land more than twenty-five acres.

(c) whether Government propose to take steps to make some changes in present agricultural laws with a view to make required progress in agricultural field ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The percentage distribution of estimated households and area owned by size class of ownership holdings, according to the estimates based on the results of the National Sample Survey 17th Round, (September 1961—July 1962) Land Holding Enquiry (Rural) in the State of Bihar is given below :

Percentage distribution of estimated households and area owned by size class of ownership holding—Bihar

Size class of ownership holding (acres)	House-holds	Area owned %
Upto 0.99	51.10	3.75
1.00—4.99	32.81	30.25
5.00—9.99	9.95	25.97
10.00—24.99	5.21	26.43
25.00 and above	0.93	13.60
All sizes	100.00	100.00

(c) and (d). The Fourth Plan formulations now under consideration are aimed at providing the small farmers with the requisite inputs and credit facilities and include land reform measures designed to create a social and economic ethos for development of agriculture, in particular, the legislative and administrative steps for security of tenure, regulation of rent and imposition of ceiling on land holdings.

Sale of Fertilizers to Co-operative Societies

*562. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the co-operative societies are getting fertilizers only from public sector after relaxation of control over fertilizers ; and

(b) if so, whether it is due to the fact that the private sector does not want to sell fertilizers to Co-operative Department or whether the Co-operative Department does not want to obtain fertilizers from them ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

नाइट्रोजन का उत्पादन, खपत तथा आयात

*563. **श्री देवेन सेन :**

श्री लखन लाल गुप्ता :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में नाइट्रोजन की कितनी खपत होने का अनुमान है ;

(ख) इस वर्ष देश में इसका कितना उत्पादन होने का अनुमान है ;

(ग) इस वर्ष इसका कितना आयात करने की योजना है ;

(घ) 1 अप्रैल, 1968 को अनुमानतः कितना भण्डार सरकार के पास बचा हुआ था ;

(ङ) इसका सम्भरण खपत से कितना अधिक रहा ; और

(च) वर्ष 1968-69 में नाइट्रोजन के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ङ). किसी विशेष वर्ष में खपत के लिये उपलब्धि 1 अप्रैल को बचे हुए स्टाक, अप्रैल और दिसम्बर के बीच पत्तनों पर आयात की डिलीवरी तथा उसी अवधि में हुए उत्पादन पर निर्भर करती है । आगामी फसलों की मांग को पूरा करने के लिए आगामी जनवरी से मार्च तक की उपलब्धियों द्वारा आवश्यक भण्डार बनाये जाते हैं । इन बातों को ध्यान में रखते हुए,

अपेक्षित जानकारी निम्न प्रकार है :

(क) 1,700,000 मीटरी टन ।

(ख) 4,25,000 मीटरी टन । (दिसम्बर, 1968 तक)

(ग) 8,51,000 मीटरी टन (दिसम्बर,1968 तक)

(घ) 4,24,000 मीटरी टन ।

कुल : (ख) जमा (ग) जमा (घ) = 1,700,000 मीटरी टन ।

(ङ) खपत पर सम्भरण की अधिकता = कुछ नहीं ।

(च) लगभग 156 करोड़ रुपये ।

Banning Outside Association with Trade Unions

*564. **Shri Nitiraj Singh Chaudhary :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether in view of the experience gained in the recent past, Government would consider amendment of the Trade Union Act banning outsiders from any form of association with the Trade Unions ;

(b) if so, by what time ; and

(c) if not, the reasons therefor ;

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) to (c). The Government propose awaiting the recommendations of the National Commission on Labour before initiating any steps in this regard.

अम्बाला टेलीफोन केन्द्र के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार

*565. **श्री सूरज भान** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 सितम्बर, 1968 को अम्बाला टेलीफोन केन्द्र के अहाते में एक महिला टेलीफोन आपरेटर के साथ एक पुलिस अधिकारी द्वारा जब वह स्विचरूम से बाहर आई, दुर्व्यवहार किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि डी० ई० टी० को-एक्सिल इक्यूपमेंट इन्सटालेशन के जीपन ड्राइवर को 18 सितम्बर, 1968 को अम्बाला छावनी में पुलिस द्वारा बुरी तरह पीटा गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त दोनों घटनाओं के क्या कारण थे ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) ऊपर भाग (क) और (ख) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

Land to Landless People by Panchayats

*566. **Shri Om Prakash Tyagi**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the extra land in villages is given on lease by village Panchayats to the members of the Panchayat or their relatives instead of giving the land to the landless people in accordance with the instructions of Government ; and

(b) if so, the steps taken by Government to check this malpractice ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). Allotment of land is a State subject under the Constitution. The various State Governments have enacted legislation or framed rules/orders for such allotment to various categories of persons. Persons aggrieved by such allotment can file appeals to the appropriate authorities in the State Governments for redress.

In Uttar Pradesh, cases of injudicious exercise of powers by the Land Management Committees of Gram Samaj for allotment of land, under sections 195 and 197 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, were noticed by the State Government. Suitable amendments in the legislation have accordingly been made by the President's Act 17 of 1968, providing checks on the powers of the Land Management Committees.

केरल के मार्क्सवादियों की केन्द्र के विरुद्ध "बैटल" (लड़ाई)

*567. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 सितम्बर, 1968 के "हिंदुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार उन्होंने एक प्रेस बयान में बताया था कि केरल में मार्क्सवादी केन्द्र के विरुद्ध एक और "लड़ाई" (बैटल) का आयोजन कर रहे हैं ; और

(ख) क्या शब्द "लड़ाई" से उनका अर्थ घमासान युद्ध से है अथवा केन्द्रीय प्राधिकार का संगठित विरोध है ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) मैंने "लड़ाई" शब्द का उसी अर्थ में प्रयोग किया है जिसमें केरल के मुख्यमंत्री और उनका दल उस शब्द का प्रयोग कर रहे थे । उनके द्वारा बार-बार यह कहा जा रहा था कि वे "केन्द्र विरुद्ध समरम" में लगे हुए हैं । समरम शब्द का अर्थ बैलट "लड़ाई" है ।

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में संशोधन

*568. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 में संशोधन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार ; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब किये जाने की सम्भावना है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) :(क) से (ग). प्रश्न पर अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति द्वारा आजकल विचार किया जा रहा है। समिति द्वारा की जाने वाली सिफारिशों के प्रकाश में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955, में, यदि आवश्यक हुआ तो, संशोधन की कार्यवाही की जायेगी।

कोयला खानों में श्रम विधियों का उल्लंघन

*569. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्यिरसोले कोयला खान, वैस्ट्रन काजोरा कोयला खान, मार्नरज ग्रुप आफ कोलियरीज (काली पहाड़ी घुसीक, नसलिया) न्यू जेमहरी खास कोयला खान, न्यू डामोगरि कोयला खान, जम्वाद कजोरा कोयला खान, पारासे कोयला खान, साऊथ पारासे कोयला खान तथा वैस्ट्रन कजोरा कोयला खान में श्रम विधियों को पूर्णतया क्रियान्वित नहीं किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इन कोयला खानों में जिन-जिन श्रम विधियों को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है, उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन श्रम विधियों को क्रियान्वित न करने के लिये उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां, सीयरसोले, वैस्ट्रन कजोरा, काली पहाड़ी, घुसिक, मुसलिया, न्यू जमहेरी, परासिया तथा साऊथ परासिया कोयला खानों के विषय में अदायगी देर से करने सम्बन्धी उल्लंघन तथा कुछ श्रम कानूनों के उपबन्धों के भंग होने के मामले सरकार के ध्यान के आये हैं।

(ख) मजूरी (खान) अदायगी नियम, बोनस अदायगी अधिनियम तथा कोयला खान बोनस योजना।

(ग) उपरोक्त श्रम कानूनों के अन्तर्गत, कुछ कोयला खानों के प्रबन्धकों पर मुकदमें चला दिये गये हैं तथा और मुकदमों के प्रस्तावों की जांच की जा रही है। दावे के प्रार्थना पत्र तथा सर्टीफिकेट के मामले भी, जहां आवश्यक थे, दायर करा दिये गये हैं।

Bar Council Examination for LL. B. Course Students

*570. **Shri Yashpal Singh :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the examination of Bar Council has been abolished in

Uttar Pradesh even for the students who are studying for two-year LL. B. Course for the Session ending in 1969 ;

(b) if so, the outline thereof; and

(c) if not, the reasons therefor since the said examination has been abolished even for the students of the Session ending in December, 1968 ?

The Minister of Law (Shri Govinda Menon): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) Under Part III A of the Revised Rules of the Bar Council of India, persons who commence a course of instruction in law on or after the first term of the academic year, 1967-68 have to undergo a three-year course in law if their degree is to be recognised. Certain universities have, however, been promitted temporarily for a period of one year by the Bar Council of India as a special case to confer a degree in law after a two-year course. Persons who have a three-year degree course in law have been exempted from practical training and the Bar Council examination on the ground that a three-year course would give them sufficient aknowledge of law to practise.

To grant an exemption to students, who have taken a two-year course , would be to penalise those who have joined the three-year course and to confer a fortuitous benefit on those who have taken the two-year degree course. The reason for not exempting them is that all students who have joined a course of study in law from the year 1967-68, whether their course is of two year or three year duration, should be eligible to be enrolled at the same time.

पश्चिम बंगाल में खण्ड बीज फार्म

3296. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले में आज तक कितने खण्ड बीज फार्म खोले गये हैं ;

(ख) प्रत्येक जिले में किन-किन खण्डों में ऐसे ब्लाक खोले गये हैं और जिले-वार खोले गये प्रत्येक फार्म में कुल कितनी फसली भूमि है ; और

(ग) इस कार्य पर अब तक कुल कितना खर्च आया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले में अब तक खोले गये फार्मों की संख्या को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2528/68]**

(ख) पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले में खोले गये खण्डों और बीज फार्मों के नाम तथा प्रत्येक खण्ड फार्म के क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण भी सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०2528/68]**

(ग) 1966-67 तक खण्ड बीज फार्मों पर कुल मिलाकर 2,81,64,978.00 रुपये व्यय हुये हैं। इस समय 1967-68 के व्यय के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

Procurement of Wheat by Food Corporation of India

3297. **Shri Nathu Ram Ahirwar :**
Shri G. C. Dixit :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of wheat purchased by the Food Corporation of India from each State during the Rabi crop season ended on the 30th June, 1968 ;

(b) the quantity of wheat out of that brought in Central Food godowns and of that kept in State godowns ; and

(c) the quantity thereof sent to drought-stricken and flood-affected States ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Wheat procured by the Food Corporation of India in different States up to 30-6-68 was as under :

Sl. No.	State	Figures in '000 tonnes
1.	Madhya Pradesh	57.3
2.	Punjab (including Union territory of Chandigarh)	914.4
3.	Haryana	146.9
4.	Rajasthan	55.2
5.	Uttar Pradesh	227.1
6.	Gujarat	0.1
7.	Bihar	0.1
8.	Delhi	0.5
	Total	1461.6

(b) Procurement of wheat in Madhya Pradesh and Bihar made by the Food Corporation of India was on behalf of the respective State Government. In all other States, procurement made by them was for Central Pool.

(c) Wheat coming into the Central Pool loses its identity as soon as it reaches the godowns. It is, therefore, difficult to indicate the quantity of wheat supplied to any State—drought-stricken or not—separately out of indigenous procurement and out of imports.

शुष्क क्षेत्रों में खेती करना

3298. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 तथा 1968 की रबी तथा खरीफ फसलों के दौरान देश में कितने एकड़ शुष्क क्षेत्र में खेती की गई ;

(ख) गत सितम्बर में वर्षा न होने के कारण कितने एकड़ भूमि में फसल नष्ट हो गई थी; और

(ग) भारत में शुष्क क्षेत्रों में काश्त सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). इस सम्बन्ध में ठीक जानकारी प्राप्त नहीं है कि वर्ष 1967 तथा 1968 में कितने एकड़ क्षेत्र में खेती की गई। तथापि 1964-65 में बोआई के आंकड़ों के आधार पर उन जिलों में, जहां सिंचाई नहीं होती है और जहां प्रतिवर्ष 750 मिलीमीटर (30 इंच) अथवा उससे कम वर्षा होती है, कुल 3.836 करोड़ हेक्टेयर्स (= ×2.471 एकड़) भूमि में खेती की जाती है। इस वर्ग की भूमि में बोई जाने वाली फसलों पर समय पर वर्षा न होने का ज्यादा असर पड़ता है। तथापि इस वर्ष बरसात के जल्दी समाप्त हो जाने के कारण कितनी एकड़ भूमि में फसल की हानि हुई, इस बात का कोई अनुमान प्राप्त नहीं हुआ है।

इन क्षेत्रों में भूमि जल क्षमता का विकास करने के अतिरिक्त, कम वर्षा वाले सभी क्षेत्रों में नमी बनाये रखने के लिये गहन भू-संरक्षण उपाय किये गये हैं जिनमें समोच्च बंध शामिल हैं जो वर्षा के पानी को रोक लेते हैं और उसे जमीन के भीतर पहुंचा देते हैं और जिससे और अच्छी फसल उगती है। 1967-68 के अन्त तक ·758 करोड़ हैक्टेयर क्षेत्र में समोच्च बाधों से नमी बनाये रखने की व्यवस्था की गई है। अन्य सहायक उपायों में भूमि का वर्गीकरण, समतलन, शुष्क खेती के तौर-तरीकों का अपनाना, गहरा हल लगाना तथा शिम्बियों का उगाना शामिल है। मिट्टी में उपलब्ध अधिकतम नमी का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिये कम समय में तैयार होने वाली फसलें बोने का प्रचार भी किया जा रहा है। शुष्कता-रोध किस्मों में अनुसंधान करने के लिये भी कार्यवाही की गई है।

Agricultural Production

3299. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the details of the annual plan in regard to the increasing agricultural production during the current financial year ; and

(b) the programme formulated in regard to increasing the yield per acre and also the acreage of land under cash crops ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The details of the annual plan proposals for increasing agricultural production during the current financial year are contained in Chapter 4 Section I of the Document "Annual Plan-1968-69" which was placed on the Table of the Lok Sabha on 31-7-68.

(b) Centrally sponsored schemes for raising the production of cotton, groundnut, jute, tobacco, lac, pepper, cashewnut and coconut so as to make larger quantities available for export/import substitution, have been sanctioned for implementation in the maximum protential areas in differrent States. These supplement the schemes included in the various State Plans for the development of production of cash crops. There is no specific scheme to increase the acreage under cash crops, because the main strategy is to obtain the increase in yield per unit area by the adoption of package of practices in areas with good potentiality. However, with the commissioning of the large irrigation projects like Nagarjunasagar, Kosi Project, Tungbhadra Project etc., it is likely that some area under commercial crops will also increase.

मैसूर में देवदासी तथा बसारी प्रथाएं

3300. **श्री सिद्दय्या** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में देवदासी तथा बसारी प्रथाएं किस सीमा तक चालू हैं;

(ख) क्या उन्हें समाप्त करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने कोई कारगर कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय उसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा ।

अनुसूचित जातियों की लड़कियों के लिए छात्रावास

3301. **श्री सिद्दय्या** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री 1 जून, 1967 के अतारांकिन प्रश्न संख्या 1097 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में जहां अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावास निर्माण किये गये हैं, उन स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ख) अनेक राज्यों के लिये कोई राशि नियत न करने के क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) एक विवरण पत्र सदन के पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2529/68]

(ख) कुछ राज्यों के लिए राशियां नियत नहीं की गईं क्योंकि उन द्वारा अग्रप्रेषित आवेदन परियोजना के लिए निर्धारित कसौटियों के अनुसार सन्तोषजनक नहीं थे ।

उत्तर प्रदेश के बादां जिले में बाबेरू तहसील में सूखा

3302. **श्री जागेश्वर यादव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के जिला बादां की बाबेरू तहसील के उत्तर पूर्व क्षेत्र में गत 5 वर्षों से लगातार सूखा पड़ रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त जिले की बाबेरू तहसील के कामासिन ब्लाक में इस वर्ष बहुत सूखा पड़ा है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कामासिन राजवाह के कुछ क्षेत्रों को सिंचाई के लिये कभी भी पानी प्राप्त नहीं होता और इस वर्ष भी कई हजार एकड़ भूमि में कोई काश्त नहीं की गई;

(घ) क्या उक्त क्षेत्र की सिंचाई समस्या को हल करने के लिये सरकार उठाऊ सिंचाई

योजना के माध्यम से बरौली तथा लखनपुर गांव के निकट औरा डहर नाम के एक गहरे तालाब को पानी की सप्लाई करने का प्रयास करेगी; और

(ङ) क्या सूखे की समस्या को सदा के लिये हल करने के लिये सरकार कामासिन राजवाह को मशीनों के जरिये यमुना से पानी सप्लाई करने के लिये उक्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण करायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ङ). जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और यथाशीघ्र सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

आस्ट्रेलिया गेहूं का उपहार

3303. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया भारत को 70,000 टन गेहूं उपहार स्वरूप सप्लाई कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रयोजन के लिये; और

(ग) इस अनुदान के साथ क्या शर्तें लगाई गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). आस्ट्रेलिया ने 70,000 मीटरी टन आस्ट्रेलियन गेहूं का एक अनुदान दिया है । यह गेहूं अन्तर्राष्ट्रीय अनाज प्रबन्ध, 1967 को खाद्य सहायता कन्वेशन के अधीन विकासशील देशों के लाभ के लिए खाद्य सहायता कार्यक्रम के प्रति 1968-69 के लिए आस्ट्रेलिया के अंशदान का भाग है । इस गेहूं की रुपयों में कीमत को दोनों सरकारों को आपस में स्वीकार्य भारत की एक या अधिक विकास परियोजनाओं पर खर्च किया जाना है ।

Automatic Telephone Exchanges in Rajasthan

3304. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of automatic telephone exchanges set up in Rajasthan so far ;

(b) the number of the said Exchanges proposed to be set up in 1968-69 and the places where they would be set up ; and

(c) the number of public call offices proposed to be set up in Rajasthan in 1968-69 ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Fifty seven automatic exchanges have been set up in Rajasthan so far.

(b) It is expected that 10 new automatic exchanges will be opened during 1968-69 at following places :

1. Charbhuja Road
2. Chauth-ka-Barwara
3. Choti Sadri

4. Gajsinghpur
5. Jetsar
6. Marwar Mundawa
7. Napasar
8. Pali Marwar
9. Sribijainagar
10. Uniara.

(c) 13 Long distance Public call offices have been opened so far in 1968-69. About 10 more PCOS are expected to be commissioned depending upon stores position.

Telephone Connections in Lalsot Town, Jaipur

3205. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of businessmen of Lalsot Town, District Jaipur, (Rajasthan) have applied for telephone connections ;

(b) whether it is also a fact that a number of persons have even deposited the amount required to be remitted for that purpose ;

(c) whether it is also a fact that inspite of all this delay is being made in the setting up of a telephone exchange there ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) if not, the time by which telephone exchange would be set up ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a). Yes.

(b) No.

(c) Does not arise.

(d) Does not arise.

(e) A ten line long distance Public Call Office presented to Dausa exchange is at present working at Lalsot with only one extension. Eight demands are on the waiting list which could not be met due to nonavailability of magneto instruments. Opening of a regular exchange at Lalsot is being separately examined.

गोरखपुर में कृषि विश्वविद्यालय

3306. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश के कृषकों को दीर्घकालीन ऋण

3307. **श्री बाबू राव पटेल :**

श्री गं० च० दीक्षित :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में वर्षवार मध्य प्रदेश में कृषकों को कुल कितनी राशि के दीर्घकालीन ऋण दिये गये;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ ऐसे कृषकों को जिन्हें वर्ष 1965-66 में ऋण दिये गये थे वर्ष 1967-68 में ऋण देने से इन्कार कर दिया गया क्योंकि उन्होंने गत चुनावों में गैर-कांग्रेसी राजनीतिक दलों का समर्थन किया था; और

(ग) रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के जिन वाणिज्यिक बैंकों को कृषकों को ऋण देने की अनुमति दी है उनके नाम क्या हैं तथा उन्होंने वर्ष 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में वर्षवार कितनी राशि के ऋण दिये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सन् 1965-66, 1966-67, 1967-68 के दौरान मध्य प्रदेश भूमि विकास बैंक द्वारा लम्बी अवधि के लिए कुल क्रमशः 1·83 करोड़ रु०, 1.60 करोड़ रु० और 3.22 करोड़ रुपये के दीर्घ-कालीन ऋण दिये गये ।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) व्यापारिक बैंकों ने कृषकों को कर्जा देना शुरू कर दिया है । सही-सही जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

मध्य प्रदेश में बाढ़ों तथा सूखे के कारण क्षति

3308. **श्री बाबू राव पटेल :**

श्री दे० वि० सिंह :

श्री गं० च० दीक्षित :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के महीनों में मध्य प्रदेश में बाढ़ तथा सूखे के कारण खाद्यान्न तथा अन्य फसलों को किस सीमा तक कितने क्षेत्र में तथा कितने मूल्य की क्षति पहुंची है;

(ख) उसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति तथा पशु मरे;

(ग) कितने तथा कितने मूल्य के मकान नष्ट हुए;

(घ) राहत कार्य के लिये राज्य को कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मध्य प्रदेश में हाल के महीनों में कोई भयंकर बाढ़ नहीं आई और न ही सूखे की परिस्थितियों के बारे में कोई सूचना मिली है। 1968-69 के लिए क्षेत्र एवं उत्पादन के पक्के आंकड़े केवल कृषि वर्ष की समाप्ति पर जुलाई-अगस्त, 1969 में ही उपलब्ध होंगे।

(ख) तथा (ग). उपरोक्त (क) को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होते।

(घ) तथा (ङ). चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक राज्य सरकार ने केन्द्र से कोई सहायता नहीं मांगी है।

अधिक उपज देने वाले खाद्यान्नों के बीजों की काश्त

3309. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक उपज देने वाले खाद्यान्नों के बीजों की काश्त के कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं, अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) मध्य प्रदेश में उक्त बीजों की खेती कितने क्षेत्र में की गई है;

(ग) अन्य राज्यों में राज्य-वार कितने एकड़ भूमि में खेती की गई है; और

(घ) राज्य के आकार तथा प्राकृतिक कारणों से वहां फसलों की अधिक उपज होने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम को उत्साह तथा तेजी से कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम में, धान, गेहूं तथा मकई, ज्वार तथा बाजरा की संकर किस्में जो उर्वरकों की अधिक मात्रा के प्रयोग के लिये उत्तरदायी हैं और परम्परागत किस्मों की अपेक्षा अधिक उपज देने वाली हैं, का शुरू किया जाना सम्मिलित है। यह कार्यक्रम विशेषतः उन क्षेत्रों में चालू है जिनमें सिंचाई और वर्षा का होना निश्चित है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक औषधि, ऋण आदि जैसे आवश्यक कृषि आदान देने के प्रबन्ध कर दिये गये हैं। किसानों को उन्नत पद्धतियों के अपनाने में मार्गदर्शन तथा तकनीकी तरीके बताने के लिये विस्तार एजेन्सियों को उपयुक्तरूप से दृढ़ कर दिया गया है। प्रत्येक फसल मौसम के आने से पहले 2-3 दिन की अवधि वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी नियमित रूप से किसानों के लिए रक्खे जाते हैं।

देश में सन् 1966-67 के शुरू में यह कार्यक्रम उन क्षेत्रों में चालू किया गया था जिनमें सिंचाई तथा वर्षा का होना निश्चित है। सन् 1966-67 के दौरान लगभग 4.66 मिलियन एकड़ क्षेत्र में धान, मकई, ज्वार, बाजरा और गेहूं की अधिक उपज देने वाली किस्में बोई गई थीं। सन् 1967-68 के दौरान अनुमानितः 14.9 मिलियन एकड़ भूमि में ये किस्में उगाई गई थीं।

खरीफ, 1968 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 9.00 मिलियन एकड़ भूमि में बुवाई की जाने की खबर मिली है ।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक निम्नलिखित क्षेत्र में बुवाई की गई है :

वर्ष	बोया गया क्षेत्र (लाख एकड़)
1966-67	2.12
1967-68	2.98
1968-69 (केवल खरीफ 1968)	4.68

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2530/68]

(घ) जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई है, मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

विदेशी चीनी की तस्करी

3310. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल से होकर हमारे देश में भारी मात्रा में रूसी, चैकोस्लोवाकिया तथा पोलैंड की चीनी के चोरी छिपे लाये जाने के कारण भारतीय चीनी के मूल्य तथा बिक्री पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस तस्करी के रोकने तथा हमारे चीनी उद्योग को इस बड़े पैमाने पर की जा रही तस्करी के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिये सरकार ठीक निश्चित कार्य-वाही कर रही है ; और

(ग) यदि तस्करी करने वाले कोई व्यक्ति पकड़े गये हों तो उनमें से एक दर्जन व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक से कितनी मात्रा में चीनी पकड़ी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) नेपाल से चोरी छिपे लाई गई विदेशी चीनी से भारतीय चीनी के बिक्री और मूल्य पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है, उसका ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ।

(ख) इसे रोकने के लिए चलते फिरते गश्त को बढ़ा दिया गया है और सीमा चौकियों पर नियुक्त अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए सावधान कर दिया गया है । ऐसी तस्करी को बन्द करने और नेपाल से ऐसी चीनी को अवैधरूप से लाने को रोकने के लिए हर सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

(ग) तस्करी के समय पकड़े गये 12 व्यक्तियों के नाम तथा प्रत्येक के पास पकड़ी गई चीनी की मात्रा इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	नाम	(किलोग्राम में पकड़ी गई चीनी की मात्रा)
1.	शिवनंदन साह	4150
2.	सुल्तान मियां	1853
3.	रजक मियां	800
4.	सुदामा तिवारी	500
5.	राम प्रसाद साह	400
6.	आर० एल० राय	216
7.	एच०राजाराम	215
8.	केदार प्रसाद	120
9.	अशर्फी महतो	111
10.	नंद लाल साह	95
11.	कारू साह	86
12.	बासुमन महतो	80

मध्य प्रदेश में नलकूप लगाना

3311. **श्री बाबू राव पटेल :**
श्री गं० च० दीक्षित :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना की अवधि में मध्य प्रदेश में कुल कितने नलकूप लगाने का विचार है;

(ख) मध्य प्रदेश में वर्ष 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में, वर्षवार कितने नलकूप लगाये गये ;

(ग) वर्ष 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में, वर्षवार, मध्य प्रदेश में गैर-सरकारी नलकूप लगाने के लिये सरकार ने कितनी राशि के ऋण दिये ; और

(घ) वर्ष 1967-68 में अन्य राज्यों में, राज्य-वार कितने नलकूप लगाये गये ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकार द्वारा 11,500 निजी और 92 राजकीय नलकूप लगाने के प्रस्ताव के स्थान पर खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में केन्द्रीय कार्यभारी मंडल ने मध्य प्रदेश में 10,000 निजी और 90 राजकीय नलकूपों के निर्माण की सिफारिश की है।

(ख) तथा (ग). जानकारी राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) पूछी गयी जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 2531/68]

Land Mortgage Banks in Madhya Pradesh

3312. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any Government assistance was given to the Land Mortgage Banks in Madhya Pradesh during 1966-67 ; and

(b) if so, the amount given to each such bank ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswami) : (a) and (b). The Central Government provides assistance to the State Governments and not directly to the cooperative land development banks. A loan of Rs. 40 lakhs was released during 1966-67 to the State Government of Madhya Pradesh for supporting the ordinary debenture programme of the Madhya Pradesh Cooperative Central Land Development Bank. In addition, a central assistance of Rs. 23,450 was released during 1966-67 to the State Government for providing managerial subsidy to the central and the primary land development banks.

During 1966-67, the State Government contributed Rs. 70 lakhs to the debentures of the Madhya Pradesh Cooperative Central Land Development Bank and also granted managerial subsidy of the order of Rs. 1,14, 900 to central and primary land development banks.

Persons Registered with the Employment Exchanges in Madhya Pradesh

3313. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of educated unemployed persons whose names were registered with the Employment Exchanges in Madhya Pradesh during the period from January to October, 1968 ;

(b) the number of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes among them ;

(c) the number of persons among them who possess technical qualifications ;

(d) the number of persons who have been provided employment through the Employment Exchanges ; and

(e) the number of persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes having technical qualifications, who have been provided employment ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri S. C. Jamir) : (a) to (e). Available information is contained in the statements laid on the Table of the House. **[Piaced in Library. See No. L.T. 2532/68].**

मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में वनों पर आधारित उद्योग

3314. **श्री दे० वि० सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र में वनों पर आधारित उद्योग स्थापित करने की

ाम्भाव्यता का पता लगाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठनों के विशेषज्ञों ; एक दल और भारतीय अधिकारियों के एक दल ने हाल ही में मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र का ार्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) मध्य प्रदेश में वनों पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए बनायी गई योजनाओं ाथवा अस्थायी प्रस्तावों का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) वन संसाधनों का निवेश पूर्व सर्वेक्षण प्रायोजन पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ााद्य तथा कृषि संगठन विशेषज्ञों द्वारा रिपोर्ट बनाई जा रही है जिसमें बस्तर क्षेत्र भी सम्मिलित । संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा उनकी अन्तिम रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात ही ोजना प्रस्तावों की विस्तृत जानकारी हो सकेगी ।

(ग) खाद्य तथा कृषि संगठन से एक उन्नति रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसमें मध्य प्रदेश ; बस्तर जिले के उत्तरी भाग में बरसुर के स्थान पर एक रेयन, पल्प, और कागज का संयुक्त ारखाना लगाये जाने की सम्भावनाओं के बारे में कहा गया है जिसकी दैनिक क्षमता 300 न होगी ।

त्रिपुरा में रोजगार के अवसर

3315. **श्री किरित बिक्रम देव बर्मन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 25 अप्रैल, 1968 ; अतारांकित प्रश्न संख्या 8500 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968-69 की योजना में त्रिपुरा में रोजगार के सम्भावित अवसरों की संख्या अनुमान अब उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके अन्तर्गत कितनी तथा किस प्रकार की प्रवीण, अर्ध-प्रवीण नौकरियां नकलने की संभावना है ; और

(ग) काम दिलाऊ दफ्तरों के चालू रजिस्टरों के अनुसार त्रिपुरा में कितने बेरोजगार यक्ति शिक्षित, अशिक्षित, प्रवीण तथा अर्ध-प्रवीण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या** ल० टी० 2533/68]

त्रिपुरा में रोजगार दिलाऊ दफ्तर

3316. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में रोजगार दिलाऊ कार्यालय की सुविधाएं बहुत ही कम हैं ;

(ख) यदि हां, तो रोजगार दिलाऊ कार्यालय की सेवाओं का लाभ उठाने के लिये लोगों को कितनी दूरी तय करके आना पड़ता है ;

(ग) क्या उस संघ राज्य क्षेत्र में और अधिक रोजगार दिलाऊ कार्यालय या उप-कार्यालय स्थापित करने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई गई योजना का ब्योरा क्या है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर): (क) त्रिपुरा में, एक रोजगार कार्यालय अगरताला में और तीन रोजगार सूचना और सहायक ब्यूरो ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजकों और नौकरी चाहने वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं ।

(ख) यथातथ्य जानकारी उपलब्ध नहीं है । साधारणतः रोजगार कार्यालय और रोजगार सूचना और सहायक ब्यूरो आसानी से गम्य और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में, जहां अधिक मात्रा में रोजगार अवसर प्राप्त होने की सम्भावना होती है, स्थापित किये जाते हैं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल ही पैदा नहीं होता ।

गुजरात में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना

3317. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में गुजरात राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये गुजरात सरकार से केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये एक विशिष्ट स्थान चुनने के लिये केन्द्रीय सरकार ने यदि कोई कसौटी निर्धारित की है तो क्या ;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने भी प्रस्तावित विश्वविद्यालय के लिये किसी निश्चित स्थान की सिफारिश की है ;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित उस स्थान का नाम क्या है ; और

(ङ) क्या यह स्थान उपरोक्त कसौटी को पूरा करता है ?

खाद्य-कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गुजरात सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बनायी है ।

(ख) विश्वविद्यालय की स्थापना करना और इसके मुख्यालय के स्थान का निर्णय करना राज्य सरकारों का काम है । केन्द्रीय सरकार ने कृषि विश्वविद्यालय हेतु स्थान चुनने के लिये कोई कसौटी तय नहीं की है ।

(ग) विश्वविद्यालय के मुख्यालय के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को अभी कोई निर्णय नहीं बतलाया गया है ।

(घ) तथा (ङ). उपरोक्त (ख) एवं (ग) को दृष्टि में रखते हुये प्रश्न ही नहीं होता ।

पुरी जिला (उड़ीसा) में पिचकुली गांव में उप-डाक-घर खोलना

3318. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 नवम्बर, 1968 को पुरी जिले (उड़ीसा) के पिचकुली गांव में एक उप-डाकघर खोला जाना था ;

(ख) क्या कर्मचारियों की नियुक्ति समेत सभी आवश्यक व्यवस्था पूरी कर ली गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रस्तावित उप डाकघर 1 नवम्बर 1968 को नहीं खोला गया ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे और यह उप-डाकघर कब कार्य आरम्भ कर देगा ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) पिचकुली शाखा डाकघर का दर्जा उप-डाकघर के रूप में बढ़ाने के प्रस्ताव का, डाकघर खोलने के लिए इमारत के चुनाव संबंधी विवाद के निपटान तक स्थगन कर किया गया है । ज्यों ही इस विवाद का निपटान हो जाएगा, डाकघर का दर्जा बढ़ा दिया जायगा ।

केन्द्रीय राजकीय प्रक्षेत्र

3319. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय राजकीय प्रक्षेत्र कितने हैं, उनका कार्य क्षेत्र कितना है, और इन प्रक्षेत्रों में से प्रत्येक प्रक्षेत्र में कितनी लागत के उपकरण और मशीनें लगी हुई हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों में इन प्रक्षेत्रों में वार्षिक उपज कितनी हुई ;

(ग) इन प्रक्षेत्रों में से प्रत्येक प्रक्षेत्र में यदि कोई शुद्ध लाभ हुआ है, तो कितना ; और

(घ) यदि प्रक्षेत्र घाटे में चल रहे हैं तो उसके क्या कारण हैं और उस स्थिति को सुधारने के लिये यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो क्या ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित केन्द्रीय राजकीय प्रक्षेत्र, उनका कुल क्षेत्रफल कार्यक्षेत्र तथा उनमें लगे हुए उपकरणों और मशीनों की लागत और इन प्रक्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों की कुल उपज के सम्बन्ध में जानकारी इस प्रकार है :–

केन्द्रीय राजकीय प्रक्षेत्र का नाम	कुल क्षेत्र (एकड़)	कार्य क्षेत्र (एकड़)	उत्पादन/ उपज	उपकरण तथा मशीनों की कुल लागत
1. सूरतगढ़ (राजस्थान)	30,331	27,501	ब्योरा अनुबन्ध 1 तथा 2 में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2534/68]**	140.33 लाख रुपये
2. जेतसर (राजस्थान)	22,162	11,551 (खरीफ तथा रबी दोनों फसलों को मिलाकर लगभग 5000 एकड़ भूमि में खेती की जाती है ।)		
3. हीराकुण्ड	10,000	राज्य सरकार द्वारा अब तक 4,423 एकड़ भूमि उपलब्ध की गई है ।	ब्योरा अनुबन्ध 3 में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 2534/68]**	जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।
4. जालंधर शहर (पंजाब)	10,000	रबी 1968-69 के लिये 442 एकड़ भूमि ली जा रही है ।	उत्पादन अभी शुरू नहीं हुआ है । केवल 1.8.68 को प्रक्षेप स्थापित किया गया था ।	

केन्द्रीय राजकीय प्रक्षेत्र का नाम	कुल क्षेत्र (एकड़)	कार्य क्षेत्र (एकड़)	उत्पादन/ उपज	उपकरण तथा मशीनों की कुल लागत
5. हिसार (हरयाणा)	8,000	राज्य सरकार ने अब तक 4,703 एकड़ भूमि उपलब्ध की है।	उत्पादन अभी आरम्भ नहीं हुआ है। केवल 20-8 68 को प्रक्षेत्र स्थापित किया गया था।	सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी।
6. रायचूर (मैसूर)	7,500	राज्य सरकार ने अभी तक भूमि नहीं सौंपी है।	अभी उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है।	अब तक कोई खरीद नहीं की गई है।

(ग) और (घ). **सूरतगढ़ प्रक्षेत्र**

सूरतगढ़ फार्म को वर्ष 1966-67 में 18.71 लाख रुपये का और 1967-68 में लगभग 37 लाख रुपये का लाभ हुआ है। इस फार्म को 1956-57 में उसकी स्थापना लेकर केवल 4.42 लाख रुपये की हानि हुई है।

इस फार्म में अपर्याप्त तथा अनियमित सिंचाई की सप्लाई के कारण अभी तक उसकी पूरी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं होता है। घग्गर की बाढ़ों से भी इसे काफी नुक्सान पहुंचता रहा है। इस फार्म में सिंचाई की सप्लाई बढ़ाने तथा बाढ़ नियंत्रण उपाय अपनाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

जेतसर प्रक्षेत्र

जेतसर प्रक्षेत्र को 1964-65 में उसकी स्थापना से लेकर 1966-67 तक की अवधि में कुल 7.93 लाख रुपये की हानि हुई है। वहां सिंचाई की सप्लाई भी पर्याप्त नहीं है। अधिक सिंचाई सप्लाई प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि इस फार्म का पूरा विकास हो सके।

हीराकुण्ड प्रक्षेत्र

हीराकुण्ड प्रक्षेत्र (उड़ीसा) फरवरी, 1967 में स्थापित किया गया था और उसे पहले ही वर्ष अर्थात् 1967-68 में 5.70 लाख रुपये की हानि हुई है। इस फार्म का विकास चल रहा है और ऐसी आशा नहीं की जाती कि उसे पहले दो अथवा तीन सालों में मुनाफा होगा।

राज्यों में आरक्षित स्थानों के लिये गैर-आदिम जातीय सदस्यों का चुनाव

3320. **श्री कार्तिक ओरांव** :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 1962 के सामान्य चुनावों में रांची जिले में आदिम जातियों के सदस्यों के लिये आरक्षित स्थान बारो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से एक भारतीय ईसाई श्री पाल दयाल, जो आदिम जाति के नहीं थे, बिहार विधान सभा के लिये निर्वाचित हो गये थे और एक आंग्ल भारतीय व्यक्ति अलैग्जैण्डर हेनरी बैस्टरबिच, जो आदिम जाति के नहीं थे, अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के लिये आरक्षित स्थान जलपाईगुड़ी जिले में मदारीहाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बंगाल विधान सभा के लिये चुने गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो जिन्होंने उन्हें आदिम जाति के होने के प्रमाण-पत्र दिये थे, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) और (ख). 9 मई, 1968 के इसी प्रकार के प्रश्न सं० 1740 के आश्वासन का एक कथन, जिसमें तथ्यात्मक जानकारी अंतर्विष्ट है, 12 नवम्बर, 1968 को लोकसभा के पटल पर रख दिया गया था ।

चण्डीगढ़ में श्रमिक बस्तियां

3321. **श्री श्रीचन्द गोयल : क्या श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ में श्रमिक बस्तियां स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) उन बस्तियों में क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध की गई हैं ; और

(ग) चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के कितने प्रतिशत श्रमिकों को इन बस्तियों में बसाया जा सकेगा ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) चण्डीगढ़ में सेक्टर 14, 25, 26 और 30 में चार अस्थायी श्रमिक बस्तियां बन गई हैं ।

(ख) इन बस्तियों में निम्नलिखित सुविधाओं की व्यवस्था की गई है :

(i) रिहायशी प्लाट 1.50 रु० प्रति मास फी प्लाट की दर से पट्टे पर दिये गए हैं ।

(ii) सेक्टर 14 और 26 में श्रमिक बस्तियों में अस्थायी किस्म की फ्लश टट्टियों की व्यवस्था कर दी गई है और अन्य श्रमिक बस्तियों में भी इनकी व्यवस्था की जा रही है ।

(iii) सामुदायिक स्नानगृहों की व्यवस्था की गई है ।

(iv) कच्ची गलियों, सड़कों, पेय जल के नलकों और सड़क की रोशनी की व्यवस्था भी की गई है ।

(ग) इन बस्तियों में चण्डीगढ़ में काम करने वाले लगभग 75 प्रतिशत श्रमिक बसाए गए हैं ।

चण्डीगढ़ के लिये हरिजन कल्याण निधि

3322. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के लिये हरिजन कल्याण निधि बनाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना धन एकत्र किया गया है ; और

(ग) इस धन को किन-किन मदों पर खर्च करने का प्रस्ताव है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र ने हाल ही में एक हरिजन कल्याण निधि बनाने का सुझाव दिया। सुझाव की जांच की जा रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को कालकाजी कालोनी, दिल्ली में प्लाटों को दिया जाना

3323. **श्री रवि राय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 1 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2114 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों को 320 गज के प्लाट दिये गये हैं उनके नाम क्या हैं तथा उनकी वित्तीय स्थिति कैसी है और उन व्यक्तियों की वित्तीय स्थिति कैसी है जिन्होंने 320 गज के प्लाटों के लिए आवेदन पत्र तो दिये, परन्तु जिनको अब तक प्लाट नहीं दिये गये हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : कालका जी के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती में 320 वर्ग गज या उससे अधिक क्षेत्र के प्लाटों के लिये आवेदन-पत्र देने वाले व्यक्तियों की, जिनमें वह भी सम्मिलित है जिनको 320 वर्ग गज के प्लाट अलाट कर दिये गये हैं वित्तीय स्थिति के बारे में सरकार के पास उपलब्ध जानकारी का ब्योरा सभा-पटल पर रखे गये दो विवरणों में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०** 2535/68]

बहुत से मामलों में आवेदकों की आय नहीं दी गई है और न ही निश्चित की गई है क्योंकि सरकार के अधीन जिन पदों पर वे लोग लगे हैं 320 वर्ग गज के प्लाट पाने की पात्रता निर्धारित करने के लिये यही पर्याप्त है।

सामान्य रूप में सरकार को आवेदकों से उनकी वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में एकत्रित की गई जानकारी की प्रमाणिकता को सत्यापित करने का कोई अवसर नहीं मिला है क्योंकि अधिकांशत: उनकी सत्यता पर सन्देह करने का कोई भी आधार नहीं है।

पम्पिग सेट लगाना

3324. **श्री कामेश्वर सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में प्रति वर्ष 1,50,000 से अधिक पम्पिग सेट लगवाने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो वास्तव में कितने पम्प लगवाने का विचार है ;

(ग) कुल कितने धन की आवश्यकता होगी ;

(घ) बिहार में कुल कितने पम्पिग सेट लगाये जायेंगे ; और

(ङ) उनमें से खगरिया तथा बेगुसराय सब डिवीजन में कुल कितने पम्पिग सेट लगाये जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । किन्तु खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय में केन्द्रीय कार्यकारी दल ने, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 6.00 लाख डीजल और 12.50 लाख बिजली के पम्प सेटों को लगाने की सिफारिश की है । इनमें बिजली के वे पम्प सेट भी सम्मिलित हैं जो कि गैर-सरकारी तथा राजकीय नलकूपों पर लगाये जायेंगे ।

(ग) इस कार्य के लिये लगभग 435.00 करोड़ रुपये की कुल लागत का अनुमान है ।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में लगाये जाने वाले कुल पम्प सैटों में से 1.20 लाख बिजली तथा 45,000 डीजल पम्प सेट बिहार सरकार को देने का सुझाव दिया गया है ।

(ङ) राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना अनुमोदित होने के बाद, राज्य सरकार का कार्य है कि विभिन्न उप-खण्डों के लिए कितने पम्प सेट नियत किये जायें ।

Schedules in the Hostels of Scheduled Castes/Tribes

3325. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that as much as 20 years old Schedules are continuing to be used in the hostels of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;

(b) if so, the reasons for which they are not being amended to suit the present high cost of living ; and

(c) the expenditure incurred on a student according to the schedules at present in use ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) and (b). The significance of the expression "Schedules" is not clear.

Reports received from the States indicate that, in most cases, and within the limits imposed by their financial position, the boarding rates are generally reviewed every five to seven years. In some cases, the boarders are expected to contribute (in kind) for their maintenance.

(c) The rates vary from State to State, and also the type of institution. Generally, the expenditure per student is between rupees thirty and fifty per month.

राजधानी में अवैध शराब की बिक्री

3326. **डा० सुशीला नैयर :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में अवैध शराब बेची जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि शराब की दुकानों के बढ़ जाने से अवैध शराब की बिक्री में भी वृद्धि हो गई है ; और

(ग) इस बुराई को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां ।

(ख) नहीं ।

(ग) इस बुराई को दबाने के लिये आबकारी और पुलिस के व्यक्तियों द्वारा तीव्र गश्त की जाती है और आकस्मिक छापे मारे जाते हैं । आबकारी अपराधों के पता लगाने तथा जांच पड़ताल इत्यादि करने के लिये एक विशेष पुलिस स्क्वाड गठित किया गया है ।

Co-operative Fertilizer Factory in Gujarat

3327. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Co-operative Fertilizers Factory in Gujarat is being established in collaboration with an American Cooperative Organisation ;

(b) if so, the anticipated capacity of the factory and when it would go into production ; and

(c) the terms and conditions on which the American Cooperative Organisation is collaborating ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) Yes, Sir.

(b)	Ammonia	318,500 tonnes per annum
	Urea	382,000 ,, ,,
	Complex Fertilizers	637,000 ,, ,,

The factory is anticipated to go into production by the middle of 1972.

(c) The salient features of the Agreement are :

(i) The American Cooperative will provide advice and assistance in setting up the plant and its initial operation.

(ii) The American Cooperative will provide an outright grant of one million dollars.

(iii) The American Cooperative will also provide some key technical personnel and facilities for training of Indian personnel in the U.S.A.

संचार मंत्रालय के कर्मचारियों के बारे में सर्वेक्षण

3328. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967-68 में मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया था ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार कितने कर्मचारी फालतू पाये गये थे और क्या सरकार का विचार इन कर्मचारियों की छंटनी करने का है अथवा अन्य स्थानों पर नियुक्त करने का है ;

(ग) 1 अप्रैल, 1968 से 30 जून, 1968 के बीच मंत्रालय द्वारा वर्ग-वार कितने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त किये गये थे और उक्त अवधि के दौरान राजपत्रित अधिकारियों के कितने अतिरिक्त पद बनाये गये ; और

(घ) मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों आदि के साथ काम कर रहे फालतू कर्मचारियों जिनके लिए उचित मजूरी नहीं दी गई है, का ब्योरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का एक सर्वेक्षण किया गया था ।

(ख) चतुर्थ श्रेणी के दो कर्मचारी फालतू घोषित कर दिये गये थे । इनमें से एक अन्यत्र ले लिया गया है तथा दूसरा स्वेच्छा से सरकारी सेवा से रिटायर हो गया है ।

(ग) इस अवधि में तृतीय श्रेणी के चार पदाधिकारी नियुक्त किये गये । राजपत्रित अधिकारियों के कोई पद नहीं बनाये गये ।

(घ) कुछ नहीं ।

Decline in the Production of Pure Ghee

3329. **Shri Jagannath Rao Jhoshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the production of pure ghee in the country has declined considerably during the period between the years 1947 to 1967 ; and

(b) if so, to what extent and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation. (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes.

(b) By 26 per cent approximately based on quinquennial cattle census of 1945 and 1966. The reasons for decline are :

(i) increase in the volume of demand for fluid milk in urban areas (consumption of fluid milk, which was estimated at 30 per cent of the total milk production (1956) has gone up by 45 per cent in recent years) ;

(ii) the high cost of ghee ; and

(iii) competition from substitutes like Vanaspati.

Tractors Lying Unused for Want of Spare Parts

3330. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Narain Swarup Sharma :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a number of tractors (indigenous or foreign) are lying unused, as their spare parts are not available and agricultural production has been suffering a setback as a result thereof ; and

(b) if so, the action taken by the Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(a) With a view to ensuring adequate supply of spare parts for tractors, the quota for the import of spare parts for agricultural tractors by established importers has been raised from 40% to 50% of the last year's import during the current licencing period. A provision has also been made in the current year's Licencing Policy for the grant of import licences of spare parts freely to actual users from the U.S.A., the U.S.S.R., Rumania, Czechoslovakia, Yugoslavia and GDR. Besides, import of spare parts amounting to Rs. 129.99 lakhs has so far been recommended on ad-hoc basis in favour of State Agro-Industries Corporations and the Agents of foreign Suppliers.

उड़ीसा में सूखा

3331. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार से उड़ीसा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का मानचित्र अब प्राप्त हो गया है ताकि प्रायः सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में सूखे की समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिये अग्रिम परियोजनाओं पर काम आरम्भ किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सभी राज्य सरकारों, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित हैं से प्रार्थना की गयी थी कि वे अपने प्रायः सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों को सूखे की उग्रता और आवृत्ति के आधार पर 'क' 'ख' और 'ग' वर्गों में वर्गीकृत कर दें । प्रायः सूखा ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के वर्गीकरण को प्रकट करने वाले मान चित्र उड़ीसा सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं । अब यह निश्चय कर लिया गया है कि 1-4-1969 से इस आयोजना को राज्य योजना का एक भाग माना जाये । राष्ट्रीय विकास परिषद ने हाल ही में निश्चित किया है कि प्रायः सूखा ग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों का कार्य सम्बन्धित राज्यों में विशेष समस्याओं में से एक समस्या के रूप में किया जायेगा और

राज्यों को कुल केन्द्रीय सहायता का 10 प्रतिशत इन विशेष समस्याओं पर व्यय के लिये निर्धारित होगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

गुजरात राज्य में कृषि अनुसंधान परियोजनायें

3332. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में कितनी कृषि अनुसंधान परियोजनाएं चल रही है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में इन अनुसंधान परियोजनाओं पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ; और

(ग) पिछले पांच वर्षों में गुजरात में सफलतापूर्वक काम करने वाली अनुसंधान परियोजनाओं का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गुजरात में 15 अनुसंधान परियोजनायें चालू हैं जिनके लिये भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद तथा पी० एल० 480 निधि द्वारा धन प्रदान किया जा रहा है । इनका विस्तृत ब्योरा विवरण I में दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2536/68]

(ख) 22.50 लाख रुपये ।

(ग) पिछले 5 वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में कुल 29 अनुसंधान परियोजनाएं चालू रही हैं । इन परियोजनाओं का विस्तृत ब्योरा विवरण II में दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी०** 2536/68]

गुजरात भाण्डागार

3333. **श्री रा० की० अमीन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में इस समय कितने भाण्डागार हैं ;

(ख) उस राज्य में कितने भाण्डागार बनाने का लक्ष्य है ; और

(ग) इस समय भाण्डागार किन-किन स्थानों पर हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय भाण्डागार निगम के 8 भाण्डागार और गुजरात राज्य भाण्डागार निगम के 64 भाण्डागार हैं ।

(ख) केन्द्रीय भाण्डागार निगम नादियाद में 5,000 मीटरी टन क्षमता का एक भाण्डागार बनवा रहा है। चौथी पंचवर्षीय योजना में निगम का निम्नलिखित प्रत्येक केन्द्र पर 5,000 मीटरी टन क्षमता का भाण्डागार बनवाने का विचार है :

(1) सूरत।
(2) भावनगर।
(3) जामनगर।
(4) बड़ौदा।
(5) आनन्द।

चौथी पंचवर्षीय योजना में गुजरात राज्य भाण्डागार निगम का कुल 15,000 मीटरी टन क्षमता के 10 भाण्डागार बनवाने का विचार है।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2537/68]

Advice Tendered by the Law Ministry

3334. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Sharda Nand :**
Shri Onkar Singh : **Shri J. B. Singh :**

Will the **Minister of Law** be pleased to state :

(a) whether Government have conducted any survey to find out the percentage of advice tendered by his Ministry to other Ministries and Departments of the Government of India on legal matters which has been accepted by High Courts ;

(b) whether it is a fact that the advice tendered by his Ministry has not been accepted by Courts in a number of cases ; and

(c) whether Government have taken action against any officers who tendered wrong advice time and again, during the last five years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Yunus Saleem): (a) No, Sir.

(b) and (c). It is hardly possible even to find out the number of cases in which the advice tendered by officers of the Ministry has or has not been upheld by courts of law. Even if a calculation is made, the percentage worked out would produce a wrong picture. Advice given in a very large number of cases is not tested in a court of law, because such advice is accepted by the concerned parties. There is no question of taking action against officers giving legal opinion, in the absence of proved negligence or **mala fide** action.

Damage of Imported Foodgrains

3335. **Shri Vishwa Nath Pande :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of foodgrains imported this year up to the end of September and the amount spent on their import and movement ;

(b) the total quantity of imported foodgrains and other foodstuffs that damaged on account of sinking of ships or for other reasons ; and

(c) the loss caused by it ?

The Minister of State in the Ministry ef Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) 5116.1 thousand tonnes of foodgrains were imported during the period 1st January to 30th September, 1968 at an estimated cost (including freight) of Rs. 314.76 crores. The amount spent on its movement viz. inland Railway freight was Rs. 16.51 crores.

(b) Total quantity damaged in voyage on account of sinking of ships or leakage in the holds of the ships etc. is 8.4 thousand tonnes.

(c) Rupees 0.35 crores.

उत्तर प्रदेश में रोजगार

3336. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश में कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया ; और

(ख) 1960 से अक्तूबर 1968 तक उत्तर प्रदेश के ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारों की संख्या कितनी थी ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) यथातथ्य आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एकत्र आंकड़ों के अनुसार दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान क्रमशः लगभग 7.38 लाख और 19 लाख नये रोजगार अवसर जुटाये गये थे।

पहिली पंचवर्षीय योजना के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या के बारे में यथातथ्य जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

अगले पृष्ठ पर, विवरण में 1960-68 के दौरान प्रतिवर्ष के अन्त में, रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्टरों पर नाम दर्ज कराने वाले उम्मीदवारों की संख्या दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2538/68] इससे नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के रुझान के बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन फैक्टरी

3337. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उत्तर प्रदेश में एक टेलीफोन फैक्टरी स्थापित करने के बारे में बिचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब और किन स्थानों पर ; और

(ग) ऐसी परियोजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय होगी ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ख). इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर के लम्बी दूरी के पारेषण उपस्कर के उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से इस उपस्कर के निर्माण के लिये शीघ्र ही एक नया कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित कारखाने के स्थान के विषय में राज्य सरकारों द्वारा सुझाये गये कुछ स्थल विचाराधीन हैं किन्तु अभी तक इस विषय में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) प्रारम्भिक प्राक्कलनों के अनुसार इस नये कारखाने पर कुल पूंजीगत व्यय लगभग 2 करोड़ 45 लाख रुपये रहने का अनुमान है।

Kharif and Rabi Crops in Bihar

3338. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in Bihar, particularly in North Bihar, Kharif crop this year has been only 50 per cent of the anticipated yield and the condition of the forthcoming crop is also critical ; and

(b) if so, whether Government contemplate to take any steps for the benefit of the rabi crop and also to provide ration for agricultural labourers and farmers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Firm estimates of foodgrains (Kharif and Rabi) production in Bihar during 1968-69 would become available some time in July-August 1969 after the close of the agricultural year. On present indications, the overall prospects of food crops in Bihar appear to be satisfactory and the production is not likely to be less than last year despite damage by floods in July and October and by deficient rainfall in September in parts of the State.

(b) The State Government have taken steps to enlarge the area under rabi crops. The State Government will, no doubt, consider providing foodgrains for agricultural labourers and farmers if the situation so demands.

Automation in Hindustan Motors

3339. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Automation system is being introduced in the Hindustan Motors factory ;

(b) if so, whether it would affect the services of the workers there ; and

(c) whether unemployment would not increase due to the introduction of automation system at the time when there is increasing unemployment in the country ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) In an industrial unit like this some automatic devices are bound to be used, but if the Hon. Member means by automation a system of integrated production, feed-back control and computer answer is in the negative.

(b) and (c). Do not arise.

Post Office in Hindustan Motors Factory

3340. **Shri Madhu Limaye**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is not a single post office in the factory of M/s Hindustan Motors although 13,000 employees are working there; and

(b) whether Government would open a post office there?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) Yes.

(b) A post office has already been sanctioned. It will be opened as soon as suitable office accommodation is made available.

Sugar Supply to Madhya Pradesh

3341. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the quantity of sugar demanded by the Madhya Pradesh Government from the Central Government for the months of July, August, September, and October, 1968 and quota fixed by the Central Government for the said months for Madhya Pradesh; and

(b) the total quantity of sugar actually supplied by the Central Government to Madhya Pradesh during the said months?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). The Madhya Pradesh Government asked in August, 1968 for a monthly quota of 7,430 tonnes of levy sugar, as against its monthly quota of 5,832 tonnes. This could not be agreed to on account of limited availability of levy sugar. The quantities of sugar allotted to Madhya Pradesh during the months of July to October, 1968, are as under:—

	(Tonnes)
July, 1968	5,839 (a)
August, 1968	8,951.2 (b)
September, 1968 ..	5,839 (a)
October, 1968 ..	5,839 (a)

(a) Includes 7 tonnes for allotment to pharmaceutical units.

(b) Includes 3112.2 tonnes for festivals and 7 tonnes for allotment to pharmaceutical units.

मध्य प्रदेश को गेहूं की सप्लाई

3342. **श्री हुकम चन्द कछवाय**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर, 1968 के महीनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कितना गेहूं मांगा है;

(ख) उक्त महीनों के लिये सरकार द्वारा गेहूं का कितना कोटा नियत किया गया; और

(ग) उक्त महीनों में केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को वस्तुतः कितना गेहूं दिया गया

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने आलोच्य अवधि में गेहूं की जितनी मात्रा की मांग की थी वह इस प्रकार थी :

अगस्त, 1968	3.4 हजार मीटरी टन ।
सितम्बर, 1968	11.3 ,, ,,
अक्तूबर, 1968	कोई विशिष्ट मांग नहीं की गयी थी ।

(ख) तथा (ग). मध्य प्रदेश की उक्त महीनों में गेहूं के आवंटन और सप्लाई की स्थिति इस प्रकार थी :

(हजार मीटरी टन में)

मास	आवंटित मात्रा	सप्लाई की गयी मात्रा
अगस्त, 1968	4.7	0.6
सितम्बर, 1968	4.7	3.7
अक्तूबर, 1968	5.0	2.7

Telephone Connections for Doctors in Indore

3343. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the categories of those Officers and persons in Private Sectors who are given priority in regard to sanctioning of telephone connections ;

(b) whether the Doctors have been placed in the category of such officers ;

(c) if so, whether it is a fact that some doctors in Indore district have applied for telephone connections long time back but the telephone connections have not been sanctioned to them so far ; and

(d) if so, the reasons therefor and the action proposed to be taken by Government for sanctioning the said telephone connections ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) A—**Under 'Special' category (without OYT deposit).**

1. **Doctors :**
   This includes Registered Medical Practitioners, Dentists, Veterinary Surgeons, Registered Homœopaths, Qualified Nurses, Registered Midwives and Psychiatrists.

2. **Press :**
   This includes Press, News Agencies, Accredited Correspondents, Daily Newspapers, Weekly, Fortnightly and Monthly Journals and Magazines.

3. **Public Institutions :**
This includes Recognised Schools and colleges, Registered Trade Unions, Registered Co-operative Societies (not those formed for House Building or sale of Commodities), Orphanages and Institutes of Blind etc., Leper Homes, Hospitals, Political Parties having general recognition in the area, Social Organisations, Religious Organisations and Missions, sports as well as Cultural clubs and Religious Institutions like Gurudwaras, Temples, Mosques and Churches.
4. **Small Scale Industries :** registered with State Industries Department.
5. **Publicmen.**
6. **Agricultural farms** on the outskirts of large cities.

B—**Under OYT Scheme :**
Commercial and Industrial Organisations as are engaged in increasing production which would result in earning/saving foreign exchange in excess of Rs. five lacs per annum.

(b) Yes.

(c) Yes.

(d) Telephone connections could not be provided for want of exchange capacity. A 5,000 lines automatic exchange is being installed at Indore and new connections will be provided after completion of this work.

राष्ट्रीय बीज निगम, लिमिटेड

3344. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड कब स्थापित किया गया था इसके निदेशक मंडल के सदस्य कौन-कौन थे तथा वह निदेशक कितने समय तक रहा; और

(ख) वर्तमान निदेशक मंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं तथा इसके प्रधान अथवा महा-प्रबन्धक का नाम क्या है, उन्हें कब नियुक्त किया गया था तथा उनकी कार्याविधि कितनी है और सेवा की शर्तें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राष्ट्रीय बीज निगम, लिमिटेड को कम्पनीज एक्ट, 1956 के अन्तर्गत एक कम्पनी के रूप में 19-3-1963 को रजिस्टर किया गया था। निगम के प्रथम निदेशक मण्डल के सदस्यों की सूची संलग्न हैं (परिशिष्ट-1) । [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2539/68**] प्रारम्भ में मण्डल का संगठन 19-3-63 को हुआ था और यह 31-3-64 तक कार्य करता रहा ।

(ख) अध्यक्ष और प्रबन्ध-निदेशक समेत वर्तमान निर्देशक मण्डल के सदस्यों के नाम, उनकी नियुक्ति की तारीखें, सेवावधि और नियुक्ति की शर्तें प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-2) [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०** 2539/68]

केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम, लिमिटेड

3345. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय मत्स्य पालन निगम की स्थापना के समय इसकी प्राधिकृत और प्रदत्त पूंजी

कितनी-कितनी थी तथा 31 मार्च, 1968 को कितनी थी;

(ख) 31 मार्च, 1968 को निगम ने केन्द्रीय सरकार बैंकों तथा अन्य पक्षों को कितना-कितना ऋण देना था;

(ग) गत तीन वर्षों में इस निगम ने व्याज के रूप में कितनी राशि दी; और

(घ) गत तीन वर्षों के इसके कार्य के परिणाम क्या हैं, इसको कितना लाभ अथवा हानि हुई और यदि हानि हुई है तो किन-किन कारणों से तथा 1968-69 के बारे में क्या अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क)

	स्थापना की तिथि 29-9-1965 को	31 मार्च, 1968 को
अधिकृत पूंजी	5 करोड़ रुपये	5 करोड़ रुपये
देय पूंजी	6 लाख रुपये	55 लाख रुपये

(ख) कुछ नहीं ।

(ग) कुछ नहीं ।

(घ) निगम के गत तीन वर्षों के कार्य का परिणाम निम्न प्रकार से है :--

	कुल बिक्री	व्यापार लेखा (कुल लाभ)	हानि और लाभ लेखा (निविल हानि)
	रुपये	रुपये	रुपये
1965-66 (29-9-65 से)	6,78,018	(—) 26,526	2,08,244
1966-67	25,88,952	3,71,929	5,60,714
1967-68	36,08,475	2,76,928	12,67,491

प्रारम्भिक 6 माह के कार्य के परिणाम के आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि कुल बिक्री 57 लाख रुपये की होगी जिसमें से व्यापार लेखा के अन्तर्गत 6 लाख रुपये का लाभ होगा और हानि लाभ लेखा के अन्तर्गत 8 लाख रुपये की निविल हानि होगी ।

निगम अभी निर्माण की अवस्था में है । इसे मछलियों की उपलब्धि के लिये गैर-सरकारी व्यापार से प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ती है, जो कि पूर्णतः व्यवस्थित है और जिसके संभरण तथा वितरण केन्द्रों से परम्परागत सम्बन्ध बने हुये हैं । मछलियों का अधिकांश भाग आज कल गैर-सरकार व्यापार की प्रतिस्पर्द्धा में ही प्राप्त किया जाता है इन परिस्थितियों में व्यापारिक गतिविधियों के लाभ की मात्रा अति अल्प रही और लाभ और हानि लेखा ने स्पष्ट हानि प्रकट की है ।

प्रतिस्पर्द्धात्मक बाजार पर निर्भरता दूर करने के लिये निगम ने जल क्षेत्रों को विकास के लिये अपने हाथ में लेने की नीति अपना ली है जिससे कि सप्लाई के स्रोतों का शनैः शनैः निर्माण हो सके । विभिन्न राज्यों में कुछ जलाशयों को पहले ही अधिकृत कर लिया गया है और ये विकास की अवस्था में हैं ।

विधि मंत्रालय में नियोजित कर्मचारिवृन्द

3346. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में नियोजित कर्मचारिवृन्द का वर्ष 1967-68 के दौरान कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो वर्गवार अधिशेष कर्मचारिवृन्द की संख्या क्या है और क्या सरकार का विचार उन कर्मचारियों की छंटनी करने का है या उनको अन्यथा आमेलित करने का;

(ग) मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल, 1968 और 30 जून, 1968 तक की कालावधि के दौरान वर्गवार कितने अतिरिक्त व्यक्ति नियोजित किए गए और उस कालावधि के दौरान राजपत्रित आफिसरों के कितने नए पद सृजित किए गए; और

(घ) मंत्री, राज्य-मंत्री, उप मंत्रियों के साथ काम करने वाले ऐसे अधिशेष कर्मचारिवृन्द का, जिसके लिए समुचित मंजूरी अभिप्राप्त नहीं की गई है, ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री यूनुस सलीम) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) (i) 1-4-68 से 30-6-68 तक की कालावधि के दौरान मंत्रालय द्वारा नियोजित अतिरिक्त व्यक्तियों की वर्गवार संख्या — वर्ग 1=2, वर्ग 2=5, वर्ग 3=8

(ii) 1-4-68 से 30-6-68 तक की कालावधि के दौरान सृजित राजपत्रित आफिसरों के पदों की संख्या — 6

(घ) कुछ नहीं ।

Commemorative Stamp in Honour of Swami Shardhanand

3347. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government had received some suggestions in the past to issue a commemorative postal stamp in memory of Amar Shaheed Swami Shardhanand ;

(b) if so, whether Government propose to issue a commemorative stamp and if so, when ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) (a) Yes.

(b) and (c). The proposal was examined by the Philatelic Advisory Committee but it could not be accepted.

Supply of Medicines to Employees State Insurance Corporation Hospitals

3348. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Bharat Singh Chauhan :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of hospitals in Delhi under the Employees State Insurance Corporation ;

(b) whether it is a fact that time-barred medicines are supplied to these hospitals through stores ;

(c) whether employees have submitted several applications to the Government in this regard and the working of these hospitals in general ; and

(d) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) The Employees' State Insurance Scheme has at present no hospital of its own in Delhi.

(b) to (d). Do not arise.

Allotment of Sugar Quota for Villages

3349. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the basis on which sugar quota is allotted to the different States ;

(b) whether it is a fact that sugar is sold at the rate of 25 gms. per head per month in the villages of Uttar Pradesh whereas in urban areas it is given at the rate of 500 gms. per head in ration ; and

(c) if so, the reasons for such discrimination and the action Government propose to take to ensure adequate supply of sugar to villages ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) After partial decontrol of sugar, monthly sugar quotas of the States were fixed in a uniform proportion to their respective quotas prior to the introduction of partial decontrol.

(b) Yes, Sir. In some urban areas, it is slightly more than 500 gms. per unit per month.

(c) The Government of U. P. has intimated that allotment to urban and rural areas is on the basis of consumption pattern in the past. Supplies to rural areas can be increased when larger quantities of levy sugar becomes available for controlled distribution.

Committee on Labour Welfare

3350. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri K. M. Abraham :**
Shrimati Sushila Gopalan : **Shri P. P. Esthose :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have received the report of the Committee on Labour Welfare, which was appointed in August, 1966 ;

(b) if so, the main recommendations thereof and the reaction of Government thereto ; and

(c) if not, the reasons for delay ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The Committee's terms of reference, which include functioning of various Statutory and non-statutory welfare schemes in industrial establishments both in the private sector and public sector, including mines and plantations, cover a wide field. Besides collecting a vast amount of data by means of Questionnaire, the Committee had to tour different States for on-the-spot study and recording evidence. It had also to hold a number of meetings. The Committee has since formulated a part of its recommendations and the remaining recommendations are under formulation.

Manufacture of Bread

3351. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of plants received from Australia so far for manufacturing bread and the places where they are functioning ; and

(b) whether Government would state the reasons for not being able to bring down the prices of bread even after installing the modern plants on such a large scale ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Five plants have so far been received from Australia and these have already started functioning at Ahmedabad, Bombay, Cochin, Delhi and Madras. Another Plant to be set up at Calcutta is likely to be received early next year.

(b) The bread manufactured by the Modern Bakeries (India) is priced at the same level at which the popular brands in the market are priced although the Company's bread is fortified with essential vitamins and lysine. It has not been possible to reduce the price due to the increased cost of raw materials.

Procurement and Distribution of Foodgrains

3352. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity separately of foodgrain procured indigenously and that imported which

is likely to be distributed during the current year ; and

(b) whether it is a fact that at the end of the year the buffer stock would be reduced to a negligible quantity consisting of only imported foodgrains ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Likely procurement of foodgrains in India during 1968 .. 6.3 million tonnes,

Likely imports of foodgrains into India during 1968 5.7 million tonnes,

Likely distribution of foodgrains through Government channels in India during 1968 11.2 million tonnes,

(b) No, Sir. The buffer stock at the end of the year will neither be negligible nor will it consist only of imported foodgrains.

Mixing Oil Cake with Flour

3353. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the quantity of groundnut oil cake likely to be used under the scheme for producing nutritious food after mixing this oil-cake with flour during the current year and the targets fixed therefore for the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : During the current year about 4,500 tonnes of edible groundnut flour is likely to be utilised in Government programmes for production of Balahar. The proposals for the Fourth Five Year Plan are still under consideration of the Government.

बम्बई के मुख्य (जनरल) डाकघर में हड़ताल

3354. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 सितम्बर, 1968 को बम्बई के मुख्य (जनरल) डाकघर के सब कर्मचारी हड़ताल पर थे;

(ख) यदि नहीं, तो हड़ताली कर्मचारियों की वास्तविक संख्या कितनी थी तथा कुल कर्मचारियों में उनका अनुपात कितना था; और

(ग) उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें हड़ताल के कारण मुअत्तल किया गया है अथवा जिनके विरुद्ध कोई अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं ।

(ख) हड़ताल करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2,029 थी, जब कि कर्मचारियों की कुल संख्या 2,420 है । हड़ताल करने वाले और कुल कर्मचारियों का अनुपात 5 : 6 है अर्थात्

84 प्रतिशत कर्मचारी हड़ताल पर रहे ।

(ग) कोई नहीं ।

उल्हास नगर में भूभागों की बिक्री

3355. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1968 में उल्हास नगर में छोटे रिहायशी भूभागों की बिक्री के लिये टेंडर मांगे थे;

(ख) यदि हां, तो कितने टेंडर प्राप्त हुए थे तथा टेंडर देने वाले लोगों से जमानत के रूप में सरकार को कितनी धन राशि प्राप्त हुई थी;

(ग) क्या इस बीच भूभागों का नियतन कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो कब तथा कितने व्यक्तियों को; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा०रा० चह्वाण) : (क) से (ङ). उल्हास नगर टाउनशिप में भूमि के शेष प्लाटों के निपटारे के लिये कार्यभारी सहायक बन्दोबस्त आयुक्त बम्बई द्वारा जनवरी, 1968 में टेंडर मांगे गये थे । इसके उत्तर में 265 प्लाटों के लिये 493 टेंडर प्राप्त हुये थे और इसके साथ-साथ बयाने के रूप में लगभग 1,63,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई थी ।

इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र सरकार से एक प्रार्थना प्राप्त होने पर अब यह निश्चय किया गया है कि इन टेंडरों के स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में आगे कार्यवाही न की जाये और कार्यभारी, सहायक बन्दोबस्त आयुक्त, बम्बई को टेंडर देने वालों द्वारा जमा की गई राशि को लौटाने के सम्बन्ध में, आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

Commemorative Stamp on Gandhi Centenary

3356. **Shri Yashpal Singh :**
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact commemorative stamps to be issued in connection with Gandhi Centenary have been got printed abroad :

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the amount of foreign exchange spent on their printing ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

Telephone line between Delhi and Bulandshahr

3357. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the telephone line from Delhi to Bulandshahr generally remains out of order ; and

(b) if so, the reasons therefor and steps taken to keep it in order regularly ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) No, the performance of the Circuits from Delhi to Bulandshahr has been generally satisfactory.

(b) Whenever there are interruptions, these are mostly due to theft of copper wire in the section Hapur-Bulandshahr. The following steps have been taken to minimise the theft of copper wire :

(i) Deparmental Officers have been directed to intensify liaison with the concerned Police authorities.

(ii) The Chief Minister of State has been addressed to direct the I. G. Police to take steps to prevent copper thefts.

(iii) The telegraph wires (Unlawful possession) Act 1950 is being amended to provide more severe punishment to the culprits.

(iv) At places, copper wire is being replaced by copper-coated steel wire.

Supply of Toned Milk Instead of Standard Milk by Delhi Milk Scheme

3358. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Milk Scheme had supplied tonned milk instead of standard milk, to the public from the 19th September, 1968 onwards ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken by Government to ensure the supply of standard milk ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir. Delhi Milk Scheme had to suspened temporarily the supply of standardized milk during the period 19-9-68 to 30-9-68 and 17-10-68 to 23-10-68, and toned milk was issued in its place.

(b) Supply of standardized milk had to be suspended because of steep short fall in procurement of milk due to Dushehra and Diwali festivals.

(c) The following steps have been taken by Delhi Milk Scheme to increase the procurement of milk and ensure regular supply of standardized milk to the token holders :

(1) Firm agreements have been entered with the contractors supplying milk to the Scheme to ensure uninterrupted supply particularly during the lean period of summer. The contractors are subject to a penalty in case of failure to supply the agreed quota of milk during the year.

(2) Four Intensive Cattle Development Projects have been started in milk shed of the D.M-S. in districts Meerut in U. P., Gurgaon and Karnal in Haryana and Bikaner in Rajasthan. The I.C.D.Ps. provide for an outlay of over Rs, 80 lakhs per project. Development of cattle on an intensive basis by taking up breeding including artificial insemination, feed and fodder development, veterinary aid facilities, loans for purchase of milk cattle etc. are expected to result in increase in production of milk.

(3) Delhi Milk Scheme has considerably extended its area of procurement. In addition to the traditional area including districts Meerut and Bulandshahr in Uttar Pradesh and Gurgaon in Haryana, the Scheme has started procuring milk from districts Muzaffarnagar in U. P., Alwar and Bharatpur in Rajasthan and Karnal in Haryana.

(4) Possibilities of transporting milk from Mehsana (Gujarat) are being explored.

World Bank Assistance to Food and Agriculture Organisation for Drought in India

3359. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Food and Agricultural Organisation have sought assistance worth Rs. 1,000 crores from the World Bank in view of the continued drought in India ; and

(b) if so, the reaction of Wold Bank thereto ?

The Minister of State in the Minisitry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No such information has been received from F.A.O.

(b) Does not arise.

राजस्थान को मोटे अनाज की सप्लाई

3360. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के वर्तमान अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में बांटने के लिये राज्य सरकार ने हाल में 45,000 टन मोटे अनाज देने की मांग की है;

(ख) क्या यह सारी मांगी गई मात्रा दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस तथ्य के बावजूद कि राजस्थान में इस समय अति भयंकर अकाल पड़ा हुआ है; इस छोटी सी प्रार्थना को भी किन कारणों से स्वीकार नहीं किया जा सका ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। राजस्थान सरकार ने सितम्बर, 1968 के लिए 15,000 मीटरी टन और अक्तूबर, 1968 के लिए 30,000 मीटरी टन मोटे अनाज मांगे थे।

(ख) सितम्बर के लिए 9,300 मीटरी टन और अक्तूबर, 1968 के लिए 20,000 मीटरी टन आवंटित किए गए थे।

(ग) विभिन्न कमी वाले राज्यों की मांग पूर्णरूप से पूरा करने के लिए केन्द्र के पास मोटे अनाजों का पर्याप्त स्टाक न होना।

Irrigation of Land by Tubewells

3361. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of land which can normally be irrigated by one tubewell ;

(b) the total number of tubewells in India at present ;

(c) the acreage of land actually being irrigated with the help of these tubewells ; and

(d) if lesser than the expected acreage of land is being irrigated, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The acreage of land which can normally be irrigated by a tubewell depends mainly on its size, the availability of ground-water, the nature and topography of the land to be irrigated, the cropping pattern etc. However, it is estimated that the command of a State tubewell generally varies between 200 and 300 acres while that of private tubewells, which are smaller in size, ranges between 10 to 30 acres.

(b) At the end of 1967-68, there were about 14,200 State tubewells and approximately 1,95,000 private tubewells in the country for irrigation purposes.

(c) The exact acreage of land being irrigated by the tubewells in the country is not available. It is, however, estimated that an irrigation potential of 64.75 lakh acres has been created by tubewells upto the end of 1967-68.

(d) The actual utilisation of irrigation potential created by the construction of tubewells falls considerably short of the optimum due to various reasons e. g., inadequate water courses, conveyance losses due to seepage, lack of suitable cropping pattern, break-down or interruption of power supply, drop in voltage, break-down of machinery in general, etc.

Non-Implementation of the Recommendation of the Wage Board by M/s. Army and Police Equipment Supply Company, Kanpur

3362. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Ouestion No. 2078 on the 1st August, 1968 and state :

(a) the reasons for the non-implementation of all the recommendations of the Wage Board by Messrs Army and Police Equipment Supply Company, Kanpur ; and

(b) the steps taken by Government to get them implemented ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) The Management has pleaded financial difficulties.

(b) The matter is being pursued by the State Government of Uttar Pradesh.

सहकारी क्षेत्र में चीनी के कारखानें

3363. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 में और वर्ष 1968-69 में अब तक प्रत्येक राज्य में सहकारी क्षेत्र

के उन पक्षों को जो अपने संसाधन जुटाने के लिये सहमत हो गये थे चीनी के कारखाने स्थापित करने के लिये कितने आशय-पत्र जारी किये गये; और

(ख) उपरोक्त अवधि में महाराष्ट्र राज्य से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे और उनमें से कितने आवेदन-पत्रों की मंजूरी केन्द्रीय सरकार ने दी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 3—दो महाराष्ट्र और एक गुजरात में ।

(ख) महाराष्ट्र में नये सहकारी चीनी कारखाने स्थापित करने हेतु लाइसेंस प्राप्ति के लिए 1967 और 1968 में 8 आवेदन-पत्र मिले हैं । इनमें से एक मामले में आशय-पत्र जारी किया गया है ।

लघु सिंचाई कार्य

3364. **श्री रवि राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु सिंचाई तथा गांवों में बिजली लगाने से सम्बन्धित चौथी योजना के कार्यकारी दल ने कुओं, पम्प सैटों और नलकूपों जैसे लघु सिंचाई कार्यों के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) जहां तक खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय सम्बन्धित है, पूछी गई जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

लघु सिंचाई सम्बन्धी चौथी योजना के कार्यकारी दल ने सघन तथा अधिक उत्पादन देने वाली खेती के लिए छोटी सिंचाई संसाधनों का विकास करने पर जोर दिया है और सिफारिश की है कि कुंओं, नलकूपों "पम्प सेटों" आदि को, जिनसे सिंचाई की अधिक सुनिश्चित व्यवस्था हो सकती है, अधिक प्राथमिकता दी जाये तथा सिंचाई की पूरक व्यवस्था करने एवं भूमि में पानी भर जाने और खारेपन को रोकने के लिए सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में ये निर्माण-कार्य को प्रोत्साहन देने के हेतु स्पष्ट नीति सम्बन्धी निदेश दिये जाएं । नीचे एक विवरण दिया गया है जिसमें तीसरी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों को ध्यान में रखकर चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये इन कार्यों के सम्बन्ध में सिफारिशें की गई हैं तथा वर्ष 1966—69

की अवधि में प्रत्याशित उपलब्धियां दी गई हैं :

कार्य	तीसरी पंचवर्षीय योजना में उपलब्धि	वर्ष 1966—69 की अवधि में प्रत्याशित उपलब्धि	चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य
1. कुंए	6,36,692	1,86,111	10,00,000
2. छानने की व्यवस्था सहित गैर-सरकारी नलकूप	64119	34187	3,75,000
3. पम्पसेट			
(क) डीजेल	2,35,252	60,040	6,00,000
(ख) विद्युत चालित	3,22,645	1,37,276	12,50,000

इस कार्यकारी दल ने इन कार्यों के लिये धन की व्यवस्था करने तथा इनकी क्रियान्विति के बारे में भी निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :

(1) लघु सिंचाई योजनाएं तैयार करते समय चुनींदा सुसंहत तथा समेकित आयोजन पर जोर दिया जाये ।

(2) राज सहायता प्रायः उन छोटे किसानों को ही दी जाये जिनकी भूमि/कुल आय किसी निर्धारित स्तर से, जो क्षेत्रीय आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, कम हो ।

(3) समस्त गैर-सरकारी निर्माण कार्यों के लिये प्रायः भूमि विकास बैंक, कृषि पुनर्वित्त निगम, कृषि-उद्योग निगम, केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा वाणिज्यिक बैंक जैसी संस्थाओं के माध्यम से धन की व्यवस्था की जाये । सरकारी (तकावी) ऋण केवल छोटे किसानों को ही दिये जाएं ।

(4) वर्तमान तकनीकी व्यवस्था का इतना विकास किया जाय जिससे वह कुएं खोदने तथा कुओं को गहरा करने के संशोधित कार्य सुचारु रूप से चला सके तथा भूमि गत जल का उपयोग करने की योजनों के लिये तकनीकी व्यवस्था कर सके । इन संस्थाओं में अविलम्बनीय आधार पर भूमिगत जल खोज एकक स्थापित किए जाएं ।

(5) कुएं खोदने के कार्य में स्वेच्छा से कार्य करने के लिये गैर-सरकारी/सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाये । इस स्वेच्छा से कार्य करने में कृषि-उद्योग निगम भी हाथ बटा सकते हैं । वाणिज्यिक बैंकों को इन कार्यों में सहायता देने के लिये सहमत किया जाये । वाणिज्यिक बैंकों/औद्योगिक विकास बैंक के साथ समुचित पुनर्वित्त की व्यवस्था करके निर्माता फर्मों द्वारा भावी एजेंसियों को आस्थगित भुगतान की सुविधाओं की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा सकता है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज की वसूली तथा वितरण

3365. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय सरकार के लिये मंडियों से अनाज खरीदने के लिये भारतीय खाद्य निगम को राज्य सरकारों से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वितरण के मामले में खाद्य निगम को कुछ स्वायत्तता प्राप्त है और उसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह राज्य सरकार के निदेशों का पालन करें; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) खाद्यान्नों का वितरण सामान्यत: सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । कुछ राज्यों में भी जहां निगम द्वारा वितरण की व्यवस्था की जाती है, यह वितरण राज्य सरकारों के निदेशों के अधीन किया जाता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

3366. **श्री अदिचन** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अस्पृश्यता की प्रथा की विद्यमानता का पता लगाने वाली समिति ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) एक विवरण-पत्र, जिसमें समिति की अन्तरिम रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें दी गई हैं, सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2540/68]

(ग) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम के संशोधन सम्बन्धी सिफारिशों पर अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही विचार किया जायेगा ।

यार्दी कार्यकारी दल द्वारा सेवाओं में प्रतिनिधित्व के प्रश्न का कुछ और पुनर्विलोकन किया गया है; अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को मिलने वाली सुविधाओं को कुछ और बढ़ाने के बारे में आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

जहां तक मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्तियों तथा पिछड़ा वर्ग कार्यक्रम की बात है, चतुर्थ योजना तय्यार करते समय अन्तरिम रिपोर्ट की सिफारिशों पर ध्यान दिया जा रहा है ।

Sinking of Tubewells Under Private Grow More Food Scheme in Ganganagar

3367. **Shri P. L. Barupral :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the scheme to instal tubewells for minor irrigation under the grow more food scheme for individuals in the agricultural areas of Ganganagar district ; and

(b) the way in which the Central and the State Governments propose to extend their cooperation for giving financial aid to the farmers under the Scheme ?

The Minister of State in the Ministry of food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). The information is being collected from the State Government and will be placed on the Table of the Sabha on receipt.

Co-operative Farms

3368. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of co-operative farms at the end of 1967 in each State, separately ;

(b) the number of new co-operative farms set up this year by the end of September, 1968 in each State ; and

(c) the scheme chalked out by Government to give incentives to co-operative farming ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) and (b). Two statements are laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2541/68.]**

(c) Co-operative farming societies are to be organised in areas having a conjunction of favourable circumstances and offering potentials for the growth of the programme. The pattern of financial assistance to co-operative farming societies has been modified, and a joint farming society is now entitled to the maximum assistance of Rs.28,000/- and a collective farming society of Rs. 39,100/-. This includes share capital contribution of Rs. 2,000/-, loan-cum-subsidy of Rs. 5,000/- for godown-cum-cattle shed, and land development loan at the rate of Rs. 100/- per acre subject to the maximum of Rs. 20,000/- and managerial subsidy of Rs. 1,200/- for a joint farming society and land development loan at the rate of Rs. 150/- per acre subject to the maximum of Rs. 30,000/- and managerial subsidy of Rs. 2,100/- for a collective farming society. Short and medium-term credit is expected to flow from the central co-operative banks and long-term credit from the land development banks. From 1969-70 onwards the scheme of cooperative farming will be a state plan scheme and cease to be a Centrally sponsored scheme.

Purchase of Milk Powder by Delhi Milk Scheme

3369. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of milk powder purchased by the Delhi Milk Scheme in a year ;

(b) the purpose for which this milk powder is purchased ; and

(c) the percentage of milk powder being mixed in the milk being supplied to the people in Delhi ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Sinde) : (a) Delhi Milk Scheme has purchased 3479.615 tonnes of spray-dried skimmed milk powder during the year 1968-69.

(b) The skimmed milk powder is mainly used for making toned and double toned milk. There is a demand for toned milk and double toned milk as such. But over and above these, consumer demands, DMS has to make up for the shortage in milk procurement. In summer the shortage is more pronounced. So, by reconstituting milk with skimmed milk powder, the DMS maintains its regular level of supply.

(c) The percentage of skimmed milk powder in various types of milk produced from skimmed milk powder is as follows :—

Standardised milk	1.98% approx.
Toned Milk	4.6 % approx.
Double toned milk	6.8 % approx.

राजस्थान में चारे की कमी की स्थिति

3370. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में चारे की कमी की स्थिति का अध्ययन करने के लिये हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने एक दल वहां भेजा था;

(ख) यदि हां, तो वे किन-किन जिलों में गये थे;

(ग) उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले हैं;

(घ) क्या उनकी सिफारिशों को इस बीच क्रियान्वित किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिले ।

(ग) इन जिले पर भयंकर सूखे की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा और वहां पर चारे और पानी की अत्यधिक कमी थी । चारागाहों और पानी की खोज में अनेक पशु पालकों को अपने गांव छोड़ने पड़े । राजस्थान सरकार के सहायता विभाग ने इन जिलों में पशुओं के संरक्षण हेतु योजनाएं तैयार कीं जिनमें चारे की अधिप्राप्ति और सप्लाई की व्यवस्था व पशुओं के स्थानान्तरण का प्रबन्ध था ।

(घ) दल के द्वारा की गई सिफारिशों पर केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

1. अत्यावश्यक पण्य अधिनियम 1955 के अन्तर्गत, राजस्थान सरकार को चारे की कीमतों व लाने लेजाने पर प्रतिबन्ध लगाने के अधिकार प्रदान किये गये हैं।

2. स्थानान्तरित पशुओं को चारा सप्लाई करने के लिये राजस्थान सरकार ने राज्य में से तथा पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से भी चारा प्राप्त करने का प्रबन्ध किया है। इस कार्य के लिये राजस्थान सरकार ने चारे के 200 भण्डार स्थापित किये हैं।

3. निम्नलिखित राज्यों ने राजस्थान के पशुओं को चरने की सुविधाएं देना स्वीकार कर लिया है :

मध्य प्रदेश	1,00,000 पशु
उत्तर प्रदेश	60,000 पशु
पंजाब	10,000 पशु

4. राजस्थान सरकार, पशु शिविर स्थापित करने तथा पशुओं के पालन-पोषण के लिये उपदान देने के लिये स्वयंसेवी संस्थाओं को उत्साहित कर रही है। स्वयंसेवी संस्थाओं को चारे के परिवहन के लिये रेलवे द्वारा रियायती सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

5. राजस्थान सरकार ने घास काटने के बाद, पशुओं के चरने के लिये जंगल की विरों का नियतन कर दिया है।

6. राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्रों में मवेशी प्रजननकारियों को चारा खरीदने के लिये 100 रुपये से 500 रुपये तक का तकावी ऋण दिया जा रहा है।

7. रेलवे मंत्रालय, राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिये प्राथमिकता के आधार पर चारा परिवहन कर रहा है और इसके लिये रियायती भाड़ा दरें भी लागू कर दी हैं।

8. इन क्षेत्रों से कमजोर पशुओं के देश के किसी भी दूसरे कोने में परिवहन के लिये रेल मंत्रालय ने भाड़ा दरों में 20 प्रतिशत रियायत देना स्वीकार कर लिया है।

9. पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे अपने राज्यों से चारा खरीदने और प्राप्त करने के कार्य में राजस्थान सरकार को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करें।

10. राजस्थान सरकार ने पीने के पानी की स्थिति को सुधारने के लिये कुंओं को गहरा करने के पश्चात् नलकूप लगाकर तथा दूर बसे गांवों को टैंकरों द्वारा पानी सम्भरण करने आदि के उचित कदम उठाये हैं।

11. राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय गोसंवर्धन परिषद् को 2,75,000 रुपये का अनुदान दिया गया है।

12. बीकानेर जिले में सघन पशु-विकास क्षत्र के लिये एक ट्रक, एक ट्रैक्टर के क्रय,

बीजों की उपदानिक सप्लाई तथा नलकूपों के प्रयोजन के लिये भारत सरकार ने 11.5 लाख रुपये स्वीकृत किये हैं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं होता ।

उत्तर प्रदेश में पन्त नगर में बीज प्रक्षेत्र

3371. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पन्त नगर के निकट एक बड़ा बीज प्रक्षेत्र स्थापित करने के लिये कोई निर्णय किया गया है;

(ख) क्या उसके लिये कोई अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण तकनीकी या वित्तीय सहायता देगा; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) उत्तर प्रदेश में पन्त नगर के पास केन्द्र सरकार द्वारा बड़ा बीज फार्म स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं होते ।

अधिक उपज देने वाले बीज

3372. **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री बाल्मीकि चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र ने अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्मों के परिणामों का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण से क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). कृषि-आर्थिक अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली द्वारा 1966-67 की अवधि में अलीगढ़ तथा करनाल जिलों के कुछ चुने हुये ग्रामों में और 1967-68 से अमृतसर, करनाल और सहारनपुर जिलों में बीजों की विशिष्ट किस्मों के बारे में अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम की क्रियान्विति के कुछ पहलुओं का मूल्यांकन किया गया है। इन अध्ययनों के अनुसार, आवृत्त जिलों में मैक्सिकन गेहूं तथा संकर बाजरा तथा करनाल (खरीफ 1966) और सहारनपुर (खरीफ 1967) में टी० एन०-1 धान का प्रदर्शन कुल मिलाकर उत्साहवर्धक था । परन्तु अलीगढ़

(खरीफ 1966) में संकर मक्का तथा अमृतसर (खरीफ 1967) में टी० एन०-1 धान का प्रदर्शन निर्धारित स्तर का नहीं था। अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों के प्रदर्शन को लगातार ध्यान में रखा जा रहा है और विभिन्न क्षेत्रों के अनुकूल अधिक उपज देने वाली नई किस्मों के विकास तथा प्रसार के लिये निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

दिल्ली में नये टेलीफोन लगाने में विलम्ब

3373. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तारों तथा अन्य उपकरणों की कमी होने के कारण दिल्ली में नये टेलीफोन लगाने और टेलीफोनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाने में बहुत अधिक विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में विलम्ब न होने देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां। जोर-बाग जैसे कुछ एक्सचेंज क्षेत्रों में नये टेलीफोन कनेक्शन देने और टेलीफोनों को बदलने में देरी केवल युग्मों की कमी के कारण है, जबकि तीस हजारी और दिल्ली कैंट जैसे कुछ अन्य एक्सचेंजों में एक्सचेंज क्षमता की कमी के कारण नये कनेक्शन नहीं दिये जा सकते और अन्य एक्सचेंज क्षेत्रों से इन क्षेत्रों में टेलीफोन स्थानान्तरित नहीं किये जा सकते। तथापि करौलबाग, कनाट प्लेस तथा दिल्ली गेट जैसे कुछ क्षेत्रों में मंजूरशुदा नये कनेक्शन देने अथवा टेलीफोनों को स्थानान्तरित करने में किसी खास देरी की सूचना नहीं मिली।

(ख) कमी को दूर करने की दृष्टि से उपलब्ध साधनों के अनुसार अतिरिक्त एक्सचेंज क्षमता की व्यवस्था करने तथा और अधिक केबल बिछाने के लिये लगातार प्रयत्न किये जा रहे हैं। फरवरी, 1969 तक गाजियाबाद, फरीदाबाद, नजफगढ़, बदरपुर और कैंट एक्सचेंजों का विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है। तीस हजारी एक्सचेंज क्षेत्र को कुछ राहत देने के लिये फरवरी, 1969 में दिल्ली गेट एक्सचेंज की कुछ क्षमता के वहां स्थानान्तरण का प्रस्ताव है। जोर बाग एक्सचेंज क्षेत्र में अतिरिक्त केबल बिछाये जा रहे हैं और आशा है कि इससे मार्च, 1969 तक केबल की कमी बहुत हद तक दूर हो जायेगी। जनपथ, चाणक्यपुरी और ओखला में नये एक्सचेंज स्थापित किये जा रहे हैं। 1969 में राजपथ और दिल्ली गेट के एक्सचेंजों में क्रमशः 2700 और 2000 लाइनों का विस्तार किये जाने का प्रस्ताव है।

अन्नपूर्णा कैफेटीरिया, नई दिल्ली

3374. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्नपूर्णा कैफेटीरिया के, जिसे हाल ही में बन्द कर दिया गया

था, भूतपूर्व कर्मचारियों ने अपने निजी अंशदान से एक रेस्तरां आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें वित्तीय सहायता देने और रेस्तरां के लिये उचित किराये पर स्थान देने की भी पेशकश की है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित सहायता का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भूतपूर्व अन्नपूर्णा कैफेटीरिया के कर्मचारियों द्वारा रेस्टोरेन्ट चलाने के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

बिहार में चीनी मिलें

3375. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री न० कु० सांधी :
श्री मृत्युंजय प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार स्थित चीनी मिलों को वहां से हटाकर अन्य राज्यों में स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्य में और इस निर्णय के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इससे बिहार की अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख). बिहार के तीन चीनी कारखाने, जिनमें एक डालमियां नगर, जिला शाहाबाद, दूसरा वारसलिगंज, जिला गया और तीसरा सीवान (एस० के० जी०) जिला सारन में हैं, क्रमश: (1) मैसूर राज्य; (2) आन्ध्र प्रदेश/मैसूर और (3) गोवा में उपयुक्त स्थान पर कारखाने ले जाने के लिये लाइसेंस देने हेतु आवेदन-पत्र दिया है । प्रस्तावित स्थान परिवर्तन के लिये गन्ने की अपर्याप्त सप्लाई और क्षेत्र में अपेक्षित मात्रा में गन्ना उत्पन्न करने की असमर्थता ही कारण बताया जाता है ।

(ग) बिहार सरकार डालमियांनगर और वारसलिगंज के चीनी कारखाने को हटाने के पक्ष में नहीं है । तथापि, राज्य सरकार सीवान (एस० के० जी०) के चीनी कारखाने के आवेदन-पत्र के लिये कतिपय शर्तों के साथ सिफारिश की है । राज्य सरकार ने आगे यह भी सूचित किया है कि यह कारखाना दो सीजन अर्थात् 1968-69 और 1969-70 में वर्तमान स्थान पर ही चलता रहेगा । अत: उनके स्थानान्तरण को फिलहाल स्थगित माना जाना चाहिये ।

Assistance to Jammu and Kashmir for Improving Breeds of Goats and Sheep

3376. **Shri Kushak Bakula** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the amount of assistance given to the State of Jammu and Kashmir for improving the breed of long haired goats and sheep with a view to promote export of wool ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : The required information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha as soon as possible.

Minor Irrigation in Ladakh

3377. **Shri Kushak Bakula** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the nature of assistance extended so far by the Government of India for the construction of water channels in the remote hilly tracts of Jammu and Kashmir State with a view to develop minor irrigation works in Ladakh District of the said State ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : According to the existing procedure, Central assistance to the State Governments is given under broad heads of development e. g., 'Agricultural Production', 'Minor Irrigation', etc. and not scheme-wise. With effect from 1-4-1967, the State Governments are eligible for 60% loan and 15% grant for 'Minor Irrigation' programme, subject to the annual overall outlay approved. The assistance for construction of water channels in so far as these form a part of the minor irrigation schemes is included under the broad head 'Minor Irrigation' for which Central assistance is released for the State as a whole and not separately for a particular district of State.

P. and T. Offices in Ladakh

3378. **Shri Kushak Bakula** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of post offices and telegraph offices in Ladakh District of Jammu and Kashmir State ; and

(b) the details of the scheme to provide additional post offices and telegraph offices there ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Post Office—18

Post Offices having telegraph facilities—3

(b) During 1968-69 new post offices at Baroo and Indo-Tibetan Border Police Post are likely to be established. There is no proposal to extend telegraph facility to any new station. Proposals for expansion of Post and Telegraph facilities during the Fourth Plan period are yet to be finalised.

भारत में अन्धों की सहायता

3379. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या समाज-कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान दिनांक 3 अक्तूबर, 1968 को कलकत्ता से प्रकाशित

अमृत बाजार पत्रिका में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि आदिस अवावा (इथोपिया) में एक छाता कारखाने में सभी अन्धे मजदूर कार्य करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार का विचार कारखाने का ब्योरा प्राप्त करने का है तथा वहां अन्धे किस प्रकार काम करते हैं इसका पता लगाने का है जिससे भारत में अन्धों की सहायता की जा सके ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) तथा (ख). हां, श्रीमान । नई दिल्ली स्थित "इम्पीरियल इथोपियन एम्बासी" के माध्यम से परियोजना के आवश्यक ब्योरे के लिये निवेदन किया गया है ।

खनिकों के लिये पुनर्वास केन्द्र

3380. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अब तक खनिकों के लिये कितने और किन-किन स्थानों पर पुनर्वास केन्द्र खोले गये हैं;

(ख) खनिकों के लाभ के लिये इन केन्द्रों द्वारा किन-किन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है;

(ग) इन केन्द्रों द्वारा अनुमनितः कितने खनिकों को लाभ पहुंचेगा; और

(घ) भविष्य में कितने और किन-किन स्थानों पर ऐसे केन्द्र स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) अभ्रक खान श्रमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत बिहार में तिसरी नामक स्थान पर एक पुनर्वास केन्द्र विद्यमान है । कोयला खान श्रमिक कल्याण निधि के अन्तर्गत अभी तक कोई स्वतंत्र पुनर्वास केन्द्र नहीं खोला गया है । परन्तु धनबाद और आसनसोल के केन्द्रीय अस्पतालों से संलग्न दो छोटे पुनर्वास केन्द्र कार्य कर रहे हैं ।

(ख) तिसरी के केन्द्र में सिलाई और टोकरी बनाने की सुविधाएं प्राप्त हैं । धनबाद और आसनसोल के केन्द्रीय अस्पतालों से सलंग्न केन्द्रों में चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं जैसे सक्रिय व्यायाम, इनफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज, इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन मालिश, पेराफीन बाय तथा कसरतें, रेडियम हीट बाय एवं अक्युपेशनल थेरापी प्राप्त हैं ।

(ग) तिसरी के केन्द्र में लगभग 48 खनिक तथा दोनों केन्द्रीय अस्पतालों से संलग्न केन्द्रों में लगभग 8,000 रोगी प्रतिवर्ष लाभ प्राप्त करते हैं ।

(घ) तीन पुनर्वास केन्द्र एक बिहार में तिसरी नामक स्थान पर दूसरा पश्चिम बंगाल में सिधाबारी नामक स्थान पर और तीसरा मध्य प्रदेश में छिन्दवाड़ा नामक स्थान पर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ।

Prices of Vanaspati

3381. **Shri Valmiki Chaudhary:**
Shri Ramavatar Shastri:

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the number of times the prices of Vanaspati Ghee have been enhanced during the last three months, the extent of increase and the reasons therefor;

(b) whether there is shortage of Vanaspati Ghee in the market in Delhi and if not, the reasons for selling Vanaspati Ghee on ration cards;

(c) whether it is a fact that only Rath, Panghat or Vanaspati No. 1 is available in the market at present and Dalda is not available there and if so, the reasons therefor; and

(d) the percentage of increase in the present prices as against the prices prevailing three months earlier?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) A seatement showing the number of times the prices of Vanaspati have been revised during the last three months in one or more zones, and the extent of increase or decrease, as the case may be, made at each revision is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2542/68]**

(b) and (c). There is no shortage of Vanaspati in Delhi. The sale of Vanaspati on ration cards, introduced by the Delhi Administration in August, 1968 when some shortage was being experienced, is being continued for the present, but on a liberalised scale, as a precautionary measure.

(d) The present prices in the North, South, East and West Zones are higher than the prices prevailing three months earlier, by 19.8%, 28.2%, 18.6% and 25.7% respectively.

उर्वरक बाजार में विरोधाभासी स्थिति

3382. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय उवर्रक बाजार में लगभग विरोधाभासी स्थिति है जबकि किसान उर्वरक न मिलने की शिकायत कर रहे हैं और उर्वरक कम्पनियों को अपने उत्पाद को बेचने में कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले दो महीनो में कुछ उर्वरक कम्पनियों को अपने उत्पादन में कमी अथवा इसे बन्द करने पर मजबूर होना पड़ा क्योंकि उनका उत्पाद बिक नहीं रहा था;

(ग) क्या उत्पादन करने वाली कम्पनियों ने उर्वरकों के आयात के बारे में अपनाई गई अनिश्चित नीति के लिये सरकार पर दोष लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकार को ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं, कि किसानों को उर्वरक उपलब्ध न कराये गये हों। उन निर्माताओं जिन्होंने अपनी उन्नति और विपणन के प्रयासों को भली प्रकार से आयोजित किया हुआ है, के भंडारों का संचयन नहीं हो रहा है। प्रायः यह विपणन के ज्ञान की कमी और व्यापार में अधिकतम लाभ उठाने की इच्छा का ही परिणाम है कि कुछ मिलों के भंडारों का संचयन हो रहा है।

(ख) यह सत्य है कि अपने अक्षम्य उन्नति और विपणन प्रयासों के फलस्वरूप अपना उत्पाद बेचने की असमर्थता के कारण कई फास्फेट कारखानों को अपना कार्य बन्द कर देना पड़ा।

(ग) कुछ सुपरफास्फेट उत्पादकों ने डाई-अमोनियम फास्फेट के आयात के विरुद्ध शिकायत की है।

(घ) सरकार ने डाई-अमोनियम फास्फेट के आयात का कार्यक्रम इस वर्ष के अत्यन्त शुरू में समायोजन किया है और सुपर फास्फेट के देसी उत्पादकों को सलाह दी कि वे उन्नतिशील विपणन सिद्धान्तों का अनुसरण करें।

राज्यों को खाद्यान्नों की सप्लाई

3383. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री द० ब० राजू :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1968 से राज्यों को अनाज की सप्लाई में कमी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सप्लाई में इस कटौती को कब बहाल किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का और आवंटन प्रत्येक मास भिन्न-भिन्न होता है और यह आवंटन प्रत्येक महीने में केन्द्र के पास कुल उपलब्धि और प्रत्येक राज्य की जरूरतों के आधार पर किया जाता है। यह कहना ठीक नहीं है कि अगस्त, 1968 से केन्द्रीय पूल से राज्यों के आवंटन में सामान्य कटौती हुई है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

किसानों को उर्वरक की सप्लाई

3384. **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

श्री नाथूराम अहिरवार :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष अक्तूबर में नई दिल्ली में केन्द्रीय तथा राज्यों के कृषि अधिकारियों

की बैठक में किसानों को रबी की फसल के लिए उर्वरक सप्लाई करने हेतु किए जाने वाले प्रबन्धों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रबन्धों का ब्योरा क्या है;

(ग) इस वर्ष रबी की फसल के लिए प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र को विभिन्न प्रकार का कितना-कितना उर्वरक दिया जायेगा; और

(घ) उक्त फसल के लिए प्रत्येक राज्य में प्रति एकड़ भूमि के लिए कितना उर्वरक उपलब्ध होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अक्तूबर 1968 में उर्वरक वितरण के विषय में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों के बीच नई दिल्ली में कोई बैठक नहीं हुई थी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) अपेक्षित जानकारी प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2543/68]

(घ) अपेक्षित जानकारी प्रदर्शित करने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2543/68]

पश्चिमी बंगाल को खाद्यान्नों की सप्लाई

3385. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से सितम्बर, 1967 और जनवरी से सितम्बर, 1968 तक प्रतिमास कितने टन अनाज, चावल तथा गेहूं अलग-अलग, केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को सप्लाई किया गया; और

(ख) 1968 के पहले नौ महीनों में सामान्य व्यापार तरीकों से पश्चिम बंगाल को नेपाल से आयातित कितना चावल सप्लाई किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पश्चिमी बंगाल को जनवरी से सितम्बर, 1967 और जनवरी से सितम्बर, 1968 की अवधियों में केन्द्रीय पूल या केन्द्रीय आवंटनों के प्रति अधिशेष राज्यों से राज्य के

आधार पर अनाजों की सप्लाई या भेजी गई मात्रा इस प्रकार है :

(मात्रा हजार मीटरी टन में)

महीना	1967				1968			
	चावल	गेहूं	अन्य अनाज	कुल अनाज	चावल	गेहूं	अन्य अनाज	कुल अनाज
जनवरी	13.1	53.1	0.2	66.4	31.5	73.9	10.2	115.6
फरवरी	17.2	82.7	—	99.9	44.1	83.9	8.9	136.9
मार्च	27.2	87.1	—	114.3	40.8	67.6	23.3	131.7
अप्रैल	18.6	63.9	—	82.5	12.8	101.6	14.1	128.5
मई	5.4	59.7	—	65.1	5.4	128.8	6.7	140.9
जून	9.4	82.3	4.6	96.3	14.8	109.6	10.9	135.3
जुलाई	7.0	94.5	7.8	109.3	18.4	103.2	13.8	135.4
अगस्त	14.5	100.1	6.1	120.7	3.3	150.3	1.7	155.3
सितम्बर	8.8	92.7	5.8	107.3	24.5	129.4	—	153.9
जोड़	121.2	716.1	24.5	861.8	195.6	948.3	89.6	1233.5

(ख) लगभग 40,000 मीटरी टन ।

पश्चिम बंगाल में नलकूपों का लगाया जाना

3386. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में सिंचाई प्रयोजन हेतु अब तक कितने नलकूप लगाये गये हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में कुल कितनी धन-राशि व्यय की गई है;

(ग) इनसे सिंचाई की कितनी क्षमता स्थापित हुई है;

(घ) इनसे कुल कितने एकड़ भूमि को लाभ हुआ है;

(ङ) कितने नलकूप कार्य करने की स्थिति में हैं और कितने वास्तव में काम कर रहे हैं; और

(च) इस समय उनमें से कितने नलकूप खराब हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1543 राजकीय नलकूप ।

(ख) 14,00,78,000 रु० (वित्तीय वर्ष 1967-68 तक व्यय हुए) ।

(ग) 1,63,600 एकड़ ।

(घ) 1,00,000 एकड़ ।

(ङ) 1250 चालू योग्य हैं जिनमें से 1158 वास्तव में काम कर रहे हैं ।

(च) 92

पश्चिम बंगाल में सिंचाई के लिये उथले नलकूप लगाया जाना

3387. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने सिंचाई प्रयोजनों हेतु उथले नलकूप लगाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या उथले नलकूप लगाने का निर्णय करने से पूर्व राज्य सरकार ने भारत के भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों से परामर्श किया है; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पश्चिम बंगाल में अब तक कितने उथले नलकूप लगाये गये हैं;

(घ) राज्य के प्रत्येक जिले में लगाये गये नलकूपों की संख्या कितनी है;

(ङ) इससे जिला-वार कितने एकड़ भूमि में सिंचाई हुई है;

(च(कितने उथले नलकूप काम करने की स्थिति में हैं और कितने वास्तव में काम कर रहे हैं; और

(छ) इस समय कितने नलकूप खराब पड़े हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क)जी हां ।

(ख) प्रारम्भिक अवस्था में नहीं । तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय से पश्चिम बंगाल में कम गहरे नलकूपों की योजना को लघु सिंचाई की योजनाओं के रूप में शुरू किया जा रहा है । क्योंकि प्रत्येक जिले में ऐसे नलकूपों की संख्या बहुत कम होने की आशा थी, अतः राज्य सरकार ने यह आवश्यक नहीं समझा कि उस अवस्था में भारत के भूगर्भीय सर्वेक्षण के विशेषज्ञों से परामर्श किया जाये । परन्तु राज्य में व्यापकरूप से कम गहरे नलकूप लगाने के लिये राज्य सरकार द्वारा लिये हुये अनुवर्ती निर्णयों को दृष्टि में रखते हुये भारत के भूगर्भीय सर्वेक्षण के साथ विचार-विमर्श किया गया ।

(ग) अब तक राज्य में ऐसे चार हजार तीन सौ अठत्तर नलकूपों के लगाये जाने की सूचना प्राप्त हुई है ।

(घ) जिला-वार ब्योरा नीचे दिया है :

1.	नादिया	...	845 संख्या
2.	बांकुरा	...	24 ,,
3.	पश्चिम दिनाजपुर	...	376 ,,
4.	कूच बिहार	...	84 ,,
5.	मुर्शिदाबाद	...	350 ,,
6.	मिदनापुर	...	128 ,,
7.	बिरभुम	...	342 ,,
8.	वर्दवान	...	1246 ,,
9.	चोबीस परगना	...	649 ,,
10.	माल्दा	...	149 ,,
11.	हुगली	...	154 ,,
12.	हावड़ा	...	31 ,,
13.	जलपाइगुड़ी	...	—
14.	दारजीलिंग	...	—
15.	पुरूलिया	...	—
		कुल	4378

(ङ) लाभान्वित क्षेत्र का जिला-वार ब्योरा निम्न प्रकार है :

1.	नादिया	...	3,173 एकड़
2.	बांकुरा	...	30 ,,
3.	पश्चिम दिनाजपुर	...	1,553 ,,
4.	कूच बिहार	...	137 ,,
5.	मुर्शिदाबाद	...	1,426 ,,
6.	मिदनापुर	...	1,276 ,,
7.	बिरभूम	...	3,415 ,,
8.	बर्दवान	...	2,440 ,,
9.	24 परगना	...	2,079 ,,
10.	माल्दा	...	504 ,,
11.	हुगली	...	2,310 ,,
12.	हावड़ा	...	310 ,,
13.	जलपाईगुड़ी	...	—
14.	दारजिलिंग	...	—
15.	पुरूलिया	...	—
		कुल	18,653

(च) चार हजार चव्वन (4,054) कम गहरे नलकूप ठीक स्थिति में हैं और तीन हजार दो सौ इक्कीस (3,221) वास्तविकरूप से कार्य कर रहे हैं।

(छ) तीन सौ चौबीस (324) कम गहरे नलकूप खराब पड़े हैं।

Pastures under Central Government

3388. **Shri Nageshwar Dwivedi:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the places where pastures under the Control and Central Government are located, the areas of each one of them and the details of facilities regarding graving by cattle provided their ; and

(b) the number of news pastures being provided in the Fourth Five Year Plan at the Central level, the proposed locations thereof and the proposed area of each one of them?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) There are no pastures under the control of the Central Government.

(b) There is no proposal to set up new pastures at the Central level.

पश्चिम बंगाल में हड़तालें, तालाबन्दी तथा मिलों का बन्द होना

3389. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 21 फरवरी, 1967 से 5 अक्तूबर, 1968 तक पश्चिम बंगाल में हड़ताल, तालाबन्दी तथा मिलों के बन्द होने की कितनी घटनाएं घटी हैं;

(ख) हड़ताल, तालाबन्दी तथा मिलों के बन्द होने से कितने कारखानों तथा व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है;

(ग) अभी तक कौन-कौन कारखाने बन्द पड़े हैं और इन कारखानों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(घ) अब तक बन्द पड़े बड़ कारखानों के नाम क्या हैं और प्रत्येक कारखाने के कर्मचारियों की संख्या कितनी-कितनी है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-2544/68]**

Agricultural Development Blocks

3390. **Shri Valmiki Choudhari:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have received any suggestion to set up Agricultural

Development Blocks in place of Community Development Blocks consequent on the failure of Community Development Blocks in the field of agricultural Development ; and

(b) if so, the reaction of Government to the establishment of Agricultural Development Blocks ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) Government have received no such suggestion and do not agree that Community Development Blocks have failed in the field of agricultural production.

(b) Does not arise.

डाक विभाग में सार्टिंग मशीनों का लगाया जाना

3391. **श्री गार्डिलिंगन गौड़ :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री चित्ती बाबू :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार डाक विभाग में सार्टिंग मशीनें लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब और ये मशीनें किन स्थानों पर लगाई जायेंगी, ये मशीनें कहां से प्राप्त होंगी और इनकी क्षमता तथा लागत क्या होगी ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) अभी इसकी जांच की जा रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामीण क्षेत्रों के डाक घरों में घाटा

3392. **श्री गार्डिलिंगन गौड़ :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये गये डाकघर काफी घाटे पर चलते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे डाकघरों को प्रारम्भिक अवस्थाओं में चलाने के लिये अंशकालिक आधारों पर स्कूल के अध्यापकों जैसे अतिरिक्त विभागीय एजेंटों का प्रयोग करने की संभावनाओं का पता लगाया गया था; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम प्राप्त हुए और इस सम्बन्ध में मितव्ययता करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). एक विवरण नीचे दिया जाता है ।

विवरण

(क) कुछ निर्धारित सीमाओं तक घाटा होने पर भी देहाती क्षेत्रों में डाकघरों की व्यवस्था करने की भारत सरकार की नीति है।

(ख) देहाती क्षेत्रों में प्रयोग के तौर पर खोले गये किसी डाकघर को सामान्यत: विभागातिरिक्त शाखा डाकघर का दर्जा दिया जाता है और इसका कार्यभारी अधिकारी एक अंशकालिक एजेंट होता है जिसे विभागातिरिक्त एजेंट कहा जाता है। विभागातिरिक्त एजेंटों को डाक ले जाने और बांटने के काम पर भी लगाया जाता है। विभागातिरिक्त पोस्टमास्टरों के पदों पर ऐसे उम्मीदवारों को लगाया जाता है जिनके पास आमदनी का स्वतंत्र साधन हो। इन पदों पर नियुक्तियों के लिए पेंशनरों, स्कूलों के अध्यापकों, दूकानदारों और कृषकों को तरजीह दी जाती है।

(ग) इस बात के बावजूद कि देहाती क्षेत्रों के अधिकांश डाकघरों में विभागातिरिक्त एजेंट काम पर लगे हुए हैं, इन डाकघरों के घाटे पर चलने का कारण यह है कि देहाती क्षेत्रों में डाकघर चलाने में निर्धारित सीमा तक घाटा उठा कर भी अधिक डाकघर खोलने की सरकार की नीति है और इसका एक कारण विभागातिरिक्त एजेंटों के वेतन में वृद्धि होना भी है। सिव्वन्दी के खर्च में कमी करने और उन्हें चालू रखने की दृष्टि से प्रयोग के तौर पर चलाये गये डाकघरों की वित्तीय स्थिति का हर साल पुनरीक्षण किया जाता है। कुछ विशेष मामलों में इनमें दिलचस्पी रखने वाली पार्टियों या राज्य सरकारों से वापस न किया जाने वाला अंशदान वसूल करके इन्हें चलाने में होने वाले घाटे को आंशिकरूप से अथवा पूरी तरह से पूरा भी किया जाता है। स्थायी किये जाने वाले डाकघरों में कोई अनुचित घाटा न हो इसके लिए वित्तीय पूर्वोपाय भी किये गये हैं। देहाती क्षेत्रों में प्रयोग के तौर पर चलाये गये डाकघरों के लिए आजमाइश की 10 वर्ष की अधिकतम अवधि भी नियत की गई है। विभागातिरिक्त डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें विभागीय डाकघर तभी बनाया जाता है जब वे काम के न्यूनतम घंटों और वित्तीय घाटे की सीमाओं संबंधी विभागीय प्रतिमानों पर पूरे उतरते हों।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में डाक व तार के व्यय में वृद्धि

3393. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में डाक व तार विभाग की सभी ब्रांचों में राजस्व की तुलना में व्यय की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में वित्त सम्बन्धी भार को व्यय करने के लिये कोई नई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां, रेडियो शाखा को छोड़कर ।

(ख) कर्मचारियों को देय भत्तों, विशेषरूप से महंगाई भत्ते, समयोपरि भत्ते, बच्चों के शिक्षा भत्ते और चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा किराये और अन्य फुटकर व्यय के कारण विभाग का खर्च तेजी से बढ़ता रहा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) कर्मचारियों की संख्या को नियन्त्रित करने, कार्य-पद्धतियों को तर्क-संगत बनाने और अतिरिक्त साधन जुटाने के उपायों का नई स्थापित कार्य-दक्षता ब्यूरों और लागत तथा कार्य अध्ययन यूनिटों की सहायता से लगातार अध्ययन किया जाता रहा है । शुल्कदर जांच समिति ने शुल्कदरों के नियमन के लिए सिद्धान्तों की सिफारिश की है । हाल ही में डाक-सेवाओं और तारों की दरों में संशोधन किया गया था । टेलीफोन तथा अन्य तार सेवाओं की शुल्कदरों का इस समय पुनरीक्षण किया जा रहा है ।

डाक टिकट संकलन विज्ञान

3394. **श्री गार्डिंगलन गौड़** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग द्वारा राजस्व में वृद्धि करने के लिये टिकट संकलन विज्ञान को सेवा में प्रभावशाली ढंग से लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि यदि डाक टिकट संकलन को उचित महत्व दिया जाये तो हमारा देश पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकेगा; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ). विदेशों में भारतीय डाक-टिकटों की बिक्री से और अधिक विदेशी मुद्रा कमाने की गुंजाइश है । नासिक के प्रतिभूति प्रेस में बहु-रंगी मुद्रण उपस्कर के शीघ्र ही लगाये जाने की आशा है । इस प्रकार छापे गए बहुरंगे टिकट अधिक आकर्षक होंगे और इनसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी । भारतीय डाक-टिकटों को प्रोत्साहन देने और इनकी बिक्री संबंधी गतिविधियों को और तेज करने के लिये भी प्रयत्न किये जा रहे हैं और आशा है कि इन प्रबन्धों के पूरा होने पर काफी विदेशी मुद्रा अर्जित होने लगेगी ।

Ashokpuri Cooperative Farm near Achhalda (Etawah)

3396. **Shri Ram Gopal Shalwale**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount of loan taken from various Government Departments in the name of

Ashokpuri Co-operative Farm near Achchalda (Etawah) from June 1950 to 1952 and from 1956 to 1967;

(b) the names and addresses of the Officers who took loan and the purpose for which it was utilised;

(c) whether it is also a fact that this loan was recovered illegally from all the members of Ashokpuri Co-operative Farm; and

(d) whether Government propose to recover the entire amount of this illegal loan from the then District Officers and pay it back to the members concerned ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) to (d). Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

फसल का पूर्वानुमान लगाने के लिये विशेषज्ञों की नियुक्ति

3397. **श्री सीताराम केसरी :**
श्री गाडिलिंगन गौड़ :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फसल का पूर्वानुमान लगाने के लिये विशेषज्ञों की एक उच्चाधिकार तालिका नियुक्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तालिका की शर्तें और कार्य क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

उपग्रह संचार के केन्द्र

3398. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूना और बम्बई के निकट स्थित अरिस में उपग्रह संचार केन्द्रों के निर्माण-कार्य में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उपग्रह संचार प्रणाली के कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) **आर्वी :** मुख्य प्राविधिक भवनों का निर्माण आरंभ हो गया है। एण्टेना के आधार का काम भी प्रगति कर रहा है। कर्मचारी-क्वार्टरों का निर्माण पूरा होने वाला है।

भारतीय फर्मों को निम्नलिखित के लिये क्रयादेश दे दिये गये हैं :

(i) 97 फुट व्यास की चालनीय (स्टीयरेबल) एण्टेना की रचना के लिये अपेक्षित मशीनी हिस्से पुर्जे ।

(ii) मल्टीप्लेक्स उपस्कर का मुख्य-हिस्सा ।

(iii) बिजली के वैकल्पिक जनित्र (जेनरेटिंग) सेट ।

कनाडा की आर० सी० ए० विक्टर कम्पनी को जो प्रेषक एवं संग्राहक श्रृंखलाओं (ट्रांसमिट एण्ड रिसीव चेन्स), सूक्ष्म तरंग (माईक्रोवेव) सम्पर्क उपस्कर, तथा अनुषंगियों के क्रयादेश दिये गये थे उनके फरवरी 1969 में कनाडा से जहाज पर चढ़ाये जाने की आशा है ।

बम्बई : बम्बई में बन रहे 17 मंजिले भवन का बाहरी ढाँचा 11वें तल तक बन कर तैयार हो गया है ।

इस भवन के वातानुकूलन तथा इसमें लिफ्ट लगाने के ठेके दे दिये गये हैं ।

टेलीफोन/टेलेक्स स्विचिंग उपस्कर तथा अनुषंगियों की पूर्ति के लिये इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर को क्रयादेश दिये जा रहे हैं ।

(ख) भूमि-स्थित केन्द्र के अक्तूबर, 1969 के अंत तक परिचालनीय हो जाने की आशा है ।

पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण

3399. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन सम्बन्धी राष्ट्रीय श्रम आयोग पटसन दल ने पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण न करने की सिफारिश की है; और

(ख) क्या सरकार ने अध्ययन दल की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). सरकार को मालूम हुआ है कि जूट उद्योग संबंधी अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय श्रम आयोग को प्रस्तुत कर दी है । इस समय सरकार इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और राष्ट्रीय आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रही है ।

मद्रास के निकट अलमादी में मुर्रा भैंस फार्म

3400. **श्री जी० कुचेलर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास सरकार ने मद्रास के निकट अलमादी में मुर्रा भैंसों के प्रजनन के लिये एक फार्म स्थापित करने के हेतु 1000 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो भूमि के प्रस्ताव के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । मद्रास सरकार ने अलमादी में मुर्रा भैंस फार्म स्थापित करने के लिये 1133.40 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव रखा है ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये उड़ीसा में फूलबनी जिले का सर्वेक्षण

3401. **श्री अ० दीपा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये दण्डकारण्य प्राधिकार ने 1965 में उड़ीसा के फूलबनी जिले का सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) क्षेत्र के सर्वेक्षण के अनुसार फूलबनी जिले में बालीगुदा तथा बौद्ध उपखंड में विकास के लिये लगभग 62,000 एकड़ भूमि उपलब्ध है ।

(ग) तथा (घ). जून, 1966 में, राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया था, अन्य ब्योरे के पूर्ण होने तक, पुनर्वास विभाग इस क्षेत्र में भूमि के उद्धार का कार्य प्रारंभ कर दे । राज्य सरकार इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हुई और उसने यह अनुभव किया कि फूलबानी जिले में किसी प्रकार का विकास कार्य चालू करने से पूर्व विकास के सम्बन्ध में मास्टर प्लान तैयार करनी आवश्यक है। इसकी सहमति दे दी गई और मास्टर प्लान तैयार करने के लिये राज्य सरकार से अनुरोध कर दिया गया । राज्य सरकार से विकास सम्बन्धी मास्टर प्लान फरवरी, 1968 में प्राप्त हुई थी जिसमें कुछ आवश्यक ब्योरे के सम्बन्ध में कमी पाई गई थी । राज्य सरकार से पुनरीक्षित योजना प्रस्तुत करने के लिये अनुरोध किया गया था जिसकी अभी प्रतीक्षा है ।

पश्चिमी बंगाल में धान की बहुत अच्छी फसल

3402. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के ऐसे क्षेत्रों में जो बाढ़ से प्रभावित नहीं थे इस सीजन में धान की बहुत अच्छी फसल हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितना उत्पादन का अनुमान है;

(ग) बाढ़ से कितनी क्षति होने का अनुमान है;

(घ) आगामी वर्ष के दौरान पश्चिमी बंगाल में चावल की कितनी कमी होने का अनुमान है; और

(ङ) सरकार इस कमी का किस प्रकार मुकाबला करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) वर्तमान संकेतों के अनुसार पश्चिम बंगाल में अमान धान की बहुत अच्छी फसल की संभावनायें हैं और 1968-69 की अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन काफी बढ़ जाने की संभावना है ।

(ख) 1968-69 की अवधि में पश्चिम बंगाल में अमान धान की फसल के अन्तिम उत्पादन अनुमान फरवरी 1969 के अन्त तक उपलब्ध होंगे ।

(ग) ऐसे अनुमान उपलब्ध नहीं हैं जिनसे पता चले कि बाढ़ों से चावल के उत्पादन को कितनी क्षति पहुंची है ।

(घ) उत्पादन और खपत के अनुमानों की अनुपस्थिति में यह कहना कठिन है कि पश्चिम बंगाल में चावल की कितनी कमी होने का अनुमान है।

(ङ) राज्य सरकार से ऐसा संकेत प्राप्त नहीं हुआ है जिससे पता चले कि उन्हें केन्द्र से कितनी सहायता की आवश्यकता होगी ।

प्रोटीन वाला खाद्य तैयार करना

3403. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री रा० की० अमीन :
श्री सीताराम केसरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम का विचार प्रोटीन वाला खाद्य तैयार करने वाले उद्योग में बड़े पैमाने पर भाग लेने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में बनाई गई योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या कृषि-कार्यों में भी भाग लेने की निगम की कोई योजना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख). फिलहाल भारतीय खाद्य निगम अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य के उत्पादन की सम्भावनाओं का पता लगा रहा है लेकिन अब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

खांडसारी का उत्पादन

3404. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1967-68 के सीजन में खांडसारी के उत्पादन के बारे में कोई अनुमान है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख). अनुमान है कि 1967-68 में 2.5 लाख मीटरी टन खंडसारी का उत्पादन हुआ था।

राज्यों में अनाज की खरीद के लिए बोनस

3405. **श्री हेमराज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

1966-67, 1967-68 और 1968-69 के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय पूल के लिए अनाज खरीदने हेतु राज्यवार और संघवार कितनी राशि बोनस के रूप में दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय भण्डार में खाद्यान्नों की सप्लाई के लिए जो प्रोत्साहन बोनस दिया है, उसे बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2545/68]**

जगदलपुर (मध्य प्रदेश) में आदिम जाति सम्मेलन में विचार-विमर्श

3406. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आदिम जाति सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श की ओर दिलाया गया है, जिसका बस्तर किसान सभा के तत्वावधान में अक्तूबर, 1968 के चौथे सप्ताह में जगदलपुर (मध्य प्रदेश) में तीन दिन का अधिवेशन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो भारत में सामान्य रूप से तथा मध्य प्रदेश में विशेष रूप से आदिम जातियों की कठिनाइयों, बाधाओं तथा समस्याओं के बारे में क्या विशिष्ट बातें कही गई थीं और उनकी दशा सुधारने के लिये क्या सुझाव दिये गये थे; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) कुछ समाचार-पत्रों में संक्षिप्त समाचार आए हैं। बस्तर किसान सभा से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

मध्य प्रदेश में आदिम जातियों का कल्याण

3407. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968-69 के लिये मध्य प्रदेश में आदिम जातीय लोगों के कल्याण सम्बन्धी योजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं के लिए कितना धन मांगा गया था और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई;

(ग) क्या राज्य सरकार ने 1968—70 तथा/अथवा चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये भी मध्य प्रदेश में आदिम जातीय लोगों के कल्याण और उत्थान के लिये कोई योजनाएं भेजी हैं;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है तथा उन पर कितनी लागत आयेगी; और

(ङ) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज-कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) **फूलरेणु गुह**) : (क) एक विवरण-पत्र (अनुबंध I) सभा-पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2546/68]

(ख)

क्षेत्र	**सुझाव**	**अनुमोदित** (प्रयोग रीति से)
राज्य क्षेत्र	110 लाख रुपये	110 लाख रुपये
केन्द्रीय क्षेत्र	254.70 लाख रुपये	165.95 लाख रुपये

(ग) हां, श्रीमान ।

(घ) एक विवरण-पत्र (अनुबंध II) सभा-पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2546/68]

(ङ) 1969-70 की वार्षिक योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

चीनी का निर्यात

3408. **श्री हेमराज** :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67, 1967-68 के दौरान कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात किया गया और 1968-69 के दौरान कितनी मात्रा में चीनी का निर्यात करने का प्रस्ताव है; और

(ख) देश के अन्दर चीनी के मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख). निर्यात के लिए चीनी की बिक्री पंचांग वर्ष के आधार पर की जाती है। 1966, 1967 तथा 1968 में चीनी का निर्यात इस प्रकार हुआ :—

वर्ष	मात्रा (लाख मीटरी टन में)
1966	4.41
1967	2.17
1968	0.99

1969 में चीनी की कितनी मात्रा निर्यात की जानी है इसका निर्णय करते समय देश की आवश्यकताओं और निर्यात से आन्तरिक मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव पर भली-भांति विचार किया जायगा।

Commemorative Stamps

3409. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the names of persons in whose honour commemorative postal stamps have been issued since the 15th August, 1947 till date ; and

(b) the nature of schemes formulated in regard to the issue of commemorative stamps in the case of Amar Shaheed Chandra Shekhar Azad, Amar Shaheed Ram Prashad Bismil, Maharana Pratap, Chhatrapati Shivaji and Mahadji Scindia ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2547/68.]**

(b) Commemorative stamps on Chhatrapati Shivaji and Rana Pratap have already been issued on 17-4-61 and 11-6-67 respectively. A proposal for issue of stamps on Chandra Shekhar Azad was examined by the Philatelic Advisory Committee but it could not be accommodated. No proposal has been received in respect of Mahadji Scindia and Ram Prasad Bismil.

Import of Groundnut Oil

3410. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be plased to state :

(a) whether Government propose to import groundnut oil from foreign countries in view of its less production in the country this year ;

(b) whether steps are being taken to increase soya-bean cultivation in the country in view of the said situation ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No.

(b) and (c). Arrangements have been made to multiply certified seed during Kharif 1968

season by importing 42 tonnes of seed of selected varieties from U.S.A. by National Seeds Corporation and U. P. Agricultural University, Pantnagar. By taking advantage of seed production in the North as well as the South, the production programme is to be stepped up. It is proposed to bring a large area under cultivation during summer and Kharif 1969 seasons.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

3411. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने की स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इतना असाधारण विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) शीघ्र स्वीकृति देने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सारे कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को प्राप्त मकान किराया भत्ते के आधार पर मकान किराया भत्ता दिया जाता है। फिर भी चूंकि केन्द्रीय कर्मचारियों की तरह उनके लिए पूल आवास स्थान नहीं है, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में रहने वाले संगठन के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार की दर से 5 प्रतिशत अतिरिक्त मकान किराया भत्ता 1 नवम्बर, 1968 से लेकर उस समय तक जब तक कि संगठन द्वारा कुछ आवास स्थानों की व्यवस्था नहीं की जाती, देने के आदेश हाल ही में जारी किये गये हैं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

गन्ने का विकास

3412. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री सीताराम केसरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गन्ने के विकास के लिए योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो नियत की गई कुल राशि का क्षेत्रवार ब्योरा क्या है; और

(ग) योजना की अवधि के समाप्त होने तक उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) योजना के अन्तर्गत होने वाले कुल व्यय के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक 1,500 लाख मीटरी टन गन्ने का अस्थायी लक्ष्य है। परन्तु अभी तक इसको अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

यूनाइटेड बिस्कुट कम्पनी के लिए मैदा का कोटा

3413. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनाइटेड बिस्कुट कम्पनी, आल्ट्राडांगे रोड, कलकत्ता को तकनीकी विकास महानिदेशक ने लाइसेंस दिया था और प्रतिवर्ष के लिए 1000 टन मैदा का कोटा देने की सिफारिश की थी;

(ख) क्या यह सच है कि कम्पनी को निर्धारित वास्तविक कोटा देने के बजाय उसे परीक्षण के लिए दिये जाने वाला मैदा का कोटा भी नहीं दिया गया था और इसके परिणाम-स्वरूप पूरा प्लान्ट बेकार पड़ा है और श्रमिकों को बिना काम के नौकरी पर रखना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो कोटे के न दिए जाने के क्या कारण हैं और सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है जबकि उपकरण और उत्पादन क्षमता की हानि न हो और श्रमिक बेरोजगार न हों ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मैसर्स यूनाइटेड बिस्कुट कम्पनी, आल्ट्राडांगे मेन रोड, कलकत्ता तकनीकी विकास महानिदेशक के पास पंजीबद्ध है। तकनीकी विकास महानिदेशक ने उनके लिए 40 मीटरी टन मैदे के मासिक कोटे की सिफारिश की।

(ख) तथा (ग). खाद्य विभाग द्वारा किसी बिस्कुट फैक्ट्री को परीक्षण के लिए कोई कोटा नहीं दिया जाता है। जुलाई, 1967 में प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर भारत सरकार ने चुनी हुई आटा मिलों से ऐसी बिस्कुट फैक्ट्रियों को जोकि या तो उस समय एफ० बी० एम० आई० की सदस्य थीं या तकनीकी विकास महानिदेशक के पास उस समय पंजीबद्ध थीं, मैदा आवंटन करने की एक प्रणाली लागू की थी। यूनाइटेड बिस्कुट कम्पनी तब तकनीकी विकास महानिदेशक द्वारा दी गई सूची में नहीं थी। अतः कम्पनी को चाहिये कि जैसा कि अन्य फैक्ट्रियों द्वारा किया जा रहा है, यह भी अपनी जरूरत के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार के साथ सम्पर्क स्थापित करे।

पश्चिम बंगाल में मजदूरों को दिया गया बोनस

3414. **श्री भगवान दास** : **श्री मुहम्मद इस्माइल**
श्री वि० कु० मोडक : **श्री गणेश घोष** :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में ऐसे कारखानों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1965 के पश्चात् मजदूरों

तथा प्रबन्धकों के बीच हुए समझौते के अनुसार बोनस दिया है;

(ख) कौन-कौन से कारखानों ने समझौते का उल्लंघन किया है और बोनस नहीं दिया है;

(ग) क्या सरकार ने इन कारखानों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). बोनस अधिनियम के अधीन नियोजकों और श्रमिकों के लिए बोनस की अदायगी और प्राप्ति की सरकार को सूचना भेजने का कोई दायित्व नहीं है। ऐसी जानकारी मालूम करने के लिए सरकार द्वारा मालिकों की कोई वार्षिक गणना भी नहीं की जाती। अतएव यह सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ). बोनस अदायगी अधिनियम 1965 की धारा 21 में यह व्यवस्था है कि जहां किसी समझौते या पंचाट या करार के अन्तर्गत किसी कर्मचारी की उसके नियोजक की ओर बोनस की कोई भी रकम बकाया हो तो वह कर्मचारी स्वयम् या उसके द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत किया गया कोई अन्य व्यक्ति सम्बंधित सरकार को बकाया रकम की वसूली के बारे में प्रार्थना-पत्र भेज सकता है। पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा प्राप्त ऐसे प्रार्थना-पत्रों की संख्या और उन पर की गई कार्यवाई की प्रगति की सूचना उस राज्य सरकार से मालूम की जा रही है।

बीड़ी कर्मचारियों के लिये मजूरी बोर्ड

3415. **श्री प० गोपालन :**
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री के० रमानी :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में बीड़ी कर्मचारियों के लिये क्या न्यूनतम वेतन निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) क्या सरकार बीड़ी कर्मचारियों के लिये एक वेतन बोर्ड स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ग) यदि हां, तो वेतन बोर्ड के कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) बीड़ी रोजगार के लिये न्यूनतम मजूरी का निर्धारण/संशोधन सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है और वे ही इन दरों को राज-पत्र में प्रकाशित करती हैं। मजूरी-दरें भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न हैं। विभिन्न राज्यों में मजूरी-दरें 1000 बीड़ी मोड़ने के लिये 87 पैसे से लेकर 4 रु० 25 पैसे तक हैं।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) यह विचार किया जाता है कि इस उद्योग में मजूरियां न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 द्वारा अधिक उचित रूप से विनियमित की जा सकती हैं ।

पटसन मिलों में बदली कर्मचारी प्रणाली

3416. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री भगवान दास : **श्री गणेश घोष :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल की पटसन मिलों में बदली कर्मचारी प्रणाली कब से चालू है ;

(ख) क्या बदली कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान सुविधाएं प्राप्त हो रही है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) उनको स्थायी बनाने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) पश्चिमी बंगाल की पटसन मिलों में बदली कर्मचारी नियुक्त करने की प्रणाली बहुत समय से चालू है ।

(ख) तथा (ग). एक वर्ष में 240 दिन की अर्हक अवधि तक काम करने वाले कर्मचारियों को सवेतन छुट्टी तथा भविष्य निधि की सुविधायें प्राप्त हैं । वे बदली कर्मचारी जो एक वर्ष में 240 दिन के लिये नियुक्त नहीं होते इन सुविधाओं को पाने योग्य नहीं होते ।

(घ) पटसन उद्योग के केन्द्रीय मजूरी बोर्ड ने बदली कर्मचारियों को स्थाई बनाने की सिफारिशें की थीं । इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

सोयाबीन से प्रोटीन उत्पादन के लिए प्लांट

3417. **श्री मणिभाई ज० पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा के निकट सोयाबीन से प्रोटीन का उत्पादन करने का एक कारखाना सहकारी क्षेत्र में स्थापित किया जाना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी कुल उत्पादन क्षमता क्या होगी और प्लांट की लागत क्या होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां । आनन्द (गुजरात) की खेरा जिला मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन

द्वारा प्रोटीन से भरपूर बेबी फूड, जिसमें सोया प्रोटीन एक उपादान के रूप में सम्मिलित होगी, तैयार करने के लिये सहकारी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित करने का विचार है ।

(ख) संयंत्र की क्षमता, पूर्णरूप से विकसित हो जाने पर, 6000 मीटरी टन बेबी-फूड, प्रति वर्ष होगी । संयंत्र की अनुमानित लागत 85 लाख रुपये है ।

आसनसोल और रानीगंज की कोयला खानों में कर्मचारियों की छंटनी

3418. **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री भगवान दास :
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रपति शासन लागू होने के पश्चात् पश्चिमी बंगाल के आसनसोल और रानीगंज क्षेत्र के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में कुल कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई ;

(ख) प्रत्येक कोयला क्षेत्र में कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई और उन फर्मों के क्या नाम हैं जो इन कोयला क्षेत्रों का प्रबन्ध कर रही हैं ;

(ग) इतनी बड़ी संख्या में छंटनी किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) छंटनी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ङ) क्या और छंटनी किए जाने की सम्भावना है ; और

(च) अग्रेतर छंटनी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 2548/68]

(घ) जहां कहीं श्रमिकों की छंटनी के औद्योगिक विवाद सम्बन्धित यूनियनों द्वारा उठाये गये और केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी को भेजे गये वहां उक्त मशीनरी के अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया ।

(ङ) बड़े पैमाने की किसी छंटनी की आशंका नहीं है ।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) में दिये गये उत्तर को दृष्टि में रख कर यह प्रश्न नहीं उठता ।

Non-Payment of Bonus by Bihar Cotton Mills Ltd.

3419. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the proprietor of Bihar Cotton Mills Ltd., Phulwari Shariff

(Patna) have not paid any bonus to the workers ever since the enforcement of the Bonus Act 1964.

(b) whether it is also a fact that the Bihar Government have decided to prosecute them ;

(c) if so, the names of the persons proposed to be prosecuted ;

(d) the action taken so far by the Bihar Government in this regard ; and

(e) the time by which the proceedings of prosecution are likely to be completed by Government ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) to (e). Information is being collected.

Payment of Bonus to Employees of Factories

3420. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that even after four years of the passing of the Bonus Act, there are several such factor in the country as have not paid bonus to their workers so far ;

(b) if so, the number of such factories Industry-wise and State-wise, separately ;

(c) whether Government have started prosecutions against the defaulting factory owners ;

(d) if so, the number of such factories State-wise ; and

(e) the steps proposed to be taken by Government to ensure that bonus is paid to the workers ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) and (b). The Payment of Bonus Act does not require employers or workers to report to Government the payment or non-payment of Bonus due under the Act. Government have, therefore, no comprehensive information relating to the number of establishments which have paid or not paid bonus under the Act. Section 21 of the Act provides where any money is due to an employee by way of bonus from his employer under a settlement or an award or agreement, the employee himself or any other persons authorised by him in writing in this behalf may make an application to the appropriate Government for the recovery of the money due to him and if the appropriate Government is satisfied that any money is so due, it shall issue a certificate for that amount to the Collector for recovery of the amount as an arrear of land revenue. No such applications have been received by the Central Government so far. It is not known whether State Governments have received any such applications.

(c) and (d). A statement showing information in regard to the establishments in relation to which the Central Government is the appropriate Government, is attached.

(e) The Act contains adequate provisions on the subject and no further steps are considered necessary.

Statement

Number of prosecutions (State-wise) sanctioned by the Central Government for contravention of the Payment of Bonus Act, 1965

Name of the State	No. of prosecutions sanctioned
Assam	1
Andhra Pradesh	2
Bihar	17
Kerala	1
Madras	5
Maharashtra	5
Madhya Pradesh	12
Mysore	9
Orissa	1
West Bengal	29
Goa	1
Total ..	83

पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों में कर्मचारियों की छंटनी

3421. **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :
श्री भगवान दास :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की पटसन मिलों में पिछले महीने में कुल कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई ;

(ख) प्रत्येक मिल में कितने-कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई और उन फर्मों के नाम क्या हैं जो इन मिलों का प्रबन्ध करती हैं ;

(ग) इतने बड़े पैमाने पर छंटनी करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) छंटनी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार रेगुलर वर्किंग फोर्स के सात श्रमिकों की छंटनी की गई ।

(ख) न्यू सेन्ट्रल जूट मिल कम्पनी लि०, बज बज , 24 परगना के चार श्रमिक कमरहती कम्पनी लि०, कमरहती, 24 परगना के एक श्रमिक और हावड़ा मिल्स कम्पनी लि०, शिवपुर, हावड़ा के दो श्रमिकों की छंटनी की गई ।

(ग) बड़े पैमाने पर कोई छंटनी नहीं हुई। उपरोक्त (क) और (ख) में निर्दिष्ट सात श्रमिकों की अलाभकारी कार्य और पुनर्गठन के आधार पर छंटनी की गई।

(घ) जूट की कमी के कारण जूट मिलें कच्चे माल की प्राप्यता के अनुसार उत्पादन का समंजन कर रही हैं। फालतू श्रमिकों के प्रश्न को मिलें सेवा निवृत्ति आयु के करीब श्रमिकों को उपयुक्त मुआवजे का भुगतान करके सेवा से निवृत्ति कर सुलझाने का प्रयत्न कर रही हैं। छुट्टी सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है और फालतू श्रमिकों को कालीन बनाने के अनुभागों में, जहां सम्भव हो सके, पुनः काम पर लगाया जा रहा है। जब कभी आकस्मिक या बदली वाले श्रमिकों को पुनः रोजगार देने के लिए कोई विवाद राज्य सरकार के सामने आता है तो मामला समझौते में रखा जाता है।

भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिये न्यूनतम मजूरी

3422. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की संख्या कितनी है ; और

(ख) विभिन्न राज्यों में उनके लिये कितनी न्यूनतम मजूरी निर्धारित की गई है ;

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) 1961 की जनगणना के अनुसार देश में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की संख्या 3 करोड़ 15 लाख है।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है, जिसमें 30.11.68 को उपलब्ध सूचना के अनुसार, न्यूनतम मजूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मजूरी दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2549/68]

केरल को चावल की सप्लाई

3423. **श्री अनिरुद्धन :** **श्री प० गोपालन :**
श्री चक्रपाणि : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1967 से अक्तूबर, 1968 तक की अवधि में केरल को चावल का कितनी मात्रा में नियतन किया गया ;

(ख) इस अवधि में कुल कितना चावल सप्लाई किया गया ; और

(ग) सप्लाई कम की जाने का क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केरल सरकार को केन्द्रीय पूल से चावल का कोई आबंटन नहीं किया जाता है।

चावल का आवंटन और प्रेषण केरल में भारतीय खाद्य निगम के डिपो को किया जाता है। केरल में भारतीय खाद्य निगम के डिपो से उचित मूल्य की दुकानों तथा केरल सरकार के अन्य नामितों को सीधे ही माल दिया जाता है जनवरी, 1967 से अक्तूबर, 1967 की अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम के डिपो को आवंटित चावल की कुल मात्रा 12.77 लाख मीटरी टन थी।

(ख) केरल में भारतीय खाद्य निगम के डिपो को उसी अवधि में भेजी गई चावल की कुल मात्रा 10.39 लाख मीटरी टन थी।

(ग) आवंटित खाद्यान्नों का प्रेषण उन तत्वों पर निर्भर करता है जोकि सदैव हमारे नियन्त्रणों में नहीं होते हैं। अधिशेष राज्यों द्वारा पेश की गई मात्रा मुख्यतः अधिप्राप्ति से दी जानी होती है और कभी-कभी इन राज्यों में अधिप्राप्ति से वास्तव में उपलब्ध होने वाली मात्रा पेश की गई तथा आवंटित मात्रा से कम होती है।

मेसर्स विंग्स दिल्ली के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

3424. **श्री गणेश घोष :**
श्री प० राममूर्ति :
श्री रमानी :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स विंग्स के, जो नजफगढ़ औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली में सिले-सिलाये कपड़े तैयार करने वाली एक कम्पनी है, कर्मचारियों ने अगस्त, 1968 में हड़ताल कर दी थी ;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों की मांगें क्या थीं ;

(ग) विवाद को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या विवाद का इस बीच निपटारा हो गया है ;

(ङ) यदि हां, तो किन शर्तों पर ; और

(च) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) प्रतिष्ठान के 737 श्रमिकों में से, लगभग 80 श्रमिक 27 अगस्त, 1968 से हड़ताल पर हैं।

(ख) इन श्रमिकों ने एक श्रमिक के विरुद्ध जारी किये गये मुअत्तली के आदेश की वापिसी की मांग मनवाने के लिए हड़ताल की है। यूनियन की ओर से किसी अन्य शिकायत को दूर करने की कोई मांग नहीं आई।

(ग) श्रम विभाग ने शीघ्र ही प्रबन्धकों और यूनियन के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया। कई एक बैठकें की गयीं, लेकिन कोई समझौता नहीं किया जा सका। यूनियन को भी यह परामर्श दिया गया कि औद्योगिक न्यायाधिकरण तथा अतिरिक्त औद्योगिक न्यायाधिकरण के

समक्ष अनिर्णीत पड़े हुए सामान्य विवाद को दृष्टि में रखते हुए, यह हड़ताल गैर-कानूनी है और उसे हड़ताल को समाप्त कर देना चाहिए, परन्तु हड़ताल जारी है। हड़तालो श्रमिकों और गैर-कानूनी हड़ताल पर जाने के लिए उकसाने वाले श्रमिकों के विरुद्ध औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग द्वारा विवाद को निपटाने के लिये और प्रयास किये जा रहे हैं तथा श्रमायुक्त ने प्रबन्धकों और यूनियन की अन्तिम संयुक्त बैठक 18-11-1968 को बुलाई।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) यूनियन ने मुअत्तली का आदेश वापिस लेने के लिए हठ किया है। दूसरी ओर प्रबन्धकों ने यह कहा है कि किसी श्रमिक को उसके दुराचार के लिए मुअत्तल करना उनके अधिकार में है और उनके प्रमाणित स्थायी आदेशों के अनुकूल है।

सहवास न करने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार

3425. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री रणजीत सिंह :**
श्री बलराज मधोक : **श्री वेणीशंकर शर्मा :**

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे व्यक्तियों की कठिनाइयों का पता है जिनको दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 के अन्तर्गत अलग-अलग रहने की डिग्री के कारण दाम्पत्य अधिकारों से वंचित होना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस औचित्य पर विचार किया है कि कुछ वर्षों तक सहवास न करने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया जाये जैसा कि पक्षों के न्यायिक पार्थक्य के मामले में है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिये कोई विधान लाने का है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी हां, कुछ संसद् सदस्यों ने इस बारे में विधि मंत्री को पत्र लिखे थे।

(ख) सरकार ऐसे मामलों में सहवास न करने के आधार पर तलाक का अधिकार दिया जाना उचित नहीं समझती है। यदि कोई सम्पन्न व्यक्ति अपनी पत्नी अथवा अपने बच्चों की उपेक्षा करता है अथवा उनका पोषण करने से इन्कार करता है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 488 के अन्तर्गत अलग-अलग रहने का आदेश दिया जा सकता है। इस धारा के अन्तर्गत मुकदमे संक्षिप्त और अपराधिकवतः किस्म के हैं। इसके अतिरिक्त इस धारा के अन्तर्गत आदेश देने के लिए न तो विद्वेष से परित्याग सिद्ध करना आवश्यक है और न ही पति-पत्नी का अलग-अलग

रहना एक अत्यावश्यक पूर्वापेक्षा है। इस प्रकार न्यायिक पार्थिक्य के लिए डिग्री के साथ पृथक रहने का व्यय के आदेश को समान मानना बेतुकी बात होगी। कुछ वर्षों की अवधि तक सहवास न करने का उल्लेख भी मिथ्या धारणा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र

3426. **श्री सिद्धय्या** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों को पढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना किसी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों में की गई है जिससे उनको सरकारी सेवा में शामिल होने योग्य बनाया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें, किन श्रेणियों के पदों का प्रशिक्षण दिया जाता है ; और

(ग) क्या उक्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्र द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, और अन्य केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाएं ; तथा राज्यों में असैनिक सेवाओं सम्बन्धी परीक्षाएं, वर्ग II और वर्ग III (कार्यकारी और दफ्तर सम्बन्धी) पद।

(ग) हां, श्रीमान।

अनुसूचित जातियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के बारे में यार्डी समिति की सिफारिशें

3427. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री 12 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3505 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अनुसूचित जातियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के बारे में यार्डी समिति द्वारा की गई शेष सिफारिशों पर किये गये निर्णयों और कार्यवाही को दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : एक विवरण पत्र, जिसमें इन सिफारिशों पर की गई कार्यवाही की ओर इंगित किया गया है, सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2550/68]

अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में ज्ञापन

3428. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री 26 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5786 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसूचित आदिम जातियों सम्बन्धी ज्ञापन की एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी ;

(ख) क्या सरकार ने उस ज्ञापन में की गई मांगों के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) ज्ञापन की प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2551/68]

(ख) से (घ). इस मामले पर सम्बन्धित सदस्यों से कुछ और विमर्श किया गया था। परिणामस्वरूप, यह तय हुआ कि सदस्यों के दृष्टिकोण आयुक्त तक पहुंचा दिए जायेंगे। यह कर दिया गया है।

दिल्ली की कालोनियों में वैश्यालय

3429. **श्री रामचन्द्र वीरप्पा :**

श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नारी रक्षा समिति की सचिव, श्रीमती मंजु अग्रवाल के बयान के अनुसार, जो 10 नवम्बर,1968 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित हुआ था, दिल्ली की कुछ कालोनियों में वैश्यालय चलाये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले में कार्यवाही कर रही है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्यमन्त्री (डा०(श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) तथा (ख). दिल्ली में चलाया जाने वाला कोई वैश्यालय सरकार की निगाह में नहीं आया है। महिलाओं और लड़कियों में पण्य दमन अधिनियम, 1956, के उल्लंघन के विच्छिन्न मामले जैसे ही और जब भी प्रकाश में आते हैं, उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

नाइट्रोजन पी० 205 का उत्पादन

3430. **श्री लखन लाल गुप्ता :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 तक नाइट्रोजन पी० 205 का कितना उत्पादन होने का अनुमान है ; और

(ख) उसका कितनी मात्रा में आयात करने की योजना बनाई गई है और उस अवधि में उसकी कितनी खपत होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख).

	हजार मैट्रिक टनों में	
	नाइट्रोजन	P_2O_5
1. अनुमानित खपत	2,000	650
2. अनुमानित स्वदेशी उत्पादन	917	380
3. न्यूनता (1—2) जिसकी पूर्ति आयात द्वारा की जानी है।	1,083	270
4. अस्थायी रूप से नियोजित आयात	1,083	200

1969-70 के आयात का वास्तविक कार्यक्रम वर्ष की कुल खरीद और वर्ष के अन्त में पूर्वावशिष्ट स्टाक और स्वदेशी उत्पादन के विकास की दृष्टि में रखते हुये निर्धारित किया जायेगा।

Washing away of Timber and Other Goods to Pakistan in Floods

3431. **Shri Sharda Nand** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large quantity of timber and some military and civilian trucks were washed away to Pakistan during the floods in the month of September and October, 1968 in Assam and Darjeeling;

(b) the estimated value of the timber and other goods thus washed away to Pakistan ; and

(c) the steps being taken by Government to get these goods back from Pakistan ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c). The information is being collected from the sources concerned and will be laid on the Table of the Sabha, in due course.

अन्डमान द्वीप समूह के आदिम जातीय लोग

3432. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अन्डमान द्वीप समूह के आदिम जातीय लोग दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, और विभिन्न रोगों से पीड़ित हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या 1966-67 और 1968-69 में उनके उत्थान के लिये कोई राशि नियत की गई है और यदि हां, तो कितनी और उसका उचित प्रयोग किस प्रकार किया गया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (डा०(श्रीमती)फूलरेणु गुह) : (क) तथा (ख). कुछ समय पूर्व एक चिकित्सा सम्बन्धी सर्वेक्षण द्वारा विटामिन-ए की कमी, गोल कृमि और अंकुशकृमि

संक्रमण, फुफ्फुस, चर्मरोग तथा रतिरोग की पूर्वानुकूलता के कारण सामान्यता अनेक मृतप्रसवों, का पता चला है। "इण्डियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च" के माध्यम से एक और चिकित्सा-सम्बन्धी सर्वेक्षण का प्रबन्ध किया जा रहा है। शैक्षणिक सुविधाओं, अच्छी चिकित्सा, आर्थिक विकास के कार्यक्रमों, आवास तथा उपनिवेशन परियोजनाओं, तथा सामुदायिक विकास खण्डों की विस्तार गतिविधियों के परिणामस्वरूप अन्डमान द्वीप समूह के आदिमजातीय लोगों के सामान्य कल्याण में सुधार पाया गया है। विभिन्न विभागों द्वारा सामान्य विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के निमित्त राशियों की व्यवस्था के अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग क्षेत्र में विशेष राशियों का विशेषतया प्रबन्ध किया गया पिछड़ा वर्ग क्षेत्र में 1966-67 में 0.704 लाख और 1967-68 में 0.466 लाख रुपये खर्च हुए; 1968-69 के लिए 0.65 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। कार निकोबार तथा नानकाउरी द्वीपों के दो सामुदायिक विकास खण्डों के लिए 1968-69 के लिए 3.389 लाख रुपये की बजट व्यवस्था है।

Minor Irrigation Projects in Rajasthan

3433. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number and names of the minor irrigation schemes which are being implemented with Central assistance in Rajasthan ;

(b) the success achieved in completing the said schemes ; and

(c) the amount proposed to be allocated for the said schemes in the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a). According to the revised pattern of assistance introduced w.e.f. 1-4-1967, all State Minor Irrigation Schemes are eligible for Central assistance in the form of 60% loan and 15% grant, subject to the approved ceiling. The assistance is released under broad Heads of Development and the procedure of release of scheme-wise assistance has been dispensed with since 1964-65. The Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation is thus not aware of the actual number the minor irrigation schemes under implementation in Rajasthan. However, the names of the principal minor irrigation schemes which are executed in the State under 'Minor Irrigation' programmes are indicated below :

(i) Construction of wells ;
(ii) Construction of channels ;
(iii) Installation of persian wheels ;
(iv) Boring of the wells ;
(v) Deepening of the wells ;
(vi) Private tubewells ;
(vii) State tubewells ;
(viii) Installation of pumping sets, both diesel and electrical ;
(ix) Surface water flow irrigation schemes costing individually upto Rs. 15 lakhs ;
(x) Small drainage, flood control schemes costing upto Rs. 50,000/- each.

(b) Except for surface water flow irrigation schemes, most of the other private minor

irrigation schemes are completed on year-wise basis. The success achieved in completing the important minor irrigation schemes upto the end of the Third Five Year Plan and the anticipated achievement by the end of 1968-69 is indicated below :—

Name of the Scheme	Achievement upto the end of the Third Five Year Plan	Anticipated achievement upto 1968-69
	(In Numbers)	
1. Construction of wells	5,90,732	6,31,021
2. Deepening of wells	54,763	90,918
3. Drilling of private tubewells	213	447
4. Installation of pumpsets	14,214	32,429
5. Boring in wells	199	527
6. Deep tube-wells	12	222 (including those drilled by the E.T.O.)
7. Surface Water Schemes 8. Small drainage, flood control schemes	—	387

(c) The Fourth Five Year Plan of the State of Rajasthan has not yet been finalised. However, against the proposed outlay of Rs. 11.26 crores for minor irrigation programme in the State during the Fourth Five Year Plan, the Central Working Group of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation recommended an enhanced outlay of Rs. 13.75 crores for this programme. Apart from this, it is expected that an amount of Rs. 22.80 crores would be made available from the institutional sector agencies like the Land Mortgage Banks, Agricultural Refinance Corporation, etc. for financing private minor irrigation works during the Fourth Plan period.

Minor Irrigation Projects in Swai Madhopur, Rajasthan

3434. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number and names of the minor irrigation schemes being implemented in District Swai Madhopur in Rajasthan, with Central assistance ;

(b) the time by which they are likely to be completed ;

(c) the amount proposed to be allotted for the said scheme during the Fourth Five Year Plan ; and

(d) whether any new scheme is under consideration of Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) (a) to (d). The information is being collected from the Government of Rajasthan and will on receipt be laid on the Table of the Sabha.

Sinking of Tubewells in Rajasthan

3435. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of tubewells proposed to be installed in Rajasthan during the Fourth Five Year Plan ; and

(b) the tentative amount proposed to be provided by the Central Government to the State Government for these tubewells ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The State Government proposed a target of sinking 100 State tubewells and 475 private tubewells during the Fourth Plan. However, the Central Working Group on Minor Irrigation has supported sinking of 200 State tubewells against 100 proposed.

(b) The Central Working Group has recommended an outlay of Rs. 175 lakhs for the construction of 200 tubewells against Rs. 47 lakhs proposed by the State Government for 100 State tubewells in the Fourth Plan. The Fourth Plan has, however, yet to be finalised and the quantum of Central assistance is not known. The private tubewells will be sunk by the Rajasthan Ground Water Board. Loan for this purpose would be made available to the cultivators either through the Land Development Banks and the Agricultural Refinance Corporation.

सहायक सेटेलमेंट अफसरों का तबादला

3436. **श्री धी० ना० देव :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायक सेटेलमेंट अफसरों को एक क्षेत्र में तीन वर्ष से अधिक समय तक नहीं रहने दिया जाता ;

(ख) यदि हां, तो एक ही क्षेत्र में तीन वर्ष से अधिक समय से काम करने वाले अफसरों की संख्या कितनी है ;

(ग) अधिक समय तक उनके वहां काम करते रहने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इनका कब तबादला किया जायेगा ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा०रा०चह्वाण) : (क) जी, नहीं। यह सत्य नहीं है कि सहायक बन्दोबस्त अधिकारियों को एक क्षेत्र में तीन वर्ष से अधिक समय तक नहीं रहने दिया जाता है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

मैसर्स चटर्जी एण्ड पोल्क सिविल इंजीनियरिंग कंसलटैन्ट्स, कलकत्ता द्वारा कर्मचारियों की छंटनी

3437. **श्री देवेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स चटर्जी एण्ड पोल्क सिविल इंजीनियरिंग कंसलटैन्ट्स,

23 ब्रोबोर्ण रोड, कलकत्ता-1 ने सेवा समाप्ति के नोटिस में बिना कोई कारण बताये ही 24 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी हैं ;

(ख) क्या इस बात को देखते हुए कि इस फर्म को सरकारी समवायों और गैर-सरकारी फर्मों द्वारा डिजाइन के लिये कुछ ठेके दिये गये हैं, यह फर्म समृद्ध हो गई है और इसका विस्तार हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन कर्मचारियों की बहाली के लिये, जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, कुछ कार्यवाही करेगी ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

Rates for the Distribution of Fertilisers

3438. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the rates at which chemical fertilizers are supplied to the various States and the rates at which State Governments supply them to farmers ;

(b) whether the rates at which chemical fertilizers are supplied to farmers are uniform in all the States ; and

(c) if not, the reasons for difference in their rates ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c). The prices at which fertilisers handled by the Central Fertiliser Pool are supplied to States, the distribution margin allowed on each and the retail prices at which these are expected to be sold to farmers are shown in the enclosed statement. **[Placed in Library. See No. LT-2552/68]** The State Governments are expected to regulate the supply of fertilisers to farmers at prices which are not more than the retail prices indicated for each of the fertilisers. The maximum retail prices of fertilisers supplied by the pool to the farmers through the States are uniform throughout India, except for variations caused by local taxes like sales tax.

Settlement of Repatriates from Kenya and other Countries in Kashmir

3439. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government are considering any scheme for settling in Kashmir displaced persons from Kenya and other countries ;

(b) if so, the number of families proposed to be settled there ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) to (c). Government do not have any scheme for settling in Kashmir

displaced persons from Pakistan and/or repatriates from Burma, Ceylon and other countries. So far as the displaced persons from West Pakistan are concerned, they were settled many years ago in different States such as Punjab, Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Gujarat etc. The displaced persons from East Pakistan have also been settled mostly in the Eastern States such as West Bengal, Assam, Tripura, Bihar, Uttar Pradesh and Orissa. The repatriates from Burma are assisted in their settlement in the States where they had roots before emigrating to Burma. From amongst these, about 4 families of Burma repatriates, who had their roots in Jammu and Kashmir State, had been assisted in their settlement there. So far as deportees from Kenya are concerned, none has sought assistance regarding rehabilitation in Jammu and Kashmir State.

Dandakaranya Project

3440. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the time likely to be taken further to complete the Dandakaranya Project ;

(b) the number of families rehabilitated so far under this project ; and

(c) the expenditure per family incurred so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) The Dandakaranya Development Authority was set up in 1958 for the effective and expeditious execution of the scheme to resettle displaced persons from East Pakistan in Dandakaranya and for the integrated development of the area, with particular regard to the promotion of the interests of the area's tribal population. Resettlement and tribal welfare to be effective have necessarily to be linked up with the general development of the area involving the provision of basic infrastructure and harnessing of the resources available for the economic uplift of the local population—old and new. For this reason, the Project has to be a continuing process, for some time.

(b) Upto the end of September, 1968, 12,252 families of displaced persons from East Pakistan have been rehabilitated. Assistance was also given for the settlement of 2,456 families of landless Adivasis.

(c) Funds placed at the disposal of Dandakaranya Development Authority are used not only on resettlement of displaced families but also on tribal welfare and on the development of an Infra-structure of common amenities and facilities like health, education, communications, irrigation, extension services etc. which are conducive to general development of the area for the benefit of both the Tribals and the Displaced Persons settlers. The expenditure so incurred cannot be directly attributed to the work of rehabilitation as such. Expenditure which has been incurred directly for the rehabilitation of Displaced Persons settlers works out to Rs. 13,000/- per family. This figure includes expenditure on work site camps, maintenance subsidy, common amenities in villages (such as local roads, hospitals and schools etc.) and proportionate cost on general development and other overhead items.

रूस सरकार द्वारा ट्रैक्टरों की सप्लाई से इन्कार

3441. **श्री नवल किशोर शर्मा :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि औद्योगिक निगम के माध्यम से ट्रैक्टरों को बेंचने के सरकार की हठ के कारण रूस सरकार ने रूसी ट्रैक्टर सप्लाई करने से इंकार कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने और कृषकों की ट्रैक्टरों की मांग को पूरा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

राष्ट्रीय ट्रंक डायलिंग व्यवस्था

3442. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीय ट्रंक डायलिंग व्यवस्था स्थापित करने के लिये, जिससे सारे देश में सीधे टेलीफोन करने का प्रबन्ध हो सकेगा, कोई योजना तैयार की गई है अथवा तैयार की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यक्रम कितने चरणों में पूरा होगा और इस योजना पर कितनी लागत आयेगी तथा इसका अन्य ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस योजना के कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां। महत्वपूर्ण स्थान, जहां बड़े स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज हैं, वहां ट्रंक डायलिंग सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है ।

(ख) तथा (ग). शुरू में मद्रास, दिल्ली, बम्बई और कानपुर में ट्रंक स्वचल एक्सचेंज स्थापित करने के लिए उपस्कर का आयात किया गया है । बंगलोर-मद्रास मार्ग पर मद्रास में दिसम्बर, 67 में ट्रंक स्वचल एक्सचेंज चालू कर दिया गया है । कोयम्बटूर को शीघ्र ही मद्रास

ट्रंक स्वचल एक्सचेंज से जोड़ने का प्रस्ताव है। दिल्ली, बम्बई और कानपुर में ट्रंक स्वचल एक्सचेंज स्थापित करने का कार्य पूरा होने ही वाला है और उनके 1969 में चालू हो जाने की आशा है। क्रमशः इन ट्रंक स्वचल केन्द्रों से कई महत्वपूर्ण स्थानों का सम्बन्ध जोड़ने का प्रस्ताव है। बम्बई ट्रंक स्वचल एक्सचेंज से अहमदाबाद, पूना और सूरत को जोड़ने की योजना है। दिल्ली ट्रंक स्वचल एक्सचेंज को दिल्ली के अलावा आगरा, जयपुर, जालंधर, चंडीगढ़ और श्रीनगर से जोड़ दिया जाएगा। कानपुर ट्रंक स्वचल एक्सचेंज को कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और पटना से जोड़ दिया जायगा।

दूसरे दौर में कलकत्ता, आसनसोल, अम्बाला और एर्णाकुलम में नये ट्रंक स्वचल एक्सचेंज खोलने की योजना है और पहले चार ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों के विस्तार की भी योजना बनाई गई है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हम कुल मिलाकर लगभग 32 ट्रंक स्वचल एक्सचेंज खोलने की योजना बना रहे हैं जिससे देश भर के अधिकांश सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा उपलब्ध हो जायगी। फिर भी इस योजना का कार्यान्वित होना वित्तीय और सामग्री सम्बन्धी प्रसाधनों और विदेशी मुद्रा पर निर्भर करता है।

पहले चार ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों की परियोजना की लागत 22.11 करोड़ रुपये है, जिसमें 92.8 लाख रुपये का विदेशीमुद्रा का अंश भी शामिल है। ट्रंक डायलिंग के लिए लम्बी दूरी के परिपथों को उपलब्ध कराने के लिए सहधुरीय सूक्ष्मतरंग योजनाएं, अन्य कार्यों जैसे—करचल ट्रंक एक्सचेंज, तारघर, टेलेक्स तथा अन्य उपभोक्तागण जैसे—रेल विभाग, रक्षा विभाग और प्रेस कार्यालयों इत्यादि के लिए भी लम्बी दूरी के टेलीफोन तथा तार परिपथ उपलब्ध कराती हैं। अतएव केवल उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के लिए इन योजनाओं की लागत का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

बेरोजगार व्यक्तियों का एक पुंज बनाने का प्रस्ताव

3443. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व बनाये गये वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों के पुंज के उद्देश्यों और ढांचे के समान ही देश में रोजगार दिलाऊ दफ्तरों में दर्ज बेरोजगार व्यक्तियों का एक पुंज बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो संविधान के अनुच्छेद 41 में किये गये उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस अति ज्वलंत समस्या को हल करने के लिये और क्या उपाय करने का सरकार का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता ।

(ग) तथा (घ). देश के सीमित साधनों में, उपलब्ध जन-शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग करने का हर प्रयत्न किया गया है । 1968-69 की वार्षिक योजना में सम्मिलित विभिन्न विकास कार्य-क्रमों और उन विकास कार्य-क्रमों द्वारा, जो चौथी पंचवर्षीय योजना में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में शामिल किये जायेंगे, अधिक से अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध होने की आशा है ।

Gularbhoj Gosadan, Naini Tal

3445. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that although there is provision for a room for a veterinary dispensary in the Gularbhoj Gosadan, Naini Tal yet there are neither medicines nor any doctor; and

(b) if so, the reasons therefor and the action taken to provide medicines and appoint a doctor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) A stock of medicines is maintained in one of the rooms of the Gosadan office building for rendering first-aid to Gosadan animals, for which the Manager is trained.

(b) Does not arise.

कालकाजी कालोनी, दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकानों का निर्माण

3446. **श्री देवेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती कालकाजी कालोनी, दिल्ली में माध्यम और कम आय वर्ग के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये उनकी कमजोर आर्थिक स्थिति को देखते हुए, अपने अभिकरणों के माध्यम से अथवा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से मकानों का निर्माण करने का कार्य आरम्भ करने का है, और मकानों की निर्माण लागत को 30 वर्ष में वसूल करने की व्यवस्था करने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या मकानों के निर्माण के लिये इन लोगों को अपने अभिकरणों के माध्यम से व्याजमुक्त पर्याप्त ऋण, सरकारी दर पर निर्माण की सामग्री और मकान बनाने की अन्य सम्बन्धित सुविधायें देने की वांछनीयता पर सरकार विचार करेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन विस्थापित व्यक्तियों की सहायता करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केवल वे विस्थापित व्यक्ति ही इन प्लाटों को पाने के योग्य पात्र हैं जो कि दिल्ली में विशेष समय से लाभकारी रोजगार पर लगे हुये हैं, "अलाभ-हानि" आधार पर प्लाटों की व्यवस्था करना सहायता का पर्याप्त उपाय समझा जाता है । सहायता के अन्य उपायों के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं है । अलाटियों में से अधिकांश संख्या सरकारी कर्मचारियों की है, जो कि अपने मंत्रालयों, विभागों द्वारा गृह-निर्माण ऋण पाने के पात्र होने चाहिये । अन्य व्यक्तियों को या तो व्यक्तिगत रूप में, या एक या उससे अधिक बनाई गई सहकारी समितियों के सदस्यों के रूप में, माध्यम और कम आय वर्गों को गृह-निर्माण का प्रोत्साहन देने वाली विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण के पात्र होने की सम्भावना है ।

दिल्ली में शरणार्थियों के लिये आवंटित प्लाटों का भूमि का किराया

3447. **श्री देवेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पट्टे पर दी गई भूमि पर एक रुपया प्रति प्लाट का नाममात्र का भूमि किराया लेने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस बात के औचित्य पर विचार करेगी कि दिल्ली में पश्चिमी पाकिस्तान तथा पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को पट्टे पर दी गई भूमि का किराया, पुनर्वास के कर को छोड़कर भूमि के वास्तविक मूल्य के आधार पर कम दरों पर लगाया जाये तथा उसमें से मुकदमेबाजी तथा विकास का व्यय निकाल दिया जाये ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) तथा (ख). दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में भूमियां विस्थापित व्यक्ति पुनर्व्यवस्थापन (भूमि अर्जन) अधिनियम 1948 के अन्तर्गत अर्जित की गई है । अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत भूमि के अर्जन तथा विकास के वास्तविक मूल्य पर 3 प्रतिशत वार्षिक की दर से भूमि का किराया वसूल किया जाता है । पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों ने सामान्यतः भूमि के बाजार मूल्य का भुगतान करने की इच्छा प्रकट की है, उनकी इस इच्छा को ध्यान में रखते हुये उनको प्रति 100 वर्ग गज या उसके भाग के लिये 1 रुपया वार्षिक की दर से भूमि के किराये का भुगतान करने की अनुमति दे दी गई है । कालकाजी के निकट पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों की बस्ती के मामले में ऐसा ही कदम उठाया जा सकता था किन्तु यह ध्यान में रखते हुये कि दिल्ली में वर्तमान भूमि का भाव अत्यधिक है, इस योजना का उन पर लागू करना उनके हित के विरुद्ध होगा ।

दिल्ली की कालकाजी कालोनी में पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों को आवंटित की गई भूमि की कीमत

3448. **की देवेन सेन :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कालकाजी कालोनी में तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में (1) पश्चिम पाकिस्तान से विस्थापित हुए व्यक्तियों को आवंटित की गई भूमि और (2) पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिये निर्धारित की गई भूमि का अर्जन करने, और इसकी लागत निर्धारित करने के सिद्धान्त और कसौटी क्या थी तथा (i) भूमि अर्जन की तिथि, (ii) भूमि खरीदने का मूल्य; (iii) मुकदमेबाजी पर हुए व्यय की राशि, यदि कोई मुकदमेबाजी हुई हो, तथा यदि मूल्य में कोई भेद या अन्तर हो, तो उसके कारणों समेत समूचा ब्योरा क्या है; और

(ख) नई दिल्ली की कालकाजी कालोनी में पश्चिम पाकिस्तान के विस्थाप्ति व्यक्तियों और पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों से लिये गये प्रति वर्ग गज भूमि के मूल्य में कितना अन्तर है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (दा० रा० चह्वाण) : (क) भूमि अर्जन का मूल्य निश्चित करने के मुख्य सिद्धान्त दोनों पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों और कालकाजी में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिये, विस्थापित व्यक्ति पुनर्व्यवस्थापन (भूमि अर्जन) अधिनियम, 1948 की धारा 7 में दिये गये हैं। व्यक्तिगत मामलों में भूमि अर्जन का मूल्य निश्चित करने के लिये जिन तथ्यों पर विश्वास किया जाता है, वे अधिनिर्णयों में दिये गये हैं तथा अन्य ऐसे आदेशों में दिये गये हैं जो मध्यस्थों, न्यायालयों इत्यादि द्वारा पास दिये गये हों। ऐसे मामलों की संख्या अधिक है, बहुत से मामलों में, इतने वर्षों के उपरान्त, पास किये गये अधिनिर्णय तथा आदेश सरलतया प्राप्य नहीं हैं और इनको एकत्रित करने में जो समय तथा श्रम लगेगा वह प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा । अलग-अलग बस्तियों के लिए अर्जित की गई भूमि के बारे में मुकदमेंबाजी पर हुए खर्च का कोई अलग लेखा नहीं रखा जाता और कालकाजी बस्ती के बारे में इस जानकारी को एकत्रित करने में जो समय तथा श्रम लगेगा वह भी प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

(ख) पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के लिए कालकाजी बस्ती में भूमि 7.50 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से अलाट की गई है। 1953 में जिस समय अलाटमेन्ट की गई थी, तब यह दर भूमि अर्जन तथा विकास के अनुमानित व्यय पर आधारित थी। कालका जी के निकट, पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों की बस्ती में प्रिमियम की अस्थाई दर 30 रुपये प्रति वर्ग गज निश्चित की गई है। यह दर भूमि अर्जन के मूल्य तथा विकास पर होने वाले अनुमानित व्यय पर जो कि वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में बढ़ गया है, आधारित है।

Scheme for Landless People in Kumaon Region (U. P.)

3449. **Shri J. B. S. Bist :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to prepare a scheme immediately to solve the acute

problems of the landless in Hilly Districts of the backward Kumaon region in U. P. ; and

(b) if so, the time by which the scheme would be implemented and the details of the scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Registration and Allotment of Land to Landless People in Kumaon Region (U. P.)

3450. **Shri J. B. S. Bist**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government had taken a decision to register the names of the certified landless applicants, who desired to have land in Terai-Bhabar area, from the 21st May, 1965 to date and if so, the date on which their registration was started and if not, the reasons therefor ;

(b) whether Government are soon making suitable arrangements to allot land to the applicants registered in the Office of District Magistrate, Nainital, up to 21st May, 1965 ; according to their registration number ;

(c) if so, whether Government would also make arrangements to allot land to low paid Government employees also ; and

(d) if so, the progress made in this direction so far and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) No decision has been taken by the Government of U. P. to register names of certified landless applicants desiring settlement of land in Terai and Bhabar area after 21st May, 1965. Very little area of vacant land is available in Tarai Bhabar Government Estates for allotment. Registration of fresh applications was, therefore, gived up in 1965. The Government of U. P. took a decision in October, 1967 restricting allotment of land in this area to landless residents of Kumaon Division. Fresh applications were entertained by the Deputy Commissioner, Naini Tal only in accordance with this directive.

(b) and (c). No arrangements have been made for alloting land to applicants registered up to 29th May, 1965, as the category of persons eligible for allotment in this area has been altered from October, 1967. Due to scarcity of land, it would not be possible to accommodate persons beloging to categories who were eligible for land prior to 1967 but who are now not eligible. For the same reason, it is not possible to allot lands to low-paid Government employees.

(d) Question does not arise.

चीनी की कीमत

3451. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी की अन्तर्राष्ट्रीय कीमत क्या है और भारत में चीनी नियंत्रण वाली तथा बिना नियंत्रण वाली की कीमत क्या है ;

(ख) चीनी के लिए गन्ने उत्पादन करने वाले मुख्य देशों में गन्ने की कीमत क्या है और भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा मद्रास राज्यों में इसकी तुलनात्मक कीमत क्या है; और

(ग) उक्त तीन राज्यों में चीनी की प्रति टन तुलनात्मक उत्पादन लागत क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 29 नवम्बर, 1968 को लंदन डेली प्राइस की स्पाट कोटेशन जोकि चीनी के विश्व-मूल्य का सूचकांक माना जाता है, थोक आधार पर 29.00 पौण्ड या 522 रुपये प्रति टन, लागत भाड़ा सहित यू० के० 96° था।

1967-68 में उत्पादित चीनी का निकासी लेवी मूल्य और खुले बाजार में चीनी का औसत विक्रय मूल्य इस प्रकार है :

(रु० प्रति क्विंटल)

क्षेत्र	1967-68 के सीजन में उत्पादित चीनी के 60 प्रतिशत का निकासी मूल्य (इसमें उत्पादन शुल्क आदि शामिल है)	खुले बाजार में 30-9-68 तक चीनी कारखानों को चीनी की बिक्री से प्राप्त औसत बिक्री मूल्य :
क्षेत्र—1 (महाराष्ट्र, गुजरात उत्तरी मैसूर और उत्तरी आन्ध्र प्रदेश)	139.02	
क्षेत्र—2 (उड़ीसा, शेष आन्ध्र प्रदेश, दक्षिणी, मैसूर, मद्रास, पांडिचरी और केरल)	153.85	
क्षेत्र—3 (पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, मुज़फ्फर नगर, बुलन्दशहर जिले, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश)	155.65	358.83
क्षेत्र— 4 (पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मध्य और शेष भाग)	154.70	
क्षेत्र—5 (पूर्वी उत्तर प्रदेश, विहार तथा पश्चिमी बंगाल)	156.22	
क्षेत्र—6 (असम)	165.72	

(ख) 1968-69 के लिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मद्रास राज्यों में चीनी कारखानों के लिए गन्ने का निर्धारित न्यूनतम मूल्य इस प्रकार है :

	(रु० प्रति क्विंटल)
उत्तर प्रदेश	7.37 से 8.12
महाराष्ट्र	7.37 से 9.35
मद्रास	7.37 से 7.96

अन्य देशों में गन्ने के मूल्य के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) चीनी की उत्पादन लागत कई एक तत्वों पर निर्भर करती है जैसे कि गन्ने की लागत, वास्तविक उपलब्धि, गन्ना पेरने की अवधि, स्टोर की लागत, वेतन तथा मजदूरी मूल्य ह्रास, रख-रखाव तथा मरम्मत, अन्य ऊपरी खर्च तथा लगी पूंजी पर लाभ । क्योंकि विभिन्न कारखानों तथा क्षेत्रों के गन्ने का भिन्न-भिन्न मूल्य दिया था । इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन लागत भी भिन्न-भिन्न है । अन्तिम अध्ययन चीनी जांच आयोग ने 1963-64 में किया था । तथापि, सरकार ने 1967-68 में सरकारी वितरण के लिए अधिग्रहण किए गए उत्पादन के केवल 60 प्रतिशत का निकासी मूल्य निर्धारित किया था । चीनी का मूल्य राज्यवार आधार पर निर्धारित नहीं किया जाता है बल्कि सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने के न्यूनतम मूल्य, औसत वास्तविक उपलब्धि, संबंधित क्षेत्रों में चीनी कारखानों की गन्ना पेरने की अवधि पर विचार करने के बाद चीनी जांच आयोग अभिस्ताविक 5 क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है । उपर उत्तर के भाग (क) में निर्धारित मूल्य दिए गए हैं ।

टायर कारखानों में हड़ताल

3452. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टायर कारखानों में हड़ताल की अवधि क्या है;

(ख) इस हड़ताल के कारण टायरों की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार विवाद को न्याय-निर्णय को सौंपने पर विचार कर रही है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों का ध्यान न्याय-निर्णय सम्बन्धी आदेशों को शीघ्रता से जारी करने की आवश्यकता की ओर दिलाया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है ।

वनस्पतियों का हाइड्रोफोनिक तरीके से उगाना

3453. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई की श्रीमती शराफ के हाईड्रोफोनिक तरीकों से वनस्पतियों

को उगाने सम्बन्धी दावों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हाईड्रोफोनिक तरीकों की खेती को आम बनाने की संभाव्यता पर विचार किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस बारे में जांच करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकार को श्रीमती शराफ के ऐसे किसी दावे के बारे में जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) यदि श्रीमती शराफ के ऐसे दावे सरकार के सामने लाये गए तो वह उन पर विचार करेगी ।

मनीपुर में धान की वसूली

3454. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने सीजन में धान की वसूली की प्रणाली को घोषणा की है और यह गत वर्ष की भांति ही है ;

(ख) क्या इस प्रणाली के अनुसार लोगों पर बहुत प्रतिबन्ध लग जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो वे प्रतिबन्ध क्या हैं ; और

(घ) इसी प्रणाली को जारी रखने और एच्छिक क्रम तथा जनता के अंशदान का सहारा न लेने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मणिपुर प्रशासन ने गत वर्ष की प्राइवेट एजेन्सी से अधिप्राप्ति कराने का निश्चय किया है । राजस्व एजेन्सी प्रधानों के माध्यम से कार्य करेगी ।

(ख) तथा (ग). यह प्रतिबन्ध उत्पादक द्वारा 25 क्विंटल से अधिक अघोषित धान का स्टाक और गैर-उत्पादक के बारे में 15 क्विंटल से अधिक स्टाक को रखने से सम्बन्धित है ।

(घ) अधिप्राप्ति का यह तरीका अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने के लिए अपनाया गया है । प्रधानों के माध्यम से लोगों से स्वैच्छिक खरीददारी तथा अंशदान यथासम्भव लिए जाएंगे ।

Fisheries Development Scheme in Madhya Pradesh

3455. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any scheme for the development of fishery industry was submitted by the Madhya Pradesh Government for inclusion in the Fourth Five Year Plan ;

(b) if so, the details thereof and the cost involved ; and

(c) the decision taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). Yes, Sir. The schemes proposed for inclusion in the Fourth Five Year Plan for the development of Fisheries in Madya Pradesh are as follows :

S. No.	Name of the Scheme	Outlay proposed by the State Government (Rs. in lakhs)
1.	Production of fish seed ..	110.00
2.	Development of Reservoir Fisheries ..	68.00
3.	Provision of Fish Storage and Marketing facilities ..	5.00
4.	Reclamation of Fallow Waters ..	5.60
5.	Fisheries Training and Education ..	3.50
6.	Craft and Tackle and Aquarium ..	9.95
7.	Fisheries Extension of C. D. Blocks ..	15.15
8.	Organisation and Capital for Cooperatives and Corporations.	10.00
9.	Administration-cum-Technical Staff	4.65
10.	Publicity and Propaganda.	1.20
11.	Development of Reverine Fisheries	3.50
12.	Fish Marketing at Urban Centres.	3.45
13.	Production of Fish Seed through Panchayats and other Agencies ..	5.00
14.	Improvements of village ponds for fish culture ..	20.00
	Total	265.00

(c) The schemes have been examined in consultation with the State Government and generally approved. The amount to be provided in the State Plan has not been determined.

Minor Irrigation Schemes for Madhya Pradesh

3456. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have sanctioned any amount for minor irrigation schemes, in Madhya Pradesh during 1968-69 ;

(b) if so, the amount thereof ; and

(c) whether State Government had requested for any extra amount during 1967-68 for this purpose and whether it was granted ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b). According to the pattern of financial assistance for State Minor Irrigation programmes introduced with effect from 1-4-1967, the State Governments are eligible for 60% loan and 15% grant on the basis of total expenditure incurred, upto the approved ceiling. An outlay of Rs. 630.00 lakhs has been approved for 1968-69 in respect of the Minor Irrigation programme of the State. Central assistance, in

accordance with the above pattern, would be released towards the close of the financial year.

(c) During 1967-68, the State Government had requested for an additional allocation of Rs. 4.50 crores which included Rs. 3.00 crores for accelerating private minor irrigation programme and Rs. 1.50 crores for State Sector Schemes including deep and shallow tubewells. However, no additional allocation to States, including Madhya Pradesh, during 1967-68 could be made owing to difficult resources' position.

Amount spent on 1967 General Elections in Madhya Pradesh

3457. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the total amount spent by Government on the last General Elections in Madhya Pradesh ; and

(b) the total amount spent by the State Legislative Assembly candidates during these elections as given by them in their Election returns ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem) : (a). Rs. 52,00,000/- (Rupees fifty-two lacs).

(b) According to the statements filed by 1345 candidates for the Legislative Assembly election (including two candidates who furnished 'nil' statements), an expenditure of Rs. 29,68,718.00 (Rupees twenty-nine lacs sixty-eight thousand seven hundred and eighteen) was incurred. Out of a total number of 1553 contesting candidates, 202 candidates have **not** lodged any account of election expenses, and information in respect of six candidates, who lodged their account, is not readily available.

टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में आवेदन देने वाले

3458. **श्री वी० ना० शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन कनेक्शनों के लिये आवेदन देने वालों की प्रतीक्षा सूची में 31 मार्च, 1968 को कुल कितनी संख्या थी ;

(ख) चालू वर्ष में कुल कितने नये टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या सरकार टेलीफोन कनेक्शनों की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए टेलीफोन उपकरणों के उत्पादन के लिये नये कारखाने स्थापित करने पर विचार कर रही है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) (क) लगभग 4,30,000 ।

(ख) लगभग 75,000 ।

(ग) बंगलोर के वर्तमान टेलीफोन कारखाने के अलावा लम्बी दूरी के पारेषण उपस्कर के निर्माण के लिए एक नया कारखाना लगाने और डोरी, फ्यूज आदि के निर्माण के लिए एक सहायक यूनिट लगाने का भी प्रस्ताव है । दूरसंचार उपस्कर के निर्माण के लिए और अधिक कारखाने स्थापित करने की जरूरत चौथी पंचवर्षीय योजना के आकार और इसके लिए निर्धारित वित्तीय साधनों से सम्बद्ध है । इसकी जांच की जा रही है ।

Use of Hindi in the Department of Communications

3459. **Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the measures adopted by his Department to (i) bring out their publications in Hindi, (ii) maintain Service Books of class IV employees in Hindi, (iii) secure funds from the Ministry of Finance for additional translators and Hindi typewriters in view of the increasing translation work, (iv) prepare programme for teaching Hindi under the Hindi Training Scheme to such officers and employees as were below 45 years of age on the 1st January, 1961, (v) make the Hindi knowing persons work in Hindi ; and (vi) to appoint Hindi knowing persons at the level of Joint Secretary, Deputy Secretary and Under Secretary to conduct the Hindi Implementation Scheme and the Hindi Training Scheme, in view of the Official Languages Act and the orders of the Ministry of Home Affairs there-under ; and

(b) the dates on which the said measures were adopted and the outcome thereof ;

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) :

(a) and (b). (i) The Annual Reports of the Department and the two Public Undertakings under its control viz. the Indian Telephone Industries Limited and the Hindustan Teleprinters Limited, are brought out in Hindi in addition to English. Steps are also being taken to bring out in Hindi the publication entitled "General information and Instructions governing licences for Wireless Telegraph in India".

(ii) Instructions about the maintenance of Service Books of Class IV employees in Hindi are being implemented.

(iii) Provision for funds for the creation of one post of translator and purchase of additional Hindi typewriters has been included in the Budget proposals of this Department.

(iv) Necessary action for teaching Hindi has already been taken.

(v) Hindi knowing persons in this Department (Main) have got the option to do work in Hindi.

(vi) As there is no post of Joint Secretary in the Department (Main), the Deputy Secretary has been given the responsibility for the implementation of the programme of progressive use of Hindi and the Hindi Teaching Scheme. An Under Secretary has been designated as the Liaison Officer, Hindi Teaching Scheme for the Department (Main). These orders were issued on the 24th September, 1968 and 12th August, 1968 respectively.

Use of Hindi in the Ministry of Law

3460. **Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the measures adopted by his Ministry to (i) bring out their publications in Hindi, (ii) maintain Service Books of Class IV employees in Hindi, (iii) secure advances from the Ministry of Finanne for additional translators and typewriters in view of the increasing translation work, (iv) prepare programme for teaching Hindi under the Hindi Training Scheme to such officers and employees as were below 45 years of age on the 1st January, 1961, (v) make

the Hindi knowing persons work in Hindi and to appoint Hindi knowing persons at the level of Joint Seeretary, Deputy Secretary and Under Secretary to conduct the Hindi Implementation Scheme and the Hindi Training Seheme, in view of the Official Languages Act and the orders of the Ministry of Home Affairs there-under ; and

(b) the dates on which the said measures were adopted and the outcome thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri M. Yunus Saleem) : (a) (i) The Annual Administrative Report on the activities of the Ministry of Law, which is prepared for circulation to the Members of Parliament in connection with discussions on the Budget Demands, is published both in English and Hindi. A monthly Law Report in Hindi, entitled "Uchchatama Nyayalaya Nirnaya Patrika", containing the reportable judgments of the Supreme Court is being published by this Ministry from April, 1968. A similar monthly Law Report in Hindi, entitled "Uchcha Nyayalaya Nirnaya Patrika", containing the reportable judgments of the High Courts may be published from January, 1969. Besides, Hindi translations of Central Acts, prepared by the Official Language (Legislative) Commission constituted in the Ministry of Law, Legislative Department, in pursuance of the directions issued by the President in his Order dated the 27th April, 1960, under clause (6) of article 344 of the Constitution, are published in the Government of India Gazette under the authority of the President under clause (a) of sub-section (1) of section (5) of the Official Languages Act, 1963. Copies of such authoritative texts in Hindi of the Central Acts are available, on payment, with the Manager, Government of India Publication Branch, Civil Lines, Delhi-6.

(ii) Steps have been taken to secure Service Books in diglot form (Hindi and English) from the Central Forms Store, Calcutta. As soon as these are received, the service books of Class IV staff will be maintained in Hindi also.

(iii) Adequate arrangements for the Hindi translation work of this Ministry have been made. Action has also been taken to obtain sufficient number of Hindi typewriters.

(iv) The facilities available under the Hindi Training Scheme of the Ministry of Home Affairs are being fully utilised by this Ministry in accordance with the instructions issued by that Ministry.

(v) As regards making the Hindi-knowing persons work in Hindi, it may be stated that the main functions of the Ministry of Law are tendering of legal advice and drafting of legislation. Legal advice is usually given on files of the respective Ministries/Departments of the Government of India which refer them to this Ministry. There is hardly any scope for the officers and staff to do nothing and drafting in Hindi on such cases. So far as the Bills are concerned, translation in Hindi thereof is usually supplied to Parliament. All resolutions, notifications and administrative reports are being issued by the Ministry of Law in English and Hindi simultaneously. Replies to the letters received in Hindi from the Hindi-speaking States or members of the public are invariably given in Hindi or are accompanied by Hindi translation thereof. There is no restriction on the Hindi-knowing employees to use Hindi in their work. This Ministry also complies with the orders of the Ministry of Home Affairs in regard to the progressive use of Hindi, as far as possible.

In accordance with the instructions issued by the Ministry of Home Affairs, a Joint Secretary and a Deputy Secretary in the Legislative Department and a Joint Secretary and an Under Secretary in the Department of Legal Affairs of this Ministry have been nominated

for looking after the progress of the Hindi Implementation Scheme and the Hindi Teaching Scheme. It is not considered necessary for such officers themselves to know Hindi to enable them to discharge their duties in this behalf.

(b) No date has been specified for the various measures to be taken for the progressive use of Hindi in the transaction of Government business. The process is a continuous one and every attempt is made to implement the instructions of the Government in the matter without delay.

Use of Hindi in the Department of Parliamentary Affairs

3461. **Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) the measures adopted by his Department to—(i) bring out their publications in Hindi; (ii) maintain Service Books of Class IV employees in Hindi; (iii) secure advances from the Ministry of Finance for additional translators and typewriters in view of the increasing translation work; (iv) prepare programme for teaching Hindi under the Hindi Training Scheme to such officers and employees as were below 45 years of age on the 1st January, 1961; (v) make the Hindi knowing persons work in Hindi ; and (vi) to appoint Hindi-knowing persons at the level of Joint Secretary, Deputy Secretary and Under Secretary to conduct the Hindi Implementation Scheme and the Hindi Training Scheme, in view of the Official Languages Act and the orders of the Ministry of Home Affairs there-under ; and

(b) the dates on which the said measures were adopted and the outcome thereof ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). (1) The Annual Report of the Department is published both in English and Hindi since 1962 ;

(2) Instructions regarding maintaining Service Books of Class IV Staff in Hindi have been issued by the Ministry of Home Affairs in August, 1968. Action to implement the instructions is being taken ;

(3) Required number of posts commensurate with the work-load have been created and Hindi Typewriters provided ;

(4) Employees are being deputed for training under the Hindi Teaching / Training Scheme from time to time ;

(5) This is being done with due regard to exigencies of work ; and

(6) Hindi-knowing officers at appropriate levels have been designated to implement the instructions issued by the Ministry of Home Affairs under the Official Languages Act, 1963, as amended.

Use of Hindi Work in the Ministry

3462. **Shri Shiv Charan Lal :** will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the measures adopted by his Ministry to—(i) bring out their publications in Hindi; (ii) maintain Service Books of Class IV emplopees in Hindi; (iii) secure advances from the Ministry of Finance for additional translators and typewriters in view of the increasing translation work;

(iv) prepare programme for teaching Hindi under the Hindi Training Scheme to such officers and employees as were below 45 years of age on the 1st January, 1961; (v) make the Hindi knowing persons work in Hindi ; and (vi) to appoint Hindi-knowing persons at the level of Joint Secretary, Deputy Secretary and Under Secretary to conduct the Hindi Implementation Scheme and the Hindi Training Scheme, in view of the Official Languages Act and the order of the Ministry of Home Affairs there-under ; and

(b) the dates on which the said measures were adopted and the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) (i) Important publications including annual reports are already being issued in Hindi,

(ii) So far as the Departments of Agriculture, Community Development and Cooperation are concerned, service books of class IV employees are maintained in Hindi. Efforts are being made by the Food Department also to maintain service books of class IV employees in Hindi,

(iii) Proposals for creation of additional posts of Hindi translators and purchase of typewriters are being processed,

(iv) 20 per cent of the officers and staff who are required to be trained in Hindi, are being deputed for Hindi Training every year.

(v) Instructions already exist that all officers and staff knowing Hindi should use Hindi in Official notes and drafts as far as possible.

(vi) Hindi knowing officers of the rank of Addl. Secretary and Joint Secretary have been already nominated as Controlling Officers in each Department of this Ministry. Deputy Secretaries dealing with Administration have been nominated as Liaison Officers in each Department. Under Secretaries in each Department having working knowledge of Hindi have been appointed as Branch Officers for Hindi Training Scheme and Hindi Implementation Scheme except in the case of Department of Community Development and Cooperation.

(b) The above measure were adopted on receipt of instructions from the Ministry of Home Affairs in the month of July 1968. It is too early to precisely assess the progress made.

Use of Hindi in the Ministry

3463. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the measures adopted by his Ministry to—(i) bring out their publications in Hindi; (ii) maintain Service Books of Class IV employees in Hindi; (iii) secure funds from the Ministry of Finance for additional translators and Hindi typewriters in view of the increasing translation work; (iv) prepare programme for teaching Hindi under the Hindi Teaching Scheme to such officers and employees as were below 45 years of age on the 1st January, 1961; (v) make the Hindi knowing persons work in Hindi ; and (vi) to appoint Hindi-knowing persons at the level of Joint Seeretary, Deputy Secretary and Under Secretary to conduct the Hindi Implementation Scheme and the Hindi Teaching Scheme, in view of the Official Languages Act and the orders of the Ministry of Home Affairs there-under ; and

(b) the dates on which the said measures were adoped and the out-come thereof ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi):(a) and (b). A Statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2553/68].**

गन्ने का मूल्य

3464. **श्री बाल्मीकी चौधरी :**
श्री सु० कु० तापड़िया
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी की मिलों ने गन्ने के सांविधिक मूल्य में वृद्धि करने तथा चीनी के खुदरा मूल्यों में तदनुसार वृद्धि करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो गन्ने तथा चीनी के मूल्यों में कितनी वृद्धि की मांग की गई है और मांग का आधार क्या है ; और

(ग) इन मांगों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) और (ख). उत्तरी बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ कारखानों ने गन्ने के न्यूनतम मूल्य 7.37 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ा कर 10 रुपये प्रति क्विंटल करने के लिए कहा है । क्योंकि चीनी का लेवी मूल्य गन्ने के न्यूनतम मूल्य पर आधारित होता है, इसलिये गन्ने के मूल्यों में वृद्धि करने से चीनी के लेवी मूल्यों में भी तदनुसार वृद्धि होगी और इससे खुदरा मूल्यों में भी ।

(ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उत्पादन के 30 प्रतिशत की खुले बाजार में बिक्री होगी, चीनी कारखानों के लिए न्यूनतम मूल्य के ऊंचे मूल्य देना सम्भव होना चाहिये ।

श्रम प्रशासन के बारे में केन्द्रीय कार्यकारी दल

3465. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रम सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग द्वारा स्थापित किये गये श्रम प्रशासन सम्बन्धी केन्द्रीय कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें क्या है ; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं, बल्कि राष्ट्रीय श्रम आयोग को प्रस्तुत की है ।

(ख) और (ग). इस समय सरकार इस मामले पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही इस पर विचार किया जायगा ।

नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए बांड

3466. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिये बांड जारी करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं। अभी तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ट्रैक्टरों तथा विद्युत चालित हलों का आयात

3467. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 22 अगस्त, 1968 के अतांरांकित प्रश्न संख्या 4800 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रैक्टरों तथा विद्युत चालित हलों के आयात के प्रश्न पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख). 15,000 व्हील वाले ट्रैक्टर, 1075 क्रालर ट्रैक्टर और 4,000 पावर टिलर आयात करने का निर्णय किया गया है जो निम्न प्रकार है :—

व्हील वाले ट्रैक्टर	
रूस	
डी० टी०-14 बी०	6,000
बाईलारस	500
जैकोस्लोवाकिया	
जैटर 2011	5,000
रुमानिया	
सुपर यूटी ओ० एस०	5,00
जी० डी० आर०	
आर० एस०-09	3,000
कुल जोड़ :	15,000

क्रालर ट्रैक्टर	
बुलगारिया	
टी० एल० 30 ए०	200
यूगोस्लाविया	
बी० एन० टी०-60	150
क्रालर ट्रैक्टर्स आफ	
यू० एस० ओरिजन	250
कुल	600

शेष क्रालर ट्रैक्टरों के आयात सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

चौथी योजना के चीनी के उत्पादन का लक्ष्य

3468. **श्री युगल मंडल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 25 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 900 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान चीनी के उत्पादन के लिए अस्थाई लक्ष्य निर्धारित करने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). यह मामला अभी भी विचाराधीन है ।

विदेशी तेल समवायों के कर्मचारियों की हड़ताल

3469. **श्री ए० श्रीधरन :** **श्री अदिचन :**
श्री बाल्मीकी चौधरी : **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन विदेशी तेल समवायों के कर्मचारी हड़ताल पर हैं ;

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के क्या कारण हैं ;

(ग) इस हड़ताल के कारण उत्पादन में कितनी कमी हुई ;

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये कि हड़ताल शीघ्र समाप्त हो, क्या कार्यवाही की गई है और यह प्रयत्न कहां तक सफल हुए हैं ;

(ङ) क्या यह सच है कि तेल उत्पादों, विशेषतया बैंकिंग तेल की सप्लाई न होने के कारण कुल उद्योगों, विशेषतया पटसन उद्योग, पर कुप्रभाव पड़ा है ; और

(च) यदि हां, तो हड़ताल से उद्योगों पर किस हद तक कुप्रभाव पड़ा है और देश के

अन्य उद्योगों पर इन हड़तालों के कुप्रभाव को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) बर्माशैल और कालटैक्स के श्रमिकों ने कलकत्ता में 7 नवम्वर, 1968 को काम बन्द कर दिया तथा इस्सो व आई० बी० पी० के श्रमिकों ने 8 नवम्बर, 1968 से सहानुभूतिपूर्ण हड़ताल की। इस्सो तथा आई० बी० पी० के श्रमिकों ने तो 15 नवम्बर, 1968 को पुनः काम शुरू कर दिया, लेकिन बर्माशैल और कालटैक्स की हड़ताल 18 नवम्बर, 1968 को समाप्त हुई और कार्य अगले दिन पुनः प्रारम्भ किया गया।

(ख) बर्माशैल के श्रमिकों ने प्रबंधकों द्वारा 304 श्रमिकों की छंटनी किये जाने के विरोध में हड़ताल की और कालटैक्स के श्रमिकों ने कम्पनी के कलकत्ता के कार्यालय को बन्द किये जाने के विरोध में।

(ग) उत्पादन की कोई हानि नहीं हुई। कम्पनियों की कितनी बिक्री की हानि हुई, इसके बारे में सरकार के पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) पश्चिमी बंगाल की समझौता मशीनरी ने कई एक समझौता बैठकें बुलायीं। नई दिल्ली में भी 16-17 नवम्बर, 1968 को एक त्रिपक्षीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप बर्माशैल के प्रबंधकों ने छंटनी की कार्यवाई को 5 दिसम्बर, 1968 तक स्थगित रखना स्वीकार किया और श्रमिकों ने 18 नवम्बर, 1968 को हड़ताल समाप्त कर दी। विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्ष भी आगे विचार-विमर्श कर रहे हैं। कालटैक्स के प्रबंधकों और संबंधित यूनियन के बीच भी कार्यालय के बन्द किये जाने संबंधी विवाद के सम्बन्ध में एक समझौता हो गया है।

(ङ) कुछ सीमा तक जूट और रबड़ उद्योगों पर कुप्रभाव पड़ा।

(च) इंडियन आयल कारपोरेशन द्वारा कई एक वितरण केन्द्र खोले जाने के कारण उद्योगों पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को कम कर दिया गया।

ट्रैक्टरों की चोरबाजारी

3470. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**

श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को ट्रैक्टर दिये जाने के मामले में बड़े पैमाने पर चोरबाजारी हो रही है ;

(ख) क्या रूसी ट्रैक्टरों के आयात के मामले में गतिरोध उत्पन्न होने के कारण ट्रैक्टरों की बहुत कमी हो गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) ट्रैक्टरों की चोरबजारी के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें आई हैं और उनकी जांच हो रही है।

(ख) तथा (ग). रूसी ट्रैक्टरों के आयात के बारे में कभी भी गतिरोध नहीं था केवल आयात की शर्तों पर दीर्घकालिक बातचीत होती रही है और केवल मात्र इसे ही कमी का कारण नहीं कहा जा सकता। अब ट्रैक्टरों की सप्लाई की स्थिति में सुधार करने के लिए निम्नलिखित ट्रैक्टरों का आयात करना मंजूर कर लिया गया है :—

पहिये वाले ट्रैक्टर	**संख्या**
1. रूस—डी० टी०-14 बी०	6,000
—बाइलरस	500
2. चैकोस्लोवाकिया—जैटर 2011	5,000
3. जी० डी० आर० आर० एस०-09	3,000
4. रूमानिया—यू० डी० ओ० एस०	500
कुल :	15,000

उपरोक्त के अतिरिक्त, 1075 क्रालर ट्रैक्टरों का आयात करने के बारे में भी निर्णय कर लिया गया है।

विदेशों से, जिनमें रूस भी शामिल है, इन समस्त ट्रैक्टरों के आयात का कार्य निकट भविष्य में पूर्ण हो जाने की आशा है।

कृषि विश्वविद्यालय

3471. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों को कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा उनके संधारण के लिये किस आधार पर धन आवंटित किया जाता है ;

(ख) इन प्रयोजनों के लिये, स्थापना के लिये, तथा उसके पश्चात् पांच वर्ष तक प्रति वर्ष कृषि विश्वविद्यालयों के संधारण के लिये, गुजरात राज्य को कितनी राशि उपलब्ध कराई जायगी ;

(ग) यह सुनिश्चत करने के लिये कि धन का इस प्रकार प्रयोग किया जाये कि उससे अधिकतम लाभ मिले, केन्द्रीय सरकार ने क्या पूर्वोपाय किये हैं ;

(घ) उपरोक्त बात को ध्यान में रखते हुए स्थान चुनने के मामले में केन्द्रीय सरकार कहां तक जांच करती है ; और

(ङ) क्या कोई राज्य सरकार एक से अधिक कृपि विश्वविद्यालय स्थापित कर सकती है अथवा किसी स्थानीय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कृपि शिक्षा समूह का लगभग स्वायत प्रांगण स्थापित कर सकती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित योजना के आधीन केवल निश्चित मदों के विकास के लिये कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने तथा उनके विकास के लिये एक मान्य सहायता प्रणाली के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत सरकार से प्राप्त अनुदान में से कृषि विश्वविद्यालयों को स्थापना के पश्चात वित्तीय सहायता देती है ।

(ख) गुजरात राज्य से किसी निश्चित मदों के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता हेतु अभी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई क्योंकि अभी तक वहां कोई कृषि विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किया गया है । गुजरात में विश्वविद्यालय स्थापित होने के पश्चात अगले 5 वर्षों में दी जाने वाली सम्भावी सहायता के प्रश्न पर अभी निश्चय नहीं किया गया है ।

(ग) राशि का आवंटन विकास के विशेष मदों के लिये किया जाता है । उपलब्ध की गई राशि के लिये विश्वविद्यालय उपयोगितावाद और लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र भेजते हैं । इसके अतिरिक्त परिषद विकास राशि के ठीक प्रयोग की जांच करने के लिये विशेषज्ञों के दल प्रतिवर्ष विश्वविद्यालयों को भेजती है ।

(घ) विश्वविद्यालय राज्य विधान सभाओं द्वारा बनाये अधिनियमों के अधीन स्थापित किये जाते हैं और उनके मुख्यालयों की स्थापनाओं के बारे में निर्णय राज्य सरकारें करती हैं । यदि राज्य सरकारें स्थान के बारे में परिषद की सहयोगी बनना चाहें तो उन्हें आवश्यक सलाह दी जाती है । दौरा करने वाले दलों के निरीक्षणों के द्वारा परिषद सुनिश्चित करती है कि चुनींदा स्थानों पर विकास के मदों पर कोई व्यर्थ व्यय न किया जाये ।

(ङ) शिक्षा आयोग की सिफारिश के अनुसार यह राष्ट्रीय नीति के रूप में मान लिया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये । राज्य की मानव शक्ति की जरूरतों, साधनों की उपलब्धियों और कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना के नये तरीकों द्वारा ग्रहण किये अनुभवों के आधार पर राज्य सरकारें अपने राज्य में एक से अधिक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की वांछनीयता पर भी विचार कर सकते हैं ।

कृषि विद्यालय योजना के अन्तर्गत सम्बद्ध कालेजों की कोई गुंजाइश नहीं है । कृषि विश्व-विद्यालयों से सम्बद्ध कालेज, जो केन्द्रीय परिसर से दूर होते हैं, अपनी परीक्षाओं की स्वयं व्यवस्था करते हैं और इसलिये वे लगभग स्वायत्तशासी होते हैं । इससे इस प्रकार दी गई शिक्षा को वास्तव में लाभकारी बनाने के लिये अनुसंधान, शिक्षण तथा विस्तृत शिक्षा के एकीकरण का भी लाभ होता है ।

चावल का आयात

3472. **श्री प० गोपालन :**

श्री अ० क० गोपालन :

श्री सी० के० चक्रपाणि :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों से चावल प्राप्त करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए केन्द्र तथा राज्यों के प्रतिनिधियों सहित एक दल भेजने के प्रश्न पर विचार करेगी;

(ख) क्या केरल सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव रखा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान में भुखमरी के कारण बच्चों की मृत्यु

3474. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**

श्री न० कु० सांघी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में जैसलमेर जिले में 100 से अधिक बच्चे सूखे से/कुपोषण के कारण मर गए थे;

(ख) क्या इतने अधिक बच्चों की मृत्यु के कारणों के बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में इस बीच में क्या औपचारिक कार्यवाहियां की गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये डाक जीवन बीमा

3475. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री लोबो प्रभु : **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक जीवन बीमा का विस्तार करके सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को भी इसके अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव पर विचार किया गया है और यदि हां तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ख). जी हां, इस प्रस्ताव की पूर्णतया जांच करने के पश्चात् इसे समाप्त कर दिया गया है ।

खाद्य विभाग में फालतू कर्मचारी

3476. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य विभाग की गतिविधियों के भारतीय खाद्य निगम को धीरे-धीरे हस्तान्तरण से विभाग के मुख्य कार्यालय के अधिकांश कर्मचारियों के फालतू हो जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो उन कर्मचारियों के जिनमें से अधिकांश ने खाद्य विभाग में कितने वर्षों तक सेवा की है, सेवा के हितों को सुरक्षित करने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है; और

(ग) क्या प्रस्तावित भारतीय खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक में काम के साथ इन कर्मचारियों की सेवायें निगम को सौंपने तथा उनके अधिकारों तथा हितों की सुरक्षा करने के लिए उचित उपबन्ध करने के कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) फिलहाल खाद्य विभाग के मुख्यालय में कोई कर्मचारी फालतू नहीं हैं । भारतीय खाद्य निगम को अधिक फील्ड कार्य के हस्तान्तरण होने से मुख्यालय में कुछ कर्मचारियों के फालतू होने की सम्भावना है । इस अवस्था में सही अन्दाजा लगाना सम्भव नहीं है ।

(ख) यदि कोई कर्मचारी फालतू हुये तो उन्हें विभाग में अन्य रिक्तियों पर अथवा अन्यत्र खपा लिया जाएगा । जब कभी ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी उन्हें भारतीय खाद्य निगम में प्रतिनियुक्ति पर भी भेजा जा सकता है ।

(ग) जी नहीं ।

आंध्र प्रदेश में नलकूप लगाना

3477. **श्री द० ब० राजू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में 1968-69 में कितने नलकूप लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सभी नलकूप सरकार द्वारा लगाये जायेंगे अथवा यह व्यक्तिगत पूंजी के आधार पर लगाये जायेंगे; और

(ग) किसानों द्वारा व्यक्तिगत रूप से नलकूप लगाने के लिये सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता तथा अन्य सुविधाओं का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). मई, 1968 में केन्द्रीय दल द्वारा आंध्र प्रदेश की यात्रा के दौरान यह समझा गया था कि राज्य सरकार का 1968-69 में 750 गैर-सरकारी नलकूप लगाने का प्रस्ताव है। इन नलकूपों के निर्माण के लिये ऋण की सहायता कृषि वित्त निगम और भूमि विकास बैंकों आदि संस्थागत क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाती है। फिर भी, राज्य सरकार द्वारा असफल नलकूपों के लिये उपदान देने का भी प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि गैर-सरकारी नलकूपों के निर्माण के लिये छिद्रीकरण की सुविधायें कृषि उद्योग निगम द्वारा प्रदान की जायेंगी जिसे कि इस कार्य के लिये उपकरणों से सज्जित किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में कृषि विश्वविद्यालय

3478. **श्री चित्ति बाबू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में चार कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ये विश्वविद्यालय किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे;

(ग) उन पर कुल कितना व्यय होगा;

(घ) उन्हें कब स्थापित किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि वे अपने राज्य में कुल मिलाकर चार कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहते हैं।

(ख) पहले से स्थापित विश्वविद्यालयों में से एक विश्वविद्यालय राहुरी नामक स्थान पर है। दूसरा विश्वविद्यालय विदर्भ तथा मराठवाडा क्षेत्रों के लिए दो उप-क्षेत्रों सहित अर्थात् एक कोंकण क्षेत्र तथा दूसरा मराठवाडा में, स्थापित करने का प्रस्ताव है। तीसरे के निश्चित स्थान के बारे में अभी निर्णय किया जाना है।

(ग) महाराष्ट्र सरकार की सूचना के अनुसार चौथी योजना में राहुरी में पहले से स्थापित एक विश्वविद्यालय का कुल अनुमानित व्यय 9.22 करोड़ रुपए होगा। शेष पर अनुमानित व्यय 10.71 करोड़ रुपए होगा।

(घ) एक विश्वविद्यालय की स्थापना 1968 में की गई है। महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार दूसरे विश्वविद्यालय की स्थापना चौथी योजना में की जाएगी और शेष दो विश्वविद्यालयों की स्थापना धन की उपलब्धि के अनुसार आगामी 10 वर्षों में की जायेगी।

Price of Milk in Delhi

3479. **Shri Ramavtar Sharma :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the price of milk has decreased in private dairies in Delhi ;

(b) whether it is also a fact that the Delhi Milk Scheme propose to increase the price of milk ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) There has been a fall in price of milk in the month of November, 1968. The Bureau of Economics and Statistics Delhi Administration has furnished the following information about prices of milk in Delhi :

Month, 1968	Average Milk Retail Price
	Rs.
January	1.25
February	1.25
March	1.25
April	1.28
May	1.48
June	1.50
July	1.50
August	1.50
September	1.50
October	1.50
November	1.38

(b) The matter is under consideration.

(c) The Delhi Milk Scheme runs into substantial losses. The sale price of milk has to keep in view the cost price including the procurement, processing and distribution charges.

ग्वालियर के लिये डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की योजना

3480. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ग्वालियर के अन्य नगरों के साथ डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तथा (ख). चौथी योजना में ग्वालियर में उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि इसके लिए आवश्यक वित्तीय साधन और विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो ।

एर्णाकुलम् में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

3481. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एर्णाकुलम् में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज में कब कार्य आरम्भ हो जायेगा; और

(ख) इसको चालू करने में यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एर्णाकुलम् में अप्रैल, 1969 तक स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज के चालू किये जाने की आशा है ।

(ख) उपस्कर प्राप्त करने में कुछ देरी हुई है । अनुभव के आधार पर अन्यत्र इसी प्रकार के उपस्करों में कुछ सुधार करने होंगे ।

एर्णाकुलम्, त्रिचूर तथा कोट्टयम में कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

3482. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एर्णाकुलम्, त्रिचूर तथा कोट्टयम में कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो केरल राज्य में उक्त स्थानों पर निर्माण कार्य की क्या स्थिति है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्यमंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं ।

(ख) इन निर्माण कार्यों में से प्रत्येक की स्थिति निम्न प्रकार है :—

एर्णाकुलम्—लट्ठा नींव (पाइल फाउन्डेशन) के लिए टेंडर आमंत्रित करने के लिए विस्तृत प्राक्कलन और नोटिस को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इस वित्तीय वर्ष के दौरान टेंडर आमंत्रित किये जाने की आशा है ।

त्रिचूर—इन क्वार्टरों के लिए विस्तृत प्राक्कलन को अन्तिम रूप से तैयार किया जा रहा है और चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पहले टेंडर आमंत्रित किये जाने की आशा है ।

कोट्टयम—यहां क्वार्टरों के निर्माण की लागत के लिए 27-11-68 को 5.4 लाख रुपये की मंजूरी दी जा चुकी है ।

1969-70 के दौरान काम चालू किये जाने की आशा है बशत कि फंड उपलब्ध हों ।

पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को भूमि का आवंटन

3483. **श्रीमती निर्लेप कौर :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को पंजाब में कुल कितनी कृषि-भूमि का आवंटन किया गया है;

(ख) क्या सभी शरणार्थियों को उतनी ही भूमि दी गई है जितनी वे पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़कर आये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वान) : (क) पंजाब में 1,58,642 विस्थापित व्यक्तियों को 15,64,910 मानक एकड़, कृषि भूमि स्थायी रूप से आवंटित की गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) चूंकि पश्चिम पंजाब में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई भूमि निश्क्रान्त व्यक्तियों द्वारा पूर्वी पंजाब तथा पैपसू में छोड़ी गई भूमि से अधिक थी, इसलिये इस कमी को पूरा करने के लिये विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1955 के परिशिष्ट XIV के अनुसार प्रत्येक अलाटी की व्यक्तिगत जोत पर क्रमबद्ध कटौती लागू की गई थी ।

पंजाब में हरिजनों को भूमि का आबंटन

3484. **श्रीमती निर्लेप कौर :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में पंजाब में हरिजनों को कितनी भूमि आवंटित की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में कृषि भूमि का आवंटन पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को हक छीन कर किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वान) : (क) संभवतः माननीय सदस्य के मन में निश्क्रान्त कृषि भूमि के आवंटन का विचार है ।

25,532 मानक एकड़ खेती-योग्य भूमि तथा 30,393 सामान्य एकड़ **बंजर** तथा **गैरमुमकिन** भूमि पिछले पांच वर्षों में पंजाब में हरिजनों को अब तक हस्तान्तरित या बेची गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कीटनाशी औषधियों सम्बन्धी विशेष समिति की सिफारिशें

3485. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेषज्ञों की एक विशेष समिति ने सिफारिश की है कि स्वास्थ्य सम्बन्धी संकटों को कम करने के लिये आज कल कृषि के लिये उपयोग में लाई जा रही कीटनाशी औषधियों को बदल दिया जाये;

(ख) विशेषज्ञ समिति ने और क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) सरकार ने समिति द्वारा किये गये सुझावों को किस हद तक मान लिया है ?

खाद्य, कषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा प्रोफेसर एम० एस० थैकर की अध्यक्षता में 'कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव' पर नियुक्त समिति के अनुसार कुछ कीटनाशक औषधियां जो कि यद्यपि काफी प्रभावशाली हैं, यदि सावधानीपूर्वक प्रयोग में न लाये जायें तो खतरनाक भी हैं, फिर भी खाद्य फसलों की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुये समिति ने इस समय इनके प्रयोग में एक दम कमी करना उचित नहीं समझा और साथ ही सिफारिश की है कि जैसे ही आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक हो शनैः शनैः इनको वैकल्पिक रसायनों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाय ।

(ख) समिति की अन्य मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(1) भारत में प्रयुक्त होने वाले कीट नियंत्रकों के प्रयोग की विधि और प्रयोग में सावधानी वर्तने के लिये और नये-नये रसायनों के प्रचलन को नियंत्रित और निरीक्षण करने के लिये एक व्यापक समन्वित वैध प्रणाली स्थापित की जाये ।

(2) जीव वैज्ञानिकों, रसायनज्ञों, औषधीय विष विशेषज्ञों और सरकार के सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों से निर्मित एक रजिस्ट्रेशन समिति की स्थापना की जाये जो कि कीटनाशकों के निर्माण, पैकिंग, लैबलिंग, भंडारण, विक्रय और प्रयोग के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली सावधानियों के सम्बन्ध में परामर्श देगी ।

(3) रसायनों के विस्तृत परीक्षण के लिये उपकरणों से सज्जित वैश्लोषिक एकक स्थापित किये जायें ।

(ग) संसद् द्वारा गत सत्र में पारित कीटनाशक औषधि बिल के अन्तर्गत समिति की सभी सिफारिशों को सम्मिलित कर लिया गया है ।

अखिल भारतीय मिट्टी तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन

3487. **श्री अ० दीपा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 11 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7011 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय मिट्टी तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन का इस बीच

विभाजन किया जा चुका है;

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को क्या-क्या कार्य सौंपा गया है और उसमें कितने पदों (वैज्ञानिक तथा अनुसचिवीय) को हस्तान्तरित किया गया है;

(ग) क्या इस संगठन के कर्मचारियों (वैज्ञानिक तथा अनुसचिवीय) को भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में शामिल होने का कोई विकल्प दिया गया था; और

(घ) यदि उक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं होते ।

सुन्दरवन क्षेत्र का विकास

3488. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों की रोजगार देने की दृष्टि से सुन्दरवन क्षेत्रों का विकास करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने सुन्दरवन क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के लिये एक योजना बनाई है । राज्य सरकार योजना की तकनीकी-आर्थिक सम्भाव्यता पर अभी विचार कर रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

Scheme to Improve the Breed of Cows

3489. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any scheme is under consideration of Government to speedily improve the breed of cows in view of acute shortage of milk in the country ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes.

(b) Under the 4th Five Year Plan, Indian Council of Agricultural Research has proposed to take up a comprehensive coordinated research project on the improvement of various important Indian breeds through the use of exotic breeds viz. (1) Holstein, (2) Jersey, (3) Brown-Swiss and (4) Red Dane so as to develop cattle having potentialities for high level of milk production and suited to various agro-climatic regions of the country. Studies will be conducted on different economic traits with a view to assess the combination of exotic and local breeds to obtain the best productive and reproductive index.

1967 में पकड़ी गई मछली

3490. **श्री वेणीशंकर शर्मा :**

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 में देश में कितनी मछली पकड़ी गई;

(ख) उक्त अवधि में देश में कितनी मछली की खपत हुई; और

(ग) उक्त अवधि में कितनी मछली का निर्यात किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) देश में सन् 1967 के दौरान 14.00 लाख मैट्रिक टन मछलियां पकड़ी गईं ।

(ख) सन् 1967 के दौरान देश में खपत के लिए लगभग 13.4 लाख मैट्रिक टन मछलियां उपलब्ध थीं ।

(ग) सन् 1967 के दौरान 19,911 मैट्रिक टन मछलियां निर्यात की गईं ।

कृषि-वित्त सम्बन्धी गोष्ठी की सिफारिशें

3491. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में विपणन तथा अनुसन्धान ब्यूरो द्वारा आयोजित दिल्ली में हुई कृषि-वित्त सम्बन्धी एक गोष्ठी ने यह सुझाव दिया है कि महत्वपूर्ण फसलों की न्यूनतम कीमतों की घोषणा प्रत्येक फसल की उत्पादन लागत का काफी पहले निर्धारण करने के पश्चात् की जानी चाहिये जिसमें किसान को शस्य स्वरूप की योजना बनाने में तथा बैंकरों को किसान को ऋण लौटाने के सामर्थ्य का पता लगाने में सहायता मिल सके;

(ख) क्या उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि सरकार उन्हें मुद्रांक-शुल्क, भूमि को गिरवी रखने और सीमा के मामले में सहकारी समितियों के बराबर समझे;

(ग) क्या इन सुझावों पर विचार कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) तथा (ख). जी हां । विपणन तथा अनुसन्धान ब्यूरो द्वारा 15 से 17 नवम्बर, 1968 तक नई दिल्ली में आयोजित 'भारत में कृषि वित्त' विषयक गोष्ठी की पहली और दूसरी सिफारिशों का संबन्ध क्रमशः महत्वपूर्ण फसलों के न्यूनतम मूल्यों और सहकारी संस्थाओं के

समतुल्य वाणिज्यिक बैंकों के साथ व्यवहार के बारे में की गई घोषणा से है ।

(ग) अभी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

तराई एकीकृत कृषि विकास परियोजना

3492. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पंत नगर के उपकुलपति ने केन्द्रीय सरकार से 20 करोड़ रुपये की तराई एकीकृत कृषि विकास परियोजना आरम्भ करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार तथा विश्व बैंक इस परियोजना के लिये आवश्यक धन की सहायता की व्यवस्था कब तक कर देंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के लिये उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पन्त नगर (जिला नैनीताल) और राज्य सरकार के सहयोग से अच्छी किस्म के संकर बीजों और अन्य अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों के उत्पादन के लिये एक प्रायोजन बनाया गया है । इस प्रायोजन का लक्ष्य खाद्यान्नों के सुधरे हुये बीजों की उपलब्धी का विस्तार करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है । इस प्रायोजन की कार्यान्वित के लिये भारत सरकार ने ऋण सहायता प्रदान करने के लिये विश्व बैंक से प्रार्थना की है ।

इस प्रायोजन में लगभग 32,000 एकड़ के क्षेत्र के विकास का प्रयत्न किया जायेगा उस पर प्रायोजन पूरा होने पर दो फसलों के साथ प्रतिवर्ष 40,000 एकड़ में बीज उगाया जायेगा । प्रायोजन के पूरा होने पर प्रतिवर्ष लगभग 56,000 टन बीज उत्पादन करने का अनुमान लगाया जाता है ।

पांच वर्षों के समय में प्रायोजन पर कुल 200 मिलियन रु० के व्यय का अनुमान है ।

इस प्रायोजन में तराई विकास निगम बनाने का भी विचार किया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय बीज निगम, बीज उत्पादक और कुछ आदान वितरकों को भी शामिल किया जायेगा । इसे भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन अन्तः प्रविष्ट किया जायेगा और इसे व्यापारिक पद्धति पर चलाया जायेगा । इसका मुख्य कार्यक्रम अच्छे बीजों का उत्पादन, प्रयोगीकरण, भंडारन और बीजों के विपणन का संगठन करना होगा; सप्लाई और आदान और बीज उत्पादकों को भूमि विकास और सिंचाई सुविधायें देने का प्रबन्ध करना होगा ।

तराई विकास निगम की अधिकृत लागत पूंजी 2 करोड़ रु० की होगी।

इस प्रायोजन के अधीन भाग लेने वाले कृषकों को अपने खेतों के विकास तथा सिंचाई, कृषि मशीनों और कृषि आदानों की खरीद के लिये ऋणों का प्रबन्ध किया जायेगा। साधारण पद्धति के आधार पर भारत का राज्य बैंक ऋण देगा और उसकी अनुप्राप्ति करेगा। इस प्रायोजन के कार्यान्वित करने का समन्वय एक सलाहकार समिति करेगी जो भारत सरकार द्वारा बनाई जायेगी।

विश्व बैंक के एक अभिज्ञता दल ने इस देश का अप्रैल-मई 1968 में भ्रमण किया। वाशिंगटन में विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ समझौते के लिये बातचीत जारी है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उत्तर प्रदेश में स्कूलों के अध्यापकों की मांगों के कारण उत्पन्न स्थिति

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मैं अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाती हूं और प्रार्थना करती हूं कि वे उस पर एक वक्तव्य दें :

"उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों की मांगों के कारण उत्पन्न स्थिति, जिसके परिणामस्वरूप स्कूल बन्द हो गये हैं।"

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने, जो उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक स्कूलों का एक संगठन है, निम्नलिखित मांगें स्वीकार करने के लिए राज्य सरकार पर जोर दिया है :—

(1) स्कूलों के अध्यापकों के बकाया वेतनों की अदायगी;

(2) सहायता प्राप्त स्कूलों के वेतन का वितरण राज्य के खजाने से किया जाए;

(3) सरकारी संस्थाओं और सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों और लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के वेतनमानों और महंगाई भत्ते में समानता;

(4) कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश किए गए वेतनमानों का कार्यान्वयन; और

(5) जे० टी० सी० और बी० टी० सी० अध्यापकों को सी० टी० ग्रेड की स्वीकृति।

2. प्राइवेट संस्थाओं के प्रबन्धकों द्वारा अध्यापकों के वेतनमानों की अदायगी में देरी होने के संबंध में निःसंदेह कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राज्य के जिला शिक्षा प्राधिकारियों के पास पहले से ही निर्देश हैं कि ऐसा कोई मामला प्राप्त होने पर वे तुरन्त कार्रवाई करें और यदि आवश्यक हो, तो उनके अनुरक्षण अनुदानों में से राशि काटकर अध्यापकों को उनके वेतन की सीधे ही अदायगी कर दी जाए।

3. प्रशासनिक तथा आर्थिक कारणों से राज्य सरकार इस मांग को स्वीकार करने की

स्थिति में नहीं है कि गैर-सरकारी अध्यापकों के वेतनमानों की अदायगी सरकारी खजाने के जरिए की जाए ।

4. जहां तक वेतनमानों और मंहगाई भत्ते में समानता का संबंध है, सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के वेतनों में बढ़ोत्तरी करने तथा उन्हें सरकारी स्कूलों में काम करने वालों के निकट लाने के लिए 1947 से लगातार प्रयत्न किए गए हैं । सहायता प्राप्त स्कूलों के कर्मचारियों की सेवा तथा अन्य शर्तों में असमानता और साथ ही साधनों की अपर्याप्तता को देखते हुए, पूर्ण समानता स्थापित करना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है । धन की कमी के कारण, सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के वेतनमानों के संबंध में कोठारी आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करना तथा जे० टी० सी० और बी० टी० सी० अध्यापकों को स्वतः ही सी० टी० ग्रेड प्रदान करना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं हो सका है ।

5. अपनी मांगों पर जोर देने के लिए माध्यमिक शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल 29 अक्तूबर, 1968 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से मिलने गया था । यद्यपि उन्हें स्थिति पूरी तरह से बता दी गई, फिर भी संघ को संतोष नहीं हुआ और उन्होंने राज्य सरकारों को इस बाबत नोटिस दे दिया कि अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक 2 दिसम्बर, 1968 से अनिश्चित काल तक के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे ।

6. इस बात से डरते हुए कि हड़ताल से उन छात्रों के अध्ययन में, जिनकी परीक्षाएं निकट हैं, प्रभाव पड़ेगा, राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत एक आदेश जारी कर 27 नवम्बर, 1968 से हड़तालों का निषेध कर दिया । यह आदेश 6 महीनों के लिए रहेगा और उत्तर प्रदेश की मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं तथा उत्तर प्रदेश अधिनियम के अन्तर्गत संस्थापित विश्वविद्यालयों के अधीन सभी सेवाओं पर लागू होगा ।

7. माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों ने परिषद् सदन, लखनऊ के दरवाजों पर धरना देकर सरकारी कर्मचारियों को परिषद् सदन में प्रवेश करने से रोकने के लिए 25 नवम्बर, 1968 को आन्दोलन शुरू किया था । जब सचिवालय के कर्मचारियों को उनके कार्यालयों में जाने से रोकने के लिए अनुनय-विनय के सभी प्रयत्न विफल हो गए, तब पुलिस को बुलाया गया था । जब आगे भी अनुनय-विनय करना असफल रहा, तब इस जगह से सभी अध्यापकों को दूर ले जाकर, कुछ व्यक्तियों के सिवाय, सभी को छोड़ दिया गया । अगले दिन, अध्यापक लोग वर्ग बनाकर सचिवालय में पुनः आये और उन्होंने पुनः पहले दिन की घटनाएं दोहराईं । सरकारी कर्मचारियों को काम पर जाने से रोकने के लिए कल सायंकाल तक, 643 माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों और 21 छात्रों को गिरफ्तार किया गया ।

8. सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों द्वारा राज्यवार हड़ताल के फलस्वरूप जिलाधीश ने 14 जिलों की संस्थाओं को बन्द करा दिया था । 12 जिलों की संस्थाएं, प्रादेशिक

जमघटों (रैलियों) के कारण 2 और 3 दिसम्बर, 1968 को बन्द रहीं। अन्य 28 जिलों में लगभग आधी संस्थाएं हड़ताल की वजह से प्रभावित हुईं।

अभी टेलीफोन से प्राप्त हुए एक संदेश में राज्य सरकार ने बताया है कि गत रात्रि को आकाशवाणी पर प्रसारित राज्यपाल की अपील के प्रत्युत्तर में अध्यापक संघ के अध्यक्ष ने इस विषय में सरकारी प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने और इस समस्या को हल करने का प्रस्ताव किया है।

Shrimati Tarkeshwari Sinha: Is it a fact that most of the schools in U. P. are private schools, which have contributed to the primary and secondary education of the children in a big way? In these circumstances how does the Government justify the wide disparity in the pay scales of teachers of Government and private schools?

Is it also a fact that the salaries of teachers in U. P. are comparatively much lower than those of their counterparts in other states? Do you realise that their pay should be increased since their emoluments are lower than those persons? Will Government take any action against those States, who do not implement the recommendations? Will the report of Kothari Commission be thrown in the waste paper basket?

Shri Bhagwat Jha Azad: It is a fact that there are a large number of private schools in U. P. and there is large disparity in the pay scales of teachers of Government and private schools. The representatives of teachers would be discussing the matter with the Government representatives so as to solve the issue. The Central Government have impressed upon all the States to implement the recommendations of the Kothari Commission and some of them have already implemented them. In the case of U. P. huge funds are required for the purpose. It is not possible to do anything in the matter until an elected Government is formed, which may make provision for additional resources.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): Why the talks now proposed could not be held earlier? May I know whether the Central Government is going to provide funds and to make available the minimum facilities for the teachers of U. P. as assured by the S. V. D. Government in their regime?

Shri Bhagwat Jha Azad: The issue was discussed with representatives of **Shikshak Sangh** earlier also and the position was explained to them. Now they want to meet the Governor of U. P. in response to his broadcast on A. I. R. As regards giving of grants by the Central Government, I have already clarified that it is not the case of one State only. Even if the pay of primary teachers in U. P. is fixed at Rs. 150/-, it will require Rs. 7 crores. So long as the elected Government there does not provide for additional resources, we cannot give any thing.

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): The Central Government have not realised the seriousness of the situation in U. P. teachers as well as students in U. P. are agitating. It can take a serious turn. The power to issue ordinance should not be exercised on petty issues. It appears to me that the U. P. State Government is not posting the Central Government with full facts and complete information.

Mr. Speaker, you will be pained to know that the teachers of private schools in U. P. are paid only Rs. 100 against acquittance of Rs. 120 and Rs. 150. The S. V. D. Government had, therefore, accepted the demand to make payment to these teachers through the Government treasuries. May I know why this decision has not been implemented ?

The minimum and maximum pay of a principal of higher secondary school in U. P. is Rs. 343 and Rs. 718 respectively, whereas it is Rs. 800 and Rs. 1200 in Haryana. Similarly the minimum and maximum pay of a trained teacher in U. P. is Rs. 182 and Rs. 393 as compared to Rs. 515 and Rs. 618 in Haryana. How long do the Gevernment propose to continue this injustice ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : मैं समझता हूं कि मेरे सहयोगी उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षकों का वेतन देश में न्यूनतम है। उनकी तीन मांगे हैं, प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में वृद्धि, एक वर्ष के बाद भी वेतन का न दिया जाना, 1-8-67 के बाद घोषित की गई महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ दिया जाना।

गत सितम्बर में 100 रु० से बढ़ाकर 110 रुपए किया गया। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों का वेतन बहुत कम हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यह वेतन भी एक वर्ष बाद दिया जाता है। 1-8-67 के बाद महंगाई भत्ते में की गई वृद्धि उन्हें मिलनी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से सम्पर्क में हूं। मैं कोई तरीका निकालने के लिये प्रयत्नशील हूं। लेकिन उन्होंने जो रास्ता अपनाया है, वह विद्यार्थियों के चरित्र-निर्माताओं के लिये शोभनीय नहीं है। हड़ताल करना विद्यार्थियों के लिये एक भयंकर उदाहरण रखना है। हमें आशा है कि हम उनके लिये कुछ कर सकेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरे राज्य में इस समय एक हजार से भी अधिक शिक्षक जेलों में बन्द हैं। जबकि वे राज्यपाल के साथ बातचीत करने के लिये सहमत हो गये हैं, उन्हें रिहा कर देना चाहिए।

आज शिक्षक का वेतन क्या है ? जबकि सरकार एक चपरासी को 105 रुपए देती है, एक प्रशिक्षित अंडर ग्रेजुएट शिक्षक को 104 रुपए और अप्रशिक्षित अंडर ग्रेजुएट को केवल 84 रुपए मिलते हैं। कोठारी आयोग ने शिक्षकों के लिये एक न्यूनतम वेतनमान की सिफारिश की है। बिहार और पंजाब में, जहां राष्ट्रपति का शासन है, इसे क्रियान्वित कर दिया गया है। फिर मंत्री महोदय उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हस्तक्षेप करते, वहां पर भी राष्ट्रपति का शासन है ?

मंत्री महोदय ने कहा कि शिक्षकों ने गलत तरीका अपनाया। यदि आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की संघर्ष समिति के संयोजक द्वारा दिये ज्ञापन को देखें, तो पता लगेगा कि सब अन्य तरीके अपनाने के बाद ही उन्होंने यह मार्ग अपनाया है। संविद सरकार द्वारा दी गई रियायतें वापस ली गई हैं। उन्हें राज्य के सरकारी कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है। इस समस्या को हल करने की बजाय राज्यपाल ने हड़ताल पर प्रतिबन्ध

लगाने का निश्चय किया। यदि वे शिक्षकों की मांगें उचित समझते हैं और उनका समर्थन करते हैं, तो वे इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं करते। यदि सरकार अथवा वे उनकी मांगों को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो मेरी उनसे अपील है कि वे त्याग-पत्र देकर शिक्षक के रूप में शिक्षक आन्दोलन का नेतृत्व करें।

क्या वे सभी शिक्षकों को रिहा करायेंगे ताकि बातचीत के लिये उपयुक्त वातावरण तैयार हो सके ? क्या केन्द्र वित्तीय, वास्तविक, मानसिक और नैतिक रूप में हस्तक्षेप करेगा ?

श्री भागवत झा आजाद : हम टेलीफोन द्वारा राज्य सरकार से प्रार्थना करेंगे कि बातचीत के लिये अच्छा वातावरण तैयार करें।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी (दूसरा संशोधन) नियमावली, पश्चिम बंगाल मंडियां विनियमन अधिनियम, आदि

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा दिनांक 15 अप्रैल, 1968 की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित, के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 40 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (दूसरा संशोधन) नियमावली, 1968 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 4 नवम्बर, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या एच-5199/बारह बी-1314–68 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 2523/68]**

(2) पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल मार्केट विनियमन अधिनियम, 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 28) की एक एक प्रति जो दिनांक 1 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 2512/68]**

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (2) के अन्तर्गत महाराष्ट्र एग्रो-इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई, के 1966-67 के

वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 2524/68]

(4) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12-क के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1577 जो दिनांक 31 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 13 जुलाई, 1968 को जी० एस० आर० 1327 का शुद्धि पत्र दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०** 2521/68]

(दो) जी० एस० आर० 1940 जो दिनांक 2 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1842 में कतिपय संशोधन किये गये। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 2516/68]

(5) अत्यावयक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1685 जो दिनांक 14 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 28 मार्च, 1968 की जी० एस० आर० 629 का शुद्धि-पत्र दिया गया है।
[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2520/68]

(दो) दिल्ली निर्धारित खाद्य वस्तु (वहन नियंत्रण) तीसरा संशोधन आदेश, 1968 जो दिनांक 21 सितम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1736 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-2519/68]

(तीन) राजस्थान खाद्यान्न (सीमा वहन पर प्रतिबन्ध) दूसरा संशोधन आदेश, 1968 जो दिनांक 17 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1898 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2517/68]

(चार) पंजाब तथा हरियाणा धान (वहन का विनियमन) आदेश, 1968, जो दिनांक 17 अक्तूबर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1899 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2518/68]

(पांच) खाद्यान्न वहन प्रतिबन्ध (प्रमाणीकृत बीजों के लिए छूट) तीसरा संशोधन आदेश, 1968 जो दिनांक 11 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 2022 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2515/68]

(छः) जी० एस० आर० 2052 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 17 अक्तूबर, 1968 की जी० एस० आर० 1898 का शुद्धि-पत्र दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 2514/68]

(सात) जी० एस० आर० 2067 जो दिनांक 22 नवम्बर, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 2535/68]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 3 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1426 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1815/68]

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 3 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1427 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1815/68]

(तीन) जी० एस० आर० 1428 जो दिनाँक 3 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 30 मार्च, 1968 की जी० एस० आर० 590 का शुद्धि-पत्र दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1841/68]

(चार) जी० एस० आर० 1476 जो दिनांक 10 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में एक संशोधन किया गया। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1841/68]

(पांच) जी० एस० आर० 1477 जो दिनांक 10 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदाली की संख्या का निर्धारण) विनियम, 1955 में एक संशोधन किया गया। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1841/68]

(छः) जी० एस० आर० 1478 जो दिनांक 10 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में एक संशोधन किया गया। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1841/68]

(सात) जी० एस० आर० 1479 जो दिनांक 10 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1841/68]

(आठ) जी० एस० आर० 1480 जो दिनांक 10 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किए गये। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1977/68]

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में स्वीकृत परिपाटियों और सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के जून, 1967 में जनेवा में हुए 51 वें अधिवेशन में स्वीकृत परिपाटियों तथा सिफारिशों पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही सम्बन्धी विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 2525/68]

अध्यक्षीय निर्देश 115 के अन्तर्गत श्री मधुलिमये का वक्तव्य

STATEMENT BY SHRI MADHU LIMAYE UNDER DIRECTION NO. 115 OF THE DIRECTIONS FROM THE CHAIR

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Mr. Speaker Sir, on 21st August, 1968, the Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development replied during

the course of Supplementaries to a Short Notice Question which was tabled in respect of the food poisoning case in a village near Monghyr.

It was asked if, in the opinion of the Government, there was a conspiracy behind this case and whether some culprits were absconding. The Deputy Minister in reply stated clearly that such culprit was absconding. It was evident that it was not a statement of fact and he was misguiding the House. Moreover, he did not give the correct figures regarding the deceased.

In this context, I would like to invite the attention of the House to a news item published in the **"Search Light"** of 22nd August, 1968 which reads as follows :—

Monghyr Food Poisoning Case. Host surrenders before Cuttack Magistrate.
(From our Correspondence)

Monghyr : Aug. 19 : Mr. Ekramul Huque, the host of the poisoning case involving the lives of about 56 children and a few grown ups in village Vijay Nagar (Suturkhana) who was absconding till then and a warrant for the attachment of his properties was already issued by S.D.I, Sadar, Monghyr, is now reported to have surrendered himself before the court of a Magistrate, I class, in Cuttack in Orissa the day before yesterday, according to a message received here at the district headquarters.

In the light of this report, I hope the Hon. Deputy Minister will correct inaccuracies in his reply to supplementaries.

21 अगस्त, 1968 को लोक-सभा में अल्प सूचना प्रश्न संख्या 8 से सम्बन्धित अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर की अशुद्धियों को शुद्ध करने वाला वक्तव्य

Statement correcting some inaccuracies in reply to supplementaries

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : मैंने अनुपूरक प्रश्नों पर निम्नलिखित उत्तर दिये थे :—

(1) जहां तक हमें सूचना प्राप्त हुई है, उसके आधार पर अब तक 41 व्यक्ति मरे हैं।

(2) कोई व्यक्ति नहीं भागा है।

(3) अस्पताल ले जाने से पूर्व 41 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी।

इस सम्बन्ध में सही जानकारी इस प्रकार है :—

(1) प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक 47 व्यक्ति मरे हैं।

(2) दो संदिग्ध व्यक्ति फरार हैं।

(3) अस्पताल ले जाने से पूर्व 47 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी।

अत्यावश्यक सेवाएं बनाये रखने का विधेयक
ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE BILL

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय अत्यावश्यक सेवाएं तथा समाज के सामान्य जीवन को बनाये रखने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कतियय अत्यावश्यक सेवाएं तथा समाज के सामान्य जीवन को बनाये रखने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।"

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): Sir, the practice in the House in respect of Bills is not to oppose the introduction thereof, but the Bill sought to be moved by the Home Minister is a black piece of legislation and is a step to undermine democracy as also a blot on its fair name. It is a measure to withdraw the fundamental right of the Trade Unions to strike.

The Bill, on the one hand aims at encroaching upon the fundamental right of the Trade Unionists and employees and, on the other hand, it does not provide for any machinery to settle disputes with them and redress their grievances. So the result will be that they will be forced to violence and create troubles. It will not help to create a healthy atmosphere and will tend to weaken democracy in the country.

Through you, I will request the Hon. Home Minister, Sir, to reconsider the matter because the right to strike has been guaranteed to employees in all the countries where democratic set-up exists today, otherwise the country will go towards totalitarianism which has not found any place in our Constitution. Therefore, what I want is the Government should withdraw this nefarious and pervicacious Bill.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : प्रस्तुत विधेयक को पुरःस्थापित करते समय ही मैं संवैधानिक तर्कसंगत तथा नैतिक आधार पर दूसरा विरोध करता हूं ।

मैं इस सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 19,22,23 (1) तथा 43 की ओर दिलाना चाहता हूं । इस काले तथा दोषपूर्ण विधेयक के पारित होने पर सभी कर्मचारियों का चाहे वे सरकारी कर्मचारी अथवा गैर-सरकारी कर्मचारी, मूलभूत अधिकार छीन लिया जायेगा । चूंकि आपात् की स्थिति समाप्त हो गई है, अत: यह विशेष बिधान मूलभूत अधिकारों को छीन नहीं सकता क्योंकि ऐसा करने का कोई तात्कालिक कारण नहीं है ।

प्रस्तुत विधेयक के पृष्ठ 2 में (ख) के अन्तर्गत इस बात पर जोर दिया गया है कि "किसी व्यक्ति द्वारा समयोपरि काम करने से इन्कार किया जाना...." यदि कोई सरकारी कर्मचारी समयोपरि काम न करना चाहें, तो उसे वाध्य नहीं किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध

में अनुच्छेद 23 (1) में यह कहा गया है :

"Right Against Exploitation

Traffic in human beings and **begar** and other similar form and of forced labour are prohibited any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with Law."

यदि कोई कर्मचारी समयोपरि काम नहीं करना चाहता और उससे इस विधेयक के पारित होने पर जबर्दस्ती करवाया जाता है, तो उस स्थिति में गृह-कार्य मंत्री पहले व्यक्ति होंगे जिस पर मुकद्दमा चलाया जायेगा और सजा दी जायेगी ।

प्रस्तावित विधान के खण्ड 7 में कहा गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी बिना किसी वारन्ट के गिरफ्तार कर सकता है जिस पर यह सन्देह किया गया हो कि उसने इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई अपराध किया है । यह संविधान के अनुच्छेद 22 (1) तथा (2) का जिसमें परिमाणों की व्यवस्था है, उल्लंघन करता है ।

प्रस्तावित विधान के खण्ड में कहा गया है कि :

"The provisions of this Act and of any order issued hereunder shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Industrial Dispute Act, 1947, or in any other law for the time being in force."

औद्योगिक विवाद अधिनियम भी इसी संसद् द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति को जो हड़ताल करना चाहता हो 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है । इसके अलावा, मान लीजिये किसी विवाद को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत मध्यस्थ निर्णय अथया न्यायनिर्णयाधीन सौंपा जाता है, तो उस स्थिति में हड़ताल स्वत: अवैध हो जाती है । इस अधिनियम में अवैध हड़ताल करने के लिये दण्डों की व्यवस्था है । फिर भी अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण विधेयक सभा के समक्ष लाया जा रहा है । इसलिये मेरी राय में यह विधेयक अनावश्यक तथा गैर-कानूनी है और इसे वापस लिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक को पुर: स्थापित करने के अवसर पर केवल संवैधानिक चर्चा ही की जानी चाहिये, न कि विधेयक के उपबंधों की ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह भोजन के पश्चात् 2 बजकर 4 मिनट म० प० पर पुन: समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Four Minutes past Fourteen of the Clock.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

श्री स० मो० बनर्जी : मैं खण्ड 8 के बारे में कह रहा था । मेरा निवेदन यह है कि यदि इस विधेयक को जो असंवैधानिक, अवैध तथा दोषपूर्ण हैं, पारित किया गया, तो औद्योगिक

विवाद अधिनियम, 1947 जो केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों के लाखों कर्मचारियों अथवा अन्य कर्मचारियों पर लागू होता है, अनावश्यक हो जायेगा ।

हड़ताल करने का अधिकार चाहे मूलभूत अधिकार न हो, लेकिन वह मानव अधिकार अवश्य है जिसे यह सरकार अपने अमानुषिक व्यवहार से छीन रही है । इस विधेयक में यह कहा गया है कि यह अधिनियम जम्मू तथा काश्मीर राज्य में लागू नहीं होगा सिवाय उस सीमा के जिसमें इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय कर्मचारी आते हैं । यह विधान उस राज्य के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, इसलिये इसमें स्पष्ट भेद-भाव बरता गया है जो संविधान की भावना के प्रतिकूल है । सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई सभी गैर-कानूनी कार्यवाहियों को कानूनी रूप देने के लिये इस विधेयक के खण्ड 1 (2) के जरिये उसे 13 सितम्बर, 1968 से लागू समझे जाने की व्यवस्था की गई है ।

मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक के खण्ड 2 (1) (ख) (एक) संविधान के अनुच्छेद 19 तथा 23 के विरुद्ध हैं और वे औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा उसके उपबन्धों के भी प्रतिकूल हैं । इसके अलावा, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत किसी विवाद को मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपे जाने पर अवैध हड़ताल करने वालों को उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे और इसलिये, इस प्रयोजन के लिये इस विधेयक को लाना आवश्यक नहीं है । अतः इस विधेयक को, जिस पर बार-बार संवैधानिक, नैतिक तथा तर्कसंगत आपत्तियां उठाई गई हैं, और जो दोषपूर्ण, निन्दनीय तथा अवांछनीय हैं, वापस लिया जाना चाहिए ।

श्री वी० कृष्णमूर्ति (कड्डलूर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि वह अनुच्छेद 14, 19 (1) (क) तथा 19 (1) (छ) का उल्लंघन करता है । यह कानून सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगाता है जबकि राज्य सरकारों तथा औद्योगिक संस्थानों में कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार दिया गया है, इसलिये इसका स्वरूप भेद-भाव पूर्ण है और अनुच्छेद 14 की ओर आकर्षित करता है जिसमें कहा गया है कि :

"The State shall not deny any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India."

कर्मचारी, चाहे वे किसी उपक्रम में काम करते हों, अथवा कहीं और, हैं कर्मचारी ही । इसलिए वह अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है । दूसरा इससे अनुच्छेद 19 (1) (क) का उल्लंघन होता है जिसमें यह कहा गया है कि सभी नागरिकों को भाषण तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य अधिकार प्राप्त होगा । जब शिकायत होती है तो अभिव्यक्ति विरोध प्रकट करती है और किसी शिकायत के खिलाफ विरोध करना लोगों का मूलभूत अधिकार है लेकिन सरकारी कर्मचारियों विशेषत: रेलवे और डाक व तार कर्मचारियों के इस अधिकार पर प्रस्तावित विधान के माध्यम से प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है और उन्हें विरोध प्रकट करने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है ।

मैं यह मानता हूं कि राज्य को न्यायसंगत प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार प्राप्त है। मैं इस अधिकार को चुनौती नहीं देता। गोलोक नाथ मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद संसद को नागरिकों द्वारा प्रयुक्त मूलभूत अधिकारों में कटौती करने के लिए संशोधन करने के अधिकार से वंचित किया गया है। संसद् को संविधान के अध्याय III में संशोधन करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह विधेयक अनुच्छेद 19 (1) (क) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों पर वस्तुतः प्रतिबन्ध लगाता है। इसलिये उससे अनुच्छेद 19 (1) (क) का हनन होता है।

यह विधेयक अनुच्छेद 19 (1) (ग) का भी उल्लंघन करता है.....

इस विधेयक द्वारा लोगों से आन्दोलन करने तथा हड़ताल करने का मूलभूत अधिकार छीना जा रहा है। सरकार लोगों पर उचित प्रतिबन्ध तो लगा सकती है परन्तु इस विधेयक द्वारा हड़ताल करने के मूलभूत अधिकार पूर्णतया समाप्त किया जा रहा है।

इस विधेयक के वित्तीय पहलू के बारे में मैं इस अवस्था में कोई आपत्ति नहीं उठाना चाहता। इस समय मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि इस विधेयक से संविधान के अनुच्छेद 14, 19 (1) (क) और 19 (1) (ग) का उल्लंघन होता है। गोलकनाथ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए इस संसद् को इस प्रकार का जिसमें मूलभूत अधिकारों को छीना जाये, कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : इस ओर से भी सदस्यों को बुलाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल उन सदस्यों को बुला रहा हूं जिन्होंने विधेयक का विरोध करने के लिए सूचना दे रखी है। मैं आपको कानूनी बातों पर बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : वे विधेयक को प्रस्तुत करने का विरोध कर सकते हैं परन्तु अब इस पर चर्चा हो रही है। जब उनको अवसर दिया जा रहा है तो हमें भी अवसर दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों के अन्तर्गत यदि कानून बनाने को चुनौती दी जाती है तो उस पर चर्चा की अनुमति दी जाती है।

श्री विक्रम चन्द्र महाजन (चम्बा) : नियम 12 को देखें। उपबन्ध इस प्रकार है :

"परन्तु जब प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया जाये कि वह विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायिनी क्षमता से परे है, तो अध्यक्ष उस पर पूर्ण चर्चा की अनुज्ञा दे सकेगा।"

जब एक ही पक्ष के लोग बोलें तो उसको चर्चा नहीं कहा जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो लोग इस सीमित बात पर बोलना चाहते हैं मैं उनको अनुमति दूंगा ।

श्री विक्रम चन्द महाजन : तब आपको दोनों ओर के सदस्यों को बुलाना होगा ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : A Member can oppose any Bill. But if the opposition to a Bill is a simple one or on the intention of the Bill, then only that Member can speak who has given notice for it. On the other hand if the Bill is opposed on the ground that it violates the Constitution or the Parliament is not competent to pass such a Bill then full discussion is allowed

Amendments are not accepted at the time of introducing the Bill. This is the practice we have been following uptil now. This practice should be done away with as unlike Britain we have written Constitution. In Britain no body can challenge the law passed by their Parliament on the ground that that Parliament was competent to pass it. But in India the Constitution is a written one and its rights are limited. We can not pass any law which may violate the Part III of the Constitution. That is why proviso to rule 72 has been included. This rule is based on the writings of May's Parliamentary Practice and Procedure. But this rule has been differentiated with that by the proviso. In England division is not called on such a motion. But in my opinion division should be allowed in India on such motions on the request of the Member concerned. But division is possible only if amendments or substitute motions are allowed.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I rise on a point of order. I would like to know whether we discussing about a change in the rules ? Mr. Madhu Limaye can raise this question in the relevant committee. He can bring a separate amendment to the rules.

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपना मामला बना रहे हैं कि क्या सभा को इस विषय सम्बन्धी प्रस्ताव को लेना चाहिए तथा इस पर विभाजन होना चाहिए ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Hon. Member is stating that our rules are based on the rules of Britain and that they should be changed. This is not the time for all these things.

उपाध्यक्ष महोदय : यदि वह मूलभूत परिवर्तन करना चाहते हैं तो यह मामला नियमों सम्बन्धी समिति के समक्ष उठाया जाना चाहिए । परन्तु यह एक सीमित प्रश्न है और इसलिए मैंने माननीय सदस्य को प्रस्ताव पढ़ने को कहा था ।

Shri Madhu Limaye : I have the right to give amendment according to the simple rules. My amendment is as follows :

"That it is the sense of the House that since the Bill is violative of the directive principles enumerated in articles 37, 39, 42, 49 and as also the fundamental rights mentioned in articles 14, 19 and 23 and is beyond the legislative competence of Parliament, the House requests the Government to re-examine the Bill."

So, now, it is clear that I was speaking about the motion which is now before the House. I want this motion may be considered by the House and if after consideration the majority of the House feel that there is substance in it, it can reject it.

In this regard I may refer to the Cooley's 'Constitutional Limitations' wherein it has been mentioned that judiciary does not generally declare a law passed by Parliament null and void because they feel that it has been considered threadbare have in the Parliament and Parliament has also acted within its limitations in enacting that law. I, therefore, request that House may be divided at my amendment because I want to prove that House has considered my amendment.

Hon. Member, Shri Banerjee has stated that it violates Article 23 of the Constitution. Article 23 (1) is as fallows :—

23 (1) Traffic in human beings and begar and other similar forms of forced labour are prohibited and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law.

But there is also a provision to this article which is as follows :

21 Nothing in this article shall prevent the State from imposing compulsory service for public purposes, and in imposing such service, the State shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them.

So it is clear that taking of overtime does not fall under the compulsory public service.

So far as clause 3 is concerned it violates Article 19 of the Constitution, which gives the right to form associations and unions and which also gives the right to strike. Government can only impose reasonable restrictions under this article of the Constitution. It would have been a different matter if words 'public order' have been used instead of public interest.

The memorandum regarding delegated legislation is a general one. It is not complete. Nothing has been explained in it clearly. So it violates rule 70 which is as follows :

"जिस विधेयक में विधायिनी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए स्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हों उसके साथ अग्रेतर एक ज्ञापन होगा जिसमें ऐसी प्रस्थापनाओं की व्याख्या होगी और उनकी व्याप्ति की ओर ध्यान दिलाया जायेगा तथा यह भी बताया जायेगा कि वे सामान्य रूप की हैं या अपवादस्वरूप की ।"

It is true that no body can go to the court so far as directive principles of the constitution are concerned. But no body can say that Parliament should not take into view these directive principles while enacting laws. So I would request that Parliament has no right of enacting any law violating the directive principle.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I would like to know whether the members who gave their names earlier will be given an opportunity to speak first or whether it is a full debate and all will be permitted to speak ?

उपाध्यक्ष महोदय : पूरी चर्चा की अनुमति है। श्री श्रीचन्द गोयल का नाम है और उनको बोलने की अनुमति दी जायेगी।

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : प्रथम प्रश्न यह है कि क्या इस सरकार को यह अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इस संसद् को इस अध्यादेश को कानून में परिवर्तन करने का अधिकार है। तो मूल प्रश्न यह है कि क्या इस सभा को अध्यादेश पर आधारित यह विधेयक पास करने का अधिकार है।

यह कहा गया है कि इस विधेयक से अनुच्छेद 14, 19 और निदेशक सिद्धान्तों का उल्लंघन होता है। एक आपत्ति यह उठाई गई है कि यह विधेयक एक मजदूर तथा दूसरे मजदूर में विभेद करता है। दूसरी बात यह भी कही गई है कि इस विधेयक से हड़ताल करने का अधिकार छिन जाता है। यह भी कहा गया है कि हड़ताल करने का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है। परन्तु मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता।

जहां तक हड़ताल करने के अधिकार का प्रश्न है यह एक मान्यता प्राप्त अधिकार है परन्तु इस अधिकार को कुछ शर्तों के अन्तर्गत ही प्रयोग किया जा सकता है। अतः मैं सभा का ध्यान मूलभूत अधिकारों तथा अन्य अधिकारों के अन्तर की ओर दिलाना चाहता हूं। मूलभूत अधिकार किसी व्यक्ति तथा राजनैतिक दल की दया पर निर्भर नहीं है। परन्तु अन्य अधिकारों का प्रयोग कुछ शर्तों के अन्तर्गत ही किया जा सकता है। उदाहरणतया हड़ताल करने के लिये 14 दिन का नोटिस देना होता है। इसके पश्चात् भी यदि मामला समझौते के लिए दे दिया जाय, तो हड़ताल करने का अधिकार मजदूरों को नहीं रहता।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत सभी शर्तों को पूरा कर दिया जाये तो फिर आप इस हड़ताल करने के अधिकार को किसी वर्ग में रखेंगे।

श्री रा० ढो० भण्डारे : सारी शर्तों को पूरा करना होगा। यदि हड़ताल करने का अधिकार रहता है तो वह इस विधेयक के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। अब हम अत्यावश्यक सेवा संधारण विधेयक पास करने जा रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 में मूलभूत अधिकारों का उल्लेख है। यदि कुछ सेवाएं ठप्प हो जायें तो समाज के कार्य ही ठप्प हो जाते हैं। बम्बई उच्च न्यायालय ने तो कह भी दिया है कि कर्मचारियों को पानी की सेवा बन्द करने का अधिकार नहीं है। सारे कर्मचारी एक जैसे नहीं हैं। यदि व्यक्ति व्यक्ति के मध्य भेद किया जाता है तो संविधान का अनुच्छेद इसकी अनुमति नहीं देता।

यह कानून पांच वर्षों के लिये है परन्तु किसी भी सेवा को अनिवार्य घोषित करने की बात केवल छः मास के लिये होती है। मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है और अब मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : मैं तो केवल अपनी बात वहां तक सीमित रखूंगा कि यह

विधेयक संविधान के अनुरूप है अथवा उसके प्रतिकूल । श्री रा० ढो० भण्डारे ने प्रयास किया है कि यह अनुच्छेद 14 में नहीं आता है । उस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के सामने सब व्यक्ति समान हैं ।

मेरे मित्र ने अत्यावश्यक सेवाओं तथा उन सेवाओं में भेद करने का प्रयास किया है जो अत्यावश्यक नहीं है । खण्ड 2 (1) (क) (viii) में टेलीफोन, परिवहन तथा हवाई अड्डों तथा प्रतिरक्षा संस्थानों का उल्लेख है । परन्तु यहां अत्यावश्यक तथा गैर-जरूरी में कोई भेद नहीं छोड़ा है ।

संसद् को कानून पास करने का अधिकार है । यहां सारे अधिकार कार्यपालिका के पास दिये जा रहे हैं कि वह घोषित करे कि क्या सेवा अत्यावश्यक है और क्या गैर-जरूरी है । नागरिकों के बीच भी भेद करने का प्रयास किया गया है । यह कानून न्यायालय द्वारा भी अवैध घोषित किया जायेगा क्योंकि भेदभाव बरतने का प्रयास किया जा रहा है ।

हड़ताल करने का अधिकार मजदूर संघ कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण अंग है । परन्तु विधेयक के पैरा 2 में इस अधिकार को छीना जा रहा है । सरकार भी अपने इरादों को छुपा नहीं रही है ।

मेरा नम्र निवेदन यह है कि संसद् अपने कानून बनाने के अधिकार को कार्य-पालिका को दे रही हैं । यह साधारण मामला नहीं है ।

मेरा विचार है कि महान्यायवादी को बुलाया जाये कि वह इस पर अपना निर्णय दे ताकि न्यायालय यह न कहे कि संसद् ने कानून पास करने से पूर्व इसकी वैधता को नहीं देखा ।

श्री विक्रम चन्द महाजन : इसमें तीन-चार संवैधानिक प्रश्न हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 (4) में संस्था स्थापित करने का अधिकार है परन्तु जनहित में मुनासिब पाबन्दियां लगाई जा सकती हैं ।

दूसरा प्रश्न है कि अत्यावश्यक सेवा के बारे में यदि जून के महीने में 3 बजे पानी बन्द कर दिया जाये तो जनता को बड़ी असुविधा होगी तथा ऐसी सेवा अत्यावश्यक है और वहां हड़ताल का अधिकार नहीं है । ऐसे ही यदि किसी रेलगाड़ी को दो स्टेशनों के बीच छोड़ दिया जाये तो वहां भी जनता को असुविधा होगी तथा वहां भी हड़ताल का अधिकार नहीं होगा ।

यह विधेयक केवल अत्यावश्यक सेवाओं पर ही लागू होगा । यदि खण्ड 8 तथा 9 के अन्तर्गत कोई सेवा अत्यावश्यक सेवा नहीं है तो आप उसे हटा सकते हैं ।

कर्मचारियों में भेदभाव की बात भी ठीक नहीं है ।

श्री मधु लिमये केवल पुरः स्थापना के समय ही संशोधन ला सकते थे । इसलिये मेरा कहना यह है कि जो प्रश्न उठाये गये हैं उनमें वैधता नहीं है ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : इस विधेयक के पास हो जाने से अनुच्छेद 20 (1), 21, 39 (ङ) तथा 42 का उल्लंघन होगा । अनुच्छेद 14 में कानून के सामने सबको समान माना गया है तथा सबको कानून का समान संरक्षण देने की व्यवस्था की गई है । विधेयक में केन्द्रीय कर्मचारियों का उल्लेख करने में भेदभाव बरता गया है तथा इस प्रकार समान व्यवहार उन्हें नहीं दिया जा रहा है ।

इसी प्रकार "हड़ताल" शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है कि सरकार इसका जैसे भी अर्थ निकालना चाहेगी निकाल लेगी । इस कारण भी कानून में समानता के सिद्धान्त का उल्लंघन किया गया है ।

किसी भी व्यक्ति को कानून का उल्लंघन करने के अतिरिक्त किसी मामले में सजा नहीं दी जायेगी और यह सजा किये गये अपराध के लिये प्रस्तावित सजा से अधिक नहीं होगी ।

विधेयक की धारा 9 (2) में उल्लेख किया गया है कि :

उक्त अध्यादेश के अन्तर्गत की गई किसी भी कार्यवाही को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत समझा जायेगा और यह समझा जायेगा कि यह कानून 13 सितम्बर से लागू हुआ था ।

ये अपराध उक्त अधिनियम के लागू होने से पूर्व किये गये थे । दण्डात्मक उपबन्ध भूतलक्षी प्रभावी नहीं हो सकते ।

यह अध्यादेश गैर-कानूनी है । विधेयक को पारित करके संविधान के बहुत से उपबन्धों का उल्लंघन किया गया है । अतः इससे धारा 21 का भी उल्लंघन हुआ है ।

विधेयक में उल्लेख किया गया है कि जहां आवश्यक हो वहां समयोपरि कार्य करने से इन्कार करना अपराध है । इस खंड से धारा 39 (5) का उल्लंघन होता है । यहां तक कि यांची समिति ने यह उल्लेख किया था कि रेलवे कर्मचारियों से 20 घंटे काम कराया जाता है जबकि उनसे 12 घंटे से अधिक काम के लिये नहीं कहा जा सकता । इस विधेयक के अन्तर्गत यदि कर्मचारी 20 घंटे कार्य करने से इंकार करता है तो वह अपराध होगा ।

धारा 42 में उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार कार्य की उचित और मानवीय स्थितियों और मातृत्व के सम्बन्ध में सहायता की व्यवस्था करेगी ।

कर्मचारियों को सब मानवीय सुविधाएं देने से इंकार किया जा रहा है ।

सरकार को इस मामले पर अधिक जोर नहीं देना चाहिये ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : It is not correct to say that we have no right to make discussion on this Bill. If we are not competent to discuss then who can discuss this Bill ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह नहीं है । प्रश्न यह है कि क्या संविधान के अन्तर्गत सभा या विधान सभा इस विधेयक को पारित कर सकती है ?

Shri Randhir Singh : So far as the legislation is concerned, the Parliament is supreme in this respect. When the restrictions can be imposed on the rights of property which are the fundamental rights there are no reasons why the restrictions on strike may not be imposed ?

Although right of property is a fundamental right yet the Government can curb it.

Articles 21, 20 and 39 have been misquoted.

We cannot allow them to burn the train and to create a coup. We will restrict all these things in the name integrity and sovereignty. Article 23 (2) says :—

"Nothing in this article shall prevent the State from imposing compulsory service for public purposes."

There are restrictions even in the matters of right of moveable property right to reside in any part of India.

श्री वी० कृष्णमूर्ति (कड्डलूर) : वे प्रतिबन्ध उचित हैं, अनुचित नहीं।

Shri Randhir Singh : Not only in one but under various Articles Parliament has the law making power in this respect.

[**श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए**
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने का विरोध करता हूं। पिछले कुछ दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि सरकार एक के बाद दूसरा विधेयक सभा के सामने लाकर जनता के मूलभूत अधिकारों को कम कर रही है और वह उत्तरोत्तर तानाशाही सरकार का रूप धारण करती जा रही है। मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में अधिक नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है।

इस विधेयक में कर्मचारियों के अधिकारों का हनन करने की व्यवस्था की जा रही है। इसमें अत्यावश्यक सेवाओं का क्षेत्र बहुत व्यापक रखा गया है। इससे राज्यों की कानून बनाने की शक्तियों का भी हनन होता है। अन्य भी कई बातें हैं जिससे संविधान की आठवीं सूची का उल्लंघन होता है। सरकार इस विधेयक के द्वारा कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकार को छीन रही है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध है। दूसरी बात यह है कि केन्द्रीय सरकार इस बात का निर्णय करेगी कि कौन-सी सेवाएं अत्यावश्यक घोषित की जायें। सरकार अपनी इच्छानुसार मनमाने ढंग से किसी भी सेवा को अत्यावश्यक सेवा घोषित करके कर्मचारियों को न्यायसंगत मांगों से भी वंचित कर सकती है।

यह कानून विचित्र बनने जा रहा है क्योंकि औद्योगिक विवाद अधिनियम में कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार दिया गया है बशर्ते कि हड़ताल का नोटिस निर्धारित अवधि के अन्दर दे दिया जाये। सरकार एक अधिनियम द्वारा तो कर्मचारियों को एक अधिकार देती है और बिना पहले अधिनियम को रद्द करके इस विधेयक द्वारा उस अधिकार को छीन रही है।

एक अधिनियम द्वारा दिया गया अधिकार इस प्रकार परोक्ष रूप से दूसरे अधिनियम द्वारा इस प्रकार नहीं छीना जा सकता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

इस विधेयक के खंड 7 में यह व्यवस्था की जा रही है कि किसी भी व्यक्ति को संदेह में गिरफ्तार किया जा सकता है। इस प्रकार बिना किसी ठोस कारण के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना प्रजातंत्र में अनुचित है। यदि ऐसा किया गया तो यह कानून काला कानून कहा जायेगा। इस प्रकार का कानून बनाना भी संविधान के विरुद्ध है अतः यह विधेयक पारित नहीं किया जाना चाहिए।

इस विधेयक के खंड 6 में किसी व्यक्ति को हड़ताल के समर्थन अथवा उसे प्रोत्साहन के लिए धन दे देने का निषेध करने की व्यवस्था की जा रही है। धन देने का अर्थ दान देना भी है। दान देने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में प्राप्त है। इस प्रकार दान आदि के रूप में धन दिये जाने पर प्रतिबन्ध लगाना संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करना है।

इन सब बातों को देखते हुए मैं इस विधेयक के पुरः स्थापित किये जाने का विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि "मतदान राज" का स्थान उत्तरोत्तर "डंडा राज" लेता जा रहा है।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : हम सभी जानते हैं कि इस सभा में इस सिद्धान्त का पालन किया जाता है कि पीठासीन व्यक्ति जहां पर संवैधानिक प्रश्न उत्पन्न होता है, वहां सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करते। किन्तु विचाराधीन विषय की संवैधानिकता के बारे में संसदीय व्यवस्था में काम करने के तरीकों पर, जिनका हमने विकास किया है, आघात किया जा रहा है। मैं ऐसी आशा करता था कि पीठासीन अधिकारी इस विषय में हस्तक्षेप न करें।

संविधान में हमें कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं और इन अधिकारों के बारे में अनेक न्यायिक निर्णय दिये गये हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा इसी प्रकार के अधिनियमों में भी इसी प्रकार के अधिकार कर्मचारियों को दिये गये हैं। इन्हीं अधिकारों के द्वारा कर्मचारी अपनी उचित मांगें मनवाते हैं।

संविधान के अनुसार सरकार को कुछ निदेशक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए। संसद को भी उन्हीं सिद्धांतों का पालन करना है। अतः मैं समझता हूं कि चूंकि यह मामला संवैधानिक है अतः इस पर उच्चतम न्यायालय से सलाह ली जानी चाहिए। किन्तु हम देख रहे हैं कि सरकार ने एक ओर तो आपातकालीन स्थिति समाप्त की है और दूसरी ओर परोक्ष रूप से सरकार वही स्थिति फिर पैदा कर रही है। सरकार जो कार्य कानूनी दृष्टि से प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती है उसे वह परोक्ष रूप से कर रही है। सरकार इस विधेयक के द्वारा मूलभूत अधिकारों का हनन कर रही है।

इसे सामान्य प्रकार का विधान नहीं कहा जा सकता । यह तो एक असाधारण प्रकार का विधान है । इससे पहले ही सरकार ने इसी प्रकार का एक विधेयक पेश किया है जिसका नाम दुष्कृति दायित्व विधेयक है और जिस पर अब संयुक्त समिति में विचार किया जा रहा है । संयुक्त समिति में इस विषय पर विचार किया जा रहा है कि उन सरकारी कर्मचारियों को, जिन्होंने कोई नागरिक अपराध किया हो अथवा न किया हो, ऐसी मुक्ति प्रदान की जाये अथवा नहीं । इस सम्बन्ध में श्री सीतलवाड़, श्री दफ्तरी आदि गण्यमान व्यक्तियों की साक्ष्य ली जा चुकी है । लेकिन वह विषय अभी तक विचाराधीन है । इसके विपरीत उसी प्रकार की कार्य की स्वतंत्रता सरकार को इस अध्यादेश के माध्यम से दे दी गई है, जो सर्वथा अनुपयुक्त है । ऐसा करना संसदीय प्रणाली का गला घोटना है । संसद का सत्र 9 सितम्बर तक तो चल ही रहा था । परन्तु इस बीच सरकार ऐसा विधेयक सरकार के सामने नहीं लायी थी । यह अध्यादेश 11 सितम्बर को जारी किया गया जबकि सरकार स्थिति से अवगत थी । अब तो ऐसी परम्परा बन गयी है कि जो अध्यादेश एक बार जारी कर दिया जाता है वह स्थायी कानून का रूप धारण कर लेता है । क्या संसदीय प्रणाली के स्वस्थ विकास में ऐसी प्रथाएं बाधक सिद्ध नहीं होंगी ?

यह विधेयक न केवल संवैधानिक दृष्टि से बल्कि अपनी विषयवस्तु की दृष्टि से भी अनुपयुक्त है । नागरिक अपराध का दायित्य अपने आप में पूर्ण विषय प्रतीत नहीं होता । इस प्रकार के विधेयकों से ऐसा प्रतीत होता कि सरकार देश में निरंकुश शासन स्थापित करने जा रही है । और यही कारण है कि सरकार इस प्रकार के कानून इतनी शीघ्रता से पारित करने जा रही हैं । मैं आशा करता हूं कि आप इन बातों पर ध्यान देंगे ।

Shri George Fernandes (Bombay South) : Sir, though this issue has undergone a long discussion, yet I would like to draw your attention to Articles 246 and 309 in this connection. In definition clause (2) of this Bill it has been stated that "in this Act 'essential service' means any railway service or any other transport service for the carriage of passengers or goods by land, water or air...." I would like to submit that our Constitution does not give the power to Union Government to bring forward such a Bill. This subject is not covered by List No. 1 of Seventh Schedule. This Government is trying to legislate on a subject which is a State subject and which is beyond legislative competence of Parliament. Road transport, specially State owned transport service is a State subject and State Government is only authorised to make rules governing the service conditions of those employed in State owned transport services. For State Transport Undertakings only State Governments can legislate and Union Government has no power to make laws for State Transport Undertakings. I would like to submit that Article 246 does not empower the Central Government to interfere in the jurisdiction of State Governments. On the other hand Article 309 empowers every State Government to make laws to regulate the recruitment and conditions of service of persons employed in State Government Undertakings or in any other State Government Service. The Hon. Minister had advised the President to issue an ordinance. Now that ordinance has done its job. So he should advise the President to withdraw this ordinance as it is no more required now.

Shri S. M. Joshi (Poona) : Sir, I want to draw your attention to clause 9 (2) of the Bill. The Bill has been brought to give a legal shape to the ordinance promulgated earlier. Since the propriety of the ordinance was questionable I do not know what will happen to this Bill through which we are giving legal shape to the clauses contained therein. This should be clarified.

श्री गोविन्द मेनन : विरोधी दलों के माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं परन्तु मुझे उनके उत्तर में कोई नई बात कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि इन सभी प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों द्वारा निर्णय दिये जा चुके हैं। 1960 में इसी प्रकार का अध्यादेश जारी किया गया था और न्यायालयों के समक्ष ये सारे प्रश्न निर्णय के लिये आए थे।

यहां पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो तर्क दिया गया है वह यह है। अनुच्छेद 19 द्वारा अपने कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं। उनमें इन प्रश्नों से संगत मूलभूत अधिकार मजदूर संघ बनाने तथा भाषण की स्वतंत्रता आदि का है। प्रश्न यह है कि क्या इस मूलभूत अधिकार से हड़ताल करने का अधिकार नहीं मिलता है ? उच्चतम न्यायालय में यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या इस अनुच्छेद के होते हुए हड़ताल करने का अधिकार एक मूलभूत अधिकार नहीं है ? मैं यहां पर "ए०आई० आर० 1962 उच्चतम न्यायालय" पृष्ठ 171 की ओर निर्देश कर रहा हूं। यह पांच न्यायाधीशों का एकमत निर्णय है। उन्होंने अपने निर्णय में कहा है कि अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत दिये गये संघ बनाने के अधिकार, भाषण स्वतंत्रता के अधिकार आदि से यह निष्कर्ष नहीं निकल सकता कि मजदूर संघों को अपनी मांगें मनवाने का या उन्हें मनवाने के लिये या अन्यथा हड़ताल करने का मूलभूत अधिकार है। उन्होंने कहा है कि हड़ताल या तालाबन्दी को अन्य विधानों द्वारा नियंत्रित या प्रतिबन्धित किया जा सकता है और ऐसे विधान की वैधता को अनुच्छेद 19 में दिये हुए सिद्धांतों के संदर्भ में नहीं परखा जाना चाहिये। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उच्चतम न्यायालय ने हड़ताल करने के अधिकार को मूलभूत अधिकार नहीं माना है।

1960 में जारी किये गये अध्यादेश के बारे में सरकारी कर्मचारियों आदि के हड़ताल के अधिकार के बारे में राधेश्याम बनाम भारत संघ, 1965 उच्चतम न्यायालय में पृष्ठ 311 पर दिये गये मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक सीधा निर्णय दिया हुआ है।

उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि इस तर्क में कोई जोर नहीं है कि इस अध्यादेश के उपबन्ध अनुच्छेद 19 (1) के उपखण्ड (क) और (ख) में दिये गये मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करते हैं क्योंकि अनुच्छेद 19 (1) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हड़ताल करने का कोई मूलभूत अधिकार नहीं है और इस अध्यादेश में जो कुछ भी दिया हुआ है वह एक अवैध हड़ताल से सम्बन्ध रखता है।

अनुच्छेद 23 की ओर भी निर्देश किया गया है। इसकी ओर तो कोई निदश करने

की आवश्यकता ही नहीं थी। परन्तु मेरे लिये यह बड़ी खुशी की बात है कि 1960 के अध्यादेश के बारे में यह प्रश्न भी बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिये आया था। यह एक संवैधानिक प्रश्न है। अनुच्छेद संख्या 23 में दासता, बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य जबरन काम कराना मना है। परन्तु बेगार के अतिरिक्त और भी अन्य प्रकार के बलपूर्वक निर्णय जाने वाले कार्य होते हैं, अत: संविधान सभा ने इस बारे में उप-अनुच्छेद (2) के अन्तर्गत कराये दिया था कि जनता के हितों को देखते हुए सरकार अनिवार्य सेवा लागू कर सकेगी और इस सेवा के लागू करने के लिए किसी धर्म, वर्ण, जाति अथवा समुदाय आदि के आधार पर भेद-भाव नहीं किया जा सकेगा।

अत: यद्यपि इस उप-अनुच्छेद में सरकार को यह अधिकार दिया गया है परन्तु यह बात बेगार अथवा अन्य ऐसे बलपूर्वक कराये जाने वाले कार्यों के लिए लागू नहीं होती। संविधान के अनुसार तो यही एक प्रतिबन्ध है कि इस बारे में धर्म, वर्ण, जाति आदि के आधार पर भेद-भाव नहीं बरता जा सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हमे तो हड़तालों पर प्रतिबन्ध के बारे में जानकारी लेनी है। प्रश्न यह है कि जब आप हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं तो इसके लिए कोई दूसरा विकल्प भी तो होना चाहिये। यह आधार-भूत प्रश्न हल होना चाहिये। यह तो एक मूलभूत अधिकार है।

श्री गोविन्द मेनन : हम नियम संख्या 72 पर विचार कर रहे हैं। वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या यह सभा संविधान के अनुसार इस विषय में कानून बनाने का अधिकार रखती है।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरी बात यह है कि उच्चतम न्यायालय समझता है कि हड़ताल करने के अधिकार प्रार्वतिक हैं और इस निर्णय के बारे में सबका एक मत भी नहीं है। परन्तु यदि हड़ताल करने को मूलभूत अधिकार न भी माना जाये तो भी इस गतिविधि में मूलभूत अधिकार जैसी काफी बात आती है क्योंकि अपनी औद्योगिक नीति निर्धारित करते समय हमने कुछ सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखा है। इसी सम्बन्ध में मैं आपका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री गोविन्द मेनन : मैं आपसे सहमत हूं कि हड़ताल करने का अधिकार एक महत्वपूर्ण विषय है। परन्तु हड़ताल करना एक मूलभूत अधिकार नहीं है। और इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम विधेयक पर विचार करते समय विचार-विमर्श कर लेंगे कि इसको इसी रूप में रखा जाये अथवा किसी अन्य रूप में। इस समय तो हम नियम 72 पर विचार कर रहे हैं।

अध्यादेश के स्थान पर लागू करने के उद्देश्य के लिये गृह-कार्य मंत्री इस विधेयक को सदन में पेश कर चुके हैं तथा इस अध्यादेश की वैधता पर भी सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य दो उच्च-न्यायालयों में प्रश्न उठाया जा चुका है। एक उच्च-न्यायालय ने तो लेख-याचिका रद्द भी कर दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब सत्र नहीं चल रहा हो तो सरकार को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है और इस पर प्रश्न भी उठाया जा सकता है क्योंकि यह एक आपत्त-कालीन कानून होता है। अब वह आपत्त-कालीन स्थिति भी समाप्त हो गई है तथा हम शान्ति से इस पर विचार कर रहे हैं। मैं इस आधारभूत प्रश्न के बारे में और अधिक जानकारी चाहता हूं कि कोई अन्य विकल्प प्रदान किये बिना हड़ताल करने के अधिकार पर आप कैसे प्रतिबन्ध लगा सकते हैं ?

श्री गोविन्द मेनन : इस समय प्रश्न यह है कि क्या यह सभा हड़ताल के अधिकार को समाप्त करने के बारे में कानून बनाने में असमर्थ है। यह असमर्थता तभी सामने आती है जब या तो वह विषय राज्य सूची का अथवा मूलभूत अधिकारों के अधीन ऐसा करने पर रोक हो। इस विषय में नियम संख्या 72 बनाया गया था जो कि इस बारे में मार्ग दर्शन करता है कि यह सभा कानून बना सकती है अथवा नहीं तथा क्या गृह-कार्य मंत्री इस विधेयक को सभा के विचारार्थ प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा नहीं। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने इस बारे में सन्देह दूर कर दिया है तथा अब केवल यही आवश्यकता रह गई है कि जो कुछ आपने कहा है उसको देखते हुए विचार करते समय इस विधेयक में उसी प्रकार यथेष्ट सुधार कर लिया जाये। अब तो हमें केवल यही निर्णय करना है कि क्या इस सभा को इस सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार है। मैं समझता हूं कि इस विषय नियम संख्या 72 के अधीन इस बारे में संसद् नहीं प्रत्युत न्यायालय निर्णय करें।

इस बारे में अभी हाल ही में पंजाब के राज्यपाल द्वारा जारी किये गये अध्यादेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखा जा सकता है। इस निर्णय में कहा गया है कि केवल न्यायालय ही किसी कानून की संवैधानिकता के बारे में निर्णय कर सकते हैं।

परन्तु सर्वोच्च न्यायालय की चार संविधान-बैंचों ने जो निर्णय दिया है उससे, सरकार के कानूनी सलाहकार के नाते मुझे कोई सन्देह नहीं रह गया है कि इस सभा को इस संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार है। सम्भव है आप लोग इस बारे में किसी न किसी बात को लेकर मत-भेद व्यक्त करें जैसे कि बिना वारन्ट पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी आदि। परन्तु इन बातों पर विधेयक पर विचार करते समय विचार कर लिया जायेगा।

Shri Madhu Limaye: The Hon. Minister has stated that if the introduction of the Bill is opposed, the Cabinet will look to it whether there is any scope for any doubt. But that thing is to be considered by this House only. I am sure that my motion will bring division in the House.

श्री श्री चन्द गोयल: आप भी इन दो बातों पर सहमत थे कि पहले तो उप-खण्ड (viii) के अन्तर्गत, "अनिवार्य," तथा "अन-अनिवार्य" के मध्य अन्तर स्पष्ट नहीं किया गया है। दूसरे दिये गये अधिकारों की अधिकता। इन दोनों बातों के बारे में मंत्री महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों के अधीन, अनेक बातों के बारे में यहां अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये हैं। परन्तु हमें तो यहां यह जानना था कि क्या संसद् को कानून बनाने का अधिकार

है ? वह मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है। मंत्री महोदय ने इस बारे में भी आश्वासन दिया है कि संविधान की व्याख्या करते समय वह नीति के इस सामाजिक उद्देश्य को भी ध्यान में रखेंगे कि बिना कोई विकल्प दिये क्या वह हड़ताल करने पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं ?

श्री वी० कृष्णमूर्ति : इस विधेयक को उच्चतम न्यायालय के पास उसके अनुमोदनार्थ भेजा जाये। इसके बाद तो हम इस पर बिना विचार किये ही इसे पारित कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये वर्तमान प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया चाहते हैं। परन्तु हम एकदम वर्तमान प्रक्रिया नहीं बदल सकते। प्रश्न यह है :

"कि कतिपय आवश्यक सेवाएं तथा सामान्य सामुदायिक जीवन बनाये रखने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 93; विपक्ष में 36

Ayes 93 ; Noes 36

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री वासुदेवन नायर : इसके विरोध में हम सभा-भवन छोड़कर जाते हैं।

इसके पश्चात् श्री नम्बियार, श्री वासुदेवन नायर तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन छोड़कर चले गये

Shri Nambiar, Shri Vasudevan Nair and some Hon. Members then left the House.

अत्यावश्यक सेवाएं बनाए रखने का अध्यादेश 1998 के बारे में विवरण

STATEMENT Re: ESSENTIAL SERVICES MAINTENANCE ORDINANCE, 1968

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71 (1) के अन्तर्गत, आवश्यक सेवाएं बनाये रखने के अध्यादेश, 1968 द्वारा तुरन्त विधान बनाने का कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

बीमा (संशोधन) विधेयक—जारी

INSURANCE (AMENDMENT) BILL—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कृष्ण चन्द्र पन्त द्वारा 4 दिसम्बर, 1968 को प्रस्तुत किये गये बीमा (संशोधन) विधेयक तथा उस पर प्रस्तुत किये संशोधनों पर अग्रेतर चर्चा होगी।

श्रीवेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : मैंने कल कहा था कि इस मामले से संसाधनों के जुटाने का महत्वपूर्ण विषय सम्बन्धित है। इससे सामाजिक नियन्त्रण का उद्देश्य पूरा हो जायेगा। प्रीमियम की ऊंची दर के प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिये। अधिकांश पालिसी-धारक जन-साधारण हैं। वे एक बड़ी राशि प्रीमियम के रूप में देते हैं। सरकार को जनता के हितों की सुरक्षा हेतु कंपनियों पर अपना नियन्त्रण और कड़ा करना चाहिये। बीमा कम्पनियों द्वारा कुप्रथाओं के अपनाने के बारे में अनेकों शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। समिति के सामने यह बात रखी गई थी। इनको रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिये। एक यह भी आरोप लगाया गया है कि बड़े वेतन वाले पद बनाये जाते हैं। कम्पनियों के निदेशकों के निकट सम्बन्धियों की उन पर नियुक्ति की जाती है। इस बारे में कार्यवाही की जानी चाहिये।

[**श्री तिरुमल राव पीठासीन हुए**
Shri Thirumal Rao in the Chair]

मूल विधेयक में बीमा नियन्त्रक को अधिक अधिकार दिये गये थे परन्तु अब एक सलाहकार समिति की व्यवस्था की जा रही है। इस समिति में अनुभवी व्यक्तियों को रखा जायेगा। वे बीमा कार्य से सम्बद्ध रहे होंगे। बीमा कम्पनियों के कर्मचारियों को भी उस समिति में प्रतिनिधित्व देना चाहिये। उन्हें इस बारे में ज्ञान और अनुभव होता है। हमें यह व्यवस्था भी करनी है कि वित्तीय संसाधनों से अधिकाधिक लाभ उठाया जाये। चौथी योजना के लिये संसाधन जुटाना सरल कार्य नहीं है। बीमा कम्पनियों को हमें न केवल सामाजिक नियन्त्रण में लाना चाहिये बल्कि उन्हें राष्ट्रीय नियन्त्रण में लाना चाहिये। इसी प्रकार हमें अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अधिक धन एकत्र करना है। जीवन बीमा तथा अन्य प्रकार के बीमे के व्यवसाय तथा बैंकिंग में जनता का बहुत धन है और इस पर थोड़े व्यक्तियों का नियन्त्रण है। इस प्रकार के निजी नियन्त्रण को समाप्त किया जाना चाहिये। इस धन को सामूहिक कल्याण के लिये प्रयोग में लाया जाना चाहिये। विदेशी बीमा कम्पनियों की प्रतिवर्ष की प्रीमियम आय 20 करोड़ रुपये है। यह नवीनतम आंकड़े हैं।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

चीनी सम्बन्धी नीति पर चर्चा

DISCUSSION Re : SUGAR POLICY

सभापति महोदय : अब हम सरकार द्वारा 28 सितम्बर, 1968 को आगामी सीजन के घोषित की गई अपनी चीनी सम्बन्धी नीति पर विचार करेंगे। यह चर्चा नियम 193 के अन्तर्गत श्री काशीनाथ पाण्डेय तथा श्री चेंगलराया नायडू ने उठाई है।

श्री काशीनाथ पाण्डेय (पदरौना) : जब चीनी की कमी होती है तो गन्ने के मूल्य बढ़ा दिये जाते हैं परन्तु जब देखा जाता है कि गन्ने की खेती बहुत बड़े भाग में की गई, तो उस

समय गन्ने की कीमत कम कर दी जाती है। इस कारण चीनी उद्योग में संकट की स्थिति खड़ी हो गई थी। 1966-67 में 1965-66 की अपेक्षा उत्पादन बहुत कम हुआ था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य चीनी का उत्पादन बढ़ाना है। इस नीति को केवल गन्ने के मूल्यों में वृद्धि करने के लिये नहीं बल्कि मूल्यों को स्थायी तौर पर निर्धारित करने के हेतु अपनाया गया था। उद्योग के स्थायीकरण को ध्यान में रखकर भी इस नीति को अपनाया गया था। परन्तु इस नीति को अपनाये जाने पर अनेक प्रतिक्रियाएं हुयीं। इस नीति को अपनाने का तात्पर्य किसानों को अधिक मूल्य देना तथा कारखानों को इस योग्य बनाना था कि वे किसानों को अधिक मूल्य दे सकें। उत्पादन शुल्क में भी कुछ छूट देने का प्रस्ताव था। यह छूट लगभग 14.32 रुपये प्रति क्विंटल पड़ती है।

आंशिक विनियन्त्रण की नीति को भी लागू किया गया था। इसका अर्थ यह था कि कारखाने के मालिकों को खुले बाजार में बेची जाने वाली चीनी का अधिक मूल्य प्राप्त हो जिससे वे किसानों को गन्ने का अधिक मूल्य दे सकें। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पिछले वर्ष इस नीति ने अच्छा काम किया। परन्तु इसमें कुछ मूल त्रुटियां थीं जो कि अब सामने आ रही हैं। इसका प्रभाव यह हुआ है कि उद्योग में अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

पिछले वर्ष इस नीति की घोषणा के पश्चात् विभिन्न राज्यों में किसानों को गन्ने के अलग-अलग मूल्य दिये गये। जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है वहां पर किसानों को 7.50 से लेकर 16 रुपये प्रति क्विंटल की दर से दिया गया। जबकि सरकार ने 7.37 रुपये राष्ट्रीय मूल्य नियत किया था। इसका तात्पर्य वास्तव में यह था कि किसानों को 7.37 रुपये से कम न दिया जाये।

मैं नहीं समझ सका कि गन्ने की इतनी कम कीमत नियत करने का क्या कारण था। कोई भी किसान इस मूल्य पर गन्ना देने को तैयार नहीं था। तथापि इस नीति के लागू होने से अच्छे परिणाम निकले हैं। 25 प्रतिशत अधिक भूमि पर गन्ना उगाया गया है। सरकार ने अब सोचा कि इस वर्ष अच्छी फसल होगी और उन्होंने गन्ने की कम कीमत नियत करना आरम्भ कर दिया है। परन्तु दूसरी ओर खुले बाजार में चीनी के मूल्य गिरकर लगभग आधे रह गये हैं। इससे मिल मालिकों के दिलों में सन्देह उत्पन्न हो गया है।

वित्त मंत्रालय द्वारा दी गई रियायत को भी इस वर्ष वापिस ले लिया गया है। खुले बाजार के लिये भी अब केवल 30 प्रतिशत चीनी दी गई है। मंत्रालय का विचार है कि किसान हर कीमत पर गन्ना बेचेंगे क्योंकि इस वर्ष फसल बहुत अच्छी हुई है। परन्तु इसका परिणाम यह निकला है कि मिल मालिकों को विनियन्त्रण की नीति में विश्वास नहीं रहा और वे किसानों को गन्ने के अच्छे मूल्य देने को तैयार नहीं हैं।

इस समय उपभोक्ता को चीनी के लिये नगरों में 1.79 रुपये प्रति किलो देना पड़ता है

जबकि ग्रामों में लोगों को प्रति किलो चीनी के लिये 3.50 अथवा 4 रुपये देना पड़ता है। सभा को इस मामले पर भी गम्भीरता से विचार करना है कि यह भेदभाव कब तक जारी रहेगा।

[श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुये
Shri R. D. Bhandare in tha Chair]

यदि समूची चीनी पर नियन्त्रण कर दिया जाये तो उपभोक्ता को कुछ अधिक देना पड़ेगा।

यदि मिल मालिक 279 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चीनी खुले बाजार में वेचें तो उसको कुछ लाभ होता है परन्तु प्रश्न यह है कि इस भाव पर कौन चीनी क्रय करेगा। पिछले वर्ष चीनी के मूल्य खुले बाजार में 500 रुपए प्रति क्विन्टल से गिर कर 255 रुपये प्रति क्विन्टल रह गये थे। प्रत्येक व्यक्ति चार रुपये प्रति किलो चीनी क्रय नहीं कर सकता। इस बात का प्रभाव समूचे वातावरण पर पड़ा है और नवम्बर के प्रथम सप्ताह में काम पर आने वाले मजदूर अभी तक अपने काम पर नहीं आये हैं। 205 कारखानों से से केवल 90 कारखानों में काम शुरू हुआ है।

इस बात को किसी प्रकार भी उचित नहीं ठहराया जा सकता कि देश के एक भाग में किसानों को 15 से 17 रुपये प्रति क्विन्टल मिलें तथा दूसरे भाग में अर्थात् मद्रास में केवल 8 रुपये प्रति क्विन्टल मिलें। मैं नहीं जानता कि सरकार इस मामले में क्या करने जा रही है। यदि समूचे देश में एक समान मूल्य नहीं रखा जा सकता तो राष्ट्रीय मूल्य का कोई अर्थ नहीं है।

इस समय कारखानों में केवल 44,000 टन चीनी खुले बाजार के लिए उपलब्ध है। कुछ चीनी व्यापारियों के पास भी पड़ी है जोकि उन्होंने उस समय क्रय की थी जब चीनी के मूल्य गिर रहे थे। अब मूल्य बढ़ गये हैं क्योंकि कोई कारखाना काम नहीं कर रहा है।

कुछ लोगों ने कहा है कि चीनी के मूल्यों में वृद्धि हुई है। परन्तु मेरा निवेदन है कि उसी चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई है जिसके लिए गन्ना 17 तथा 15 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा गया था। यदि नई चीनी का उत्पादन किया जाये तथा मूल्य के वर्तमान स्तर को बनाये रखा जाये तो इसमें औचित्य है। परन्तु इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा किसानों और मजदूरों के हितों की उपेक्षा करने की यह नीति उचित नहीं है। मेरी प्रार्थना यह है कि यदि समूचे चीनी उत्पादन पर नियंत्रण रखा जाये तो समूचे देश में चीनी की बिक्री दो रुपये प्रति किलो से अधिक दर पर नहीं हो सकेगी। परन्तु देहातियों को चीनी चार रुपये प्रति किलो के हिसाब से क्रय करनी पड़ती है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परभणी) : यदि इस पर से नियंत्रण हटा लिया जाये तो यह चीनी 1.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकेगी।

श्री काशीनाथ पाण्डेय : मैंने आपको अभी जो बताया कि वित्त मंत्रालय की गणना के आधार पर गन्ने का मूल्य प्रति क्विंटल 10 रुपये आता है।

किसानों को गत वर्ष की दर से भुगतान किया जाना चाहिये। आपको ऐसी योजना यार करनी चाहिये ताकि किसानों को इतना मूल्य मिले कि उन्हें भविष्य में अधिक गन्ना त्पादन करने के लिये प्रोत्साहन मिले।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : मैं श्री काशीनाथ पाण्डेय की इस बात से सहमत हूं कि कसानों को कम से कम प्रति क्विंटल पर 10 रुपया का लाभ दिया जाना चाहिए। इसके ुगतान किये जाने के तरीके को मैं खाद्य तथा कृषि मंत्री के ऊपर छोड़ता हूं।

निर्माताओं ने शुल्क आयोग के समक्ष यह उल्लेख किया है कि सब नियंत्रणों को समाप्त केया जाना चाहिये।

किसानों के लिये न्यूनतम मूल्य निर्धारित किये जाने चाहिये। यह कैसे न्यायोचित है कि केरल का एक किसान 7 या 8 रुपये प्रति क्विन्टल मूल्य प्राप्त करने योग्य है जबकि उत्तर प्रदेश का एक किसान 15 रुपये प्रति क्विन्टल मूल्य प्राप्त करने योग्य समझा जाता है ? यह कहां तक उचित है कि हमारे उन किसानों को जो अपने गन्ने के लिये उचित मूल्य की मांग करते हैं उनके गन्ने को स्थानीय सरकार द्वारा चीनी मिलों को मनमाने निर्धारित मूल्यों पर सप्लाई कर दिया जाता है और यदि वे ऐसा करने से इन्कार करते हैं तो उन्हें जेल भेज दिया जाता है। उनमें से सैकड़ों किसानों को जेल भेजा जा रहा है। अतः मैं उन राज्य सरकारों की नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाता हूं जो किसानों को जेल भेजने के लिये उत्तरदायी हैं।

दक्षिण भारतीय मिल मालिकों तथा अखिल भारतीय मिल मालिकों ने सरकार से यह 12 प्रतिशत लाभ के आश्वासन की मांग की है। यदि उन्हें 12 प्रतिशत लाभ से भी अधिक लाभ दे दिया जाये तो भी मुझे आपत्ति नहीं होगी।

हम सब यह चाहते हैं कि चीनी का मूल्य कम किया जाये और हम यह चाहते हैं कि न केवल उपभोक्ताओं को लाभ हो बल्कि गन्ने के उत्पादकों के हितों की भी रक्षा की जाये। इनमें से सब गैर-सरकारी मिल मालिक नहीं हैं। उनमें से एक तिहाई से अधिक व्यक्ति सहकारी मिल मालिक हैं। प्रशुल्क आयोग के सामने दिये वक्तव्य के अनुसार वे 12 प्रतिशत से अधिक लाभ के इच्छुक हैं। क्या उनके प्रति न्याय करने की सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ?

अधिकांश किसानों के पास 1 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। उन्होंने अपनी भूमि पर गन्ने की उपज की है और गन्ना ही उनकी आय का मुख्य साधन है। यदि उन्हें इससे पूरी आय प्राप्त नहीं होती तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र में 60 लाख 287 एकड़ भूमि पर गन्ने की खेती की जा रही है। यदि हम यह मान लें कि 10 लाख 287 एकड़ भूमि पर सहकारी चीनी मिलों और बड़े-बड़े भूमिधारियों तथा अन्य व्यक्तियों का आधिपत्य है तो 50 लाख एकड़ भूमि पर की जा रही गन्ने की खेती का आधिपत्य छोटे व्यक्तियों के हाथ में है। वे छोटे व्यक्ति ही इसमें अधिक

रुचि रखते हैं । क्या उनके हित की अच्छी तरह रक्षा की जाती है ? सरकार को भुगतान करने वाले न्यूनतम मूल्य को 7 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 9 रुपये करना चाहिये ।

गत वर्ष 15 रुपये की दर से भुगतान करने वाली अनेक मिलें समाप्त हो गई थीं । क्या सरकार द्वारा प्रथम छः सप्ताहों में उत्पादकों को दिये जा रहे मूल्य की जानकारी है । गत दो तीन सप्ताहों में, मई, और जून में उत्पादकों को कम मूल्य दिये गये थे । इन सब बातों को देखते हुये क्या सरकार यह कह सकती है कि किसानों के साथ उचित व्यवहार किया जा रहा है ? सर्व-प्रथम वे ही उत्पादक गन्ने की सप्लाई करते हैं जो उसका स्टाक नहीं रख सकते । अतः उन्हें हानि उठानी पड़ती है क्योंकि प्रथम तीन सप्ताह में कम कीमत दी जाती है ।

सरकार की नीति अस्पष्ट, परस्पर विरोधी और पेचीदा है । वह यह चाहती है कि लागत मूल्य से कम कीमत पर निर्यात करने के उद्देश्य से देश त्याग करे । इससे लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है । उत्पादन शुल्क के सम्बन्ध में पहले दी जा रही रियायत को भी समाप्त कर दिया गया है । अधिक मूल्य प्राप्त करने का प्रोत्साहन दिये जाने के परिणामस्वरूप किसानों ने अधिक भूमि पर गन्ने की खेती करनी आरम्भ कर दी है । मिल मालिक कहते हैं कि गत वर्ष हमें राज सहायता के रूप में 78 रुपये प्रति टन के हिसाब से अदा करना पड़ा था और हमें पता नहीं कि आगामी वर्ष हमें इस प्रकार प्रति टन के हिबाब से कितने रुपये देने पड़े । सरकार कहती है कि हमने मिल-मालिकों को 40 प्रतिशत चीनी को खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी थी और उससे उन्हें कुछ लाभ अवश्य हो रहा होगा ।

क्या सरकार इस बात का प्रबन्ध करती है कि इसके परिणामस्वरूप मिल मालिकों को किसी प्रकार की हानि न उठानी पड़े । यदि मिल मालिकों को हानि हुई तो यह स्वाभाविक ही है कि इससे कर्मचारियों को भी हानि होगी और मिलें काम करना बन्द कर देंगी । सरकार यह चाहेगी कि मिलें कार्य करें । अतः इससे सबसे अधिक हानि किसानों को होगी । यदि किसानों के हितों की रक्षा नहीं की गई तो उन्हें सत्याग्रह का सहारा लेना पड़ेगा । हम चाहते हैं कि प्रत्येक मिल, चाहे वह चीनी की हो अथवा अन्य वस्तु की, उचित लाभ अर्जित करे अन्यथा पर्याप्त उत्पादन नहीं हो सकेगा । इसके साथ-साथ हम यह भी चाहते हैं कि हमारे किसानों को उचित लाभ मिले ।

उत्पादन-शुल्क में भी रियायतें दी जानी चाहिए ।

सरकार को जनता की हर प्रकार से सहायता करनी चाहिये ताकि किसान कम से कम 10 रु०प्रति क्विन्टल के हिसाब से लाभ प्राप्त कर सकें । एक ऐसे तकनीक का विकास किया जाना चाहिये जिससे इसमें कोई बेइमानी न की जा सके । किसानों और मिल मालिकों में किसी प्रकार का समझौता किया जाना चाहिये । यदि सरकार किसी ऐसे तरीके की व्यवस्था कर देती है जिससे यह निश्चित हो जाये कि मिल मालिकों को कोई हानि नहीं हुई है और इसके साथ साथ उन्हें उपभोक्ताओं और उत्पादकों की वजह से कोई लाभ नहीं हुआ है, तो उचित न्याय समझा जा सकता है ।

यह बहुत जटिल समस्या है। सरकार को विशेषज्ञों और विभिन्न सम्बद्ध व्यक्तियों के साथ मिलकर एक ऐसी योजना तैयार करनी चाहिये जो वर्तमान योजना के समान जटिल न हो।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर): 1964-65 में चीनी का कुल उत्पादन 32.58 लाख टन था। 1965-66 में यह उत्पादन 35.10 लाख टन था। 1966-67 में यह उत्पादन अचानक घट कर 21 लाख टन हो गया। इसका मुख्य कारण यह है कि उत्पादन लागत, श्रम तथा मशीनों की लागत में वृद्धि हो जाना है। भू-राजस्व में भी वृद्धि हो गई है। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष लागत में वृद्धि हो रही है और किसान गन्ने का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं और उन्होंने गन्ने के उत्पादन को समाप्त कर दिया है। अत: 1966-67 में गन्ने के उत्पादन के आंकड़ों में कमी हुई।

गत वर्ष सरकार द्वारा आरम्भ की गई नई योजना जिसके अनुसार चीनी के उत्पादन का 40 प्रतिशत भाग खुले बाजार में बेचा जाये और 60 प्रतिशत भाग नियंत्रित मूल्यों पर बेचा जाये, सफल रहने के परिणामस्वरूप लोगों ने गत वर्ष से गन्ने की प्रति एकड़ खेती में वृद्धि कर दी है। अतः इस वर्ष कुल उत्पादन 28 और 30 लाख टन के बीच होने का अनुमान है। सरकार ने अचानक बिना किसी चेतावनी के यह घोषणा कर दी है कि 70 प्रतिशत चीनी मार्किट में नियंत्रित मूल्य पर और केवल 30 प्रतिशत चीनी खुले बाजार में बेची जायगी। गत वर्ष जब चीनी के उत्पादन में कमी हुई थी तो सरकार ने उत्पादन शुल्क में छूट देने की घोषणा की थी। सरकार ने घोषणा की थी कि 40 प्रतिशत चीनी खुले बाजार में 161 रुपये प्रति क्विन्टल की दर से बेची जायेगी। फिर सरकार द्वारा अचानक यह घोषणा की गई कि इस वर्ष सरकार ने इसका मूल्य घटाकर 153.85 रुपये प्रति क्विन्टल कर दिया है।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : ऐसी घोषणा नहीं की गई है।

श्री चेंगल राया नायडू : आंध्र में ऐसी घोषणा की गई है। वहां निजाम चीनी मिल और बोडम चीनी मिल में प्रति क्विन्टल 139 रुपये की दर निर्धारित की गई है। 15 रुपये के अन्तर का क्या कारण है ?

कृषि मूल्य निर्धारण समिति में उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व है। जब उपभोक्ता कृषकों के भाग्य का निर्णय करेंगे तो किसानों के प्रति न्याय की क्या आशा की जा सकती है। यदि सरकार ऐसे करती रही तो अगामी वर्ष गन्ने की खेती में वृद्धि नहीं की जायेगी।

सरकार ने गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 द्वारा गन्ने के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर रोक लगा दी है। सरकार ने किसानों को मिलों को गन्ना सप्लाई करने के लिये मजबूर किया है। अब जब कि मिल मालिक किसानों को निर्धारित मूल्य नहीं दे रहे हैं तो केन्द्रीय सरकार उन पर जोर नहीं डालती।

गत वर्ष सरकार ने आंध्र प्रदेश में चीनी का मूल्य 110 रुपये प्रति क्विन्टल निर्धारित किया था। हम 125 रुपये प्रति क्विन्टल की मांग कर रहे थे। गन्ना उत्पादक 200 रुपये

प्रति क्विन्टल की दर से मूल्य प्राप्त कर सकते थे। लेकिन सरकार ने गन्ना उत्पादकों को गन्ने को 110 रुपये प्रति क्विन्टल की दर से सप्लाई करने के लिये मजबूर किया। महाराष्ट्र में उनकी सहकारी संस्था ने 160-200 प्रति क्विन्टल की दर से मूल्य अदा किया। जब महाराष्ट्र की सहकारी संस्था ऐसा कर सकती है तो और राज्यों में भी गन्ना उत्पादकों को भी वही मूल्य मिलना चाहिये।

क्या माननीय मंत्री यह चाहते हैं कि किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़े और उनकी रक्षा न की जाये। जबकि सरकार मिल मालिकों के हित की रक्षा कर रही है।

गत वर्ष चित्तौर जिले में 53 व्यक्तियों के विरुद्ध चीनी मिलों को गन्ने के न सप्लाई किये जाने के विरुद्ध मामले दायर किये गये।

श्री जगजीवन राम : सहकारिताओं के विरुद्ध।

श्री चेंगलराया नायडू : उन्हें गिरफ्तार किया गया है और जेल भेज दिया गया है। जब आपके पास किसानों को परेशान करने के लिये इतनी शक्ति है तो क्या आप मिल मालिकों को भी इसी प्रकार परेशान नहीं कर सकते।

चीनी की मात्रा के आधार पर मूल्य निश्चित करने के लिये सरकार को कारखानों के मालिकों पर निर्भर नहीं करना चाहिये। ये लोग हिसाब में काफी गड़बड़ करते हैं। उत्पादन शुल्क अधिकारियों के साथ सांठगांठ करके हिसाब में गड़बड़ी करने में ये लोग सफल हो जाते हैं। केन्द्रीय सरकार को यह कार्य अपने वैज्ञानिकों को सौंपना चाहिये। इन वैज्ञानिकों को अपने सामने गन्ने की पिराई करवानी चाहिये ताकि चीनी की उचित मात्रा का पता लगाया जा सके और फिर इसी मात्रा के आधार पर चीनी का मूल्य निश्चित करना चाहिये। यदि सरकार ने किसानों की सहायता न की तो सम्भव है कि सरकार को चीनी का आयात करना पड़े।

श्री वी० कृष्णमूर्ति (कड्डलूर) : सरकार के कुप्रबन्ध और अपनी चीनी सम्बन्धी नीति में गड़बड़ के कारण वर्ष 1965-66 की अपेक्षा वर्ष 1966-67 में चीनी का उत्पादन कम हुआ है। इससे स्पष्ट है कि सरकार की चीनी सम्बन्धी नीति असफल रही है। वर्ष 1949 तक चीनी की स्थिति बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद केन्द्रीय सरकार ने चीनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। राज्यों के मुख्य मंत्रियों को इस सम्बन्ध में कोई अधिकार नहीं दिया गया है। गन्ने के उत्पादन और मूल्य निश्चित करने के अधिकार राज्य सरकारों को दिये जाने चाहिये।

गोपालाकृष्णन समिति ने चीनी की उत्पादन लागत एवं तत्कालीन कराधान का अध्ययन किया था परन्तु सरकार ने इस समिति के सुझावों को स्वीकार नहीं किया है। इस समिति ने सिफारिश की थी कि चीनी के विक्रय मूल्य का 55 प्रतिशत गन्ना उत्पादकों को मिलना चाहिये और 45 प्रतिशत कारखानों को दिया जाना चाहिये। सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की। इससे उद्योगपतियों को लाभ हुआ है। मैं यह अनुरोध करता हूं कि जो औद्योगिक शक्ति इस समय केन्द्रीय सरकार के पास है वह राज्य सरकारों को दी जानी चाहिये।

पिछले वर्ष उत्तर भारत में गन्ना उत्पादकों को मद्रास की अपेक्षा बहुत अधिक दाम मिले थे। सरकार की नीति के कारण पिछले वर्ष 20 करोड़ रुपये की अर्नाजित आय हुई थी। मेरा सुझाव यह है कि इस धनराशि को गन्ना उत्पादकों में वितरित कर देना चाहिये।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस नीति के फलस्वरूप उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि यदि सरकार की नीति ठीक हो तो देश में उत्पादन अत्यधिक बढ़ सकता है और फिर हम चीनी का निर्यात करके विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं। अत: भारत सरकार को इस शक्ति का विकेन्द्रीकरण करके इसे राज्य सरकारों को दे देनी चाहिये। अन्यथा भारत सरकार को गन्ने का मूल्य कम से कम 100 रुपये प्रतिटन निश्चित करना चाहिये। सरकार को गोपालाकृष्णन समिति की सिफारिश को भी क्रियान्वित करना चाहिये। इस प्रकार खाद्य मंत्री को खेतिहरों की रक्षा करनी चाहिये।

Shri Randhir Singh (Rohtak): Mr. Chairman, I am sorry that legislation is being thrown to winds. In the Preamble it has been mentioned that no discrimination will be made but in fact a discrimination has been made between a farmer and a non-farmer. The farmer feels that the things which he is producing are not fetching adequate returns, whether it is foodgrains, sugar-cane or commercial crops. Every other producer has control over his produce. A car producer charges the price which he wants; similar is the care with a fountain-pen manufacturer. But it is not so in the case of a farmer. Even the fire-wood is sold at Rs. 25 per quintal but the sugar-cane is sold at the rate of Rs 7.75 only. What greater injustice can there be to a farmer. The sugar-cane seed is sold at the rate of Rs. 16.00 per quintal.

One more fact is there. When a farmer grows sugar-cane, his entire family is engaged in that. That is the only source of his income. About 80 per cent people of this country are behind the demand of farmers and even Prof. Ranga was right when he said that even members of the opposition are behind the demands of the farmers. So I request Shri Jagjivan Ram to realise this. Mr. Naidu was right when he said that the farmers would not grow sugar-cane because of this inadequate return. No farmer would grow a thing in which he does not get profit.

I want to say something about the agitation going on in Haryana. Whatever begins in Haryana spreads to other parts of the country. I request that steps should be taken for the withdrawal of agitation and those who have been arrested in this connection may be released.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Mr. Chairman, the sugar industry is passing through a very critical stage. The mills are closed, the farmer is not supplying sugar-cane because he is not getting adequate price for his produce. The workers of the sugar mills are unemployed because of closure of mills. Therefore the Government should adopt an effective policy. The present policy is neither in the interest of sugar cane growers, nor in the interest of employees of sugar mills nor that of the consumers. The Government should put pressure on the mill owners so that they may give more price to the sugar-cane producers.

The mill owners do not raise price without the agitation of farmers. This can be solved if you talk to the representatives of formers. Government should interfere now.

The mill owners should also be asked to pay the arrears of the farmers. In U. P. and Bihar, the mill owners owe lakhs of rupees to the farmers. You can take away the land of the farmer if he does not pay land revenue. You should now ask the mill owners to pay the arrears of farmers.

It is not in the interest of consumers to remove the restrictions on sugar. Sugar is an essential item. So Government should face the people on this issue.

In U. P. and Bihar the sugar industry is passing through a critical period. The mills are closed. On the other hand you are issuing licences for the opening of new mills. You should take a balanced view of the requirement of the whole country and frame a policy accordingly. Instead of opening new sugar mills, you should improve the condition of old mills by investing money into them.

While framing a policy about sugar, Government should look to the interest of all sections of the community. It should be in the interest of growers, consumers and the industry.

In case the Sugar Industry in U. P. and Bihar faces a crisis there would be no industry to provide jobs to the people in those States. I do not want to go into details. But I would like to request the Government that they should bear in mind the special problems of that industry and give due consideration while formulating the policies in this regard.

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE
छब्बीसवां प्रतिवेदन

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का छब्बीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

चीनी सम्बन्धी नीति के बारे में प्रस्ताव—जारी
MOTION RE : SUGAR POLICY—Contd.

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परभणी) : पिछले कई वर्षों से चीनी के सम्बन्ध में सरकार ने कोई ठोस तथा निश्चित नीति नहीं अपनाई है, कभी चीनी पर पूर्ण नियंत्रण है, तो कभी पूर्ण विनियंत्रण और कभी आंशिक नियंत्रण कभी आंशिक विनियंत्रण । इस प्रकार की नीति सफल नहीं हो सकती । या तो पूरा नियंत्रण होना चाहिए या फिर पूर्ण विनियंत्रण । यदि पूर्ण नियंत्रण में सफलता नहीं मिली है, तो फिर पूर्ण विनियंत्रण किया जाना चाहिए और चीनी उद्योग के लिये लाइसेन्स प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट दी जानी चाहिए ।

बहुत से लोग कहते हैं कि पूर्ण विनियंत्रण उपभोक्ताओं के हित में नहीं होगा । उपभोक्ताओं का हित यही है कि उन्हें चीनी उचित मूल्य पर मिले लेकिन मूल्य औचित्य बाजार

प्रक्रियाओं पर छोड़ दिया जाना चाहिए । जब वे उपभोक्ताओं को सस्ते से सस्ते मूल्य पर चीनी देने की स्थिति में होते हैं, तो यह तर्क दिया जाता है कि यदि पूर्ण विनियंत्रण किया गया, तो उत्तर बिहार तथा पूर्व उत्तर प्रदेश का चीनी उद्योग ठप्प पड़ जायेगा, किन्तु इस दर में कोई वजन नहीं है । सरकार यदि उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग के प्रति वही नीति अपनाये जो कि महाराष्ट्र के सहकारी चीनी मिलों के प्रति उसने बरती है, तो 100 वर्ष पहले जो पूंजी उसमें लगाई गई है, वह पूरी तरह वसूल हो जायेगी और देश का समूचा सहकारी अन्दोलन इस जिम्मेदारी को लेने के लिये आज तैयार है, बशर्ते सरकार ऐसा करना चाहे । सरकार ऐसा तर्क न दे कि उत्तर बंगाल तथा उत्तर प्रदेश का चीनी उद्योग समाप्त हो जायेगा । इस बात को राष्ट्रीय नीति बनाने के मार्ग में रोड़ा न बनने दिया जाये । इस उद्योग ने सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बावजूद उत्पादकों को गन्ने के मूल्य के रूप में 60 करोड़ रुपये नहीं दिये हैं । सरकार कहती है, यदि यह नीति अपनाई जाये, तो उन्हें हानि उठानी पड़ेगी । हमारा देश इतना मजबूत तथा शक्तिशाली है कि वह पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार को समान स्तर पर ले आयेगा और किसी व्यक्ति को हानि नहीं होने पायेगी । आवश्यकता इस बात की है कि मंत्री महोदय चीनी उद्योग के पूर्ण विनियंत्रण करने की हिम्मत करें ।

मैं इस सम्बन्ध में उद्योग मंत्री द्वारा की गई नीति घोषणा का उल्लेख करना चाहता हूं । उन्होंने कहा कि ऐसे किसी उद्योग के सम्बन्ध में जिसमें मशीनरी अथवा कच्चे माल और पुर्जों के आयात के लिये किसी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता न पड़े, लाइसेंस लेने की आवश्यकता से छूट दी जायेगी । चीनी उद्योग इस शर्त को पूरी करता है इसलिये उसे इस दायरे में न लाने का क्या कारण है ? सरकार ऐसा करने पर भी चीनी का विश्व बाजार को निर्यात कर सकती है । हमारा देश चीनी निर्यात संगठन का एक सदस्य है । किन्तु हम देखते यह हैं कि जब कभी थोड़ी सी वृद्धि होती है, तो खाद्य मंत्री उत्पादन में 10 प्रतिशत कटौती का हुक्म दे देते हैं । चीनी सम्बन्धी नीति में उनकी दिलचस्पी केवल यही है कि चीनी की देश में हमेशा कमी बनी रहे । इस कमी को दूर करने का एकमात्र उपाय लाइसेंस लेने से छूट देना है ।

आंशिक नियंत्रण से उपभोक्ता को कोई लाभ नहीं हुआ है, उसे बहुधा खुले बाजार की चीनी पर ही निर्भर रहना पड़ता है । सेन समिति ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि चीनी उद्योग को आदर्श लाइनों पर चलाने की आवश्यकता है और चीनी का निम्नतम मूल्य जो भी निर्धारित हो, उसके पश्चात् इक्षुर्शकरा पदार्थ (सुक्रोज कन्टैंट) में हर 0.1 प्रतिशत वृद्धि पर वृद्धि समानुपातिक होनी चाहिए । किन्तु मंत्री महोदय द्वारा घोषित नीति के अन्तर्गत वृद्धि समानुपतिक नहीं है । आदर्श अनुपात के सिद्धान्त के आधार पर ही सेन समिति ने गन्ने की निम्नतम मूल्य की सिफारिश की है । किन्तु इस सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप गन्ना उत्पादकों को हानि उठानी पड़ी है । पूंजी पर लाभ की दर कम हो गई है और प्रत्येक क्षेत्र में चीनी के मूल्य में भारी विषमता पैदा हो गई है ।

दो वर्ष पूर्व जो मूल्यों की घोषणा की गई थी उसके अनुसार दक्षिण क्षेत्र के लिए 132 रु० और उत्तरी क्षेत्र के लिये 187 रुपये निर्धारित किये गये थे। अगर इनमें से कम कर दिया जाये तो दक्षिण क्षेत्र में प्रति क्विंटल 100 रुपये और उत्तरी क्षेत्र में 155 रुपये होंगे। यह जो 55 रुपयों की असमानता है, वह केन्द्रीय सरकार की नीतियों के कारण है।

इस प्रकार से चीनी सम्बन्धी नीति में संशोधन गैर-सरकारी उद्योगपतियों के हितों के लिये किया गया है। हम एक राष्ट्र की बात करते हैं परन्तु देश में एक ही वस्तु के मूल्य में एक स्थान से दूसरे स्थान में असमानता है।

श्री एम० नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : सरकार की वर्तमान चीनी सम्बन्धी नीति यह बताती है कि हमारे मंत्री संकट पैदा करने में कितने दक्ष हैं। सरकार की इस नीति से गन्ना उत्पादकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। चीनी के आंशिक विनियन्त्रण आदि से भी सरकार कारखानों के मालिकों को गन्ना उत्पादकों को उसी अनुपात में मूल्य देने के लिये कह नहीं पा रही है। सरकार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर सकी है जिससे कि कारखाने वाले चीनी सम्बन्धी समान मूल्य निर्धारित कर सकें। हांलाकि समय-समय पर सरकार ने कहा है कि जो अतिरिक्त लाभ होगा वह किसानों के पास जायेगा ताकि वे चीनी का उत्पादन बढ़ा सकें।

आन्ध्र प्रदेश में 19 कारखाने हैं जिनमें से 8 सहकारी और 1 सरकारी कारखाने ने राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य देना स्वीकार किया है। बाकी 10 गैर-सरकारी कारखानों में से 9 कारखाने अपनी बात पर अड़े हुए हैं और 1 ने सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य देना स्वीकार किया है। इस प्रकार ये गैर-सरकारी कारखानें बहुत बड़ी मात्रा में लाभ कमा रहे हैं। सरकार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर सकी है जिससे कि किसानों को उचित मूल्य मिल सके।

अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम के खण्ड 3 के अन्तर्गत गन्ने का मूल्य निर्धारित किया गया है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है। अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम के अन्तर्गत सरकार के पास पर्याप्त अधिकार हैं। वह राज्य सरकार को भी अपने-अपने राज्य में मूल्य के नियमन करने का भी अधिकार दे सकती है, आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने विधान सभा में कहा था कि वह कारखाने के मालिकों से इस सम्बन्ध में बातचीत कर सकते हैं बशर्ते कि चीनी नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत उन्हें अधिकार मिले हों परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

चीनी नियन्त्रण आदेश में संशोधन करके यह कहा गया कि न्यूनतम मूल्य अथवा कारखानों के मालिक तथा उत्पादकों के मध्य समझौते के अनुसार मूल्य दिया जायेगा। मैं नहीं जानता कि मंत्रियों को इसके बारे में मालूम है क्योंकि आमतौर पर ऐसे निर्यात वे अधिकारी लेते हैं जिनके विरुद्ध उद्योगपतियों के साथ साठगांठ का अभियोग लगाया जाता है। यह एक बेहूदा संशोधन है जिसका चीनी नियंत्रण आदेश से कोई संबंध नहीं है। मेरे पास प्रमुख मंडियों जैसे—बम्बई, कानपुर, मद्रास और कलकत्ता के आंकड़े हैं। पिछले 25 दिनों से खुले बाजार में चीनी 300 रुपये से अधिक में बिक रही है। यह मूल्य कम नहीं होगा क्योंकि अनुमानित उत्पादन 30 लाख टन नहीं होगा।

मैं नहीं समझता कि सरकार क्यों नहीं इस मामले को अपने हाथ में लेती। जब सहकारी और सरकारी कारखानें 100 रुपये दे सकते हैं तो गैर-सरकारी कारखाने उतना मूल्य क्यों नहीं दे सकते। यह प्रयत्न होना चाहिए कि उचित मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए अथवा शीघ्र ही संशोधन लाना चाहिए। सेन आयोग के अनुसार 250 लाख व्यक्ति गन्ना उत्पादन में लगे हुए हैं, चीनी उद्योग देश का दूसरा बड़ा उद्योग है और सरकार ने पिछले 32-35 वर्षों से इसे संरक्षण दिया हुआ है। इसका परिणाम यह हुआ कि इसमें शिथिलता और भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। हमें ऐसी नीति बनानी चाहिए जो किसानों के हितों में हो। केन्द्रीय सरकार के पास सांविधिक अधिकार हैं। इसका प्रयोग शीघ्र ही संशोधन लाने के लिए किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार की स्थिति के अनुसार कार्य करने के लिये अधिकार दिये जायें। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर गम्भीरता से सोचें। 1931 से अब तक 15 आयोग बिठाये गये जिसमें से 14 आयोग चीनी उद्योग के लिये थे और 1 आयोग गन्ने की कीमत के बारे में जांच आदि करने के लिए था। हम चाहते हैं कि क्षेत्रवार मूल्य निर्धारित किये जायें। इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है कि समस्त देश में इसका समान मूल्य हो क्योंकि चीनी की भी कोई समान कीमत नहीं है जो कि क्षेत्रवार निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार गन्ने का क्षेत्रवार मूल्य भी निर्धारित किया जाये। ऐसी नीति के अभाव में न केवल गन्ना उत्पादकों को परेशानी उठानी पड़ रही है अपितु चीनी का उत्पादन भी कम होगा।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : Mr. Chairman, the debate going on today....

सभापति महोदय : अब सभा स्थगित होती है। माननीय सदस्य अपना भाषण अगले अवसर पर जारी कर सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 6 दिसम्बर, 1968/15 अग्रहायण, 1890 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 6, 1968/ Agrahayana 15, 1890 (Saka)

Tej Kumar Press, Lucknow. 7-4-69—600.